त्रयोदश माला, खंड 24, अंक 29

गुरुवार, 2 मई, 2002

12 वैशाख, 1924 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY

No. D 53

Date 23/9/2002

(खण्ड 24 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)
अंक 29, गुरुवार, 2 मई, 2002/12 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 521 और 522	1-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 524 से 540	28-62
अतारांकित प्रश्न संख्या 5520 से 5749	62-325
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	325-327
सभा पटल पर रखे गए पत्र	330-335
राज्य सभा से संदेश	335-336
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	336
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
निन्यानवेवां और सौवां प्रतिवेदन	336-337
नियम 377 के अधीन मामले	337-344
(एक) जयपुर, राजस्थान में जोनल रेलवे कार्यालय भवन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	337
(दो) उत्तर प्रदेश में देवरिया–महुआडीह–हैतिमपुर–कुशीनगर–पडरौना रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	337-338
(तीन) मध्य रेलवे, मुम्बई में भांडुप और मुलुंड के बीच नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री किरीट सोमैया	338
(चार) कर्नाटक को सेंट्रल ग्रिड से बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा	338-339

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(पांच) ढेंकानाल स्थित संग्रहालय का अनुरक्षण तथा विस्तार करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव 339

(छह) समूचे देश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक 339-340

(सात) बिहार में एनटीपीसी, कहलगांव को कमान क्षेत्र घोषित करके इसके आस–पास 40 कि.मी. के क्षेत्र में अवस्थित उद्योगों को अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय 340-341

(आठ) बुन्देलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित जिलों में निःशुल्क 'बोरवेल' योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 341

(नौ) बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छपरा और मोहम्मदपुर के बीच बरास्ता बनियापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 341-342

(दस) दक्षिण–पूर्व रेलवे की तामलुक–दीघा रेल परियोजना का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

डा. नीतिश सेनगुप्ता 342

(ग्यारह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चांदगढ़ तालुक में जाम्बरे मध्यम सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक 342-343

(बारह) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 343

(तेरह) दक्षिण कन्नड़ में स्थानीय मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 343-344

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

और

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 345-442

विचार करने के लिए प्रस्ताव 345

डा. सत्यनारायण जटिया 345-346, 432-444

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 347-353

श्री थावरचन्द गेहलोत 353-356

श्री एच. डी. देवगौड़ा 356-358

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 358-361

श्री मोइनुल हसन 361-363

डा. बिक्रम सरकार 364-369

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल 369-376

श्री धर्म राज सिंह पटेल 376-377

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति 377-380

श्री राम सजीवन 380-382

श्रीमती जस कौर मीणा 383-387

श्री रूपचन्द मुर्मू 387-390

श्री माधव राजवंशी 391-393

श्री सनत कुमार मंडल 393-395

श्री भान सिंह भौरा 395-397

श्री वीरेन्द्र कुमार 397-400

श्री अमर रायप्रधान 400-404

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी 404-407

डा. संजय पासवान 408-410

श्री रामदास आठवले . 410-413

श्रीमती संध्या बौरी 413-417

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 417-420

श्री शीशराम सिंह, रवि 420-422

श्री अधीर चौधरी 422-426

श्री सुरेश रामराव जाधव 426-427

श्री नरेश पुगलिया 427-430

श्री वरकला राधाकृष्णन 430

श्री छत्रपाल सिंह 430-431

श्री पुन्नू लाल मोहले 431

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम 431

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 432

खंड 2, 3 और 1 442

पारित करने के लिए प्रस्ताव 442-444

लोक सभा

गुरुवार, 2 मई, 2002/12 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पाइपलाइन के स्वामित्व वाली कम्पनियों को पूर्ण स्वतंत्रता

***521. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मूल्य–विनियंत्रण के पश्चात पाइप लाइनों के स्वामित्व वाली पेट्रोलियम कम्पनियों को अन्य कम्पनियों के साथ अपनी क्षमताओं को बांटने के बारे में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाइप लाइन के स्वामित्व वाली कम्पनियां आकलित मूल्य तंत्र के पश्चात (पोस्ट ए. पी. एम.) अपनी अतिरिक्त क्षमताओं को अन्य कम्पनियों को आवंटित करने के लिये स्वतंत्र होंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या ये प्रस्ताव मंत्रालय की उन सिफारिशों का भाग हैं जिनमें तेल क्षेत्र विनियामक के क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) : सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रस्तावित पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड (पी आर बी) किसी पाइप लाइन को "कामन कैरियर" घोषित कर सकता है और किसी संस्था को कोई पाइप लाइन "कामन कैरियर" के रूप में बिछाने, तैयार करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है। इस प्रकार का निर्णय लेते समय बोर्ड विभिन्न संस्थाओं के बीच विपणन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, अनावश्यक निवेश को रोकने, आपूर्तियों को बनाये रखने अथवा इनमें वृद्धि करने अथवा पूरे देश में उचित कीमत पर पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का समान वितरण और उपलब्धता प्राप्त करने के उद्देश्यों का पालन करेगा।

यह प्रस्ताव है कि पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिये पाइप लाइन को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने वाली संस्था के पास अपनी स्वयं की आवश्यकता के लिये उपयोग करने का पहला अधिकार होगा और शेष क्षमता का संस्थाओं के बीच इस प्रकार उपयोग किया जायेगा, जैसा बोर्ड निर्णय करेगा।

सरकार ने संसद के वर्तमान सत्र में पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक, 2002 लाने का निर्णय लिया है और पेट्रोलियम नियामक बोर्ड की स्थापना का अंतिम निर्णय संसद द्वारा विधेयक के अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे निर्णयों पर विचार करने के कौन से मुख्य कारण हैं और दूसरे ये निर्णय किस हद तक उपभोक्ताओं और दूरस्थ गांवों के लोगों के लिये सहायक होंगे?

श्री राम नाईक : पाइप लाइनें 'कॉमन कैरियर' के सिद्धांत पर बिछाई जायेंगी क्योंकि पाइप लाइनों के बिछाने में बहुत अधिक निवेश को आवश्यकता होगी। यदि कोई अधिक क्षमता उपलब्ध होती है तो उसका अन्यों के लिये उपयोग किया जा सकता है। इस विचार से 'कॉमन कैरियर' सिद्धांत बनाया जा रहा है।

इस समय जहां कहीं भी पाइप लाइन मौजूद हैं, वे इसके दायरे में होंगी। यदि कोई नई पाइप लाइन चाहता है, तो उसे विनियामक के पास जाना होगा। विनियामक बोर्ड की

स्थापना के प्रयोजनार्थ हम इस सत्र में अगले सप्ताह पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड विधेयक ला रहे हैं। ज्यों ही यह विधेयक संसद द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित हो जायेगा यह तुरंत परिपालन में आ जायेगा और तब तक पेट्रोलियम मंत्रालय विनियामक के रूप में कार्य करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुनप्पा, अब आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री मल्लिकार्जुनप्पा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट हूं।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा एक अप्रैल, 2002 को नियंत्रित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) को भंग करने का प्रस्ताव किया गया था। किंतु ऐसा लगता है कि इसे सितम्बर तक स्थगित किया गया है। भंग करने को विलंबित अथवा स्थगित करने का क्या कारण है और इसका इस अवधि के दौरान कंपनियों और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

श्री राम नाईक : महोदय, एपीएम, नियंत्रित मूल्य तंत्र 1 अप्रैल, 2002 को विनियमित किया गया है। बजट प्रस्तुत करने के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य 20 डालर प्रति बैरल तक था और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में मूल्य 26 डालर तक पहुंच गया है। यह वृद्धि काफी अधिक है। हमने सोचा था कि पेट्रोलियम कम्पनियां इस वृद्धि को ध्यान में रखेंगी। जब कोई अनियंत्रित परिदृश्य की बड़ी घटना होती है, तो हमने उन्हें सलाह दी कि उन्हें ग्राहकों को अचानक वृद्धि से बचाव की कोशिश करनी चाहिए। अचानक वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण हुई है। उन्होंने अपनी इच्छा से एक निर्णय लिया है कि वे कुछ समय के लिये ग्राहकों का बचाव करेंगे। यह उनका निर्णय है। सरकार तेल कम्पनियों को यह अथवा वह करने के लिये निर्देश नहीं दे रही है किंतु निश्चित रूप से सरकार ने कहा है कि मूल्यों में अचानक हुई इस वृद्धि के कारण ग्राहकों को बचाना चहिए।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : आज के समाचार पत्र में यह समाचार छपा है कि पेट्रोलियम और डीजल के खुदरा मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है। जब यह प्रस्तावित था कि कम से कम तीन माह तक मूल्यों को स्थिर रखा जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के कार्यान्वित होने से पहले, समाचार पत्र में छपे समाचार के अनुसार...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही एक अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं। आप दो नहीं पूछ सकते हैं।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं। समाचार पत्र में छपे एक समाचार में कहा गया है कि मूल्य बढ़ने की संभावना है, जबकि उस समय मंत्री ने विश्वास दिलाया था कि कम से कम तीन माह के लिये मूल्य स्थिर रखे जायेंगे।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि हमने निर्देश नहीं दिया है, बल्कि हमने अपनी इच्छा व्यक्त की है। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकार की यह इच्छा पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्राहकों को कुछ समय के लिये बचाया जाये, वे निर्णय लेंगे। क्योंकि मूल्य बढ़ रहे हैं, वे अपना निर्णय खुद लेंगे। 1 अप्रैल के बाद हम मूल्य बढ़ाने अथवा घटाने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आपने इस प्रश्न पर सप्लीमेंट्री के लिये रिटिन रिक्वेस्ट दी थी।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसमें नहीं दी थी। दूसरे रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पर दी थी। गलती हो गई, सर।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं।

श्री सुबोध मोहिते : उपाध्यक्ष महोदय, मेन प्रश्न में कैपेसिटी शेयरिंग की बात की गई है और मेन कैपेसिटी शेयरिंग तीन बातों के लिये की जा रही है

[अनुवाद]

(1) पाइप लाइन की क्षमता का अधिकतम उपयोग, (2) अवसंरचनात्मक निवेश से बचना, और (3) उपभोक्ताओं के लिये कम मूल्य पर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता।

[हिन्दी]

यह 1 अप्रैल, 2002 से डी रेगुलेशन द्वारा शुरू हो रहा है लेकिन, ग्राउंड रिएलिटी यह है कि अभी तक इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है।

[अनुवाद]

यह सभी कम्पनियों और उपभोक्ताओं के लिये लाभदायक है।

मैं तटीय क्षेत्र और दूरस्थ स्थानों में पेट्रोलियम उत्पाद मूल्यों को निर्धारित करने का मानदंड जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं उत्तर देने का जरूर प्रयास करूंगा। आयल कम्पनीज अपनी–अपनी कीमतें तय करने के लिये अभी स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको यह सोचना होगा कि सारे देश में एक कीमत रखें या जहां उनकी रिफाइनरीज है, वहां कीमत कम रखें। अगर वे ऐसा करते हैं, तो जम्मू–कश्मीर, असम जैसे सुदूर क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज उनको लगाने पड़ेंगे। यह एक कमर्शियल डिसीजन है और आगे भविष्य में वे अपने–अपने ढंग से निर्णय करेंगे। हमें केवल इतना देखना होगा, रैग्युलेटरी बिल पास होने के बाद, कि इस सारी प्रक्रिया में ज्यादा मुनाफा यानी प्राफिट न हो और एक्सैसिव कन्ज्यूमर एक्सप्लायटेशन न हो। इस प्रकार का प्रयास रैग्युलेटरी बोर्ड करेगा। उसके नीचे कितनी कीमत रहती है, उसके अंडर अगर रेग्युलेशन नहीं बनता है, तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री रेग्युलेटर का काम करेगी। हम इसमें इतनी ही दखलंदाजी देंगे।

[अनुवाद]

डा. नीतिश सेनगुप्ता : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि अनियंत्रित परिप्रेक्ष्य में, भारतीय तेल निगम जो अधिकतर पाइप लाइनों को नियंत्रित करता है, को इससे उसे अस्वाभाविक लाभ मिलेगा और वह अन्य कम्पनियों को दबाव में रखेगा। पेट्रोनेट की भूमिका क्या होगी? क्या वह कतिपय समिति, जिसका मैं 1997 में सभापति रह चुका हूं, द्वारा की गई सिफारिशों की जानकारी है, जिसने सिफारिश की थी कि इंडियन ऑयल को इन पाइप लाइनों को पेट्रोनेट को बेचने के लिये प्रेरित करना चाहिए, जो एक कॉमन कम्पनी है, ताकि कॉमन कैरियर सिद्धांत को उचित रूप से लागू किया जाये?

श्री राम नाईक : मुझे उस रिपोर्ट की जानकारी है जो माननीय सदस्य ने 1977 में प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात कई समितियां नियुक्त की गई थीं। सरकार, प्रधान मंत्री ने मंत्रियों का समूह गठित किया था जिसमें वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और मैं भी शामिल था। मंत्रियों के समूह ने पूर्व में की सभी सिफारिशों को ध्यान में रखा और हाइड्रोकार्बन, दृष्टिकोण, 2025 तैयार किया, जो कि एक नीतिगत दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत भविष्य में कार्यवाही की जायेगी। इसके अंतर्गत इस पाइप लाइन को कॉमन कैरियर के रूप में लिया जायेगा।

जी हां, आई.ओ.सी. को कुछ प्रारंभिक लाभ है, क्योंकि आई.ओ.सी., इस समय तक, भारत में एकमात्र कम्पनी रही है जिसे फॉर्च्यून 500 कम्पनियों में शामिल किया गया था। उनका बाजार में बड़ा हिस्सा भी है। इसलिये उन्हें लाभ हुआ है, किंतु इस लाभ का अन्य कम्पनियों का शोषण करने के लिये दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस विचार से केवल नियंत्रक ही यह कार्य करेगा। यदि क्षमता बढ़ती है तो निश्चित रूप से अन्य कम्पनियां विनियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उन पाइप लाइनों का उपयोग करने की पात्र होंगी।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मैं विशेषकर गुजरात की बात कर रहा हूं जहां से सलार–मथुरा पाइप लाइन, एच. बी. जे.–हजीरा–बीजापुर–जगदालपुर पाइप लाइन और अन्य पाइप लाइनें गुजरती हैं। हाल ही में इन पाइप लाइनों से तेल और अन्य वस्तुओं की बड़े पैमाने पर चोरी की बहुत सी घटनाओं का पता लगा है। बड़ौच में एक बहुत गंभीर दुर्घटना भी हुई थी, जहां एक व्यक्ति जो चोरी कर रहा था, वह जल गया, केवल इस कारण से कि तेल बल के साथ बाहर आया और आग लग गई। मंत्रालय को ऐसी कितनी दुर्घटनाओं की जानकारी दी गई है और मंत्रालय ने वास्तव में गश्त सुनिश्चित करने के लिये कौन से कदम उठाये हैं, ताकि इन पाइप लाइनों से तेल की चोरी न हो?

श्री राम नाईक : आग की उस घटना, जिसका सदस्य ने उल्लेख किया है, में वास्तव में तीन व्यक्ति मारे गये थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर उस स्थल पर गया था क्योंकि आग पर दस दिनों तक काबू नहीं पाया जा सका था। ओ.एन.जी.सी. को सभी सुविधाओं को एकत्रित करना पड़ा और अंत में आग बुझाई जा सकी। वहां जो कुछ हो रहा था, वह यह था कि उस तेल कुएं से कुछ अनधिकृत कनेक्शन लिये गये थे और वहां आग लग गई। मैं हक्का–बक्का रह गया कि नौ से बारह इंच मोटी पाइप लाइनों को उस कुएं से जोड़ा गया था और तेल चोरी किया जा रहा था। जब मैंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा चल रहा था। इसे न केवल नियंत्रित किया जाना चाहिए, बल्कि कुल मिलाकर निषेध करना चाहिए, इसलिये मैंने गुजरात के मुख्य मंत्री से और बाद में गृह मंत्री जी से उन कदमों के बारे में जिनकी उठाये जाने की आवश्यकता है, चर्चा की थी।

ये बहुत महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं। इस विचार से हमने एक समिति नियुक्त की थी और समिति ने पिछले सप्ताह ही अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी ओर से कड़ी कार्यवाही की जाये। ये चोरियां हैं। इसे देखते हुए ओ.एन.जी.सी., नौसेना मुख्यालय, तट रक्षक और गुजरात सरकार एक संयुक्त कार्यवाही योजना यह सुनिश्चित करने के लिये बनायेगी कि भविष्य में ऐसा न हो।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : क्या आप यह रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को वितरित करेंगे?

श्री पी. एस. गढ़वी : लम्बी पाइप लाइनों के बिछाने में तेल कंपनियों ने भारी खर्च किया है। ऐसी पाइप लाइनों में से एक लगभग 100 किमी. लम्बी कांडला–भटिण्डा पाइप लाइन है, जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी पाइप लाइनें किस–किस कंपनी के पास हैं, कितना खर्च किया गया है और कि क्या उन कंपनियों द्वारा इन पाइप लाइनों का पूरा–पूरा उपयोग किया जाता है और कि क्या कुछ क्षमता शेष रह जाती है ताकि अन्यों को उनके माध्यम से अपना सामान ले जाने की अनुमति दी जा सके?

श्री राम नाईक : देश में लगभग 5365 किमी. लम्बी लगभग बारह मुख्य पाइप लाइनें हैं। ब्यौरा मेरे पास है, किंतु, उस ब्यौरे को पढ़ने में सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। अतः आपकी आज्ञा से मैं माननीय सदस्य को ब्यौरा भेज दूंगा।

श्री पी. डी. एलानगोवन : मैं माननीय मंत्री जी से त्रिची और करूर होते हुए चैन्नई से मुंबई तक पाइप लाइन की स्थिति के बारे जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि यह कब पूरी होगी ताकि तमिलनाडु को इस पाइप लाइन का लाभ मिलना शुरू हो?

श्री राम नाईक : मेरे पास पाइप लाइन विशेष के बारे में ब्यौरा नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचना भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, पाइप लाइन कम्पनीज के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सेफ्टी प्राब्लम ज्यादा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसमें जो इन्वैस्टमेंट हैं, उसकी एवज में कन्ज्यूमर को क्या लाभ मिलता है और इसका प्राइस मैकेनिज्म क्या है? इनती बड़ी धनराशि जो हम पाइप लाइन में लगा रहे हैं, क्या इस राशि को एक्सप्लोरेशन के काम में हम नहीं लगा सकते?

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, पाइप लाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेट्रोल या डीजल जो टैंकर्स के द्वारा लाया जाता है, यदि इसको पाइप लाइन से लाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 50 परसेंट से भी कम आती है। दूसरा लाभ यह है कि टैंकर्स जैसे बड़े–बड़े वाहनों का बोझ सड़क पर कम होता है और तीसरी बात यह है कि जब आयल टैंकर्स से लाया जाता है, तो चांसेज आफ एडलट्रेशन की संभावना अधिक रहती है।

अगर पाइप लाइन से आयल लाया जाता है तो खर्च लगभग नहीं है। उसका यह भी फायदा है कि अगर इनवेस्टमेंट और रिटर्न की दृष्टि से देखा जाये तो पाइप लाइन बहुत सस्ती है और बाकी जो मुख्यतः टैंकर के जरिये लाया जाता है, वह अधिक महंगा है। इसलिये पाइप लाइन का उपयोग करना देश, इकोनोमी और ग्राहकों के भी हित में है।

[अनुवाद]

नये विदेशी चैनल

***522. श्री एन. टी. षणमुगम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान देश में नये विदेशी चैनल आरंभ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये चैनल कब से आरंभ होने की संभावना है;

(घ) ये चैनल देश के लोगों के लिये कहां तक लाभदायक हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास भारतीय चैनलों की लोकप्रियता के बारे में कोई आंकड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार नये चैनल शुरू करने के लिये स्वीकृति नहीं देती है। तथापि, यह भारत से चैनलों को अपलिंक करने के लिये अनुमति देती है। अब तक सरकार ने भारत से अपलिंक करने के लिये 56 चैनलों को अनुमति प्रदान की है। चालू वर्ष 2002 के दौरान, चार (4) चैनलों को अनुमति प्रदान की गई है। इन चैनलों की सूची अनुबंध में दी गई है। सरकार टीवी चैनलों को प्रारंभ होने की तारीखों के आंकड़ों का रख–रखाव नहीं कर रही है। परंतु उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन में से अधिकांश चैनलों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। जनता को मनोरंजन, समाचार एवं सामयिक मामले संबंधी कार्यक्रम उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इन चैनलों के भारत से अपलिंक करने से विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा आर्थिक कार्यकलापों के संवर्धन में सहायता मिलती हैं। विभिन्न चैनलों की लोकप्रियता अथवा उपयोगिता का निर्धारण करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

अनुबंध

उन टीवी चैनलों की सूची जिन्हें भारत से अपने कार्यक्रम अपलिंक करने की अनुमति दी गयी

क्र.सं.	कंपनियों के नाम	चैनलों का नाम	अनुमति की तारीख
1	2	3	4
1.	माविस सतकाम (जया टीवी) प्रा. लि.	जया टीवी	30.3.2000
2.	मलयालम कम्युनिकेशन लि.	कैरली	1.1.2002
3.	विजय ब्राडकार्स्टिग कं प्रा. लि.	विजय	9.4.2001
4.	टीवी टुडे नेटवर्क लि.	इंडिया टुडे	4.12.2000
5.	सन टीवी लि.	सन टीवी, सन न्यूज, सूर्या टीवी, सूर्या न्यूज, एस टीवी, सन–2, सूर्या–2, ऊषे टीवी, उदय न्यूज, तेजा न्यूज, जेमिनी टीवी, तेजा टीवी, केटीवी	26.3.2001
6.	जैन स्टूडियो लि.	जैन टीवी	4.1.2001
7.	एशियानेट कम्युनिकेशन लि.	एशियानेट (एनालॉग)	13.6.2001
		मलयालम	19.6.2001
		एशियानेट ग्लोबल (डिजिटल)	18.7.2001
		एशियानेट (डिजिटल) मलयालम	
8.	उदय टी वी लि.	उदय टीवी, उदय टीवी–2	10.4.2001
9.	टैक्नालॉजी मीडिया ग्रुप (प्रा.) लि.	टीएमजी एंटर	14.6.2001
10.	स्काई (बी) बंगला प्रा. लि.	आकाश टीवी	12.4.2001
11.	ऊषोदया एंटरप्राजिंग लि.	ईटीवी तेलुगु, ईटीवी बंगाली, ईटीवी मराठी, ईटीवी कन्नड़ (समकक्ष एवं डिजिटल पद्धति में) ईटीवी, उर्दू, ईटीवी उड़िया, ईटीवी गुजराती	6.6.2001

1	2	3	4
		(केवल डिजिटल पद्धति में) ईटीवी उ.प्र. (हिन्दी), ईटीवी म.प्र. (हिन्दी), ईटीवी राजस्थान (हिन्दी), ईटीवी, बिहार (हिन्दी), ईटीवी पंजाबी, ईटीवी तमिल, ईटीवी असमियां, ईटीवी मलयालम।	20.11.2001
12.	राज टीवी नेटवर्क लि.	राज टीवी	29.3.2001
		राजडिजिटल प्लस	
13.	इनटेलिविजन लि.	स्पलस टीवी, नम टीवी	15.6.2001
14.	एस टी वी एंटरप्राजिज लि.	पंजाबी दुडे	5.12.2001
15.	जी टेलीफिल्म्स लि.	अल्फा मराठी	6.12.2001
		अल्फा गुजराती	
		अल्फा बंगला	
		अल्फा पंजाबी	
		जी न्यूज	
		जी म्यूजिक	
		जेड टीवी	
16.	इंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क प्रा. लि.	ईटीसी–हिन्दी	5.2.2002
		ईटीसी–पंजाबी	
17.	मॉ टेलीविजन नेटवर्क लि.	मॉ टीवी	9.4.2002
18.	दिक्साक्ष ट्रांसवर्ल्ड लि.	डब्ल्यू टीएनटीवी	11.4.2002

[अनुवाद]

श्री एन. टी. षणमुगम : महोदय, मैं माननीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को हाल ही में पाकिस्तान टीवी पर सीधे साक्षात्कार में उनके उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिये बधाई देना चाहता हूं। हम क्षति–नियंत्रण अभ्यास को नहीं भूल सकते जो हमें आगरा वार्ता के दौरान जनरल मुशर्रफ के सीधे साक्षात्कार के बाद करना पड़ा था।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने यह उल्लेख किया है कि विदेशी चैनलों के प्रसारण को नियंत्रित करने का कोई तंत्र नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत से चैनलों को 'अपलिंकिंग' की अनुमति दी जाती है। इसलिये मैं वह मापदंड जानना चाहता हूं जो भारत में अपलिंकिंग के लिये अनुमति देते समय निर्धारित किये गये हैं।

दूसरे अमेरिका जैसे देशों में भी प्रसारण लाइसेंस प्राप्त करना आसान नहीं है। मैं उन कदमों के बारे में जानना चाहता हूं जो यह देखने के लिये उठाये जा रहे हैं कि हमारे देश के हितों के विरुद्ध कोई प्रसारण न हो।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने

लिखित जवाब में भी बताया था कि हम लोग किसी चैनल को शुरू करने की परमिशन नहीं देते, हम भारत सरकार की ओर से अपलिंक करने की परमीशन देते हैं। इंडिया से जो चैनल अपलिंक करना चाहते हैं वे पहले हमारे पास एप्लीकेशन देते हैं जिसमें वे कहते हैं कि हमें अपलिंकिंग की परमीशन दी जाये। उसमें हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह लेना होता है और उसकी एमएचए से सिक्योरिटी क्लियरिंग मांगते हैं। क्लियरेंस मिल जाने के बाद हम उन्हें अपलिंक करने की परमीशन देते हैं। दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा कि वे हमारे कोड्स का वायोलेशन न करें, क्या इसके बारे में हमने कोई गाइडलाइंस बनाई हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि पहले से ही एक ब्रॉडकास्ट कोड और एक एडवरटिजमेंट कोड इस देश में है। जो लोग भी अपलिंक करते हैं, प्रचलित भाषा में हम उन्हें भारतीय चैनल कहें या विदेशी कहें, जब कि ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन उसे हम लोग आम तौर पर फॉरेन सेटेलाइट चैनल्स के लिये इस्तेमाल करते हैं, कि यह फॉरेन चैनल है–जो भी भारत से अपलिंक करता है, उस पर वह प्रोग्राम कोड और एडवरटिजमेंट कोड लागू होता है। सवाल यह है कि जो अपलिंक नहीं करते, वे केबल के थ्रू री–ट्रांसमिट करते हैं। हिन्दुस्तान में जो भी चीजें दिखाई जाती हैं, वे सारी की सारी केबल के थ्रू ही री–ट्रांसमीट की जा सकती हैं।

फिर हमारे पास केबल रेगुलेशन एक्ट है, जो केबल ऑपरेटर्स और सेटेलाइट चैनल पर भी लागू होता है। उसमें हमारे पास एक मैकेनिज्म है, जिससे हम यह देखते हैं कि प्रोग्राम कोड और एडवरटिजमेंट कोड लागू हो, वरना वह केबल एक्स के तहत उनके नीचे आ सकता है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बता दूं कि इसके आगे भी एक अच्छा प्रौपर रेगुलेशन हो–इसके लिये कंवर्जेंस कमीशन बिल, जो इस समय स्थाई समिति के पास है और सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया जा चुका है, उसमें बाकायदा एक रेगुलेटर की व्यवस्था होने जा रही है और उस रेगुलेशन के लिये, केवल कैरिज का रेगुलेशन नहीं, बल्कि कांटेंट का भी रेगुलेशन हो, इसके लिये भी सरकार एक कंटेंट पैनल की व्यवस्था करने जा रही है।

[अनुवाद]

श्री एन. टी. षणमुगम : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत से अपलिंक किये गये चैनलों में शराब, सिगरेट और पान मसाला के विज्ञापन क्यों दिखाये जाते हैं? क्या ऐसे विज्ञापनों को दिखाना हमारी सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है। मैंने अभी जिस केबल रेगुलेशन एक्ट की बात की, उसी में लिकर एडवरटिजमेंट पर बैन है। इसके लिये हमने बकायदा सारे चैनल्स को लिख कर कहा है कि वे लिकर एडवरटिजमेंट न दें, उन पर पूरा–पूरा प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई शिकायत आती है, कोई भी चैनल उसका उल्लंघन करते हुए लिकर या टूबेको का एडवरटिजमेंट देता है जो उस मामले में कार्यवाही की जाती है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा बार्डर पाकिस्तान के साथ लगभग 2900 किलोमीटर लम्बा है जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर लगभग 850 किमी. लम्बा है। बाड़मेर में 300 किलोमीटर रेंज के दो हाई–पावर टीवी ट्रांसमीटर लगने थे लेकिन अभी उनकी रेंज केवल 30–35 किमी. ही है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान सब प्रकार की मिस–इंफोर्मेशन तथा प्रौपेगंडा भारत के खिलाफ अपने चैनल्स के माध्यम से करता है। आप जानते हैं कि इस समय वहां हमारी फौजें पड़ी हुई हैं तथा वहां के लोकल लोगों का कहना है कि हमारा चैनल असरदार न होने के कारण हमें उधर के चैनलों को ही देखना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि पाकिस्तान के प्रौपेगंडा को काउंटर करने के लिये हमें शीघ्र कदम उठाने चाहिए। हमारे टीवी ट्रांसमीटरों की रेंज कम होने के अलावा मुझे जानकारी मिली है कि हमारा स्टाफ भी वहां जाना नहीं चाहता है। आप इस बारे में क्या कदम उठा रही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद महोदय की चिंता में अपने को शरीक करते हुए बताना चाहूंगी कि हमारा जो भी एक्सपैंशन प्रोग्राम है, उसमें हम उन्हीं बार्डर एरियाज को सबसे पहले कवर कर रहे हैं, जहां पीटीवी या नार्थ–ईस्ट रीजन में जहां बंगलादेश या बर्मा का टीवी दिखाई देता है। यह एक तकनीकी बात है कि बार्डर के साथ अगर पीटीवी के ट्रांसमीटर लगे होंगे तो जरूर वे इधर भारत में भी दिखाई देंगे और उन्हें काउंटर हम तभी कर सकते हैं जब अपना टैरेस्टिरियल कवर उन बार्डर्स पर अपने ट्रांसमीटर

के माध्यम से दें। जैसा मैंने कहा कि दो हाई–पावर ट्रांसमीटर वहां लगने की बात है जिसके बाद यह समस्या दूर हो जायेगी।

हमारा स्टाफ वहां नहीं जाता–यह बात सच नहीं है बल्कि हम खासतौर से वहीं के लोगों को वहां रखकर, उसे चलाने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे एक्सपैंशन प्रोग्राम में भी सबसे पहले हम उन्हीं सीमावर्ती क्षेत्रों को ले रहे हैं जहां पाकिस्तान टीवी या दूसरे देशों के टीवी चैनलों का हमला हो रहा है। मैं सांसद महोदय को आश्वस्त करना चाहती हूं कि आपकी चिंता का हम जल्दी ही समाधान करेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, इस समय हमारे देश की लगभग सभी राज्यों की राजधानियों में 10 किमी. क्षेत्र की प्रसारण क्षमता वाले कम शक्ति के ट्रांसमीटर हैं, जिनके माध्यम से मेट्रो चैनल उपलब्ध हैं। केरल में केवल दो एचपीटी हैं, एक त्रिवेंद्रम में और दूसरा कोचीन में। वर्तमान एलपीटी टावर अभी भी महानगरों के सभी क्षेत्रों तक पहुंचने में समर्थ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या एलपीटी टावरों को एचपीटी टावरों में बदलने का कोई प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : जैसा मैंने पहले के जवाब में भी बताया और फिर बता दूं कि अभी हमारा डीडी टैरेस्टिरियल कवरेज 88 प्रतिशत पापूलेशन है। इस समय 138 ट्रांसमीटर्स ऑन–गोइंग प्रोजेक्ट्स में हैं जिनमें 88 ट्रांसमीटर्स डीडी–1 में और 50 ट्रांसमीटर्स डीडी–2 में लगने हैं। इसके बाद हमारा कवरेज लगभग 91 प्रतिशत हो जायेगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में अलग–अलग राज्यों के हिसाब से भी काफी बड़ा बजट इनके एक्सपैंशन प्रोग्राम के लिये तथा 100 प्रतिशत कवरेज के लिये रखा गया है। इसलिये केरल में भी एलपीटी को जहां–जहां एचपीटी बनाना है या जहां नये एलपीटी लगाने हैं, वह सब दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर आ रहा है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि केबल–कोड के तहत शिकायत मिलने पर कार्यवाही करने की बात इन्होंने कही है। यहां समस्या दो प्रकार ही है–एक तो दूसरे देशों के चैनल जिस प्रकार हमारे देश के खिलाफ प्रौपेगंडा करते हैं, वह अलग समस्या है। दूसरी समस्या है पे–चैनल्स की। पे–चैनल्स अपनी मर्जी से रेट तय करते हैं। क्या इस पर मंत्रालय का कोई हस्तक्षेप या कंट्रोल है या ऐसा कानून है कि कोई पे–चैनल्स अपनी मर्जी से जब चाहे, जैसा चाहे स्लैब न बदल सके–इसकी जानकारी मैं चाहता हूं। जो छोटे स्थान हैं, कस्बे हैं जहां सीधे तौर पर हमारी व्यवस्था नहीं है, वहां उन केबल आपरेटर्स के माध्यम से अन्याय होता है–क्या उसे रोकने का काम मंत्रालय करेगा?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने बहुत ही प्रासंगिक और सामयिक विषय उठाया है। जो चिंता उसमें व्यक्त की गई है, वह चिंता सारे देश के अंदर है जिसे हम समाचार–पत्रों में भी पढ़ते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि वर्तमान में कोई ऐसा कानून नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहूंगी कि इस क्षेत्र की चिंता करते हुए हम लोगों ने यह तय किया है कि यदि मुझे आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो इसी सत्र में मैं संबंधित कानून का एक प्रारूप लेकर आऊंगी और उस कानून को आप लोगों के सहयोग से पास कराना चाहूंगी ताकि सरकार निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सके। इस तरह का इनेबलिंग प्रोविजन हम लाना चाहेंगे ताकि लोग मनमानी न कर सकें और आम आदमी के मनोरंजन की जो बुनियादी खुराक है, वह उसे सही और अफोर्डेबल और सही कीमत पर मिल सके। आज कानून नहीं है, फिर भी मंत्रालय ने इस कानून की कमी को पूरा करने के लिये काफी ज्यादा कदम उठाये हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी सत्र के दौरान हम इस कानून को लेकर आयें।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि आज टीवी चैनल्स का प्रभाव समाज में बहुत व्यापक है। मंत्री महोदया ने बताया कि हिंदुस्तान में 56 या उससे अधिक चैनल्स अपलिंक्ड हैं। उन चैनल्स पर सही और गलत दोनों तरह का प्रदर्शन होता है–ऐसा प्रदर्शन भी होता है जो हमारी संस्कृति और कल्चर के विरुद्ध है। इसके अलावा हमारे देश की एकता और अखंडता के विपरीत कुछ ऐसे प्रकरण भी हैं जो टीवी चैनल्स के माध्यम से दिखाये जाते हैं। कुछ चैनल्स पर अश्लीलता भी बहुत ज्यादा रहती है जिससे परिवार के साथ बैठकर टीवी देखना मुश्किल हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न है कि क्या अपलिंक किये गये चैनल्स का असैसमेंट करने के लिये कोई समिति है, जो यह असैस करे कि ये चैनल्स राष्ट्र के व्यापक हित में है या समाज के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं ताकि उन्हें बंद किया जाये–क्या ऐसी कोई रिपोर्ट

आपके पास आई है? साथ ही चाहे वे देशी अथवा विदेशी चैनल्स हैं, उनको देखने से या उनमें जो दृश्य दिखाये जाते हैं उनमें प्रथम दृष्टया लगे कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के विरुद्ध उसमें अपराध किया गया है, जो आई.पी.सी. में पैनेलाइज हो सकता है–मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पैनेलाइज करने का कोई नियम या कानून हमारे देश में है या आपने छूट दे रखी है कि थाना सूओ–मोटो एफ.आई.आर. दर्ज कर ले? आज तक ऐसे कितने देशी अथवा विदेशी चैनल्स हैं जिन के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रवृत्ति के प्रकरण पंजीबद्ध हुए हों और उन्हें बंद किया हो–मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किये हैं। एक सवाल उन्होंने यह पूछा कि क्या इसके लिये कोई समिति है, जो हमारे यहां अपलिंक किये गये चैनल्स हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सके या उनको असैस कर सके। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने इस पर सोचा था कि ब्रॉडकास्टिंग कौंसिल नाम से एक समिति बने। उसके लिये एक ब्रॉडकास्टिंग बिल भी तैयार किया गया था। फिर यह बात आई कि प्रेस कौंसिल पहले ही बनी हुई है, ब्रॉडकास्टिंग कौंसिल अलग बन जायेगी–क्यों नहीं दोनों को मिलाकर एक मीडिया कौंसिल बना दी जाये क्योंकि अश्लीलता की खबरें हमें भी समाचार–पत्रों से आती हैं। यह प्रस्ताव हमने जेरे गौर किया। लेकिन जैसा मैंने एक सवाल के जवाब में बताया कि इसी बीच में कनवर्जेंस कमीशन का बिल आ गया जिस पर चर्चा के दौरान यह बात उभरी कि जब एक प्रेस कौंसिल है फिर अलग से ब्राडकास्टिंग कौंसिल या मीडिया कौंसिल या कनवर्जेंस कमीशन–ये 3–4 रैगुलेटरीज अलग–अलग बनाने के बजाय बेहतर होगा कि कनवर्जेंस कमीशन ही कैरिज एंड कनटैंट्स दोनों अधिकार अपने पास रखे और दोनों को रैगुलेट करे। जब यह प्रश्न आया कि कैरिज वाले लोग कंटैंट को कैसे देखेंगे तो एक प्रस्ताव यह निकला कि उसमें एक कंटैंट पैनल बना दिया जाये जिसमें साहित्य, कला और विज्ञान से संबंध रखने वाले लोग हों। इसलिये जो समिति बनाने का विचार था, बाकायदा जिसके लिये बिल बन गया था, इंट्रोड्यूस होने वाला था, चूंकि कनवर्जेंस कमीशन को सस्टेन कर दिया गया है, इसलिये वह समिति नहीं बनी। लेकिन जो रेगुलेटर कनवर्जेंस कमीशन के अंडर आ रहा है, उसे ही अधिकार देने की बात है कि वह कंटैंट्स भी रेगुलेट करे और कैरेज भी रेगुलेट करे। कनवर्जेंस कमीशन के थ्रू जब रेगुलेटर आ जायेगा तो जो बात आपने कही, वह चीज पूरी हो जायेगी।

दूसरा आपने कहा कि जो प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट कोड है या प्रथम दृष्टया जो चीज खराब लगती है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रावधान है–हां, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। जिस केबल एक्ट का मैंने अभी जिक्र किया, उसकी 19 और 20 दो धाराएं हैं। धारा 19 के तहत राज्य सरकारों के पास यह अधिकार है कि वे किसी भी चैनल पर, किसी भी केबल ऑपरेटर पर यह पाबंदी लगा सकती हैं, अगर वह कोई ऑबसीन या अश्लील दृश्य दिखा रहा है या कोई चीज देश की सुरक्षा के खिलाफ या पब्लिक इंटरैस्ट के खिलाफ दिखा रहा है। धारा 20 के तहत यह अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इन दोनों अधिकारों का समय–समय पर उपयोग भी हुआ है। आपने पूछा कि कितनी बार कार्रवाई हुई है, इसके बारे में मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगी। जब कारगिल का युद्ध चल रहा था और यह लगा रहा था कि पीटीवी के माध्यम से देश में दुष्प्रचार हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए, तब केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को लिखा था कि इस एक्ट की धारा 19 के तहत कार्रवाई करके वे इन चैनल्स पर रोक लगाएं और राज्य सरकारों ने रोक लगाई भी थी। कारगिल के युद्ध के बाद, जब लगा कि अब रोक लगे रहना सही नहीं है तो रोक उठा दी गई। इसी तरह धारा 20 के तहत केंद्र सरकार ने भी कार्रवाई की थी। टीवी–6 नाम का एक चैनल रात को आता था और वह चैनल हमारे कोड का सीधा–सीधा उल्लंघन करता था। उसे लगभग पोर्नोग्राफिक चैनल के तौर पर जाना जाता था। इस बारे में जैसे ही हमें शिकायत मिली तो धारा 20 के तहत केंद्र सरकार ने कार्रवाई करके उस चैनल पर पूरी पाबंदी लगा दी थी।

श्री सुंदर लाल तिवारी : मंत्री महोदया, मैंने पूछा था कि आई.पी.सी. या भारतीय दंड संहिता में यदि प्रथम दृष्टया ही अपराध बनता हो तो उस पर पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने की अनुमति होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि राज्य सरकारों को धारा 19 के तहत ऐसा अधिकार है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, मैं माननीय सांसद तिवारी जी को बता दूं कि जहां तक आई.पी.सी. का सवाल है, आई. पी.सी. के तहत आप एफ.आई.आर. दर्ज करा सकते हैं। केबल

एक्ट की धारा 19 के तहत एस.डी.एम., डी.एम. और पुलिस कमिश्नर अथॉराइज्ड ऑफिसर्स हैं। इसलिये आप केबल एक्ट की धारा 19 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करा सकते हैं, जिसका नोटिस लिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, वर्तमान में जो चैनल चल रहे हैं, वे भारतीय संस्कृति की अभिरुचि के अनुरूप नहीं हैं। इसी सम्माननीय सभा में, हमने कई बार इस बारे में चर्चा की है। कई बार माननीय सदस्यों ने इन सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिये कई विचार दिये हैं। किंतु भारत सरकार ने अभी तक, इन सभी चैनलों को नियंत्रित करने के लिये कोई कानून अधिनियमित नहीं किया है। मैंने कई विकसित देशों का दौरा किया है। वे भी शिक्षा, स्थानीय संस्कृति तथा अन्य चीजों से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा इस प्रकार के चैनलों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। किंतु भारत एक विकासशील देश है। हमारा व्यापक क्षेत्र है तथा हमारी संस्कृति विविधतापूर्ण है। फिर भी, हम इन सैकड़ों चैनलों को अनुमति दे रहे हैं। अतः जहां तक हमारी संस्कृति का प्रश्न है, ये चैनल उसकी अभिरुचि के अनुरूप नहीं हैं। इस परिदृश्य में, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में कोई विलंब किये बिना विधान कब बनाने जा रही है। कई बार हमने सभा के पटल पर इसकी चर्चा की है। हम बहुत से विधान अधिनियमित कर रहे हैं। इस विषय पर विधान सबसे महत्वपूर्ण है। हमें इसे अधिनियमित करना ही पड़ेगा। अन्यथा, इन सभी चैनलों को रोकना अत्यंत कठिन है। इसीलिये, माननीय मंत्री को मेरा सुझाव है कि यदि संभव हो तो 17 मई, जब तक सभा का सत्र चल रहा है, से पहले बिना किसी विलंब के एक विधान लाएं, ताकि हम विधान अधिनियमित कर सकें। हम विधान अधिनियमित करने के लिये तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि इस चीज का बहुत विस्तृत जवाब पहले ही दिया जा चुका है। जहां तक लेजिस्लेशन इनेक्ट करने का सवाल है, उसमें सरकार की तरफ से देरी नहीं है। वह पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है। कनवर्जेंस कमीशन बिल इसे रेगुलेट करेगा। हम अपनी ओर से इसे दे चुके हैं। अभी स्थाई समिति के पास यह बिल है। इसलिये जिस दिन स्टैंडिंग कमेटी उस पर रिकमेंडेशंस हमें दे देगी, उसके बाद उसे पारित कराने के लिये यहां ले आयेंगे। इसके अलावा जो आपने 17 मई तक की बात कही, वह सी.ए.एस.–कंडीशनल एक्सैस सिस्टम लेजिस्लेशन के अंतर्गत केबल ऑपरेटर्स के द्वारा जो मनमाने पैसे बढ़ाये जाने की बात आ रही है, जैसा मैंने कहा कि वह बिल हम इसी सत्र में ला सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सरकार बिना देरी के कोई कानून बनाये, उसमें मैं बताना चाहूंगी कि मलेशिया के बाद भारत पहला देश होगा जिसने ऐसी पहल की है। उस बिल को हम लोग अपनी ओर से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। वह बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास हैं जिस दिन स्टैंडिंग कमेटी अपनी अनुशंसा के साथ बिल लौटा देगी, हम लोग उसे पारित कराने के लिये यहां ले आयेंगे। हमारी तरफ से इसमें कोई देरी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू : महोदय, हम सब की ओर से आप कृपया सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सभापति से, जितना जल्दी संभव हो सके, इस विषय संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध करें। हम इसे अधिनियमित करेंगे। अन्यथा इसे अधिनियमित करने में वर्षों लगेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, यदि हम इसमें विलंब करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : एक चीज इसमें मैं और बता दूं कि जो मैंने कहा है कि हम लोग सी.ए.एस. का बिल लायेंगे, उसमें भी रेगुलेशन जरूर हो जायेगा–रेगुलेशन बाय व्यूअर्स चॉइस, क्योंकि कंडीशनल एक्सैस सिस्टम का जो बिल हम प्रपोज कर रहे हैं, उसमें यह प्रावधान जरूर ला रहे हैं कि जो भी चीज व्यूअर देखना चाहेगा, स्वयं सबस्क्राइबर देखना चाहेगा, केवल वही चीज उसे दिखाई जायेगी और उसे उसी का पैसा देना होगा। जो रेगुलेशन बाई व्यूअर्स चॉइस है, वह इसी कानून के बाद हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगारप्पा : महोदय, पहले ही बहुत–से चैनल चल रहे हैं और वे नियंत्रित नहीं हैं। ये चैनल हमारे देश से नहीं, अपितु विदेशों से प्रसारण करते हैं। इन चैनलों को हमारे देश में प्रसारण की अनुमति दी गई थी। क्या सरकार ने इन चैनलों से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन किया है? मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ चैनल जैसे डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्याग्राफिक चैनल अत्यधिक शिक्षाप्रद प्रकृति के

हैं। परंतु कुछ विदेशी चैनल हैं, जो न केवल हमारी संस्कृति तथा समाज के हितों के लिये अपितु राष्ट्रीय हित तथा देशभक्ति के लिये भी अत्यधिक हानिकारक हैं। क्या आप इस संबंध में एक शर्त जोड़ने जा रहे हैं कि उनके कार्यक्रमों का प्रसारण हमारे देश के राष्ट्रीय हित तथा देशभक्ति के अनुरूप होना चाहिये? क्या ऐसी कोई शर्त होगी कि अन्य देशों के चैनल केवल सरकार की अनुमति लेने के बाद ही हमारे देश में अपने कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं?

कितने और चैनल पाइप लाइन में हैं? कितने चैनलों को सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने की संभावना है? राष्ट्रीय हित, देशभक्ति और ऐसी अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या विचार है? आप इन चैनलों को अपने कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि वे हमारी संस्कृति तथा देशभक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। यह मेरा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मैं पहले बता दूं और थोड़ा बहुत जिक्र मैंने इसका पहले भी किया था कि जब हम अपलिंक की परमीशन देते हैं, उसके प्रोवाइजों में लिखा है कि केवल वही चैनल भारत से अपलिंक कर सकता है जो हमारे ब्राडकास्ट कोड और एडवर्टाइजमेंट कोड को एडहियर, करता है, उन्हें मानते हैं। ...*(व्यवधान)* यह गलत नहीं है–यह प्रोविजन है अन्यथा परमीशन दी ही नहीं जा सकती। पहले उनको लिखकर देना पड़ता है। हर चैनल, चाहे वह भारत का चैनल है या बाहर से आ रहा है, जब हमसे परमीशन मांगता है तो हमारी परमीशन के साथ उसको एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है कि

[अनुवाद]

मैं भारत सरकार की प्रसारण संहिता तथा विज्ञापन संहिता का पालन करूंगी।

[हिन्दी]

जो हम लोगों का ब्रॉडकास्ट कोड और एडवर्टाइजमेंट कोड है, उसमें ये गाइडलाइंस हैं कि कोई चैनल हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जायेगा, ऑफसीन डेफेमेटरी चीजें नहीं दिखायेगा। उसके बिना उनको परमीशन दी ही नहीं जा सकती।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : डिस्कवरी चैनल, एनीमल प्लैनेट चैनल जैसे चैनल अच्छी रुचि वाले विदेशी चैनल हैं तथा एफ टीवी, एन टीवी जैसे विदेशी चैनल भी हैं, जो हमारी अभिरुचि के अनुरूप नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ विज्ञापन जैसे अधिक आमोद के लिये टेलीफोन करें, अब इन विदेशी चैनलों के माध्यम से प्रसारित किये जा रहे हैं। अधिक आमोद का तात्पर्य है यौन वार्तालाप। यहां तक कि हमारे एक मंत्री जी भी इसका शिकार हुए हैं। उनके टेलीफोन का इस संबंध में प्रयोग किया गया है, यह एक प्रेस कांफ्रेंस में एक और संसद सदस्य द्वारा उठाया गया था। यह और कुछ नहीं है, अपितु दुरुपयोग है। इन चैनलों को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा कौन–कौन से कदम उठाने का विचार है? सरकार दुविधा में हो सकती है, क्योंकि विदेशी चैनल अच्छे और बुरे दोनों तरह के हैं।

यह भी बताया गया था कि श्रीमती सुषमा स्वराज एम टीवी तथा ऐसे अन्य चैनलों की अत्यंत विरोधी हैं। हमने इसकी सराहना की थी। इस संबंध में सरकार वास्ताव में क्या कदम उठाने जा रही है? ये पहले ही प्रचालन में हैं और जहां तक भारतीय संस्कृति का प्रश्न है, ये क्षति कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, चूंकि उन्होंने स्पेसिफिक एम टीवी के बारे में सवाल पूछा है, उधर से पूछा गया है कि स्टार टीवी के बारे में क्या कर रहे हैं और साथ में सुदीप बंद्योपाध्याय जी ने एड्स के बारे में पूछा है. मैं तीनों का जवाब देना चाहूंगी। जहां तक सुदीप जी का कहना है कि टेलीफोन कॉल्स के लिये टीवी पर एड्स आते हैं, मैं बताना चाहती हूं कि टीवी पर टेलीफोन के एड्स नहीं आते हैं बल्कि अखबारों में आते हैं। मैं बताना चाहती हूं कि प्रेस कौंसिल ने बाकायदा उसका नोटिस लिया है, इस प्रकार के जो विज्ञापन अखबारों में आते थे, उनका भी नोटिस लिया गया है और उस हेतु सारे के सारे अखबारों को लिखा गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि हमने अपने यहां से यानी वीएसएनएल ने ऐसे सभी टेलीफोनों की जैमिंग कर दी है। अगर कोई उठाये भी तो, जब यहां से कॉल जायेगी ही नहीं, तो वहां से आयेगी कैसे। हमारे वीएसएनएल ने उन्हें जैम कर दिया है।

जहां तक एफटीवी का सवाल है, आपको मालूम होगा कि शुरू में हम लोगों ने बाकायदा एफटीवी के डायरेक्टर को यहां बुलाकर बात की थी और उनसे कहा था कि ऐसी चीजें आपके द्वारा दिखाई जा रही हैं जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध

हैं। कंसल्टेटिव कमेटी को हमने उनके टेप भी दिखाये। उनके डायरेक्टर ने यह बात खास तौर से कही थी कि वे अब इस तरह की चीजें नहीं दिखायेंगे।

उनका एक रियो–कार्नीवाल प्रोग्राम होता है जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेहूदा होता है। उन्होंने पिछली बार वह नहीं दिखाया, लेकिन इस बार उन्होंने उसे दिखाने की भूल कर दी। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूं कि कोई भी चीज हम अननोटिस्ड नहीं जाने देते हैं। जैसे ही हमने यह देखा कि उन्होंने इसे दिखाया है, हमने तुरंत एफ टीवी से कहा कि आपने इसे क्यों दिखाया। मैं उनकी चिट्ठी पढ़कर सुनाती हूं उन्होंने एक छोटी सी चिट्ठी हमें लिखी है। मैं उसे पढ़ रही हूं–

[अनुवाद]

> "हमारी बातचीत के संदर्भ में, कृपया इसके बाद महामान्य श्रीमती सुषमा स्वराज को संबोधित हमारा क्षमायाचना का पत्र देखें। पुनः हम रियो कार्निवल, 2002 का प्रसारण करने में अनजाने मे हुई तकनीकी चूक के लिये वास्तव में क्षमा मांगते हैं। हम महामान्य श्रीमती सुषमा स्वराज तथा हमारे भारतीय दर्शकों से हार्दिक क्षमायाचना करते हैं।"

[हिन्दी]

मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसे हम अननोटिस्ड जाने दें। इसी प्रकार स्टार टीवी ने टैम्पटेशन आयलैंड करके एक कार्यक्रम दिया था। हमने उसकी रिपोर्ट देखी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. बंगारप्पा : क्या उन्होंने अपने टीवी चैनल पर आपको भेजा गया उत्तर प्रदर्शित किया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरे विचार से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री एस. बंगारप्पा : यह बेहतर होगा यदि आप ऐसे चैनलों को ऐसा करने के लिये निर्देश दे सकें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं भारतीय संसद की भावनाओं से उन्हें अवगत करा दूंगी कि वे चाहते हैं कि इसे दिखाया जाये।

मैं बता रही थी कि हम किसी भी चीज को अननोटिस्ड नहीं जाने देते हैं। टैम्पटेशन आयलैंड वाला एक मामला स्टार टीवी पर आया। हम लोगों ने उनसे कहा कि यह प्रोग्राम हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। मैं बताना चाहती हूं कि सैक्शन 20 के अंतर्गत एक कमेटी बनी हुई है जिसके कनवीनर जाइंट सेक्रेट्री, ब्रॉडकास्टिंग हैं। उसके लिये हमने स्टार टीवी वालों को एक चिट्ठी लिखी कि जो आपका प्रोग्राम टैम्पटेशन आयलैंड आ रहा है जो भारतीय संस्कृति के साथ नहीं चलता है और हमारे ब्रॉडकास्टिंग कोड का उल्लंघन करता है। उन्होंने हमें जवाब दिया कि हमने किसी ब्रॉडकास्टिंग कोड का उल्लंघन नहीं किया। हमारी इतने से तसल्ली नहीं हुई। हमने उन्हें कहा कि आपने जो कार्यक्रम दिखाया है, उसकी आठों एपीसोड की कैसेट्स भेजें। हम उनको अपने यहां दिखवायेंगे और रिव्यू करेंगे। जब उनका जवाब नहीं आया, हमने उन्हें रिमाइंडर भेजा। अब उनकी कैसेट्स आ गई हैं। उन कैसेटों को हमने अपने कोड की कापी लगाकर रिव्यू कमेटी को भेजा है कि यह कोड है और यह प्रोग्राम की कैसेट्स हैं इन्हें देखकर बतायें कि इस प्रोग्राम ने हमारे कोड का उल्लंघन किया या नहीं। कमेटी की रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं।

जो चिंता आज संसद में व्यक्त की जा रही है उस चिंता से मैं अपने आपको अलग नहीं कर रही हूं, बल्कि आज अगर इस विभाग की मुखिया के पद पर बैठी हूं तो इसीलिये कि आपकी चिंता पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो। हम एक भी चीज अननोटिस्ड नहीं जाने देते हैं। हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैंने यह एक उदाहरण दिया है क्योंकि यहां दो स्पेसिफिक चीजें आई हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 523, श्री सुनील खां।

सुनील खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता क्योंकि समग्र रूप से विपक्ष में हम उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में मान्यता नहीं देते जब तक कि न्यायमूर्ति वेंकटस्वामी जांच आयोग द्वारा उन्हें निर्दोष नहीं सिद्ध कर दिया जाता है...*(व्यवधान)*।

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न वापस ले लिया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उपाध्यक्ष महोदय, यह रक्षा मंत्रालय के साथ मजाक है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न वापस ले लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यदि प्रश्न नहीं पूछना था, तो डाला क्यों। इस प्रकार से रक्षा मंत्रालय के समय की बबार्ददी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्र. संख्या 5, डॉ. रमेश चन्द तोमर।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 524, डा. रमेश चन्द्र तोमर।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न पर चला गया हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह क्या मजाक बना रखा है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न वापस ले लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा. तोमर से अपना प्रश्न पूछने के लिये कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : महोदय, वे सभा में उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)* वह सभा के सदस्य हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रमेश चन्द तोमर, क्या आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया, कृपया मेरी बात सुनिये

[हिन्दी]

मैं रूलिंग दे रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, आप हमें सुन लीजिये और हमें सुनकर अपनी रूलिंग दीजिये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पोन्नुस्वामी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में इस संबंध में पहले ही विनिर्णय दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में एक पूर्वनिर्णय दिया गया है, जिसके अनुसार :

"जब एक सदस्य उपस्थित है और नाम पुकारे जाने पर भी अपना प्रश्न पूछने के लिये खड़ा नहीं होता है और उनकी उपस्थिति का किसी और सदस्य को बोध हो जाता है तो उनका प्रश्न वापस ले लिया गया माना जाता है और उसका उत्तर मुद्रित नहीं किया जाता है।"

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में पहले के विनिर्णय हैं। अब, डा. तोमर।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही पूर्व निर्णय पढ़ दिया है। आइये अब हम अगले प्रश्न पर चलें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा. तोमर, यदि आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रमेश चन्द तोमर, कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया, मैं विनिर्णय दे चुका हूं। पूर्वनिर्णय दिया हुआ है। क्या आप उसको चुनौती दे रहे हैं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा में केवल एक बार ही नहीं अपितु कई बार विनिर्णय दिये गये हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रमेश चन्द तोमर, आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं अथवा नहीं?

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : महोदय, सदस्य उपस्थित थे और वह खड़े हुए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस सभा में पहले ही पूर्वनिर्णय उद्धृत किया है। इस संबंध में पहले अध्यक्ष द्वारा एक विनिर्णय दिया गया था।

(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया : सदस्य उपस्थित थे और वह खड़े हुए थे। महोदय, कृपया नियम देखें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है। पूर्वनिर्णय दिया गया है। पहले के अध्यक्षों ने विनिर्णय दिये हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा राइट है।...*(व्यवधान)* ये दखल देने वाले कौन होते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुन लीजिये।...*(व्यवधान)* आप हमारी बात को सुनते नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* आप मुझे एक मिनट के लिये बोलने दीजिये।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, पूर्वनिर्णय यहां उपलब्ध है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह क्या है? आपके विनिर्णय देने के बाद कोई सदस्य महासचिव के पास जाकर परामर्श कैसे कर सकता है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किरीट सोमैया, यह क्या है? मैंने उनसे मार्ग–निर्देश लेने के बाद विनिर्णय दिया है। आप पुनः उनके पास जाकर परामर्श कर रहे हैं। क्या यही तरीका है? यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मैंने पहले ही पूर्व–निर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं चाहते तो मैं कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पर्यटक रेलगाड़ियों के कारण वित्तीय घाटा

***524. डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को अपनी पर्यटक रेलगाड़ियों से भारी वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुए ऐसे घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे द्वारा राज्य पर्यटन विभागों के साथ बंटवारे के अनुपात (शेयरिंग रेशो) पर अपनाया गया फार्मूला लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ; और

(घ) यदि हां, तो पर्यटक रेलगाड़ियों में ऐसे घाटों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) केवल रॉयल ओरियंट एक्सप्रेस, जो गुजरात पर्यटन विभाग के साथ एक संयुक्त उपक्रम के रूप में चलाई जाती है, को ही घाटा हुआ है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों, अर्थात 1998–99 से 2000–01 के दौरान अनुमानित घाटा लगभग 11 करोड़ रुपये का है। गुजरात पर्यटन, जो इस सेवा को परिचालित करता है, ने बताया है कि गुजरात में आई प्राकृतिक विपदाओं के कारण यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है।

(ग) और (घ) पर्यटक गाड़ियों की ठहराव की अवधि लंबी होती है। भागीदारी अनुपात पूंजी निवेश और आवर्ती परिचालनिक लागतों के आधार पर तय किया जाता है। उसकी उपयोगिता कुल सृजित राजस्व पर निर्भर करती है। यात्रियों की कमी की स्थिति में सेवा की बारंबारता में कटौती, परिचालन लागतों में कमी, गहन निगरानी तथा बेहतर विपणन आदि जैसे कदम उठाये जाते हैं।

लम्बित रक्षित विद्युत संयंत्र

***525. श्री दिलीप संघाणी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सीईए/राज्य सरकारों/राज्य विनियामक आयोगों के पास रक्षित विद्युत संयंत्रों (कैप्टिव पावर प्लांट) की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोनों (एसईजैड) में विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्यों को कोई विशेष दिशा–निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 44 के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्ड विभिन्न उद्योगों द्वारा केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) का परामर्श केवल उन मामलों में आवश्यक है जहां केप्टिव विद्युत संयंत्र की क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है। 4 केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु के.वि.प्रा. में हाल ही में परामर्श हेतु प्राप्त किये गये विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	कैप्टिव विद्युत संयंत्र का ब्यौरा	के.वि.प्रा. में प्रप्ति की तिथि	स्थिति
1.	मै. जायसवाल नीको लि., झारखंड का 155 मेगावाट कैप्टिव विद्युत संयंत्र	18.3.2002	निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ण आंकड़ों के साथ मांग/आपूर्ति की दृष्टि से प्रस्ताव पर औचित्य प्रस्तुत करने के लिये के.वि. प्रा. द्वारा 12.4.2002 को राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।
2.	मै. शक्ति शुगर लि., तमिलनाडु का 32 मेगावाट सह–उत्पादन विद्युत संयंत्र	2.4.2002	के.वि.प्रा. में प्रक्रियारत।
3.	मै. श्री सीमेंट, राजस्थान का 36 मेगावाट कैप्टिव विद्युत संयंत्र	8.4.2002	के.वि.प्रा. ने राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, 1999 के अनुसार राजस्थान सरकार से डीपीआर की तीन प्रतियां राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. के माध्यम से भेजने का 10.4.2002 को अनुरोध किया है।
4.	मै. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि., तमिलनाडु का 45 मेगावाट कैप्टिव विद्युत संयंत्र	22.4.2002	परियोजना की सह–उत्पादन स्थिति के.वि.प्रा. में जांचाधीन है।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 44 के अंतर्गत अंतिम अनुमोदन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

(ख) और (ग) विद्युत मंत्रालय ने के.वि.प्रा. के साथ परामर्श करके तैयार की गई एक कैप्टिव विद्युत नीति 11 जुलाई, 2002 को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को परिचालित की थी जिसमें यह सुझाया गया है कि उद्यागों/संस्थाओं और विशेष आर्थिक जोनों में यूनिटों को केप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने की उदारतापूर्वक अनुमति प्रदान की जाये।

पन विद्युत परियोजनाओं हेतु कार्य बल

***526. श्री एस. मुरुगेसन :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन विद्युत परियोजनाओं पर निगरानी रखने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त कार्य बल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) भारत सरकार देश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान रही है। केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही जल विद्युत परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों में नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है। अनुमोदन की अवस्था वाली और क्रियान्वयनाधीन दोनों विद्युत परियोजनाओं की मॉनीटरिंग करने के लिये विशेष सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में मंत्रालय में हाल ही में एक विद्युत परियोजना मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा परियोजनाओं की नियमित मॉनीटरिंग करने के अलावा निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के लिये विद्युत सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति तथा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में संकट समाधान दल (सीआरजी) का गठन किया गया है।

भारत सरकार ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान अतिरिक्त समय एवं लागत को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं का तीन स्तरीय विकास भी आरंभ किया है। के.वि.प्रा. द्वारा सभी जल विद्युत शक्यता, जिसका अभी दोहन किया जाना है, का बेसिन-वार "दर्जा निर्धारण अध्ययन" किया गया है और उनके उत्तरवर्ती विकास हेतु कार्य योजना को अंतिम रूप प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श आरंभ किये गये हैं।

दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये दूरदर्शन के कार्यक्रम

***527. श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 20 लाख लोग दूरदर्शन के चैनल नहीं देख पाते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसा निधियों की कमी के कारण है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये पर्याप्त निधियां/राजसहायता उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) दूरदर्शन के सभी 22 चैनलों के टीवी कार्यक्रम उपग्रह प्रणाली में पूरे देश में उपलब्ध हैं तथा इन्हें समुचित डिश ऐंटिना प्रणाली या केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। दो चैनलों अर्थात डीडी-1 और डीडी-2 को स्थलीय प्रणाली द्वारा भी प्रसारित किया जाता है। स्थलीय प्रणाली में डीडी-1 और डीडी-2 चैनलों की जनसंख्या-वार कवरेज क्रमशः 90 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत है तथा इस समय चल रही परियोजनाओं के चालू हो जाने से यह बढ़कर क्रमशः 91 प्रतिशत और 46 प्रतिशत हो जाने की प्रत्याशा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 10वीं योजना के दौरान कवरेज के और विस्तार के लिये पर्याप्त निधियां उपलब्ध करा दी गयी हैं। अब तक कवर न किये गये क्षेत्रों को कवरेज उपलब्ध कराने के लिये वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकल्पों का भी समावेश किया गया है।

डीजल में मिलावट

***528. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 13 मार्च, 2002 के 'दि पायनियर' में प्रकाशित समाचार के अनुसार किसी पेट्रोल पंप मालिक के लिये 25,000 रुपये प्रति दिन का लाभ अर्जित करने के लिये डीजल में मात्र 15 प्रतिशत मिट्टी के तेल की मिलावट करना ही पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की ईंधन जांच प्रयोगशाला इस प्रकार की मिलावट का पता लगाने में असमर्थ हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं और जन सामान्य हितों की रक्षा के लिये दिल्ली और अन्य राज्यों में सार्वजनिक परिवहन के लिये सुरक्षित ईंधन उपलब्ध कराने और ऐसी मिलावट को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) उत्पादों की समानता के कारण ऐसी संभावना बनी रहती है कि बेईमान व्यक्ति डीजल में मिट्टी तेल की मिलावट कर सकते हैं। 15 प्रतिशत मिट्टी तेल की मिलावट का सरकार की ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला में पता लगाया जा सकता है। तेल विपणन कंपनियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल को नीला रंगने, खुदरा बिक्री केंद्रों के आवधिक निरीक्षण, टैंक ट्रकों के लिये चोरी–रोधक प्रणाली को लागू करने तथा विशेष सतर्कता अभियानों आदि जैसे उपाय करती हैं। कंपनियां विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और/या डीलरशिप करार के उपबंधों के तहत दोषी डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं। इसके अलावा "मिट्टी तेल (उपयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम कीमत का नियतन) आदेश, 1993" के उपबंधों के तहत तेल कंपनियां और राज्य सरकारें मिलावट में लिप्त किसी भी डीलर के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती हैं। इसके अलावा, सरकार ने मिलावट से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की निगरानी के लिये मिलावट रोधक प्रकोष्ठ का भी गठन किया है।

[हिन्दी]

प्राथमिकता वाली परियोजनाएं

***529. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलवे परियोजनाओं को सापेक्षिक प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तदनुसार सापेक्षिक प्राथमिकता हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान किन रेलवे परियोजनाओं को सापेक्षिक प्राथमिकता के अंतर्गत लाया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त परियोजनाओं पर कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया गया?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) नई लाइनों और आमान परिवर्तन की परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची को नवम्बर, 1998 में सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। इसके अनुसार परियोजनाओं को निम्नलिखित कोटियों के अंतर्गत प्राथमिकता दी गई है :

नई लाइनें

ए1 – परियोजना पूरी हो गई है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।

ए2 – व्यवहार्य परियोजनाएं/जो परिचालनिक आधारों पर अपेक्षित हैं।

ए3 – पूरी होने के निकट वाली परियोजनाएं और वे जो नौवीं योजना में पूरी हो जायेंगी

बी1 – जम्मू और कश्मीर में परियोजनाएं

बी2 – पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं

बी3 – बड़े पुल संबंधी वे परियोजनाएं जिन पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयेगी

सी – सामाजिक दृष्टि से वांछनीय परियोजनाएं

सी1 – वे परियोजनाएं जिनकी स्वीकृति दी जानी है

सी1ए – सी1 कोटि में उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं

सी1बी – अन्य परियोजनाएं जो सी1ए कोटि के अंतर्गत शामिल नहीं हैं

सी2 – वे परियोजनाएं जिनकी स्वीकृति अभी दी जानी है

सी2ए – परिचालनिक प्राथमिकता वाली परियोजनाएं जो स्वीकार्य के बाद सी1ए कोटि में जाएंगी

सी2बी – सामाजिक दृष्टि से वांछनीय अन्य परियोजनाएं जो स्वीकृति के बाद सी1बी कोटि में जाएंगी

आमान परिवर्तन

ए1 – परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। शेष कार्य प्रगति पर है

ए2 – व्यवहार्य परियोजनाएं जो परिचालनिक आधारों पर आवश्यक हैं

ए3 – पूरी होने के निकट वाली परियोजनाएं और वे जो पूरी हो जायेंगी

बी1 – सामरिक दृष्टि से शुरू की गई परियोजनाएं

बी2 – पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं

सी – सामाजिक दृष्टि से वांछनीय परियोजनाएं

सी1 – वे परियोजनाएं, जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है

सी1ए – सी1 कोटि में उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं

सी1बी – सी1 कोटि की परियोजनाएं जो सी1ए के अंतर्गत नहीं आती हैं

सी2 – वे परियोजनाएं, जिनकी स्वीकृति अभी होनी है

सी2बी – साामाजिक दृष्टि से वांछनीय अन्य परियोजनाएं जो स्वीकृति के बाद कोटि सी1बी में जायेंगी।

2001–02 के दौरान निम्नलिखित दो परियोजनाएं जोड़ी गई हैं। इन परियोजनाओं की प्रगति निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना	प्राथमिकता की श्रेणी	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2002 तक प्रत्याशित खर्च	2002–03 के लिये बजट परिव्यय	स्थिति
1.	कोडरमा–तिलैया नई लाइन	ए–2	307.71	0.01	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। 5 गांवों के लिये भूमि अधिग्रहण अर्जी दाखिल की गई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंप दिये जाने के बाद कार्य शुरू किया जायेगा।
2.	कप्तानगंज–थवे–सिवान–छपरा आमान परिवर्तन	सी1बी	268	0.08	10	मिट्टी संबंधी कार्य एवं छोटे पुलों के निर्माण के लिये निविदाओं की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

ग्राम विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता

***530. श्री चिंतामन वनगा :**

डा. बलिराम :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं की धीमी प्रगति के मद्देनजर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक राज्य–वार कितनी सहायता प्रदान की गयी और कितनी उपयोग की गयी; और

(ग) 2002–2003 के दौरान राज्य–वार कितनी राशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को जोर देने के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण को आधारभूत न्यनतम सेवा माना गया है और वर्ष 2001–02 से इसे अब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के अंतर्गत

शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 412.236 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराई है। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2001–02 के लिये पीएमजीवाई के अंतर्गत मुहैया कराई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I दिया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत भी निधियां मुहैया कराई हैं। वर्ष 2000–01 और 2001–02 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुहैया कराई गई राज्यवार निधियों का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2001–02 के लिये 165 जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों को पी.एम. पैकेज के अंतर्गत संसाधनों के अव्यपगत केंद्रीय पूल से भी 12.96 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराई है। ब्यौरा विवरण–III में दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) आरई कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटीलिटियों को ऋण प्रदान करता है। गत तीन वर्षों के लिये आरईसी द्वारा मुहैया कराई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण–IV में दिया गया है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को सिंगल प्वाइंट लाइट कनेक्शन प्रदान करने के लिये राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत आरईसी के माध्यम से निधियां प्रदान करती है। गत तीन वर्षों के लिये राज्यवार ब्यौरा विवरण–V में दिया गया है।

योजना आयोग ने वर्ष 2002–03 के लिये अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण समेत पीएमजीवाई के सभी छः घटकों के लिये 2747.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत राज्यों को अपनी स्वयं की योजना प्राथमिकताओं और विवेक के अनुसार छः पीएमजीवाई सेक्टरों के मध्य एसीए का अपना पारस्परिक आवंटन निर्णित करने की नम्यता प्राप्त है। योजना आयोग ने वर्ष 2002–2003 हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एसीए के रूप में 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा है। सरकार ने 164 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ वर्ष 2002–03 के लिये बजट में त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम नामक एक नई ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम का प्रावधान किया है।

विवरण-I

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कार्य 2001–02 के लिये पीएमजीवाई के अंतर्गत मुहैया करायी गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आवंटन	जारी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1705.00	1705.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	684.00	684.00
3.	असम	6011.00	6011.00
4.	बिहार	2457.90	2457.90
5.	छत्तीसगढ़	851.70	851.70
6.	गोवा	9.00	4.50
7.	गुजरात@	725.60	362.80
8.	हरियाणा	187.90	187.90
9.	हिमाचल प्रदेश@	100.00	100.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1922.00	1922.00
11.	झारखंड	759.20	379.60
12.	कर्नाटक	841.00	841.00
13.	केरल	775.00	594.50
14.	मध्य प्रदेश	1460.62	1460.62
15.	महाराष्ट्र	1901.08	1901.08
16.	मणिपुर	600.00	600.00
17.	मेघालय	600.00	600.00
18.	मिजोरम	598.00	598.00
19.	नागालैंड	452.60	452.60
20.	उड़ीसा	1703.80	1703.80
21.	पंजाब	1488.25	1488.25
22.	राजस्थान@	1080.00	1080.00

1	2	3	4
23.	सिक्किम	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	1173.60	1173.60
25.	त्रिपुरा	850.00	850.00
26.	उत्तरांचल	976.75	976.75
27.	उत्तर प्रदेश	9417.00	9417.00
28.	पश्चिम बंगाल	2820.00	2820.00
	कुल	42151.00	41223.60

@ग्रामीण आवास हेतु गुजरात को अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये हैं। राजस्थान को आहार हेतु अतिरिक्त 11.35 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को आहार हेतु अतिरिक्त 4.3971 करोड़ रुपये की बकाया राशि मुहैया कराई गयी है।

विवरण-II

गत दो वर्षों में प्रत्येक के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत संवितरित राज्यवार निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2000–01	2001–02
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	691	691
2.	असम	2652	2652
3.	बिहार	3767	948
4.	हिमाचल प्रदेश	72	72
5.	जम्मू व कश्मीर	77	77
6.	कर्नाटक	7	7
7.	मध्य प्रदेश	549	263
8.	छत्तीसगढ़		286
9.	मणिपुर	131	131
10.	मेघालय	1872	1872
11.	मिजोरम	16	16
12.	नागालैंड	38	38
13.	उड़ीसा	1133	1133
14.	राजस्थान	507	507
15.	त्रिपुरा	14	14
16.	उत्तर प्रदेश	4547	3923
17.	उत्तरांचल		624
18.	पश्चिम बंगाल	1157	1157
	कुल	17500	17500

विवरण-III

वर्ष 2001–02 के दौरान उत्तर–पूर्वी राज्यों को संसाधनों के अव्यपगत केंद्रीय पूल से मुहैया कराई गयी धनराशि

(करोड़ रुपये)

राज्य	जनजातीय गांवों की संख्या	राशि (पहली किस्त)
अरुणाचल प्रदेश	60	4.48
असम	20	0.68
मेघालय	10	.75
नागालैंड	2	.35
मिजोरम	3	0.34
मणिपुर	60	5.64
त्रिपुरा	10	0.72
कुल	165	12.96

विवरण-IV

गत तीन वर्षों के दौरान आरईसी द्वारा निधियों का संवितरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	संवितरण		
		1999–00	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	29435	50623	68032

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	1481	754	765
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0
5.	झारखंड			
6.	गोवा	243	104	188
7.	गुजरात	36160	53572	61010
8.	हरियाणा	3420	9212	25113
9.	हिमाचल प्रदेश	2734	4409	5535
10.	जम्मू व कश्मीर	1568	3133	3556
11.	कर्नाटक	25949	27086	37327
12.	केरल	24026	46982	52221
13.	मध्य प्रदेश	7282	131	0
14.	छत्तीसगढ़			
15.	महाराष्ट्र	39842	75223	55828
16.	मणिपुर	1654	499	0
17.	मेघालय	10000	0	0
18.	मिजोरम	202	565	597
19.	नागालैंड	465	246	400
20.	उड़ीसा	6545	1807	503
21.	पंजाब	33183	58959	68828
22.	राजस्थान	32223	70898	75400
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	20727	924	10800
25.	त्रिपुरा	609	643	350
26.	उत्तर प्रदेश	12275	0	0
27.	उत्तरांचल			
28.	पश्चिम बंगाल	54	43	160
29.	अन्य अनुदान	4709	5109	5580
	कुल	294786	410922	472193

विवरण-V

कुटीर ज्योति कार्यक्रम : गत तीन वर्षों के दौरान मुहैया कराये गये कनैक्शन तथा प्राप्त अनुदान सहायता

क्र.सं.	राज्य	1999–2001		2000–2001		2001–02	
		जारी सिंगल प्वाइंट लाइट कनैक्शन	राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा आहरित अनुदान	जारी सिंगल प्वाइंट लाइट कनैक्शन	राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा आहरित अनुदान	जारी सिंगल प्वाइंट लाइट कनैक्शन	राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा आहरित अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	38000	541	130000	1391	200000	2000
2.	अरुणाचल प्रदेश	7772	60	6000	54	10884	121
3.	असम	569		1688		553	
4.	बिहार	41945	283	25342	312	54310	582

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा						
6.	गुजरात	5000	50	4200	42		
7.	हरियाणा					3900	39
8.	हिमाचल प्रदेश	4080	38	2036	32	13536	182
9.	जम्मू व कश्मीर			528	9	1601	17
10.	कर्नाटक	200000	1596	145087	1411		
11.	केरल	15000	150	35152	550	60018	1427
12.	मध्य प्रदेश	35714	573	51770	20	18717	100
13.	महाराष्ट्र	35757	420	14607	230	4950	8
14.	मणिपुर					7420	20
15.	मेघालय	5625	45	3500	29		25
16.	मिजोरम	11500	115	10000	100	2820	22
17.	नागालैंड	11815	113	12000	78	3000	30
18.	उड़ीसा	5286	16	41	0	6000	100
19.	पंजाब	5000	50	2500	25		
20.	राजस्थान	9940	92	15012	121	5000	50
21.	सिक्किम		15			15000	150
22.	तमिलनाडु	40421	341	45919	384		
23.	त्रिपुरा	19217	124	13783	88	42700	317
24.	उत्तर प्रदेश	131	3	509	2	9000	97
25.	पश्चिम बंगाल	4601	84	5000		1688	20
26.	झारखंड					1699	121
27.	छत्तीसगढ़					7331	152
	कुल	497373	4709	524674	4878	470125	5580

व्यय सुधार आयोग

***531. श्री अनंत गुढे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने रेल कर्मचारियों की संख्या में कमी करने/कुछ कार्यों (आपरेशन) का निजीकरण करने के संबंध में अनेक सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) व्यय सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से रेलों के संबंध में 'डाउन साइजिंग' के बारे में उल्लेख नहीं किया है। लेकिन, सितंबर, 2001 में प्रकाशित 'टास्क अहेड' नामक अपने पूरक नोट में व्यय सुधार आयोग ने रेलों का इस संदर्भ में उल्लेख किया है कि केवल कर्मचारियों की अत्यधिक संख्या वाली सेवाओं/उत्पादन संगठनों जैसे रेलें, आयुध कारखाने आदि के मामले में कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा करने के लिये बाहरी व्यावसायिक सेवाओं की आवश्यकता होगी। रेलों के परिचालनों के निजीकरण के संदर्भ में व्यय सुधार आयोग द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) रेलें एक दशक पहले से ही कर्मचारियों की संख्या को सही अनुपात में रखने की नीति का अनुसरण कर रही हैं। 31.3.1990 और 31.3.2001 को कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :

	कुल कर्मचारी
31.3.1990 को	18,06,724
31.3.2001 को	15,45,308
कमी	2,61,416

रेलों ने इस संबंध में अपनी योजना वर्ष 2000 में ही तैयार कर ली थी, जिसके अनुसार, प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की औसत सेवानिवृत्ति की तुलना में, अनुकंपा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों को छोड़कर, कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के अधिकतम एक प्रतिशत तक कर्मचारियों की वार्षिक भर्ती सीमित रखने का विनिश्चय किया गया था। वर्ष 2010 के अंत तक, कर्मचारियों की संख्या में लगभग 26 प्रतिशत कमी होने का अनुमान लगाया गया है।

सुख-सुविधा सम्पन्न 'पैलेस ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी

***532. श्री कमल नाथ :**
श्री अरुण कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सात वर्ष पश्चात पूर्णतया वातानुकूलित तथा सभी सुख–सुविधाओं से सम्पन्न 'पैलेस ऑन व्हील्स' रेलगाड़ी बड़ी लाइन पर चलाई गई है और रेल विभाग अभी तक राजस्थान पर्यटन विकास निगम के साथ परस्पर स्वीकार्य आय के बंटवारे का अनुपात तय नहीं कर पाया है जिसके कारण भारी वित्तीय घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम को होने वाली आय की तुलना में रेल विभाग को अभी तक हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) आय के किस अनुपात पर सहमति हुई है; और

(घ) आय के बंटवारे की प्रणाली को सुचारु बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (घ) 1995 से राजस्थान पर्यटन विकास निगम (आरटीडीसी) द्वारा 50 : 50 के आधार पर ही राजस्व का अनंतिम बंटवारा किया जाता था। 50 : 50 के राजस्व भागीदारी अनुपात पर भी 1997–98 के बाद कोई घाटा नहीं हुआ है। अब सितंबर, 2001 में आपस में यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय रेल और आर टीडीसी के बीच 56 : 44 के अनुपात में राजस्व की भागीदारी की जाये। उपरोक्त राजस्व भागीदारी अनुपात संबंधी समझौता 1.4.2001 से प्रभावी होगा। स्वभाविक रूप से इसके कारण रेलों की आय में वृद्धि होगी।

समुद्री युद्ध का विकास

*533. **श्री श्रीनिवास पाटील :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री युद्ध और रक्षा संबंधी गतिविधियों में समुद्री बारूदी सुरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर सरकार ने 1984 से 1992 तक नौसेना के लिये समुद्री बारूदी सुरंगों के विकास हेतु चार परियोजनाएं स्वीकृत की थीं;

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद कि 17 वर्ष बीत चुके हैं और इस उद्देश्य के लिये 4.14 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या धीमी प्रगति से न केवल नौसेना के रक्षित डिपुओं में कमी आई है बल्कि युद्ध की तैयारियों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) जी, हां। सरकार ने वर्ष 1984–1992 के दौरान समुद्री बारूदी सुरंगों के विकास के लिये चार परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। उक्त चार स्वीकृत परियोजनाओं में से, तीन परियोजनाओं में सफलतापूर्वक विकास के पश्चात उत्पादन हुआ था। चौथी परियोजना सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी थी, और यह आंशिक रूप से सफल रही। इस सभी परियोजनाओं की कुल लागत केवल 2.145 करोड़ रुपये थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

तीन 'कारिडोर' रेल परियोजनाएं

*534. **श्री वैको** : क्या **रेल** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को निकटवर्ती कस्बों से जोड़ने के लिये तीन कारिडोर वाली रेल परियोजनाओं (शाहदरा–साहिबाबाद–गाजियाबाद, साहिबाबाद–तिलक ब्रिज और मिंटो ब्रिज तथा बिजवासन और गुड़गांव) को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो लंबाई, लागत और इनके पूर्ण होने के संभावित वर्ष सहित प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिये धन किस प्रकार जुटाया जा रहा है;

(घ) प्रत्येक परियोजना से कितने यात्रियों/लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(ङ) क्या रेलवे के पास यह सुविधा देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी उपलब्ध कराने के लिये कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) जी, हां। चेन्नई में व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) को वेल्लाचेरी से सेंट थॉमस मॉउंट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। रेलवे में इस परियोजना को शुरू करना तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा परियोजना की लागत की हिस्सेदारी संबंधी करार, वित्तीय दृष्टि से परियोजना की व्यावहारिकता, निधियों की उपलब्धता और अपेक्षित स्वीकृतियों पर निर्भर करेगा।

सैनिक अस्पताल

*535. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सैनिक अस्पताल हैं;

(ख) इन अस्पतालों में न्यूनतम कितने चिकित्सकों की आवश्यकता है और इस समय इनमें कितने चिकित्सक कार्यरत हैं;

(ग) आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज (एएफएमसी) पुणे द्वारा प्रति वर्ष कितने चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाता है;

(घ) प्रतिवर्ष कितने चिकित्सक रक्षा सेवाओं से त्यागपत्र दे देते हैं;

(ङ) इसके परिणामस्वरूप चिकित्सा सेवाओं पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(च) क्या सरकार का रक्षा सेवाओं में चिकित्सकों को आकर्षित करने हेतु और प्रोत्साहनों को देने और एएफएमसी की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ताकि वहां और अधिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) 127 अस्पताल।

(ख)	कुल स्वीकृत पद	–	5382
	कुल तैनाती	–	5242
(ग)	स्नातक डाक्टर	–	130
	स्नातकोत्तर डाक्टर	–	85

(घ) हर वर्ष, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के औसतन 216 डाक्टर अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति, समयपूर्व–सेवानिवृत्ति/इस्तीफे, आदि के कारण इस सेवा को छोड़ देते हैं। इनमें औसतन वे 87 अफसर शामिल हैं जो समयपूर्व यह सेवा छोड़ देते हैं।

(ङ) सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे और खुले बाजार के माध्यम से वर्ष भर में लिये जाने वाले डाक्टरों के मद्देनजर सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता।

(च) इस समय, किन्हीं नये प्रोत्साहनों पर विचार नहीं किया जा रहा है और सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में भर्ती में वृद्धि किये जाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) उपर्युक्त (ङ) और (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाएं

***536. श्री जयभान सिंह पवैया** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का इनमें से कुछ परियोजनाएं देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार और स्थान–वार विशेषकर मध्य प्रदेश के संबंध में, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (घ) भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 1991 में एक विद्युत नीति की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में निजी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह नीति पिछड़े क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्रों और राज्यों के लिये समान रूप से लागू होती है। किसी भी राज्य में विद्युत परियोजना के स्थल का निर्धारण कुछ अनिवार्य तकनीकी आर्थिक ब्यौरों यथा ईंधन के स्रोत से दूरी, ईंधन का संवहन, जल की उपलब्धता, पर्यावरणीय एवं वन पहलुओं की दृष्टि से परियोजना स्थापित करने की व्यवहार्यता, भार केंद्रों में विद्युत निकासी करने की व्यवहार्यता इत्यादि पर विचार करके किया जाता है। निजी विद्युत नीति आरंभ होने से अब तक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने कुल मिलाकर 29614.5 मेगावाट क्षमता के लिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की परियोजनाओं समेत उन 58 परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है जिनके लिये पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्राप्त कर ली गई थीं। इन 58 परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा उनके प्रवर्तकों, स्थल और आरंभ करने के कार्यक्रम सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम/परियोजना प्रवर्तक/स्थल	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
1.	बास्पा चरण–2, एचईपी (मै. जीपीआईएल), किन्नौर	300	जुलाई, 2002 से पूर्व प्रत्याशित
2.	मलाना एचईपी (मै. राजस्थान स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.), कुल्लू	86	जुलाई, 2001 में चालू

1	2	3	4
3.	धामवाड़ी सुंडा एचईपी, शिमला	70	अक्तूबर, 2006 से पूर्व प्रत्याशित
उत्तर प्रदेश			
4.	विष्णुप्रयाग एचईपी (मै. जेपीआईएल), चमोली	400	वित्तीय समापन से 60 माह
5.	रोजा टीपीपी (मै. इंडो–गल्फ फर्टिलाइजर्स), शाहजहांपुर	567	वित्तीय समापन से 40 माह
6.	श्रीनगर एचईपी (मैं. डंकन्स नार्थ हाइड्रो पावर कं. लि.) , पौड़ी गढ़वाल	330	वित्तीय समापन से 62 माह
राजस्थान			
7.	धौलपुर सीसीजीटी (मै. आरपीजी धौलपुर पावर कं. लि.), धौलपुर	702.7	वित्तीय समापन से 24–28 माह
8.	बरसिंहसर टीपीपी (मै. हिंदुस्तान विद्युत कारपोरेशन लि.), बीकानेर	500	वित्तीय समापन से 38–42 माह
छत्तीसगढ़			
9.	कोरबा (पूर्व) टीपीपी (मै. डेवू पावर), बिलासपुर	1070	वित्तीय समापन से 41–47 माह
10.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार (मै. आईटीपीएल), बिलासपुर	420	वित्तीय समापन से 33–36 माह
11.	भिलाई टीपीपी (मै. भिलाई पावर सप्लाई कंपनी), दुर्ग	574	वित्तीय समापन से 39 माह
12.	रायगढ़ टीपीपी (मै. जिंदल पावर लि.), रायगढ़	550	वित्तीय समापन से 36–39 माह
मध्य प्रदेश			
13.	महेश्वर एचईपी (मै. एस. कुमार्स लि.), खरगौन	400	वित्तीय समापन से 55–56 माह
14.	बीना टीपीपी (मै. बीना पावर सप्लाई कंपनी लि.), सागर	578	वित्तीय समापन से 33–36 माह
15.	नरसिंहपुर सीसीपीपी (मै. जीबीएल पावर), नरसिंहपुर	166	वित्तीय समापन से 23 माह
16.	गुना सीसीजीटी (मै. एसटीआई पावर इंडिया लि.), गुना	330	वित्तीय समापन से 12–25 माह
17.	पेंच टीपीपी (मैं. पेंच पावर लि.), छिंदवाड़ा	500	वित्तीय समापन से 38–41 माह
18.	भाण्डेर सीसीजीटी (मैं. भाण्डेर पावर लि.), ग्वालियर	342	वित्तीय समापन से 12–25 माह
19.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै. शपूरजी पलोनजी पावर कंपनी लि.), धार	119.7	वित्तीय समापन से 14–17 माह
20.	रतलाम डीजीपीपी (मै. जीवीके पावर रतलाम लि.) रतलाम	118.63	वित्तीय समापन से 14–17 माह
21.	खंडवा सीसीजीटी (मै. मध्य भारत एनर्जी कार्पोरेशन लि.) पूर्वी निमाड़	171.17	वित्तीय समापन से 22 माह
गुजरात			
22.	पगुथन सीसीजीटी (मै. गुजरात टोरेंट), भरूच	654.7	1998/1999 में चालू
23.	हजीरा सीसीजीटी (मै, एस्सार पावर लि..) सूरत	515	1997 में चालू

1	2	3	4
24.	बड़ौदा सीसीजीटी (मै. जीआईपीसीएल), बड़ौदा	167	1997 के दौरान चालू
25.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी (मै. जीआईपीसीएल), सूरत	250	1999 के दौरान चालू
26.	जामनगर टीपीपी (मै. रिलायंस पावर लि.) जामनगर	500	वित्तीय समापन से 36–39 माह
महाराष्ट्र			
27.	डाभोल सीसीजीटी (मै. डाभोल पावर कंपनी) रत्नागिरी	2015	चरण–1 1999 में चालू चरण–2 2001–02 में प्रत्याशित ठेकेदार द्वारा कार्य रोक लिया गया है
28.	भद्रावती टीपीएस (मै. सेंट्रल इंडिया पावर), चंद्रपुर	1072	वित्तीय समापन से 42–48 माह
29.	पातालगंगा सीसीजीटी (मै. रिलायंस पातालगंगा पावर), रायगढ़	447.1	वित्तीय समापन से 18–24 माह
आंध्र प्रदेश			
30.	जेगरूपाडु सीसीजीटी (मै. जीवीके इंडस्ट्रीज), पूर्व गोदावरी	216	1997 में चालू
31.	गोदावरी सीसीजीटी (मै. स्पैक्ट्रम टेक्नोलॉजी), पूर्व गोदावरी	208	1998 में चालू
32.	विजाग टीपीएस (मै. एचएनपीसीएल), विशाखापटनम	1040	वित्तीय समापन से 38–44 माह
33.	रामागुण्डम विस्तार (मै. बीपीएल ग्रुप), करीमनगर	520	वित्तीय समापन से 33–39 माह
34.	कोंडापल्ली सीसीजीटी (लेनको इंडस्ट्रीज लि.), कृष्णा	350	जून–अक्तूबर, 2000 के दौरान चालू
35.	कृष्णापटनम 'बी' टीपीपी (बीबीआई पावर कृष्णापटनम कंपनी), नैल्लोर	520	वित्तीय समापन से 36–42 माह
36.	वेमागिरी सीसीजीटी (इस्पात पावर लि.), पूर्वी गोदावरी	492	वित्तीय समापन से 20–26 माह
कर्नाटक			
37.	तोरांगल्लू टीपीएस (मै. जिंदल ट्रेक्टेबल), बेल्लारी	260	1999 में चालू
38.	मंगलौर टीपीएस (मै. कोजेंट्रिक्स), दक्षिण कनारा	1013.2	वित्तीय समापन से 33 माह
39.	नागार्जुन टीपीपी (मै. नागार्जुन पावर कारपोरेशन लि.), उड़प्पी	1015	वित्तीय समापन से 38–42 माह
40.	बंगलौर सीसीपीपी (मै पीन्या पावर), बंगलौर	107.6	वित्तीय समापन से 19 माह
तमिलनाडु			
41.	नैवेली टीपीएस–जीरो यूनिट (मै. एसटीसीएमएस), दक्षिण अरकोट	250	वित्तीय समापन से 34 माह
42.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै. पीपीएन पावर), तंजावुर	330.5	2000–01 में चालू
43.	उत्तर मद्रास टीपीएस–2 (मै. वीडियोकोन पावर), तिरूवल्लूर	1050	वित्तीय समापन से 42–46 माह

1	2	3	4
44.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै. जीएमआर वासवी), मद्रास	200	1998–99 में चालू
45.	तूतीकोरिन टीपीपी चरण–4 (मै. स्पिक), चिदम्बरम	525	वित्तीय समापन से 39 माह
46.	समयानल्लूर डीजीपीपी (मै. बालाजी पावर कारपोरेशन लि.), मदुरई	106	अक्तूबर, 2001 में चालू
47.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै. समलपट्टी पावर कंपनी), धर्मपुर	106	मार्च, 2001 में चालू
48.	नार्थ मद्रास टीपीपी (मै. त्रि–शक्ति एनर्जी प्रा.लि.), तिरूवल्लूर	525	वित्तीय समापन से 37 माह
49.	कुड्डालोर टीपीपी (मै. कुड्डालोर पावर कं.), दक्षिण आरकोट	1320	वित्तीय समापन से 39–44 माह
50.	वेम्बर सीसीजीटी (मै. इंडियन पावर प्रोजेक्ट्स लि.), रामनाथपुरम	1873	वित्तीय समापन से 38–50 माह
केरल			
51.	विप्पीन सीसीजीटी (मै. सियासिन एनर्जी प्रा. लि.), एर्नाकुलम	679.2	वित्तीय समापन से 27 माह
52.	कन्नूर सीसीजीटी (मै. कन्नूर पावर प्रोजेक्ट्स लि.) कन्नूर	513	वित्तीय समापन से 27 माह
उड़ीसा			
53.	इब वैली टीपीएस (यूनिट–5 व 6) (एईएस इब वैली कारपोरेशन), झारसऊगुड़ा	500	वित्तीय समापन से 33–36 माह
54.	धुबरी टीपीपी यूनिट 1 व 2 (कलिंग पावर कारपोरेशन), जाजपुर	500	वित्तीय समापन से 33–36 माह
पश्चिम बंगाल			
55.	बालागढ़ टीपीएस (मै. बालागढ़ पावर कंपनी), हुगली	500	वित्तीय समापन से 33–36 माह
56*.	बक्रेश्वर टीपीपी (बक्रेश्वर पावर जेनरेशन कं. लि.), बीरभूम	420	वित्तीय समापन से 30–33 माह
57*.	गौरीपुर टीपीपी (गौरीपुर पावर कंपनी), उत्तर 24 परगना	150	वित्तीय समापन से 32 माह
बिहार			
58.	जोजोबेरा टीपीपी (मै. जमशेदपुर पावर कं.), जमशेदपुर	240	प्रथम यूनिट अक्तूबर, 2000 में चालू दूसरी यूनिट अगस्त, 2001 में चालू

*निजी क्षेत्र में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं पर कई समय से कार्रवाई नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

पाइप लाइनों के माध्यम से रसोई गैस

***537. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप लाइन द्वारा रसोई गैस प्रदान करने की कोई दीर्घावधि योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस नवीन कार्य में किन कंपनियों ने पहल की है;

(ग) पाइप लाइन से गैस का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करने में क्या बाधाएं हैं;

(घ) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र में निहित स्वार्थ ऐसी नीति में बाधा डाल रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अन्य देशों में रसोई गैस की आपूर्ति केवल पाइप लाइनों के माध्यम से ही की जाती है; और

(च) यदि हां, तो घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति को विकसित करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां विशाखापट्टनम, बंगलौर और मुंबई में प्रायोगिक आधार पर घरेलू ग्राहकों को बल्क एलपीजी/सिलेंडर मैनीफोल्ड इंस्टालेशन (पाइप्ड/रेटीकुलेटिड सिस्टम) के माध्यम से एलपीजी की आपूर्ति कर रही हैं। मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न शहरों में सोसायटी विशेष के रेटीकुलेटिड सिस्टम आरंभ करने की पहल की है। नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अपने बाजार हित और ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को एलपीजी की आपूर्ति की भिन्न-भिन्न विधियां अपनाने के लिये स्वतंत्र होंगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ देशों में पाइप्ड/ रेटीकुलेटिड सिस्टम के माध्यम से एलपीजी का वितरण प्रचलन में है।

टिकट कलेक्टरों द्वारा रेल यात्रियों का उत्पीड़न

*538. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे के टिकट कलेक्टरों तथा अन्य विशेष चल दस्ता (मोबाइल स्क्वाड) अधिकारियों द्वारा रेल यात्रियों के बढ़ते हुए उत्पीड़न की जानकारी है;

(ख) क्या लम्बी दूरी की विभिन्न रेलगाड़ियों, विशेषकर दक्षिण को जाने वाली रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सामान, टिकट पर गलत आयु और लिंग प्रविष्टि तथा अन्य छोटी और अनावश्यक पूछताछ से संबंधित अनुचित और व्यर्थ की जांच संबंधी मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या टिकट कलेक्टरों (टीसी) तथा यात्रा टिकट परीक्षकों (टीटीई) के लिये दंड तथा जुर्माना वसूल करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो कि उन्हें वास्तविक यात्रियों को तंग करने के लिये बाध्य कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा यात्रियों को कथित रूप से उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में कुछ शिकायतें समय-समय पर ध्यान में लाई गयी हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सभी शिकायतों की जांच की जाती है और दोषों, यदि कोई हों, के लिये उत्तरदायी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) यात्रियों द्वारा अनियमित यात्रा किये जाने की रोकथाम के प्रयोजनार्थ टिकट जांच कर्मचारियों के लिये आउटपुट की निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

(च) टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों के काम करने के तरीकों पर नजर रखने के लिये विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षकीय जांचें भी की जाती हैं। यात्रियों की प्रतिक्रिया जानने के लिये शिकायतें और सुझाव प्राप्त करने की प्रणाली भी मौजूद है। इसके अतिरिक्ति, यात्रियों के साथ व्यवहार करते समय कर्मचारियों में आचार संबंधी बदलाव लाने के लिये 'ग्राहक देख-भाल' में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किये गये हैं।

पहला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय

*539. **श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अस्तित्व में आ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय स्थापित करने की कार्रवाई में अग्रणी रहा है;

(ग) क्या अमरीका भी इसके लिये सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या 55 देशों ने नये न्यायालय की स्थापना संबंधी संधि की पुष्टि कर दी है, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करने के आरोपियों पर मुकदमा चलाने की शक्तियां होंगी;

(ङ) क्या भारत ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वार इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) विश्व के पहले स्थायी अंतर्राष्ट्रीय दांडिक न्यायालय के अगले वर्ष तक स्थापित किये जाने की आशा है।

(ख) यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड ने तारीख 4 अक्टूबर, 2001 को संधि का अनुसमर्थन किया है।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय दांडिक न्यायालय के विधान का अनुसमर्थन नहीं किया है।

(घ) अभी तक 66 देशों ने ऐसे नये न्यायालय की स्थापना के संधि का अनुसमर्थन किया है, जिसकी अधिकारिता मानवता के विरुद्ध अपराधों, जनसंहार और युद्ध अपराधों जैसे अपराधों पर हो सकेगी।

(ङ) और (च) भारत ने कतिपय सैद्धांतिक मतभेदों के कारण न्यायालय के विधानों पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्क का कार्य-निष्पादन

***540. श्री मोहन रावले :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी चैनलों की ओर से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, सरकार ने हाल ही में देश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के नेटवर्क के कार्य–निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये आकाशवाणी/दूरदर्शन के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) देश में विशेषकर महाराष्ट्र में इस संबंध में चालू परियोजनाओं के कार्य–निष्पादन के बारे में की गयी समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) जिस व्यवस्था के जरिये ऐसी समीक्षा की जाती है उसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति
2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति
3. मंत्रालय/प्रसार भारती द्वारा आवधिक समीक्षा

(ग) प्रसार भारती द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन में उपलब्ध अवसंरचना के इस्टतम उपयोग के लिये एक संसाधन केंद्र स्थापित किया गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के बीच सहक्रिया और बेहतर समन्वयन हेतु समाचार संग्रहण, दर्शक/श्रोता अनुसंधान, विक्रय एवं विपणन आदि जैसे कुछ क्षेत्रों की पहचान की गयी है। चालू चुनौतियों का सामना करने के लिये आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का जवाबी मीडिया प्रचार शुरू कर दिया गया है।

(घ) वर्तमान में आकाशवाणी के 47 ट्रांसमीटर और 7 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इसमें महाराष्ट्र में नागपुर स्थित 100 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के लिये 300 कि.वा. मी.वे. के ट्रांसमीटर के द्वारा प्रतिस्थापन से संबंधित एक परियोजना शामिल है। दूरदर्शन के 9 स्टूडियो और 138 ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। जिसमें महाराष्ट्र की 14 ट्रांसमीटर परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और अगले दो वर्ष के दौरान चरणबद्ध रूप से चालू हो जाने की आशा है। कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	10

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	1
3.	असम	1	2
4.	बिहार	–	2
5.	छत्तीसगढ़	1	2
6.	दिल्ली	4	1
7.	गोवा	–	–
8.	गुजरात	2	8
9.	हरियाणा	–	3
10.	हिमाचल प्रदेश	–	3
11.	जम्मू व कश्मीर	14	36
12.	झारखंड	–	3
13.	कर्नाटक	3	11
14.	केरल	2	5
15.	मध्य प्रदेश	3	3
16.	महाराष्ट्र	1	14
17.	मणिपुर	3	1
18.	मेघालय	2	2
19.	मिजोरम	2	1
20.	नागालैंड	2	2
21.	उड़ीसा	2	1
22.	पंजाब	–	5
23.	राजस्थान	1	3
24.	सिक्किम	–	3
25.	तमिलनाडु	1	8
26.	त्रिपुरा	1	2
27.	उत्तर प्रदेश	2	3
28.	उत्तरांचल	–	5
29.	पश्चिम बंगाल	2	4
	संघ शासित राज्य		
1.	अंडमान निकोबार द्वीप	2	2
2.	चंडीगढ़	–	–
3.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–
4.	दमन और दीव	–	–
5.	लक्षद्वीप एवं मिनीकाय द्वीप	–	–
6.	पांडिचेरी	–	1
	कुल	54	147

राष्ट्रीय तेल संग्रहालय

5520. श्री एम. के. सुब्बा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी में एक राष्ट्रीय तेल संग्रहालय की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो संग्रहालय की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 3 जनवरी, 2002 को गुवाहाटी में के.डी. मालवीय राष्ट्रीय तेल संग्रहालय का शिलान्यास किया। असम सरकार ने संग्रहालय के लिये जवाहर नगर, गुवाहाटी में लगभग 10 बीघे (13,400 वर्ग मीटर (लगभग)) माप के भूखंड का आवंटन किया है। संग्रहालय के लिये वास्तुकार की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। संग्रहालय में भारत में तेल उद्योग की उत्पत्ति, विभिन्न कालों में इस उद्योग के विकास को दिखाने और संबंधित चित्रों और कार्यकारी माडलों--आंतरिक और बाहरी के साथ पर्याप्त पुराने उपकरण दिखाने का प्रस्ताव है। संग्रहालय में एक प्रेक्षागृह और एक सुसज्जित पुस्तकालय होगा।

[हिन्दी]

रसोई गैस/एम.एम. आउटलेट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिये आवेदन

5521. श्री रामदास आठवले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998–99 के दौरान भारतीय तेल निगम और इसकी आनुषंगिक कंपनियों ने खुदरा बिक्री केंद्रों/एल. डी.ओ. डीलरशिप के तौर पर रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिये आवेदन आमंत्रित किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या हजारों आवेदकों में से प्रत्येक ने आवेदन के साथ 500 रु. जमा कराये थे;

(ग) क्या चार वर्षों की समय सीमा के समाप्त होने के बाद भी कुल आवेदकों में से मात्र पांच प्रतिशत को ही डीलरशिप दी गयी है;

(घ) वर्ष 1998 के दौरान रिक्तियों की संख्या और उक्त अवधि के दौरान डीलरशिप पाने वाले व्यक्तियों की संख्या और प्रतिशत क्या था;

(ड) क्या इन चार वर्षों अर्थात वर्ष 1998 से 2001 के दौरान कार्यान्वयन की लागत तीन गुना बढ़ गयी है;

(च) क्या नौकरशाही के कारण करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हुई है; और

(छ) यदि हां, तो आवेदकों के साथ न्याय करने और विलम्ब को रोकने तथा इस संबंध में जिम्मेदारी तय करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1998–99 के दौरान उत्पादों की डीलरशिप के लिये आवेदन शुल्क अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के आवेदकों के लिये 250/–रुपये और अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से इतर आवेदको के लिये 500/– रुपये था।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने वर्ष 1998–99 में विज्ञापित में से 70 प्रतिशत खुदरा बिक्री केंद्रों, 36 प्रतिशत एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपों और 58 प्रतिशत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों से अधिक का आवंटन किया।

(ड) से (छ) खुदरा बिक्री केंद्र/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना लागत में वृद्धि स्थान दर स्थान पर भूमि लागत भिन्नता पर निर्भर करती है। आई ओ सी ने खुदरा बिक्री केंद्र/डिस्ट्री–ब्यूटरशिप के आवंटन में हुई देरी की वजह से राजस्व में किसी प्रकार की हानि के बारे में सूचित नहीं किया है।

[अनुवाद]

पानीपत में एचपीसीएल की केरोसीन (मिट्टी का तेल) डीलरशिप

5522. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानीपत क्षेत्रीय कार्यालय में आर्थिक व्यवहार्यता सीमा से नीचे चल रही एच पी सी एल की केरोसिन डीलरशिप की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, विशेषतः भारतीय तेल निगम लिमिटेड सिद्धांत रूप से रसोई गैस विस्तार पटल को अनुमति देने या उन्हें उनकी अलाभकारी डीलरशिप को खुदरा बिक्री केद्र डीलरशिप को खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप या देश भर में रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप में बदलने की अनुमति देने पर तैयार हो गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के परिवर्तन हेतु अनावश्यक परेशानी से बचने के लिये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबद्ध अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से निर्धारित विधि और प्रक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पानीपत क्षेत्र में एच पी सी एल के 14 एस के ओ–एल डी ओ डीलरशिप आर्थिक व्यवहार्यता स्तरों से नीचे चल रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन लागत लिया जाना

5523. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निगमों द्वारा पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की परिवहन लागत 1.18 रु. प्रति किलोमीटर की दर से जोड़ कर ली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रभार/लागत हरियाणा में सभी ट्रांसपोर्टरों को दी जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इससे तेल निगम लाभ कमा रहे हैं और नियंत्रित मूल्य प्रणाली तथा "समान कार्य समान भुगतान" के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार तेल निगमों को हरियाणा में ट्रांसपोर्टरों को वास्तविक राशि का भुगतान किये जाने का निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक कार्यवाही किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) परिवहनकर्ताओं को भुगतान किये जाने वाले परिवहन प्रभार तेल कंपनियों द्वारा उनके साथ तय किये गये परिवहन ठेकों के अनुसार होते हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

मीडिया कर्मियों पर पुलिस ज्यादती

5524. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001 के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न घटनाओं के कवरेज के समय की गई पुलिस ज्यादती के विरुद्ध सरकार को प्रेस/मीडिया कर्मियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह विषय प्रेस परिषद को जांच हेतु सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रभावित प्रेस/मीडिया कर्मियों को विभिन्न कल्याण निधियों से क्षतिपूर्ति/राहत दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) भारतीय प्रेस परिषद ने सूचित किया है कि उन्होंने पत्रकारों द्वारा श्री एम. करुणानिधि, पूर्व मुख्यमंत्री, तमिलनाडु तथा केंद्रीय मंत्रियों श्री टी. आर. बालू और श्री मुरासोली मारन की गिरफ्तारी की कवरिंग के दौरान तमिलनाडु पुलिस द्वारा तमिलनाडु के मीडिया कर्मियों पर किये गये हमले की जांच स्वतः शुरू की थी तथा इस संबंध में परिषद को सन टीवी तथा फोटोग्राफर एसोसिएशन से भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्रेस परिषद ने पत्रकारों पर कथित पुलिस हमले की जांच के लिये तथ्यों का पता लगाने के लिये एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इसे दिसंबर, 2001 में तमिलनाडु सरकार को समुचित कार्रवाई के लिये प्रेषित कर दिया गया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों की संख्या

5525. श्री टी. गोविन्दन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भर्ती को रोक कर और निकट भविष्य में जबरदस्ती सेवानिवृत्ति देकर कर्मचारियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) रेलवे ने केवल नई भर्ती पर नियंत्रण और अधिवार्षिता की सामान्य प्रक्रिया, नैसर्गिक ह्रास द्वारा रेल कर्मचारियों की संख्या को सही करने का विनिश्चय किया है।

(ख) रेलवे ने अगस्त, 2000 में आदेश जारी किये हैं जिसमें गाड़ी परिचालनों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित विभागों में व्यक्तियों की 1 प्रतिशत तक अन्य विभागों में 0.5 प्रतिशत तक भर्ती पर रोक लगाई गई है।

[हिन्दी]

निजी इस्पात उद्योगों को ब्याज माफी

5526. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001–2002 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने विभिन्न निजी इस्पात उद्योगों के बकाया ऋणों पर ब्याज राशि को सीधे माफ कर दिया है या इसे अन्य मद में समायोजित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान माफ की गयी कुल ब्याज राशि कितनी है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं। सेल निजी इस्पात उद्योगों को ऋण नहीं देता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी

5527. श्री रामटहल चौधरी :

प्रो. दुखा भगत :

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में डीलरों द्वारा रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो रसोई गैस सिलेंडरों के नियमित वितरण को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वितरकों द्वारा एलपीजी सिलेंडरों के गैर कानूनी विपणन को रोकने के विपणन कंपनियों के फील्ड अधिकारियों द्वारा शिकायतों पर नियमित भराई जांच/आकस्मिक जांच और खोजबीन की जाती है। अनियमितता सिद्ध हो जाने की दशा में विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते की शर्तों के आधार पर दोषी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

बड़ी ताप परियोजनाओं में आयातित उपकरण

5528. डा. ए. डी. के. जयशीलन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने बड़ी ताप परियोजनाओं के लिये उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट देने के लिये वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर संबद्ध मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) भारत सरकार की संशोधित मेगा पावर पॉलिसी वर्ष नवम्बर, 1998 में घोषित की गयी थी। इस नीति को वित्त मंत्रालय व भारत सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श कर तैयार किया गया है, जिसमें अभिनिर्धारित 14 मेगा ताप विद्युत परियोजना (5 निजी क्षेत्र में और 9 सरकारी क्षेत्र में) के लिये पूंजीगत उपकरण आयात के निमित्त पूर्णरूपेण सीमा–शुल्क छूट की व्यवस्था है।

इसके अलावा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा छत्तीसगढ़ में स्थापित की जा रही सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना (4 x 660 मेगावाट) को भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2001 में मेगा पावर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। वित्त मंत्रालय से 5 अप्रैल, 2002 को संगत सीमा शुल्क अधिसूचना में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि उक्त परियोजना को परियोजनाओं की सूची में शामिल किया जा सके, जिसके लिये पूंजीगत उपकरणों के आयात में कोई सीमा शुल्क नहीं होगा।

रसोई गैस की उत्पादन लागत

5529. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस की प्रति सिलेंडर उत्पादन लागत किस आधार पर तय की जाती है;

(ख) क्या रसोई गैस की उत्पादन लागत सरकारी क्षेत्र की रिफाइनरी में निजी क्षेत्र की रिफाइनरी की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो क्या रसोई गैस पर राज–सहायता सरकारी क्षेत्र की रिफाइनरियों की अक्षमता और कर्मचारियों की अत्यधिक संख्या के कारण देनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो रसोई गैस की उत्पादन लागत को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) नियंत्रित मूल्य प्रणाली की समाप्ति के बाद रसोई गैस सिलेंडर की लागत किस प्रकार तय की जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) बहु उत्पाद आउटपुट सहित तेल शोधन एक निरंतर प्रक्रिया उद्योग होने के कारण उत्पादन की उत्पादवार लागत नहीं निकाली गयी है। तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी बाटलिंग संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता में सुधार के साथ–साथ घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के कदम उठाये गये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ एलपीजी के उत्पादन की लागत में कमी करने के साथ–साथ क्रमशः 1.04.98 और 1.4.2002 से रिफाइनरियों और तेल विपणन कंपनियों के लिये क्षतिपूर्ति जमा कीमत व्यवस्था समाप्त करना शामिल है।

(ङ) सब्सिडी के गणन के प्रयोजन के लिये ए पी एम की समाप्ति के बाद एल पी जी के प्रति सिलेंडर की कीमत आयात सममूल्य के आधार पर निश्चित करने का प्रस्ताव है।

कोलकाता मेट्रो सिस्टम

5530. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता मेट्रो सिस्टम को कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी लिफ्टें, एस्केलेटर दोषयुक्त पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध रेलवे द्वारा कौन से दंड प्रावधान लगाये गये हैं;

(ग) क्या कोलकाता में मेट्रो परिवहन प्रणाली के संपूर्ण संचालन के लिए घटिया गुणवत्ता वाले उपकरण दिये जाने के संबंध में कोई जांच कराई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं। कोलकाता मेट्रो प्रणाली में मै. ओ टी आई एस एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लि. और मै. कोन एलिवेटर (इंडिया) लि. द्वारा उपलब्ध कराई लिफ्टें और एस्केलेटर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। बहरहाल, एस्केलेटरों में कुछ छोटी–मोटी खराबी की घटनाएं हुई हैं जिसका अर्थ यह नहीं है कि फर्म द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध कराये गये।

(ख) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जी, हां। एस्केलेटरों में नोट की गयी खराबियों के लिये जांच की गयी और पाया गया कि फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये घटिया उपकरणों के कारण खराबी विकसित नहीं हुई थी, बल्कि पानी के रिसाव, गलत ढंग से संचलन और गलत प्रयोग के कारण खराबी हुई थी।

कच्चे तेल के मूल्यों पर प्रभाव

5531. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षकों को इराक की मनाही से कच्चे तेल की कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) यह माना जाता है कि निरीक्षण कार्मिकों की वापसी के संबंध में इराक और संयुक्त राष्ट्र विशेष आयोग के बीच मतभेदों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है। तथापि, क्रूड मूल्यों पर अकेले इस घटक के प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं है क्योंकि मूल्य रुझानों पर अन्य घटकों का भी प्रभाव पड़ता है।

नांदयाल रेलवे स्टेशन पर पद यात्री उपरिपुल

5532. श्री बी. वी. एन. रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा के लिये नांदयाल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 1, 2 और 3 से पदयात्री उपरिपुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) 23 लाख रुपये की लागत पर 2001–02 में ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था के लिये कार्य स्वीकृत किया गया है।

(ग) कार्य को पूरा करने की अनंतिम तिथि सितंबर, 2002 है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों का आवंटन

5533. श्री रामदास रूपला गावीत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में आवंटित पेट्रोल पम्पों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कितने पेट्रोल पम्पों का आवंटन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में आवंटित खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल पम्पों) की कुल संख्या निम्नानुसार थी :

वर्ष	आबंटित खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या
2000–2001	539
2001–2002	965

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति (अनु. जा.)/अनुसूचित जनजाति (अनु.जन.) श्रेणियों में अनुमोदित विपणन योजनाओं में से देश में आवंटित खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या निम्नानुसार थी :

वर्ष	आवंटित खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या	
	अनु.जा.	अनु.जन.
2000–2001	69	41
2001–2002	161	82

[अनुवाद]

वैगनों की कमी

5534. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा बलों, भारी टैंकों और बंदूकों को सीमा पर ले जाने के लिये रेलवे वैगनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार टैंकों और अन्य भारी उपकरणों को ले जाने के लिये फ्लैट कारों को खरीदने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में जिन उत्पादक इकाइयों को क्रयादेश दिये गये हैं/दिये जाने का विचार है उनके नाम क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सुन्दर बन, पश्चिम बंगाल में तेल भंडार

5535. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के सुंदर बन के विशाल क्षेत्र में तेल का भारी भंडार उपलब्ध होने का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) को ओ एन जी सी में कार्यरत किसी भूवैज्ञानिक द्वारा सुंदरबन में तेल की भारी मात्रा के संबंध में किये गये किसी दावे की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों की क्षमता

5536. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान देश के कई इस्पात संयंत्रों ने अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई इस्पात संयंत्र भंडारण और तैयार माल को बेचने संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने बताया है कि उसके भिलाई इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरय्या आयरन एंड स्टील प्लांट, नामक दो संयंत्रों ने वर्ष 2001–2002 के दौरान विक्रेय इस्पात का उत्पादन अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक किया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) ने भी बताया है कि उसके संयंत्रों ने वर्ष 2001–2002 के दौरान तप्त धातु, द्रव इस्पात और विक्रेय इस्पात का उत्पादन अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक किया है। इस संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है :

सेल (इकाई : हजार टन)

संयंत्र	निर्धारित क्षमता	उत्पादन
भिलाई इस्पात संयंत्र	3153	3383
विश्वेश्वरय्या आयरन एंड स्टील प्लांट	77	88

आर आई एन एल (इकाई : हजार टन)

मद	निर्धारित क्षमता	उत्पादन
तप्त धातु	3400	3486
द्रव इस्पात	3000	3038
विक्रेय इस्पात	2656	2757

(ग) सेल और आर आई एन एल ने हाल ही में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि वे भंडारण और तैयार माल की बिक्री संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस पर राज सहायता

5537. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस पर राजसहायता समाप्त करने की घोषित नीति को लागू करने में सरकार की अक्षमता के कारण निजी रसोई गैस विपणनकर्ताओं ने अलग हो जाने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में आई एल पी जी आई ए से कोई ज्ञापन प्राप्त किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) आई एल पी जी आई ए सहित निजी एल पी जी विपणनकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ–साथ घरेलू एल पी जी पर राजसहायता, उत्पाद शुल्क में वृद्धि, निजी क्षेत्र को रियायती एलपीजी बेचने की अनुमति देने आदि से संबंधित मुद्दों पर अभ्यावेदन दिये हैं।

(ङ) घरेलू एल पी जी का खुदरा विक्रय मूल्य मार्च, 2002 में बढ़ाया गया है।

स्टोर्स की खरीद

5538. श्री रामजी मांझी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैरिसन इंजीनियर वायुसेना त्रिवेंद्रम ने आवश्यकता का आकलन किये बिना 75.44 लाख रु. मूल्य के 22 क्रयादेशों की आपूर्ति के आदेश दिये जिस पर उसे वर्ष 1996 के फरवरी और अगस्त महीनों के बीच 81.32 लाख रु. मूल्य के स्टोर्स प्राप्त हुए;

(ख) क्या दो वर्षों की अवधि में गैरिसन इंजीनियर केवल 3.70 लाख रुपये मूल्य के स्टोर्स का उपयोग कर सका और 12.42 लाख रुपये के स्टोर्स को अन्य संघटकों को स्थानांतरित करना पड़ा तथा सितंबर, 1998 की स्थिति के अनुसार 65.20 लाख रु. मूल्य के स्टोर्स स्टॉक में पड़ा रहा;

(ग) क्या बिना आवश्यकता के स्टोर्स क्रय करने के इस मामले की जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा;

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी;

(च) क्या केंद्रीय भंडार एनसीसीएफ और सुपर बाजार से बाजार मूल्य से कहीं ऊंचे दामों पर स्टोर्स क्रय करने में करोड़ों रु. का परिहार्य व्यय किया गया, जबकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने उक्त संस्थाओं की दरों को ऊंचा बताया था और केवल उन्हीं से सामग्री क्रय करने संबंधी सरकारी अनुदेशों पर लगातार प्रतिकूल टिप्पणी की थी;

(छ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इस विषय पर तत्संबंधी मंत्रालय से चर्चा की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) यदि नहीं, तो यह मामला अन्य मंत्रालयों के साथ न उठाने के क्या कारण हैं; और

(ञ) केवल प्रतियोगी दरों पर ही खरीदारी सुनिश्चित किये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडीज) : (क) गैरिसन इंजीनियर (वायुसेना) त्रिवेंद्रम ने 22 सप्लाई आर्डर दिये थे। 81.32 लाख रुपये मूल्य का सामान प्राप्त हो गया था।

(ख) 1. गैरिसन इंजीनियर (वायुसेना) दो वर्ष की अवधि में 3,69,953.82 रुपये मूल्य के सामान का इस्तेमाल कर पाया था।

2. सामान का उपयोग दिन–प्रतिदिन की अनुरक्षण आवश्यकता के आधार पर किया गया था।

3. 12,42,159.18 रुपये मूल्य का सामान अन्य विरचनाओं को स्थानांतरित कर दिया गया है।

4. 65.20 लाख रुपये मूल्य का सामान सितंबर, 1998 से भंडार में पड़ा है।

(ग) जी, हां। उक्त मामले की जांच करने के लिये मुख्यालय दक्षिण वायु कमान, भारतीय वायुसेना ने एक जांच अदालत के आदेश दिये थे।

(घ) पहचान किये गये चूककर्ताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

(ङ) प्रत्येक चूककर्ता के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई पूरी की गयी तथा दंड दिया गया।

(च) जी, नहीं। कार्मिक विभाग के आदेशों के अनुसार सामान पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित दर संविदा के आधार पर केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ, सुपर बाजार से खरीदे जा रहे हैं।

(छ) लागू नहीं होता।

(ज) लागू नहीं होता।

(झ) लागू नहीं होता।

(ञ) जैसा कि उपर्युक्त पैरा (च) में बताया गया है।

रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

5539. श्री ए. नरेन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा मुहैया करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ख) मंत्रालय को आरक्षण से संबंधित कदाचार को रोकने के संदर्भ में क्या अनुभव प्राप्त हुआ है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) इस मंत्रालय द्वारा अपनाए जा रहे मानदंडों के अनुसार वे सभी स्टेशन जहां प्रतिदिन आरक्षण से संबंधित 100 कार्य विवरण का कार्यभार दर्ज किया जाता है, सभी जिला मुख्यालय महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशन कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये योग्य होते हैं।

(ख) आरक्षण प्रक्रिया के कंप्यूटरीकरण ने आरक्षण से संबंधित कदाचारों का नियंत्रण निम्नलिखित तरीके में किया है :

(i) आरक्षण प्रणाली में पारदर्शिता इस अर्थ में है कि किसी विशेष तारीख के लिये पक्के आरक्षण की उपलब्धता के संबंध में स्थिति ठीक प्रकार ज्ञात हो सकती है जोकि हाथ से काम करने की प्रणाली में संभव नहीं था।

(ii) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) पर निर्धारित किसी गंतव्य और किसी गाड़ी के लिये किसी भी काउंटर से ऑन लाइन आरक्षण प्राप्त करने की सुविधा की व्यवस्था से वापसी/आगे की यात्रा का संदेश भेजने की आवश्यकता अनावश्यक हो गयी है।

(iii) स्वतः अद्यतन अर्थात पक्के आरक्षण वाली शायिकाएं जो रद्द कर दी गयी हैं, आरएसी (रद्दकरण के बदले आरक्षण) वाले यात्रियों और प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को स्वतः आवंटित हो जाती हैं।

(iv) आरक्षण कर्मचारियों द्वारा धोखेबाजी की संभावना समाप्त हो जाती है।

(v) विशेष गाड़ी की स्थिति–वार, टर्मिनल–वार, समय–वार आदि के लिये सभी कार्य विवरण के रिकार्ड निरीक्षण करने हेतु लिये जा सकते हैं।

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम

5540. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा के प्रसारण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाली केंद्रीय एजेंसी के रूप में कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को चुना है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना पर कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2001–2002 के दौरान कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को कितनी सहायता राशि जारी ही गयी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) और (ख) कर्नाटक अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (केआरईडीएएल), बंगलौर अधिकांश अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों जैसे सौर, पवन, बायोमास और लघु पनबिजली आदि के कार्यान्वयन के लिये निर्दिष्ट नोडल एजेंसी है। कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (केएससीएसटी) कर्नाटक राज्य में केवल विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम और सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है। विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत, कर्नाटक राज्य को 10 ऊर्जा पार्कों की मंजूरी दी गयी है जिनमें से छः ऊर्जा पार्क पूरे कर लिये गये हैं और चार कार्यान्वयनाधीन हैं। सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कुल 15 संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

(ग) वर्ष 2001–02 के दौरान मंत्रालय द्वारा विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को 3.34 लाख रु. की राशि जारी की गयी है।

बहादुरगढ़ से झज्जर के बीच नयी रेल लाइन

5541. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा में बहादुरगढ़ से झज्जर के बीच नयी रेल लाइन बिछाने हेतु विभिन्न संगठनों और जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) हरियाणा राज्य सरकार से झज्जर और कोसली के रास्ते बहादुरगढ़ से कनीना के बीच रेल संपर्क के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। चालू परियोजनाओं के भारी बकायों और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण सुझाई गयी लाइन के निर्माण पर विचार करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रक्षित विद्युत संयंत्र

5542. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग दिल्ली में निजी रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु अनुमति दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक निजी रक्षित विद्युत संयंत्र की स्थापना पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना होती है और क्या सरकार द्वारा स्वयं अपनी लागत पर ऐसे संयंत्रों की स्थापना किये जाने की संभावना है या आवेदक द्वारा ऐसे संयंत्र की लागत स्वयं वहन की जायेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) को नेशनल कैपिटल टेरीटरी दिल्ली में कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापना के लिये अनुमति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में डीईआरसी ने अभ्यावेदन प्रस्तुतीकरण और सहमति से पूर्व की प्रक्रिया के संबंध में ड्राफ्ट विनियमों को परिचालित किया है। उपभोक्ताओं और स्टेकहोल्डरों को विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व 30 अप्रैल, 2002 तक आयोग को ड्राफ्ट विनियमों पर सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है

(ग) सरकार कैप्टिव पावर संयंत्रों की स्थापना नहीं करती है। कैप्टिव पावर संयंत्रों की स्थापना सामान्यतः किसी उद्योग या उद्योग समूह द्वारा की जाती है तथा उत्पादित बिजली प्रमुखतः उद्योग के अपनी खपत के लिये होती है। कैप्टिव पावर संयंत्र स्थापना की लागत विभिन्न कारकों यथा हाइड्रो अथवा थर्मल, प्रयुक्त ईंधन अर्थात कोयला, तरल ईंधन, प्राकृतिक गैस आदि, ईंधन स्रोत स्थान से परियोजना की दूरी, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, वित्त व्यवस्था के तरीके आदि पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को व्यवहार्य बनाने संबंधी योजना

5543. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को व्यवहार्य बनाने संबंधी योजना की स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं;

(ग) राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझावों पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्च, 1999 में भारत सरकार से आर आई एन एल (बी एस पी) के संबंध में निम्नलिखित का अनुरोध किया था :

(i) संचित हानि का निपटान करना

(ii) क्षमता विस्तार हेतु अनुमोदन

(iii) धन जुटाने के लिये सरकारी गारंटी का प्रावधान

(iv) कार्यशील पूंजी ऋण के लिये सरकारी गारंटी

उपर्युक्त सुझावों से युक्त एक विस्तृत प्रस्ताव उस समय सरकार के विचाराधीन था। तथापि, उस पर विचार करने पर उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। इस बीच, विनिवेश आयोग ने कपंनी की शेष साम्या की 51 प्रतिशत से अनधिक साम्या को नीतिपरक क्रेता के पक्ष में विनिवेश करने सहित 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कंपनी की पूरी संचित हानि को बट्टे खाते डालने की सिफारिश की। सरकार एक समग्र परिवर्तन प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

1. संचित हानि को बट्टे खाते डालना
2. 500 करोड़ रुपये तक की कार्यशील पूंजी के लिये सरकार की गारंटी प्रदान करना और विनिवेश किये जाने तक मौजूदा ऋणदाताओं के पक्ष में भारत सरकार की गारंटी उपलब्ध करवाना/प्रदान करना।
3. अपने शेयरों के 51 प्रतिशत शेयरों का भारत के राष्ट्रपति से नीतिपरक भागीदार/क्रेता को विनिवेश

चूंकि आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार के बीच

सहमति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, अतः इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आरक्षित शायिका प्राप्त करने में रेल यात्रियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाई

5544. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षित शायिका प्राप्त करने में रेल यात्रियों द्वारा भारी कठिनाइयों का सामना किया जाता है यद्यपि उनके पास कुछ रेलवे स्टेशनों और विशेषकर नई दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित रेलवे स्टेशनों के वैध रेलवे आरक्षण होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सनकी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) कुछ डिब्बों में कम दूरी के दैनिक यात्रियों द्वारा बलपूर्वक प्रवेश करने, तकनीकी खराबी के कारण नामित डिब्बों के अलग हो जाने और यदा–कदा डाटाबेस में चूक होने के कारण नामों के विलोपन के कुछ ऐसे मामले समय–समय पर ध्यान में आये हैं।

(ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) चूक करने वाले रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध कोई हो, सख्त कार्रवाई की जाती है।

तेल डीलरशिप के चयन हेतु मार्गनिर्देश

5545. श्री के. पी. सिंह देव :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल/डीजल और रसोई गैस के लिये डीलरशिप चयन के समय पारदर्शी, एक समान/साफ सुथरी और द्रुत प्रक्रिया अपनाने हेतु नये मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) डीलर चयन बोर्डों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के ध्येय से नये दिशानिर्देश तैयार किये गये और 9.10.2000 को तेल कंपनियों को निर्गमित कर दिये गये। दिशानिर्देशों में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिये एक समरूप, पारदर्शी प्रक्रिया विहीत की गयी।

विपणन योजनाओं में शामिल डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के स्थापित किये जाने के स्थानों को तेल कंपनियों द्वारा पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिये विज्ञापित किया जाता है। आवेदनों की जांच के बाद डीलर चयन बोर्डों द्वारा पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार गुणावगुण के आधार पर चयन के लिये किया जाता है। उम्मीदवारों के परस्पर गुणावगुण मूल्यांकन के लिये निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किये गये हैं :

(क) व्यक्तित्व, कारबार योग्यता और विक्रेतृत्व।

(ख) वित्त प्रबंधन की क्षमता।

(ग) शैक्षिक योग्यता और सामान्य बुद्धि स्तर।

(घ) बुनियादी ढांचा और सुविधाएं (भूमि, गोदाम, शोरूम आदि) उपलब्ध कराने की क्षमता।

(ङ) सामान्य मूल्यांकन।

दिशानिर्देशों के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों के लिये डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों	–	25 प्रतिशत
2. शारीरिक विकलांग व्यक्ति	–	5 प्रतिशत
3. अर्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक	–	8 प्रतिशत
4. रक्षा कार्मिक	–	8 प्रतिशत
5. स्वतंत्रता सेनानी	–	2 प्रतिशत
6. उत्कृष्ट खिलाड़ी	–	2 प्रतिशत
7. सामान्य श्रेणी	–	50 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में से 33 प्रतिशत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप उस श्रेणी की महिलाओं के लिये आरक्षित होंगी।

स्वतंत्रता सेनानियों को रसोई गैस एजेंसी/पेट्रोल पंपों का आवंटन

5546. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों और युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं को आवंटित पेट्रोल पंपों और रसोई गैस डीलरशिप पर अन्य लोगों का स्वामित्व है जबकि कागज पर अभी भी वे मूल आवंटियों के नाम हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कदाचारियों को निरोधक दंड देकर इस कदाचार को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या आवंटन के पूर्व अभ्यर्थी की ऐसे एजेंसियों को चलाने की क्षमता की भी जांच की जाती है;

(घ) यदि हां, तो किसी की क्षमता की जांच के तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) खुदरा बिक्री केंद्र डीलरों के चयन के लिये निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तेल विपणन कंपनियां पात्र उम्मीदवारों से आवेदनपत्र आमंत्रित करते हुए विपणन योजनाओं में सम्मिलित डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिये एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों और एस के ओ–एल डी ओ डीलरों, और उन स्थानों के लिये विज्ञापन देती हैं जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों/रक्षा श्रेणी के लिये आरक्षित स्थान सम्मिलित होते हैं। आवेदनपत्रों की जांच के बाद डीलर चयन बोर्ड गुण–दोष के आधार पर चयन करने के लिये पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेते हैं। उम्मीदवारों की परस्पर योग्यता का मूल्यांकन करने के लिये अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किये गये हैं :

(क) व्यक्तित्व, व्यावसायिक योग्यता और विक्रय कला।

(ख) धन जुटाने की योग्यता।

(ग) शैक्षिक योग्यता और बुद्धिमत्ता का सामान्य स्तर।

(घ) मूलभूत सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं (भूमि, गोदाम, शोरूम आदि) प्रदान करने की योग्यता।

(ङ) सामान्य मूल्यांकन।

रसोई गैस सिलिंडरों पर अतिरिक्त राशि

5547. श्री पी. आर. किंडिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रति माह एक रसोई गैस सिलिंडर के अलावा लिये गये प्रत्येक रसोई गैस सिलिंडर के लिये 90 रु. की अतिरिक्त राशि वसूलने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) क्या सरकार का अपने इस कदम पर पुनः विचार करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कठोर कदम उठाने का प्रस्ताव है कि घरेलू रसोई गैस सिलिंडरों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिये न किया जाये?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल विपणन कंपनियों के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा घरेलू एलपीजी के विपणन की जांच करने के लिये एल पी जी वितरकों की नियमित रिफिल जांच/आकस्मिक जांच की जाती है और किसी प्रकार की अनियमितता के मामले में विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार की शर्तों के आधार पर दोषी वितरक के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सी. पी. सी. द्वारा निर्मित कार्यक्रम

5548. श्री राजो सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय निर्माण केंद्र (सीपीसी) द्वारा निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र द्वारा निर्मित कार्यक्रमों को डी.डी.–1, डी.डी.–2, डी.डी. भारती, डी.डी. वर्ल्ड और डी.डी. स्पोर्ट्स जैसे दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रसार भारती और पी.एस.बी.टी. के बीच मिली-भगत

5549. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन और केबल टीवी पर अश्लील और खराब गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों के प्रसारण को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इसे नियंत्रित करने हेतु कोई समिति गठित की गई है और उक्त समिति के सदस्य कौन–कौन हैं एवं उनकी योग्यता क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दिल्ली स्थित एक निजी संस्थान पीएसबीटी की मिली–भगत की सूचना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे अवांछित कार्यक्रमों के प्रसारण को रोकने और दूरदर्शन में बरती जा रही अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों का यह पता लगाने के लिये नियमित रूप से पूर्व दर्शन किया जाता है कि वे अच्छी गुणवत्ता के हों और परिवार के देखने के योग्य हों। उपग्रह चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों को जब नेटवर्क के जरिये वितरित किया जाता है तो उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता तथा इसके अंतर्गत बनाए गये नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ केबल सेवा में अश्लील कार्यक्रम प्रदर्शित करने पर रोक है। अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, प्राधिकृत अधिकारियों अर्थात जिला न्यायाधीश, उप प्रभागीय न्यायाधीश, पुलिस उपायुक्त तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी है।

(ख) जहां कहीं केंद्रीय सरकार निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप न होने पर किसी चैनल के किसी कार्यक्रम संबंधी विशिष्ट शिकायत के मामले में की जाने वाली कार्रवाई के लिये सलाह लेना अनिवार्य या वांछनीय समझती है तो उसके लिये सलाह देने हेतु सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा तथा विधि मंत्रालयों के अधिकारियों की एक समिति गठित की है।

(ग) इस मंत्रालय ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

फिल्म डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध शिकायत

5550. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखने हेतु फिल्म डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच के दौरान कलाकारों और माडलों आदि के साथ यौन दुराचार करने के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्यों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। सीबीआई ने गलत तरीके से 17 लाख रुपये से अधिक की सम्पत्ति संचित करने के लिये फिल्म प्रभाग के मुख्य निर्माता के विरुद्ध आरसी 2 (ए)/2002–मुंबई के तहत मामला दर्ज किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सीबीआई की सिफारिशों पर फिल्म प्रभाग के मुख्य निर्माता को निलंबित कर दिया गया है।

इमारती लकड़ी की आपूर्ति

5551. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध सेवा के महानिदेशक ने नागालैंड औद्योगिक कच्चा माल और आपूर्ति निगम, दिनापुर को वर्ष 1993–96 के दौरान इमारती लकड़ी के 3650 क्यूबिक मीटर के लिये 2.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया था लेकिन इमारती लकड़ी की आपूर्ति कभी नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई और दोषी अधिकारियों को दंडित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) आयुध सेवा महानिदेशालय द्वारा दिये गये मांग पत्र के आधार पर, पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय ने पैकिंग खोलों के विनिर्माण हेतु कई सैन्य आयुध डिपुओं के लिये अपेक्षित खासी–पाइन ग्रेड–1 इमारती लकड़ी की आपूर्ति करने के लिये दिनांक 1.5.1991 के क्रयादेश संख्या टी पी/2/1466 के तहत कुल 11,240 क्यूबिक मीटर, 5240 क्यूबिक मीटर तथा दिनांक 10.6.1991 के क्रयादेश संख्या टीपी/2/1472 क तहत 6000 क्यूबिक मीटर इमारती लकड़ियों के लिये दो क्रयादेश नागालैंड औद्योगिक कच्चा माल और आपूर्ति निगम लिमिटेड, दीमापुर, नागालैंड (राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) को दिया।

इमारती लकड़ियों की अधिप्राप्ति जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड की राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन करके की जाती है। इन सभी मामलों में अग्रिम भुगतान किये गये थे तथा तत्पश्चात आपूर्तियां होने पर उन्हें समायोजित कर लिया जाता है। राज्य सरकार के एक उपक्रम से अधिप्राप्तियां करने के कारण भुगतान की यह प्रक्रिया अपनाई गयी थी। निरीक्षण के दौरान कुल 11,240 क्यूबिक मीटर की मात्रा स्वीकार कर ली गयी थी तथा नागालैंड औद्योगिक कच्चा माल और आपूर्ति निगम लिमिटेड को इसके लिये पूर्ण भुगतान किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 11,240 क्यूबिक मीटर इमारती लकड़ियों के आदेश के प्रति सिर्फ 7591 क्यूबिक मीटर की मात्रा की आपूर्ति की थी। यद्यपि शेष मात्रा का निरीक्षण किया गया था किंतु अप्रत्याशित परिस्थितियों अर्थात पूर्वोत्तर में बाढ़, बुकिंग प्रतिबंधों तथा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के कारण भेजी नहीं जा सकी थी।

आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय आपूर्ति न की गयी मात्रा के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अदा की गयी अतिरिक्त राशि की वापसी हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय ने अतिरिक्त भुगतान की वापसी हेतु नागालैंड की सरकार के साथ चर्चा की थी।

धनराशि का अन्य जोनों में उपयोग

5552. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रेल जोनों की रेल परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि का अन्य रेल जोनों में उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आवंटित धनराशि में से कुल कितनी धनराशि अन्य शीर्षों/डिविजनों/जोनों में उपयोग की गई और जोनवार इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से नियमों के अंतर्गत यथा अनुमेय निधियों के अन्यत्र उपयोग अथवा पुनर्विनियोग का आश्रय लिया जाता है। पुनर्विनियोग करने की आवश्यकता निम्नलिखित के कारण उत्पन्न होती है :

- भूमि अधिग्रहण में विलंब, संविदागत समस्याओं, अदालती मामलों आदि के कारण कुछ कार्यों की प्रगति धीमी होती है जिसके परिणामस्वरूप आवंटित निधियां अधिशेष बन जाती हैं।
- लक्षित परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता पूरी करना।

- सामग्री आदि की वर्तमान लागत पूरा करना।
- संसाधनों की उपलब्धता में बदलाव।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न जोनों के बीच जिन निधियों का पुनर्विनियोग किया गया, वे इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	से राशि अन्यत्र भेजी गयी	को राशि भेजी गयी
मध्य	49.73	26.33
पूर्व	109.36	20.15
उत्तर	63.03	583.26*
पूर्वोत्तर	8.60	35.58
पूर्वोत्तर सीमा	10.68	77.06
दक्षिण	31.52	65.49
दक्षिण मध्य	35.97	14.06
दक्षिण पूर्व	97.31	41.12
पश्चिम	69.90	61.88

*कोंकण रेल निगम लि. को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उत्तर रेलवे को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई गयीं।

परिवार न्यायालयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

5553. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को परिवार न्यायालयों की स्थापना और उनके बेहतर कार्यकरण हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता के लिये कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) राज्य, साधारणतया कुटुंब न्यायालयों के लिये वित्तीय सहायता मांगते रहे हैं। हाल ही में, त्रिपुरा सरकार से राज्य की राजधानी अगरतला में एक कुटुंब न्यायालय का गठन करने के लिये विनिर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने एक कुटुंब न्यायालय के गठन के लिये 24.88 रुपये की रकम का पचास प्रतिशत अंश जारी करने का अनुरोध किया है।

(ग) महिला सशक्तिकरण संसदीय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को कुटुंब विवादों के शीघ्र निपटान के लिये और अधिक कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिये कहा गया है। राज्यों को और अधिक कुटुंब न्यायालयों का गठन करने में प्रोत्साहित करने और सहायता देने के लिये ऐसे नये कुटुंब न्यायालयों की, जिनका अब वर्ष 2002–2003 के दौरान गठन किया जा रहा है, स्थापना करने और चलाने के लिये राज्यों को पचास प्रतिशत केंद्रीय अनुदान दिया जा रहा है।

गुजरात और राजस्थान में रेल ओवर ब्रिज/रेल अंडर ब्रिज का निर्माण

5554. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और राजस्थान में नये/लंबित और चालू रेल ओवर ब्रिज/रेल अंडर ब्रिज परियोजनाओं का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी राशि आवंटित की गयी और इन पर अब तक कितनी राशि व्यय की गयी; और

(ग) इन रेल ओवर ब्रिज/रेल अंडर ब्रिज परियोजनाओं को परियोजना–वार कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेलवे पुल खास (रेलपथ के आर–पार) का निर्माण और राज्य सरकार ऊपरी सड़क पुलों के पहुंच मार्गों का निर्माण करती है। राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के निर्माण से पहले अथवा इसके साथ–साथ रेलवे अपने हिस्से का कार्य पूरा कर लेगी।

विवरण

2002–2003 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल का कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि गुजरात और राजस्थान की राज्य सरकारों ने कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया था। इन राज्यों में लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत चालू कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	मार्च, 02 तक किया गया व्यय	2002–03 के दौरान आवंटन
गुजरात				
1.	साबरमती–गांधीधाम–समपार सं. 11 के स्थान पर निचला सड़क पुल	1995–96	21.38	38.19
2.	संतरोड–पिपलोड–समपार सं. 20/बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1991–92	कुछ नहीं	35.96
राजस्थान				
1.	सीकर यार्ड–किमी. 239/1–2 पर समपार सं. 196 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2000–01	5.20	150.00
2.	कोटा–किमी. 921/12–14 पर समपार सं. 109 (रंगापुर रोड) के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	1996–97	297.36	252.00
3.	हनुमानगढ़–हनुमानगढ़–श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़–सूरतगढ़, हनुमानगढ़–सादूलपुर मी.ला. खंड पर समपार सं. 71–ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2000–01	6.00	699
4.	लालसागर (जोधपुर सिटी)–जोधपुर–नागौर रोड को जोड़ने वाले जोधपुर–जैसलमेर खंड पर किमी. 4/6–7 पर समपार सं. सी–9 के स्थान पर निचला सड़क पुल	2001–02	0	137

उपर्युक्त कार्यों के अलावा, गुजरात में ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के 9 कार्य और राजस्थान में एक कार्य निक्षेप शर्तों पर निर्माणाधीन हैं।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

5555. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के जोन–वार नाम क्या हैं जहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध है;

(ख) ऐसे स्थानों का जोन–वार ब्यौरा क्या है जहां वापसी यात्रा के लिये आरक्षण सुविधा भी उपलब्ध है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002–2003 के दौरान देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन–वार/स्थान–वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जिन स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी जोन–वार सूची विवरण–I में दी गयी है। भारतीय रेलों के सभी कम्पयूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर वापसी की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी हां, 2002–03 के दौरान स्टेशनों/स्थानों

की सूची जहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराये जाने का प्रस्ताव है, विवरण–II पर उपलब्ध है।

विवरण-I

30.4.2002 को जहां कहीं स्टेशनों/स्थानों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, की सूची

क्र.सं.	स्थान	क्र.सं.	स्थान
मध्य रेलवे		21.	चेम्बूर
1.	आगरा कैंट	22.	चिंचवाड़
2.	अहमदनगर	23.	दमोह
3.	अजनी	24.	दक्कन जिमखाना (पूणे)
4.	अकोला	25.	देवलाली
5.	अंबरनाथ	26.	धुले
6.	अमरावती	27.	डॉबीवली (मुंबई)
7.	अशोक नगर	28.	फरीदाबाद
8.	बबीना	29.	घाटकोपर (मुंबई)
9.	बडनेरा	30.	गुलबर्गा
10.	बल्हारशाह	31.	गुना
11.	बल्लभगढ़	32.	ग्वालियर
12.	बांदा	33.	हबीबगंज (भोपाल)
13.	बेलापुर सी.बी.ओ.	34.	होशंगाबाद
14.	बेतुल	35.	आईएनएस शिवाजी लोनावाला
15.	भोपाल	36.	इटारसी
16.	भुसावल	37.	जबलपुर
17.	बीना	38.	जलगांव
18.	बुरहानपुर	39.	झांसी
19.	भायखला	40.	कल्याण
20.	चंद्रपुर	41.	कटनी
42.	खडकी	66.	पुणे
43.	खजुराहो	67.	पुणे छावनी
44.	खंडवा	68.	राजा की मंडी
45.	कुर्ला	69.	रविवार पेठ (पुणे)
46.	ललितपुर	70.	रीवा
47.	लातुर	71.	संतरा मार्केट (नागपुर)
48.	लोनावाला	72.	सतना
49.	मदन महल (जबलपुर)	73.	सगौर
50.	महाराष्ट्र असेम्बली	74.	संकरसेठ (पुणे)
51.	मैहर	75.	शिरडी
52.	मलकापुर	76.	शोलापुर
53.	मानिकपुर	77.	थाणे
54.	मनमाड	78.	वाशी (मुंबई)
55.	मथुरा जं.	79.	विदिशा
56.	मुरैना	80.	वर्धा
57.	मुलुंड (मुंबई)	81.	यवतमाल
58.	मुंबई सीएसटी	82.	जौनल ट्रेनिंग स्कूल, भुसावाल
59.	नागपुर	**पूर्व रेलवे**	
60.	नासिक	1.	अंडाल
61.	नासिक सीवीओ	2.	आरा
62.	नेवी नगर, कोलाबा	3.	आसनसोल
63.	ओरई	4.	औरंगाबाद
64.	पनवेल (मुंबई)	5.	बाग बाजार (कलकत्ता)
65.	पीपरिया	6.	बहरामपुर कोर्ट

क्र.सं.	स्थान	क्र.सं.	स्थान
7.	वैद्यनाथ धाम	32.	दक्षिणेश्वर
8.	बख्तियारपुर	33.	डाल्टनगंज
9.	बाली (कलकत्ता)	34.	दानापुर
10.	बालीगंज	35.	दानकुनी
11.	बंडेल	36.	डेहरी ऑन सोन
12.	बनगांव	37.	डाकुरिया
13.	बांका	38.	धनबाद
14.	बारासात	39.	डायमंड हार्बर
15.	बाढ़	40.	दमदम एअर पोर्ट
16.	बरकाकाना	41.	दमदम जंक्शन (कलकत्ता)
17.	बैरकपुर	42.	दुर्गापुर
18.	बेला	43.	फेयरली पैलेस (कलकत्ता)
19.	बेल्लुरमठ सिटी बुकिंग	44.	फतुहा
20.	भागलपुर	45.	फोर्ट विलियम
21.	भूली	46.	गया
22.	विधान नगर (कलकत्ता)	47.	गिरिडीह
23.	विहार शरीफ	48.	हजारीबाग टाउन
24.	बोधगया	49.	हावड़ा
25.	भोलपुर	50.	जादवपुर
26.	वर्धमान	51.	जमालपुर
27.	बुराबाजार	52.	जमुई
28.	बक्सर	53.	जसीडीह
29.	चितरंजन	54.	जहानाबाद
30.	चौपन	55.	झाझा
31.	चौरंगी (कलकत्ता)	56.	कल्यानी
57.	खलगांव	81.	फुलवारी शरीफ
58.	किद्दरपुर	82.	पोर्ट ब्लेयर
59.	क्विल	83.	प्रेस क्लब (कलकत्ता)
60.	कोडरमा	84.	राजेंद्र नगर (पटना)
61.	कृष्णानगर	85.	राजगीर
62.	लालगोला	86.	रामपुर हाट
63.	लखीसराय	87.	रानीगंज
64.	एम जी रोड	88.	रूसा रोड
65.	महेंदू घाट (सट पटना)	89.	सहिबगंज
66.	मझेरहाट (कलकत्ता)	90.	साल्टलेक (कलकत्ता)
67.	मालदा टाउन	91.	सासाराम
68.	मालदा पी आर एस सी वी ओ	92.	सियालदह
69.	मोकामा	93.	सेवड़ाफुल्ली
70.	मुगलसराय	94.	शेखपुरा
71.	नवदीप धाम	95.	श्यामबाजार
72.	नेहाटी	96.	सिंगरौली
73.	नवादा	97.	सोनारपुर
74.	न्यू फरक्का	98.	तारकेश्वर
75.	न्यू कोला घाटा (कलकत्ता)	99.	टालीगंज (कलकत्ता)
76.	पारसनाथ	100.	पं. बंगाल असेम्बली
77.	पटना	**उत्तर रेलवे**	
78.	पटना असेम्बली	1.	अबोहर
79.	पटना साहिब	2	अलीगढ़
80.	पटना साहिब गुरुद्वारा	3.	इलाहाबाद
		4.	इलाहाबाद स्टेशन दूसरा प्रवेश द्वार

क्र.सं.	स्थान
5.	अंबाला
6.	अंबाला सिटी
7.	अमेठी
8.	अमृतरार
9.	अमृतसर गोल्डेन टेंपल
10.	भदोही
11.	बहादुरगढ़
12.	बरेली
13.	बाड़मेर
14.	बड़ौदा हाउस (नई दिल्ली)
15.	भटिंडा
16.	व्यास
17.	भिवानी
18.	बीकानेर
19.	चंडीगढ़ स्टेशन
20.	चंडीगढ़ (बस स्टैंड) सीडीजी
21.	चंदौसी
22.	चुरू
23.	डंडारी कला
24.	दसुया
25.	डी सी डब्ल्यू पटियाला
26.	देहरादून
27.	दिल्ली कैंट
28.	दिल्ली स्टेशन
29.	दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन
30.	दिल्ली शाहदरा
31.	दिल्ली टूरिज्म (नई दिल्ली)
32.	देवबंद
33.	डीएलडब्ल्यू वाराणसी
34.	फैजाबाद
35.	फतेहपुर
36.	फिरोजपुर
37.	गाजियाबाद
38.	गुड़गांव
39.	हमीरपुर
40.	हनुमानगढ़
41.	हापुड़
42.	हरदोई
43.	हरिद्वार
44.	हिसार
45.	होशियारपुर
46.	आई आर सी ए बिल्डिंग (नई दिल्ली)
47.	जैसलमेर
48.	जालंधर
49.	जालंधर कैंट
50.	जालौर
51.	जम्मू तवी
52.	जौनपुर
53.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
54.	जोधपुर
55.	कालका
56.	कानपुर
57.	कानपुर स्टेशन दूसरा प्रवेश द्वार
58.	कड़कड़डूमा
59.	करनाल
60.	कटरा
61.	कीर्तिनगर
62.	कोटद्वार
63.	कुरूक्षेत्र
64.	लक्सर
65.	लेह
66.	लखनऊ
67.	लखनऊ स्टेशन दूसरा द्वार
68.	लखनऊ विधान सभा
69.	लुधियाना
70.	महामंदिर
71.	मकराना
72.	मंडी
73.	मेरठ कैंट
74.	मेरठ सिटी
75.	मिर्जापुर
76.	मोदीनगर
77.	मुरादाबाद
78.	मसूरी
79.	मुजफ्फरनगर
80.	नागुर
81.	नैनी
82.	नांगल डैम
83.	न्यू आजादपुर
84.	न्यू दिल्ली (आईजीआईएअरपोर्ट)
85.	नई दिल्ली (लाजपतनगर)
86.	नई दिल्ली (ओखला)
87.	नई दिल्ली (सुप्रीम कोर्ट)
88.	नई दिल्ली स्टेशन
89.	निजामुद्दीन
90.	नोएडा
91.	पालमपुर (हिमाचल)
92.	पालिमारवाड़
93.	पानीपत
94.	पार्लियामेंट हाउस
95.	पठानकोट
96.	पटियाला
97.	प्रतापगढ़
98.	प्रयाग
99.	प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (नई दिल्ली)
100.	राय बरेली

क्र.सं.	स्थान
101.	रेल भवन, नई दिल्ली
102.	राजपुरा
103.	रामपुर
104.	आर.सी.एफ. कपूरथला
105.	आरडीएसओ (लखनऊ)
106.	रेवाड़ी
107.	ऋषिकेश
108.	रोहतक
109.	रुड़की रेलवे स्टेशन
110.	रुड़की विश्वविद्यालय
111.	सादुलपुर
112.	शाहजहांपुर
113.	सहारनुपर
114.	सरोजनीनगर
115.	शिमला
116.	सरहिंद
117.	सोनीपत
118.	श्रीगंगानगर
119.	श्रीनगर (जीपीओ)
120.	श्रीनगर कैंट
121.	सब्जी मंडी
122.	सुल्तानपुर
123.	टूरिस्ट ब्यूरो, नई दिल्ली स्टेशन
124.	तुगलकाबाद
125.	टूंडला
126.	उधमपुर
127.	वाराणसी

पूर्वोत्तर रेलवे

क्र.सं.	स्थान
1.	इलाहाबाद सिटी
2.	आजमगढ़
3.	बादशाहनगर
4.	बहराइच
5.	बलिया
6.	बलरामपुर
7.	बरौनी
8.	बस्ती
9.	बेगुसराय
10.	बेतिया
11.	सीसीएम ऑफिस/गोरखपुर
12.	छपरा
13.	दरभंगा
14.	दौरा मधेपुरा
15.	देवरिया सदर
16.	फर्रूखाबाद
17.	गाजीपुर सिटी
18.	गोमतीनगर
19.	गोंडा
20.	गोपालगंज
21.	गोरखपुर
22.	हाजीपुर
23.	इज्जतनगर
24.	जनकपुर रोड
25.	जयनगर
26.	कल्याणपुर
27.	कासगंज
28.	काशीपुर
29.	काठगोदाम
30.	खगड़िया
31.	खलीलाबाद
32.	लहरिया सराय
33.	लखिमपुर
34.	लालकुआं
35.	लखनऊ सिटी
36.	मधुबनी
37.	मडवाडीह
38.	मसरख
39.	मऊ
40.	मोतीहारी
41.	मुजफ्फरपुर
42.	नागौचिया
43.	नैनीताल
44.	नरकटियागंज
45.	नौतनवां
46.	पीलीभीत
47.	रावतपुर
48.	रक्सौल
49.	सहरसा
50.	समस्तीपुर
51.	सीतामढ़ी
52.	सीतापुर
53.	सीवान
54.	सोनपुर
55.	सुपोल
56.	वाराणसी सिटी

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

क्र.सं.	स्थान
1.	अगरतला
2.	आइजोल
3.	अलीपुरद्वार
4.	बालुरघाट
5.	बोंगईगांव
6.	कूचबिहार
7.	दार्जिलिंग
8.	डिब्रूगढ़ टाउन
9.	दीमापुर
10.	दिसपुर
11.	गंगटोक
12.	गुवाहाटी
13.	इम्फाल
14.	ईटानगर
15.	जलपाईगुड़ी रोड

क्र.सं.	स्थान
16.	जोरहाट
17.	कटिहार
18.	किशनगंज
19.	कोहिमा
20.	लम्बडींग
21.	न्यू अलीपुरद्वार
22.	न्यू जलपाइगुडी
23.	न्यू कूचबिहार
24.	पांडू
25.	पूर्णिया
26.	रायगंज
27.	शिलांग
28.	सिलचर
29.	सिलीगुडी
30.	तेजपुर
31.	तिनसुकिया

दक्षिण रेलवे

क्र.सं.	स्थान
1.	अलेप्पी
2.	अलवाय
3.	अंबूर
4.	अंदरोट (लक्षद्वीप)
5.	अन्नानगर (चेन्नई)
6.	अरकोणम
7.	आवडी (चेन्नई)
8.	बाडागरा
9.	बानसंकरी (बेंगलूर)
10.	बेंगलूर कैंट
11.	बेंगलूर सिटी
12.	बेंगलूर इंद्रानगर
13.	बंगारपेट
14.	बिसेंट नगर (चेन्नई)
15.	कालीकट
16.	कन्नौर
17.	चालकुई
18.	चेंगनचेरी
19.	चेंग्गनूर
20.	चेंगलपेट
21.	चिदंबरम
22.	कोचीन हारबर
23.	कोयम्बटूर
24.	कोयम्बटूर नार्थ
25.	गांवनगेड़े
26.	धरमपुरी
27.	डिंडीगुल
28.	एर्णाकुलम जंक्शन
29.	एर्णाकुलम टाउन
30.	इरोड
31.	फेरोके
32.	गांधीपुरम (एसएटी)
33.	गुरू वायूर
34.	हासन
35.	जयनगर (एसवीसी)
36.	कानकन्नडी
37.	कन्याकुमारी
38.	कराइकुडी
39.	करूर
40.	केसरगौड़
41.	कटपडी
42.	कवारती (लक्षद्वीप)
43.	कायनकुलम
44.	कौरमंगला (बेंगलूर)
45.	कोट्टायम
46.	कोविलपट्टी
47.	कुम्बाकोणम
48.	कुप्पम
49.	मद्रास एअर पोर्ट
50.	मद्रास बीच
51.	मद्रास एग्मोर
52.	मदुरै
53.	मलेश्वरम
54.	माम्बलम (चेन्नई)
55.	मंडया
56.	मंगलौर
57.	मवेलीकारा
58.	महिलादुथरई
59.	मुट्टीपालयम
60.	मिनीकॉय (लक्षद्वीप)
61.	मुरे मार्केट कॉम्प्लेक्स (चेन्नई)
62.	मैसूर
63.	नागापट्टम
64.	नागरकोयल
65.	नागौर
66.	पलानी
67.	पालघाट जं.
68.	पालघाट टाउन
69.	पाट्टौन (तिरुवनंतपुरम)
70.	पेरम्बूर (चेन्नई)
71.	पांडिचेरी
72.	पुडूकोट्टई
73.	कोवलम
74.	राजापालयम
75.	रामनाथपुरम
76.	रामेश्वरम
77.	सेलम
78.	सेलम टाउन
79.	सेनगोट्टई
80.	सिमोगा टाउन
81.	शोरूवण्णूर
82.	शिवकाशी

क्र.सं.	स्थान
83.	सेंट थामस माउंट
84.	ताम्बरम (चेन्नई)
85.	तेल्लीचेरी
86.	तेनकाशी
87.	थल्लाकुलम (मदुरै)
88.	थंजाबुर
89.	थिरूपोनीथूरा
90.	थिरूवारूर
91.	तिरूचिरापल्ली
92.	तिरूचिरापल्ली फोर्ट
93.	तिरूमलाई
94.	तिरूनगर
95.	तिरूनेलवेल्ली जं.
96.	तिरूपत्तूर
97.	तिरूपादीरीपुलियूर
98.	तिरूप्पुर
99.	तिरूर
100.	तिरूवल्ला
101.	तिरूवीरम्बूर
102.	तिरूवोट्टायूर (सेट) मोबाइल पीआरएस
103.	त्रिचूर
104.	त्रिवेंद्रम सेंट्रल
105.	तुमकुर
106.	तूतीकोरिन
107.	विजयनगर (एसबीसी)
108.	विलूपुरम
109.	विदुनगर
110.	वाइटफील्ड (बेंगलूर)
111.	येहलंका
112.	यसवंतपुर

दक्षिण मध्य रेलवे

क्र.सं.	स्थान
1.	आ.प्र. असेम्बली (हैदराबाद)
2.	एएस राव नगर (सिकंदराबाद)
3.	अडौनी
4.	अमलापुरम
5.	अमीरपेट (हैदराबाद)
6.	अंकापल्ली
7.	अनंतपुर
8.	औरंगाबाद
9.	बापाटाला
10.	बेलगाम
11.	बेल्लारी
12.	बेंजसरकल (विजयवाड़ा)
13.	भवानीपुरम
14.	भीमावरम टाउन
15.	भोईगुडा (सिकंदराबाद)
16.	बीदर
17.	बीजापुर
18.	चीराला
19.	कुड्डापा
20.	दारउलशफा (हैदराबाद)
21.	धर्मावरम
22.	धारवाड़
23.	इल्लूरू
24.	गडग
25.	गोदावरी स्टेशन
26.	गुडीवाडा
27.	गुड्डूर
28.	गुंतकल
29.	गुतूर
30.	हौजपेट
31.	हुबली
32.	हैदराबाद
33.	जालना
34.	काचीगुडा
35.	काकीनाडा टाउन
36.	कराड
37.	काजीपेट
38.	खम्माम
39.	कोल्हा
40.	कुक्कूटपल्ली (हैदराबाद)
41.	कुर्नूल टाउन
42.	मछलीपट्टनम
43.	मिरज
44.	नांदेड़
45.	नांदियाल
46.	नरसापुर
47.	नेल्लोर
48.	नाडियाडवोल्लू
49.	निजामाबाद
50.	आंगौल
51.	पालाकोल्लू
52.	परभनी
53.	पर्लीबैजनाथ
54.	पुट्टापार्थी
55.	रायचूर
56.	रेल निलायम (सिकंदराबाद)
57.	राजमुंदरी
58.	रामागुंडम
59.	रेनीगुटा
60.	सामलकोट
61.	सांगली
62.	सरूरनगर (हैदराबाद)
63.	सतारा
64.	सिकंदराबाद
65.	सिरपुर खजाजनगर
66.	ताडीपालीगुडम
67.	तांदूर

क्र.सं.	स्थान
68.	तानकू
69.	तेनाली
70.	तिरूमला हिल (तिरूपति)
71.	तिरूपति
72.	वास्कोडिगामा
73.	विजयवाड़ा
74.	वारंगल

दक्षिण पूर्व रेलवे

1.	आद्रा
2.	बालासौर
3.	बानकुरा
4.	बेहरामपुर
5.	बदरक
6.	बाटपारा
7.	भिलाई टाउन शिप
8.	भुवनेश्वर
9.	भुवनेश्वर असेंम्बली
10.	बिट्स रांची
11.	बिलासपुर
12.	बोकारो सी वी ओ
13.	बोकारो स्टील सिटी
14.	चाइबासा
15.	चक्रधरपुर
16.	चंद्रशेखरपुर
17.	छिवाड़ा
18.	कोंतई
19.	कटक
20.	धेनकनाल
21.	डोंगरगढ़
22.	दुर्ग
23.	गजुआका (विशाखापत्तनम)
24.	गार्डन रीच (कलकत्ता)
25.	गांदिया
26.	हल्दिया
27.	हटिया
28.	हीराकुंड
29.	आई आई टी/खड़गपुर
30.	इतवारी (नागपुर)
31.	जगदम्बा सिटी वी ओ, वी एस के पी
32.	झरग्राम
33.	झारखंड असेम्बली
34.	झारसुगुडा
35.	खड़गपुर
36.	खुर्दा रोड
37.	कोरबा
38.	मिदनापुर
39.	मुरी
40.	एनवीपी कॉलोनी (विशाखापत्तनम)
41.	नवलवेश (विशाखापत्तनम)
42.	ओल्ड कोयला घाट (कलकत्ता)
43.	प्लासा
44.	पाराद्वीप
45.	पूरी
46.	पूरी सिटी बुकिंग ऑफिस
47.	पुरूलिया
48.	रविंद्रा सदन, कलकत्ता
49.	रायगढ़
50.	रायपुर
51.	राजनंद
52.	रांची
53.	रांची सीबीओ
54.	रायगडा
55.	राउरकेला इंडस्ट्रियल लोकेशन
56.	राउरकेला
57.	सांची एरिया (सेट, टाटानगर)
58.	संबलपुर
59.	संबलपुर रोड
60.	शालीमार
61.	शिमाचलम
62.	श्रीकाकुलम रोड
63.	टाटानगर
64.	टेल्को (टाटानगर)
65.	टीटलागढ़
66.	उलूबेरिया
67.	विशाखापत्तनम
68.	विजयनगरम

पश्चिम रेलवे

1.	आबू रोड
2.	आगरा फोर्ट
3.	अहमदाबाद
4.	अजमेर
5.	अलकापुरी
6.	अलवर
7.	आनंद
8.	अंधेरी (मुंबई)
9.	अंकलेश्वर
10.	बांद्रा टर्मिनस
11.	भरतपुर
12.	भरूच
13.	भावनगर
14.	भायंदर (मुंबई)
15.	भीलवाड़ा
16.	बोरीबली (मुंबई)
17.	चित्तौड़गढ़
18.	चित्तौर
19.	चर्चगेट (मुंबई)
20.	दादर

क्र.सं.	स्थान	क्र.सं.	स्थान
21.	दाकुनिया तालाब	46.	नागदा
22.	दमन	47.	नंदरबार
23.	देवास	48.	नवसारी
24.	दुर्गापुर	49.	नवभूज
25.	द्वारका	50.	नीमच
26.	फालना	51.	पद्मावती काम्प्लेक्स सीबीओ (बडोदरा)
27.	गांधीधाम	52.	पालनपुर
28.	गांधीग्राम	53.	पालधर
29.	गांधीनगर	54.	पाली
30.	गांधीनगर (जयपुर)	55.	पोरबंदर
31.	हापा	56.	प्रतापनगर (बडोदरा)
32.	ईदगाह	57.	राजकोट
33.	इंदौर	58.	रतलाम
34.	जयपुर	59.	साबरमती
35.	जामनगर	60.	सहार एअर पोर्ट (मुंबई)
36.	झुंझुनूं	61.	सरदार ग्राम
37.	जूनागढ़	62.	सवाई माधोपुर
38.	कोटा	63.	सीकर
39.	मलाड (मुंबई)	64.	सूरत
40.	मंदसौर	65.	सुरेंद्रनगर
41.	ममीनानगर (अहमदाबाद)	66.	उदयपुर
42.	मेहसाना	67.	उदना
43.	महो	68.	उज्जैन
44.	मुंबई सेंट्रल	69.	बडोदरा
45.	नांदियाड	70.	बलसाड

क्र.सं.	स्थान	सारांश	
71.	बापी	म.रे	82
72.	वसई रोड (मुंबई)	पू.रे	100
73.	वेरावल	उ.रे	127
74.	विरार (मुंबई)	पूर्वी रेलवे	56
कोंकण रेलवे		पू.सी.रे.	31
1.	चिपलूल	द.रे.	112
2.	उडाल	द.म.रे.	74
3.	मडगांव	द.पू.रे.	68
4.	पणजी	प.रे.	74
5.	रत्नागिरी	कोंकण रेलवे	6
6.	थिवम	कुल स्थान	730

विवरण-II

उन स्टेशनों/स्थानों की सूची जहां 2002–2003 के दौरान कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराये जाने का प्रस्ताव है

क्र.सं.	स्थान	क्र.सं.	स्थान
मध्य रेलवे		9.	बारामती
1.	दौंड	10.	करजत
2.	बेलापुर	11.	बूलधाना
3.	हिंगनघाट	12.	अलीबाग
4.	सेवाग्राम	13.	उस्मानाबाद
5.	धौलपुर	14.	छतरपुर
6.	श्री आनंदपुर ट्रस्ट	15.	पन्ना
7.	हरदा	16.	टीकमगढ़
8.	नरसिंहपुर	17.	चित्रकूट

क्र.सं.	स्थान
पूर्वी रेलवे	
1.	पटना सचिवालय
2.	शांतिपुर
3.	गोमो
4.	पाकुर
5.	मुर्शिदाबाद
6.	विश्वभारती सीवीओ
7.	मधुपुर
8.	अनपाड़ा
9.	दुर्गापुर (सीवीओ, एडीडीए बिल्डिंग)
10.	रेनूकूट
11.	सिंदरी
12.	गोड्डा
13.	मुंगेर
14.	चुनचूरा
15.	एरावल
16.	भभूआ
17.	शिवहर
18.	देवघर
19.	गढ़वा
उत्तर रेलवे	
1.	फगवाड़ा
2.	इटावा
3.	बाराबंकी
4.	उन्नाव
5.	आई आई टी/कानपुर
6.	धर्मशाला
7.	पालम एअर पोर्ट (डोमेस्टिक)
8.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय
9.	जोशीमठ
10.	शामली
11.	मोहाली
12.	नजीबाबाद
13.	सेटेलाइट लोकेशन ऐट नोएडा
14.	गोविंदपुरी
15.	नार्थ कैम्पस/दिल्ली विश्वविद्यालय
16.	साउथ कैम्पस/दिल्ली विश्वविद्यालय
17.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली
18.	लखनऊ विश्वविद्यालय
19.	बीएचयू विश्वविद्यालय
20.	मनाली
21.	दिल्ली कैंट में यात्री आरक्षण सुविधा का विस्तार
22.	खुर्जा जं.
23.	जम्मू II लोकेशन
24.	अमरोहा
25.	जिंद जं.
26.	फिरोजाबाद
27.	बुलंदशहर
28.	सिरसा
29.	पालम
30.	ऊना
31.	सूरतगढ़
32.	फरक्काबाद
33.	शिकोहाबाद
34.	शाहगंज
35.	सरदार शहर
36.	निहालगढ़
37.	गिदरभा
38.	मुक्तसर
39.	मोगा
40.	छक्कीबैंक
41.	कपूरथला
42.	मेड़ता रोड
43.	मारवाड़ भीनमल
44.	नौखा
45.	सुजानगढ़
46.	फरीदकोट
47.	उंचाहार
48.	जंघई
49.	अयोध्या
50.	कलपा/रिकांग पीओ
51.	बिलासपुर
52.	बारामूला
53.	कुल्लू
54.	अल्मोड़ा
55.	अम्बेदकर नगर
56.	बिजनौर
57.	गुरुदासपुर
58.	संगरूर
59.	झझर
60.	पंचकुला
61.	कठुआ
पूर्वोत्तर रेलवे	
1.	बेल्थरा रोड
2.	उधम सिंह नगर (रुद्रपुर सिटी)
3.	कानपुर अनवरगंज (सेट)
4.	रामनगर
5.	बाघा
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	
1.	एमएलए होस्टल
2.	रंगिया
3.	मालबाजार
4.	मरियानी
5.	करीमगंज

क्र.सं.	स्थान	क्र.सं.	स्थान
6.	आलूबाड़ी रोड	13.	तिरूचेंदूर
7.	फार्बिसगंज	14.	हौसूर
8.	लौअर हफलांग/ हाफलांग	15.	मेलूमारवथूर
9.	रंगापाड़ा	16.	श्रीकांझी
10.	बदरपुर	17.	पोलाच्ची
11.	गुवाहाटी एअर पोर्ट	18.	कन्नूंगापल्ली
12.	थेगू	19.	ओट्टापालयम
13.	बरसोई	20.	मैंगलौर सैट
14.	अररिया	21.	कालीकट सैट
15.	नार्थ लखीमपुर	22.	पादानूर
16.	हैबरगांव	23.	अंगाडीपुरम
दक्षिण रेलवे		24.	नामाकल
1.	कोडइकनाल	25.	कांचीपुरम
2.	पामबा	26.	शिवगंगा
3.	आइसीएफ कॉम्प्लेक्स	27.	तेनी
4.	वेल्लोर टाउन	28.	चामराजनगर
5.	कुन्नूर	29.	उदूप्पी
6.	भद्रावती	30.	खंगाड
7.	आस्टिन टाउन (एसबीसीसेट)	31.	वरकला
8.	केंगेरी (एसबीसीसेट)	**दक्षिण मध्य रेलवे**	
9.	उदगमंडलम	1.	येरागुतला
10.	पेरमकुडी	2.	भद्राचलम रोड
11.	जोलारपेट्टई	3.	तुनी
12.	मानमदुरै	4.	महबूब नगर
		5.	नागर सोल

क्र.सं.	स्थान	क्र.सं.	स्थान
6.	नलगोंडा	12.	बोलनगीर
7.	मचिरियाल	13.	महासमुंद
8.	अन्नावरम	14.	आरडीसी आफिस/कटक
9.	श्रीकालाहस्ती	15.	जगदलपुर
10.	कावेली	16.	रायपुर टाउन
11.	चित्तौड़	17.	केसिंगा
12.	मिरयालगुडा	18.	छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर
13.	घाटप्रभा	19.	सिओनी
14.	बेल्लामपल्ली	20.	कोरापट
15.	अकिविडु	**पश्चिम रेलवे**	
16.	यादगीर	1.	वीरमगाम
17.	करवार	2.	माउंट आबू
18.	आदिलाबाद	3.	राजेंद्र नगर
दक्षिण पूर्व रेलवे		4.	सिरोही सिटी
1.	भंडारा रोड रेलवे स्टेशन	5.	रानी
2.	पासकुडा	6.	बैरगढ़
3.	शहडोल	7.	गोधरा
4.	तालचेर	8.	मारवाड़ जं.
5.	धेनकनाल	9.	ओखो
6.	कोलाघाट	10.	जवाईबंद
7.	बगनान	11.	दरंगधरा
8.	विष्णुपुर	12.	ब्यावर
9.	खास बोकारो	13.	भचाऊ
10.	कॅंद्रापारा टाउन	14.	दाहोद
11.	जयपुर–क्योंझर रोड		

क्र.सं.	स्थान	क्र.सं.	स्थान
15.	बिल्लीमोरा	19.	सिहोर
16.	सिलवासा	20.	झालावाड़
17.	जेड टीसी–उदयपुर (सेट)	21.	नारनौल
18.	वस्तापुर	22.	अमरेली

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा से गांवों का विद्युतीकरण

5556. श्रीमती जयश्री बनर्जी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में जबलपुर के जंगलों में बसे गैर–विद्युतीकृत सुदूरवर्ती गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु और सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(ग) कितने गांवों में इन संयंत्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और इसमें कितनी लागत लगेगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री **(श्री एम. कन्नप्पन)** : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने उपयुक्त अक्षय ऊर्जा प्रणालियों जैसे सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) रोशनियों तथा विद्युत संयंत्रों, लघु पनबिजली संयंत्रों और बायोमास गैसीफायर प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य सहित देशभर में दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में गांवों के विद्युतीकरण हेतु एक कार्यक्रम आरंभ किया है।

मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम (एमपीयूवीएन) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार जबलपुर प्रखंड के वन क्षेत्रों में 317 ऐसे गांव हैं जिन्हें अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। निजी घरों में रोशनी, टीवी तथा पंखे के लिए सौर घरेलू प्रणालियों और सड़क रोशनी, पेयजल आपूर्ति और लघु सिंचाई के लिए सामुदायिक प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से सौर ऊर्जा द्वारा ऐसे अधिकांश गांवों को विद्युतीकृत किया जा सकता है। विकल्प के रूप में इन सभी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए गांव में एक स्टैंड एलोन केन्द्रीकृत सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा सकती है। ऐसे विद्युत संयंत्रों की लागत 3.50–4.00 लाख रू. प्रति किलोवाट की श्रेणी में है। योजना के अनुसार ऐसी प्रणालियों तथा विद्युत संयंत्रों की स्थापना कुछ ऊपरी सीमाओं के अध्यधीन पूर्व–कार्य लागत का 50 प्रतिशत तक की अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा सहायता दी जा सकती है।

मंत्रालय को जबलपुर, मध्य प्रदेश में जंगल के दूरवर्ती गांवों के विद्युतीरण के लिए एमपीयूवीएन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मंत्रालय को जबलपुर और कटनी जिलों में नौं गांवों के संबंध में तैयार की गई एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा परियोजना की शेष लागत को पूरा करने के लिए इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया। राज्य सरकार ने अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने में असमर्थता प्रकट की है।

[अनुवाद]

फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध बकाया राशि

5557. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दूरदर्शन/आकाशवाणी के प्रत्येक फर्म/संगठन/कम्पनी/व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली हेतु बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि वसूली गई और प्रत्येक मामले में अभी कितनी राशि की वसूली की जानी शेष है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में बकाये की वसली हेतु क्या प्रयास किए गए;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान न वसूल किए जाने के कारण कुछ बकाया राशियों को माफ कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि माफ की गई; और

(च) इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के संबंध में विभिन्न निर्माताओं तथा एजेंसियों से बकाया देय (मूलधन राशि) 31.03.2002 के अनुसार रू 169.28 करोड़ है तथा वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

संबंधित वर्ष	राशि करोड़ रूपये में
1998–99	41.64
1999–2000	10.15
2000–2001	61.35
2001–2002	56.14
कुल	169.28

प्रत्येक एजेंसियों की ओर बकाया मूलधन को दर्शाने वाली विस्तृत सूची संलग्न विवरण में दी गई है। दूरदर्शन द्वारा चालू वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि की सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रसार भारती ने सूचना दी है कि यदि कम्पनियां बकाया भुगतान नहीं करती हैं तो दूरदर्शन समय–समय पर उनके प्रत्यायन दर्जे को निलम्बित कर देता है/वापस ले लेता है। बकाया राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :

1. मासिक मानीटरिंग की जाती है तथा बकाया देयों को चुकाने के लिए नियमित अनुस्मारक भेजे जाते हैं।
2. किसी दोषी एजेंसी/निर्माता को जब तक कोई नया कार्यक्रम/कार्यक्रमों का विस्तार प्रदान नहीं किया जाता है जब तक वे अग्रिम भुगतान को देने के लिए सहमत नहीं होते तथा सहमति भुगतान योजना को पूरा करने के लिए वचन नहीं देते।
3. यदि दोषी एजेंसियां भुगतान का पालन नहीं करती हैं तो उनके कार्यक्रमों का प्रसारण रोक दिया जाता है तथा उनके प्रत्यायन दर्जे को रद्द कर दिया जाता है/वापस ले लिया जाता है।
4. प्रत्यायन दर्जे के रद्द किए जाने/वापस लिये जाने पर एजेंसियों की बैंक गारंटियों को भुना लिया जाता है।
5. दूरदर्शन का राजस्व को सुरक्षित करने के लिए तथा साख अवधि को कवर करने के लिए बैंक गारंटी राशि बढ़ा दी गई है; तथा
6. कुछ मामलों में बकाया वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

आकाशवाणी प्रत्यायित एजेंसियों के जरिए विज्ञापन स्पाटों/प्रायोजकों/प्रायोजित कार्यक्रमों को स्वीकार करता है। दोषी एजेंसियों का प्रत्यायन दर्जे को अस्थाई रूप से निलम्बित कर दिया जाता है तथा देय का भुगतान हो जाने पर ही अग्रिम भुगतान पर बैंकिंग स्वीकृत की जाती है। यदि ऐसी कोई एजेंसी बकाया देयों को नहीं चुका पाती है तो इसकी बैंक गारंटी को भुना लिया जाता है। भुगतान में विवाद होने के मामले में, मामले को पंचाट के लिए भेज दिया जाता है तथा कुछ मामलों में देयों को वसूल करने के लिए सिविल मुकदमे भी दायर किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	एजेन्सी का नाम	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
1	2	3
1.	आलिया प्रोडक्शन	60
2.	एडवांस टीवी नेटवर्क	213
3.	एडवीजिन मल्टीमीडिया	17
4.	आनन्द एडवरटाइजिंग	140

1	2	3
5.	एशियन एड एज	27
6.	बी4यू मल्टी मीडिया	197
7.	बालाजी टेलीफिल्म	111
8.	बिधान एडवरटाइजिंग	11
9.	सिनेमा विजन	35
10.	क्लेरियन	6
11.	कनसेप्ट एडवरटाइजिंग	188
12.	कापी डेस्क	45
13.	कोरम कम्युनिकेशंस	18
14.	क्रिएटिव चैनल	28
15.	क्रिएटिव आई	1200
16.	दृष्टि इंडिया	294
17.	फेम कम्युनिकेशंस	1074
18.	फिल्म सिटी	26
19.	फिल्म क्राफ्ट	647
20.	फर्स्ट आप्सन टेलीफिल्म	41
21.	फ्यूचर कॉम	11
22.	जी.एन. कम्युनिकेशंस	25
23.	ग्लोबल इन्टरटेनर्स	93
24.	गवर्नमेण्ट ऑफ दिल्ली	6
25.	गुरुजी एडवरटाइजिंग	85
26.	एच एम टी	3
27.	एच टी ए	25
28.	इनोविजन फिल्म एंड टी वी	25
29.	जया एडवरटाइजिंग	49
30.	जोसलिन कम्युनिकेशंस	42
31.	किने स्कोप	70
32.	के.एल.आई	122
33.	लेहर पब्लिसिटी सर्विस	28
34.	मैजिक बाक्स	11
35.	मैग्ना विजन	108
36.	मार्केट मूवर्स	311
37.	माया इन्टरटेनमेन्ट	170
38.	एम बी एम	163
39.	मीडिया एशिया	146
40.	मौलिस एडवरटाइजिंग	2
41.	मल्टी चैनल	1102
42.	नीरजा फिल्मस	25
43.	नेटवर्ट 7	20
44.	एन एफ डी सी	4700
45.	निम्बस कम्युनिकेशंस	612
46.	न्यूमेरो यू एन ओ	1030
47.	पी एन सी	154
48.	पास इन्टरनेशनल	57
49.	पिंकी एडवरटाइजिंग	91
50.	प्लस चैनल	1012
51.	प्राइम टाइम मीडिया	20
52.	राधा पब्लिसिटी	16
53.	सागर इण्टरप्राइजिज	590
54.	संवाद	49
55.	श्री माधव	1156
56.	स्टार गेजर	13

1	2	3
57.	ट्रेशर एडवरटाइजिंग	33
58.	ट्रान्स लिंक टेलीविजन	24
59.	ट्राईटन कम्युनिकेशंस	31
60.	यूनिवर्सल	73
61.	यूरेनस	46
62.	विज्ञापन	3
63.	डब्ल्यू.डी.कन्ज्यूमर	8
64.	वर्ल्ड मीडिया	132
65.	वर्ल्ड कॉम एम/एम	58
	कुल	16928

चेन्नई के लिए रेल निगम

5558. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई के लिए पृथक रेल निगम स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है जहां "मास रैपीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम" चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पृथक निगम की स्थापना करना निम्नलिखित कारणों से अभी एक आवश्यक नहीं समझा गया है :

(i) चेन्नई बीच से तिरुमैलई तक का चरण–1 दक्षिण रेल सेवाओं से जुड़ी गाड़ी सेवाओं से परिचालित है।

(ii) तिरुमैलई से वेल्लाचेरी तक चेन्नई व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली के चरण–II का निर्माण रेलवे और तमिलनाडु राज्य सरकार के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। दोनों सरकार प्रणाली के निर्माण के लिए अपेक्षित धन मुहैया करा रही हैं। मौजूदा व्यवस्था से परियोजना संतोषजनक प्रगति कर रही है।

(iii) इस संबंध में राज्य सरकार कोई प्रस्ताव लेकर सामने नहीं आई है।

गिड्डालूर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज

5559. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री बी. वी. एन. रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–मध्य रेलवे के अंतर्गत गिड्डालूर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करने और प्लेटफार्म को और ऊपर उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनके लिए कितना आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू किए जाने का प्रस्ताव है और इन्हें पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) गिड्डालूर में प्लेटफार्म सं. 1 को रेल स्तर से निम्न स्तर पर उठाने का प्रस्ताव वर्ष 2002–03 के लिए क्षेत्रीय रेलवे के स्थानीय निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्लेटफार्म को ऊंचा करने की अनुमानित लागत 17.30 लाख रुपए है।

(ग) प्लेटफार्म ऊंचा करने में लगभग एक वर्ष लगेगा।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

5560. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर. एस. पाटिल :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

श्री शशि कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इकहरी एवं दोहरी विद्युतीकृत रेल लाइनों की राज्य–वार अलग–अलग कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई नयी रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों तथा साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा परियोजनावार मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में नई/चालू रेल परियोजनाओं तथा इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए आवंटन का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना–वार उपर्युक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) 31/3/2002 तक भारतीय रेलों पर 16001 मार्ग कि.मी. रेलपथ का विद्युतीकरण हो चुका है, राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है चूंकि आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) कर्नाटक सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान एक नई रेल परियोजना के लिए कोई नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) और (घ) कर्नाटक में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई है, परियोजना की स्थिति में उल्लेखनीय है।

(करोड़ रु. में)

क्र.स.	योजना	परियोजना	अनुमोदन का वर्ष	कि.मी.	प्रत्याशित लागत	मार्च 2002 तक प्रत्याशित खर्च	बजट परिव्यय 2002–2003	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नई लाइनें	गडवल–रायचूर	1998–99	60	108.91	0.75	1	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू किया जा रहा है।
2	नई लाइनें	हुबली–अंकोला	1996–97	167	997.58	14.65	20	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, शेष लंबाई के लिए राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण योजनाएं प्रस्तुत कर दी गई हैं। 1.8 कि.मी. लंबाई में मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है जहां कोई भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं है। खंड के शेष भाग पर कार्य भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा, मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों के लिए निविदाओं की जांच की गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	नई लाइनें	गुलबर्गा–बीदर	1997–98	140	242.42	0.64	15	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। योजनाएं एवं अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।
4	नई लाइनें	मुनीराबाद–महबूबनगर	1997–98	246	420.12	6.61	10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। गिनीगेरा छोर से 11 कि.मी. और महबूबनगर छोर से 15 कि.मी. (कुल 26 कि.मी.) के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। येरमारस और कृष्णा (16 कि.मी.) के बीच मिट्टी संबंधी और छोटे पुलों का कार्य प्रगति पर हैं। यह भाग येरमारस और कृष्ण के बीच दोहरी लाइन का कार्य करेगा।
5	नई लाइनें	हरपनहल्ली के रास्ते कोट्टूर–हरिहर	1995–96	65	124.03	0.21	7	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण की जांच की गई है। परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन के लिए लागत में भागीदारी के लिए कर्नाटक सरकार ने इच्छा जाहिर की है।
6	नई लाइनें	कडूर–चिकमंगलूर सकलेशपुर	1996–97	93	157	9 3	9	कडूर छोर से 8 कि.मी. और चिक–मंगलूर छोर से 5 कि.मी. में मिट्टी और छोटे संबंधी पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
7	नई लाइनें	हासन–बैंगलूरू	1996–97	166	412.91	56.77	8	हासन और श्रवणवेलगोला (40 कि.मी.) और बैंगलूरू से नीलामंगला (16 कि. मी.) के बीच भूमि उपलब्ध है। इन खंडों में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
8	नई लाइनें	बैंगलूरू–सत्यमंगलम	1997–98	260	225	0.28	0.25	बैंगलूरू से चामराज नगर तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। शेष भाग में कार्य प्रगति पर है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के पूरा होने और संरेखण तैयार होने के बाद भूमि अधिग्रहण सबंधी योजनाएं तैयार की जाएंगी।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	आमान परिवर्तन	सोलापुर (होटगी–गदक)	1993–94	330	263.91	136.61	20	कार्य चरणों में किया जा रहा है। सोलापुर–होटगी (16 कि.मी.) और होटगी से बीजापुर (96 कि.मी.) पूरा हो गया है। बीजापुर से गदक शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है। शेष कार्य के तेजी से शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से क्राइड्स के जरिए वित्त पोषण की कोशिश की जा रही है।
10	आमान परिवर्तन	मैसूर–चामराज नगर	1997–98	148	175	0.1	15	योजनाएं एवं अनुमानों की तैयारी शुरू कर दी गई है।
11	आमान परिवर्तन	बैंगलूरू–हुगली–विरूर–शिमोगा	1992–93	630	429.95	418.32	0.01	बैंगलूरू–हुगली और विरूर और शिमोगा पूरे हो गए हैं और चालू कर दिए गए हैं। शिमोगा–तलगुप्पा (97 कि. मी.) पर कार्य प्रगति पर है।
12	आमान परिवर्तन	हरषिकेरे–हसन–मैंगलोर	1994–95	236	325.93	168.66	45	हरषिकेरे–हसन–सकलेशपुर पूरा हो गया है। शेष लंबाई में कार्य प्रगति पर है। मंगलौर–कावकपुत्तुर (40 कि. मी) के 2002–2003 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। कार्य तेजी से पूरा करने के लिए क्राइड के जरिए वित्त पोषण की कोशिश की जा रही है।
13	आमान परिवर्तन	मैसूर–हसन	1995–96	119	193.39	184.84	0.01	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
14	आमान परिवर्तन	येहलंका–चिक–बल्लापुर–कहीं कहीं आमान परिवर्तन और कोलार–बंगारपेट–छो.ला. से ब.ला.	1994–95	61.9	57.54	57.5	0.01	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
15	आमान परिवर्तन	यशवंतपुर–सेलम	1995–96	197	176.29	175.81	0.01	कार्य पूरा हो गया है। बहरहाल हबीवल और लिंगराजपुरम में ऊपरी सड़क पुल पर जनआंदोलन के कारण बयानपन–हल्ली–यशवंतपुर चालू नहीं हो सका। राज्य सरकार ने इसके शीघ्र चालू करने की सिफारिश की है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	दोहरीकरण	हौसपेट–गुंतकल	1996–97	115	159.1	25.13	38.35	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। हौसपेट और बेल्लारी के बीच मिट्टी और पुल संबंधी निविदाओं की जांच की गई है।
17	दोहरीकरण	केन्गेरी–रामनगरम	1997–98	32	45	0.04	9.01	कार्य को निम्न प्राथमिकता दी गई थी। बहरहाल कर्नाटक सरकार ने कार्य की लागत का 2/3 भाग शेयर करने की पेशकश की है।
18	दोहरीकरण	यशवंतपुर–तुमकुर	1997–98	64	91.82	5.32	5	यशवंतपुर और गोलाहल्ली के बीच दो पहुंच मार्गों के बीच मिट्टी और पुलों और सिगनल एवं दूरसंचार कार्यों के लिए ठेके प्रदान कर दिए गए हैं।
19	दोहरीकरण	बैंगलूरू–व्हाइट–फील्ड–बैंगलूरू सिटी–कृष्णाराज–पुरम	1997–98	23	85	0.01	0.01	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने के बाद कार्य शुरू कर लिया जाएगा।
20	दोहरीकरण	व्हाइटफील्डकुप्पम	1992–93	81	162.23	75.54	15	कार्य प्रगति पर है और प्रथम चरण में व्हाइटफील्ड से बंगारपेट (47 कि. मी.) पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। अगले 19 कि.मी. खंड के 2002–2003 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
21	दोहरीकरण	बैंगलूरू–केंगेरी विद्युतीकरण सहित	1995–96	12.5	20.73	0.68	5.01	कार्य को निम्न प्राथमिकता दी गई थी। कर्नाटक सरकार ने कार्य की लागत का 2/3 भाग शेयर करने की पेशकश की है। कार्य शुरू करने के लिए योजना बनाई जा रही है।

आयुध कारखानों द्वारा चुकाया गया बिक्रीकर

5561. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाडमल जैसे कुछ आयुध कारखानों ने स्थानीय बिक्रीकर प्राधिकारियों के यहां पंजीकरण नहीं कराया है और अतिरिक्त बिक्री कर का भुगतान किया है, जैसा कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी 1999 की रिपोर्ट संख्या 7 के पृष्ठ 101 पर पैरा 64 में उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच कर ली गई है और सरकार को राजस्व की परिहार्य हानि पहुंचाने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अब यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी रक्षा संस्थापनाएं स्थानीय बिक्री कर प्राधिकारियों के यहां पंजीकृत हों;

(घ) क्या रक्षा संस्थापनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की यह सुनिश्चित करने के लिए अति आवश्यकता है कि वे इस प्रकार कार्य करें जिससे सरकारी खर्च में अधिकतम बचत हो और सुगम कार्यकरण के मार्ग में आने वाले नियम एवं विनियम संशोधित हों; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) आयुध निर्माणी बडमाल सहित सभी आयुध निर्माणियां बिक्री कर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हैं। तथापि, बिक्री कर प्राधिकारियों के साथ लंबे पत्राचार के बाद ही आयुध निर्माणी बडमाल 25 जुलाई, 1998 को बिक्री कर पंजीकरण प्राप्त कर सकी। परिणामतः आयुध निर्माणी बडमाल को अतिरिक्त बिक्री कर का भुगतान करना पड़ा था।

(घ) और (ङ) रक्षा स्थापनाओं की कार्यप्रणाली की पुनरीक्षा करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

न्यायपालिका में अनु.जा/अनु.ज.जा. के न्यायाधीश

5562. श्री बी. के. पार्थसारथी :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यायपालिका में अनु.जा. और अनु.ज.जा. के न्यायधीश बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के लिए तथा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र के विभिन्न न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने न्यायाधीश नियुक्त किये गये?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 के अधीन की जाती हैं, जिनमें व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। अतः भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है और तद्नुसार उसने समय-समय पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखे हैं कि वे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए बार से उपयुक्त अभ्यर्थियों का पता लगाए। उन्हें अंतिम बार तारीख 15 मार्च, 2002 को स्मरण कराया गया था

शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची की मदों में से एक मद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने और आचार संहिता बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक का गठन करना है। सरकार इन विषयों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए आयोग की स्थापना के विचार के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए भारत के संविधान में संशोधन अपेक्षित होगा।

न्यायिक सुधारों संबंधी प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन सम्मिलित है। नए सृजित राज्यों और उच्च न्यायालयों के साथ आवश्यक विचार विमर्श प्रगति पर है।

बिहार में पावर ग्रिड की स्थापना

5563. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार के विभाजन के बाद शेष बिहार को बचाने के लिए किसी पावर ग्रिड की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है और इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) बिहार के विभाजन के बाद भी ग्रेड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिहार की केन्द्रीय क्षेत्र की मौजूदा एवं नियोजित पारेषण प्रणाली पर्याप्त है। पावर ग्रिड द्वारा निम्नलिखित स्कीमें शुरू की गई हैं/शुरू की जा रही हैं :

1. उत्तरी बिहार में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के लिए बिहारशरीफ–बेगुसराय लाइन का हाथीदी रिवर क्रासिंग भाग

   अनुमानित लागत : लगभग 12 करोड़ रु.

   स्थिति : पूरा हो चुका है।

2. मौजूदा पूर्णिया उप–केन्द्र का संवर्धन : इसमें 100 एमबीए के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर तथा पूर्णिया–ढालकोल लाइन, पूर्णिया (पावर ग्रिड) में और इसके बाहर लूप की संस्थापना शामिल है। इससे पूर्णिया में केन्द्रीय क्षेत्र को और अधिक विद्युत प्राप्त होने से उत्तरी बिहार में विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुधरेगी।

   अनुमानित लागत : लगभग 10 करोड़ रु.

   स्थिति : निर्माणाधीन, जून 2002 तक पूरा होने की आशा।

3. पूर्णिया में 400 केवी के बोंगाई गांव–मालदा लाइन के साथ 400 केवी का उप--केन्द्र, जो पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वोतर क्षेत्र में बड़े विद्युत स्टेशनों से उत्तरी बिहार को जोड़ेगा।

   अनुमानित लाग : लगभग 10 करोड़ रु.

   स्थिति : निर्माणाधीन, अक्टूबर 2002 तक पूरा होने की आशा है।

4. 220/132 केवी के साथ 220 केवी डी/सी सासाराम–आरा–खगौला लाइन की स्थापना, आरा में 2×100 एमबीए का उप–केन्द्र 400/220 केवी लाइन की अधिष्ठापना, सासाराम में 2×315 एमबीए ट्रान्सफार्मर की अधिष्ठापना, और तीसरी 315 एमबीए, बिहारशरीफ में 400/220 केवी का ट्रान्सफार्मर तथा सोन–पार क्षेत्र और पटना क्षेत्र में विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए 220 केवी एस/सी का लिलो।

   अनुमानित लागत : लगभग 163 करोड़ रु.

   स्थिति : निवेश निर्णय के अधीन।

5 बिहार के लिए भार प्रेषण केन्द्र की स्थापना (पूर्वी क्षेत्र में यूएलडीसी स्कीम के अंश के रूप में)

   अनुमानित लागत : लगभग 60 करोड़ रु.

   स्थिति : क्रियान्वयनाधीन। दिसम्बर, 2004 तक पूरा होने की आशा है।

6 400 केवी डी/सी का पूर्णिया–मुजफ्फरपुर लाइन श्रेणीवार क्षतिपूर्ति के साथ : ताला पारेषण प्रणाली के भाग के रूप से जिससे उत्तरी बिहार शेष पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड से सुगमता एवं सुदृढ़ता के साथ अंतःसंयोजित हो सकेगा।

   अनुमानित लागत : लगभग 600 करोड़ रु.

   स्थिति : निवेश अनुमोदन के अधीन।

7 ताला अनुपूरक स्कीम के भाग के रूप में 400 केवी डी/सी बिहारशरीफ–मुजफ्फरपुर लाइन

   अनुमानित लागत : लगभग 115 करोड़ रु.

   स्थिति : निवेश अनुमोदन के अधीन।

8 बिहार एवं उत्तरी क्षेत्र को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति करने के लिए 400 केवी डी/सी कहलगांव–बिहारशरीफ गांव

   अनुमानित लागत : लगभग 134 करोड़ रु,

   स्थिति : अप्रैल, 2004 तक पूरा होने की आशा है।

[हिन्दी]

रूस का दौरा

5564. श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उन्होंने रूस दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या उनके दौरे के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल में भारत एवं रूस के बीच सैन्य एवं तकनीकी सहयोग संबंधी विशेषज्ञों की कोई बैठक हुई थी; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा मंत्री ने रूसी संघ के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर 10 से 13 अप्रैल, 2002 तक रूसी संघ का सरकारी दौरा किया थ।। दौरे के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग और भारत तथा रूसी संघ के बीच रक्षा संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के उपायों से संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श किया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं.।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक समय की अव्यवस्था

5565. श्री कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टैस्ट लेखा परीक्षा के दौरान प्रसारण अधिकारों विपणन व्यवस्थाओं, लेखांकन एवं वाणिज्यिक समय की बिलिंग शुल्क व्यवस्थापन और राजस्व बंटवारे की प्राप्ति के दौरान गंभीर खामियों की तरफ ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रकार की गंभीर खामियों पर ध्यान देने एवं राजस्व की इतनी अधिक मात्रा में हो रही हानि को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई/किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या 1998 में स्थापित स्पोर्ट्स मार्केटिंग कन्जोर्टियम एक दोषपूर्ण व्यवस्था थी क्योंकि यह दूरदर्शन के हितों की रक्षा करने में विफल रही;

(घ) क्या वाणिज्यिक समय की लक्ष्य से कम बिक्री, अवसर मूल्य की हानि देय की वसूली न होने, अधिकारों की प्राप्त में हेराफेरी होने और अस्वीकार्य वापसी के भुगतान के कारण इस व्यवस्था के जरिये 140.88 करोड़ रुपये की हानि हुई;

(ङ) यदि हां, तो इसमें सम्मिलित अधिकारियों के नाम सहित दूरदर्शन को हो रही इतनी अधिक हानि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार का इतनी अधिक हानि की किस तरह भरपाई करने और भविष्य में इस प्रकार की हानि को रोकने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (च) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (सी ए जी) ने इसकी मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष की संघ सरकार (सिविल) रिपोर्ट (2001 की कारोबार लेखा परीक्षा की सं. 2) में दूरदर्शन के वाणिज्यिक कारोबार में हुई अनियमितता का उल्लेख किया है जिसके कारण दूरदर्शन को 140.88 करोड़ रु. का घाटा हुआ है। लोक लेखा समिति ने नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के उपरोक्त पैरा को विस्तृत जांच के लिए ले लिया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दर्शाए गए कुछ वाणिज्यिक कारोबार की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। दोषी पाये जाने पर अधिकारियों के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

स्वदेशी डीजल इंजनों का उत्पादन

5566. योगी आदित्यनाथ :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न कारखानों में कितने डीजल रेल इंजनों का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इन डीजल इंजनों के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी कलपुर्जे स्वदेशी हैं;

(ग) यदि नहीं, तो देश में ही शेष कलपुर्जों के उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) स्वदेशी कलपुर्जों द्वारा निर्मित रेल इंजन कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) देश में डीजल रेल इंजन (लोकोमोटिव) डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में विनिर्मित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विनिर्मित किए गए डीजल रेल इंजन निम्नानुसार हैं :

वर्ष	रेल इंजनों की संख्या
1999–2000	137 (गैर–रेल ग्राहकों के लिए 5 रेल इंजनों सहित) (एनआरसी)
2000–2001	103 (निर्यात के लिए 5 रेल इंजन और एनआरसी के लिए 3 रेल इंजनों सहित)
2001–2002	102 (निर्यात के लिए 8 रेल इंजनों सहित)

(ख) जी, हां।

(ग) स्वदेशीकरण एक सतत प्रक्रिया है। स्वदेशीकरण में तेजी लाने के लिए विक्रेताओं से बातचीत और व्यापार मेला इत्यादि के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है।

(घ) कतिपय अत्याधुनिक कलपुर्जे के सम्बन्ध में धन संबंधी और भारी निवेश की आवश्यकता के कारण पूर्ण स्वदेशीकरण मे रुकावट उत्पन्न होती है, जब कभी नए किस्म के रेल इंजन को सेवा में लगाया जाता है तो अनुमानतः 10 वर्षों की अवधि के भीतर चरणबद्ध आधार पर शेष मदों के स्वदेशीकरण के लिए प्रयास किए जाते हैं।

उत्तरी गुजरात में विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

5567. श्री मानसिंह पटेल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तरी गुजरात में विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डीवीसी के ताप विद्युत स्टेशनों का बंद होना

5568. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा विहित किये गये मानकों के अनुरूप न होने के कारण दामोदर वैली कारपोरेशन के अन्तर्गत कितने ताप विद्युत स्टेशन बंद पड़े हैं;

(ख) इन ताप विद्युत स्टेशनों के बंद होने के कारण सरकार को हो रही वित्तीय हानि का मासिक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताप विद्युत स्टेशनों के बंद होने के पूर्व किसी वैकल्पिक पद्धति के द्वारा संयंत्र के सुगम कार्यकरण संबंधी कोई निर्णय लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) दामोदर वैली कारपोरशन का बोकारो ए थर्मल पावर स्टेशन (3×45 मेगावाट + 1×40 मेगावाट) प्रदूषण नियन्त्रण उपायों के अभाव में जुलाई 2000 से बंद है। इन यूनिटों को स्थापना के समय उपलब्ध टेक्नोलाजी के अनुसार मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर के साथ स्थापित किया गया था। चिमनियों से अनुमानित सीमाओं से अधिक उत्सर्जन के परिणामस्वरूप डीवीसी

ने प्रथम तीन यूनिटों को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इसके अलावा डीवीसी ने राज्य तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनुरोध किया है कि वे कम से कम इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपेटर्स (ईएसपी) ने ईएसपी की स्थापना के बिना इन यूनिटों में से किसी के प्रचालन की अनुमित नहीं प्रदान की। इन सभी यूनिटों ने अपनी आर्थिक लाभ प्रदता का समय पूरा कर लिया है और सीपीसीबी ने इन्हें प्रचालन हेतु ठीक नहीं पाया। अतएव संयंत्र के अप्रचालन के कारण वित्तीय हानि का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क का विस्तार

5569. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दसवीं योजनावधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर में नई/चालू परियोजनाओं का उन पर आने वाली लागत एवं उनके पूरा करने हेतु निर्धारित लक्ष्य सहित ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही रेल परियोजनाएं, उनकी स्थिति और लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नई परियोजनाओं पर परिचालनिक और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

विवरण

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	योजना	परियोजना	अनुमोदन का वर्ष	कि.मी.	प्रत्याशित लागत	मार्च 2002 तक प्रत्याशित खर्च	बजट परिव्यय 2002-2003	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नई लाइनें	न्यू मैनागुडी-जोगीघोपा	2000-01	245	733	2.02	8	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है और रिपोर्ट दिसम्बर, 2002 तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है।
2	नई लाइनें	हरमुती-ईटानगर	1996-97	22	156	0.04	4	हलेम से ईटानगर (45 कि.मी.) तक वैकल्पिक संरेखण के लिए सर्वेक्षण पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर स्वीकृत किया गया था। बहरहाल अब राज्य सरकार ने शुरूआती स्थान हलेम के बजाय बेदेती करने का प्रस्ताव किया है और अब सर्वेक्षण बेदेती से ईटानगर तक किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	नई लाइनें	दिफू–करोंग चरण 1	1997–98	123	1600	0.01	4	मणिपुर सरकार के अनुरोध पर इम्फाल को जोड़ने के लिए वैकल्पिक संरेखण के रूप में जीरीबाम–इम्फाल के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध होने के पश्चात आगे निर्णय लिया जाएगा।
4	नई लाइनें	डिब्रूगढ़ और नार्थ बैंक लाइन के बीच संपर्क लाइनों सहित बोगीबिल पुल	1997–98	46	1500	3.03	40	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रेलवे को इकहरी लाइन के लिए रिपोर्ट पुनः तैयार करने को कहा गया है। मिट्टी संबंधी, भूमि अधिग्रहण, शिलांखड आपूर्ति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए आंशिक अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए कागजात राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं। शिलाखंडों की आंशिक आपूर्ति और पहुंच मार्गों पर मिट्टी संबंधी कार्य के लिए ठेके दे दिए गए हैं।
5	नई लाइनें	कुमारघाट–अगरतल्ला	1996–97	109	895	200.94	80	कुल 1950 एकड़ भूमि में से 1860 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। संपूर्ण लंबाई में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। सुरंगों के लिए विस्तृत जांच प्रगति पर है। कुमारघाट–मनु (21 कि.मी.) 2002–2003 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
6	नई लाइनें	दूधनोई–देपा	1992–93	15.5	22.33	0.52	0.01	भूमि अधिग्रहण के लिए कागजात जुलाई 1997 में प्रस्तुत कर दिए गए थे। बहरहाल, मेघालय सरकार ने स्थानीय जनता के विरोध के कारण इस परियोजना के लिए अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। भूमि उपलब्ध होने पर ही इस परियोजना का कार्य शुरू किया जाएगा।
7	आमान परिवर्तन	जोगीघोपा–गुवाहाटी	1983–84	142	710.61	556.7	5	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	आमान परिवर्तन	कटकल–भैराबी	1997–98	84	200	0.0001	1	लंबडिंग–सिलचर पूरा होने के अग्रिम चरण पर कार्य शुरू किया जाएगा।
9	आमान परिवर्तन	न्यू जलपाईगुडी–सिल्लीगुडी–न्यू बोंगईगांव	1997–98	280	523.82	277.49	122	मिट्टी, पुल और अन्य कार्य प्रगति पर हैं। कार्य के 2003–2004 के दौरान पूरा किए जाने की योजना है।
10	आमान परिवर्तन	लम्बडिंग–सिलचर बदरपू से भरिया–ग्राम तक एम एम विस्तार सहित	1996–97	248	1596.7	114.65	70	लम्बडिंग से डिटोकचेड़ा के बीच 365 हेक्टेयर भूमि में से 322 हेक्टेयर भूमि प्राप्त कर ली गई है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। डिटोकचेड़ा–चंद्रनाथपुर के बीच सुरंग के लिए निविदाओं पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
11	आमान परिवर्तन	संपर्क लाइनों सहित लम्बडिंग–डिब्रूगढ़	1993–94	628	758	716.8	1.99	पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं

5570. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां इस समय टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उन स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव है जहां पर इस समय ये सुविधाएं नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी, स्टेशनवार, ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) महाराष्ट्र में निम्नलिखित स्टेशनों में कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं हैं :

(i) छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई

(ii) कुर्ला

(iii) दादर

(iv) कल्याण

(v) रोहा

(vi) पुणे

(vii) भुसावल

(viii) मनमाड़

(ix) चालीसगांव

(x) खामगांव

(xi) बडनेरा

(xii) नागपुर

(xiii) शोलपुर

(xiv) दौंड

(xv) वाडी

(xvi) गोंदिया

(xvii) मुंबई सेंट्रल

(xviii) बांद्रा टर्मिनस

(xix) मिरज

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वे स्टेशन जहां पर पहले ही टर्मिनल सुविधाएं है, राज्य में यातायात के मौजूदा स्तर को सम्हालने के लिए पर्याप्त हैं।

पेट्रोल पंपों के विरुद्ध शिकायतें

5571. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विशेषकर उत्तर प्रदेश के कितने पेट्रोल पंपों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) वर्ष 2001–2002 के दौरान देश में विभिन्न अनियमितताओं के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के विरुद्ध 176 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 14 उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। इन शिकायतों की तत्काल जांच की गई और जब कभी भी शिकायत साबित हुई तो दोषी डीलर के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/और अथवा डीलरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बौद्धिक संपदा अधिकार

5572. श्री एस. अजय कुमार :
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय न्यायपालिका को यह बात बताई जाने की आवश्यकता है कि वह बौद्धिक संपदा अधिकार के संकल्पनात्मक स्तर पर बात करे और सूचना प्रौद्योगिकी में हुए नए विकासों को अद्यतन करे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार और न्यायपालिका दोनों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में जानकारी और शिक्षा के साथ ही न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में हाल ही में हुई प्रगति की आवश्यकता के बारे में अद्यतन जानकारी है।

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से लिंग के आधार पर अन्याय, मानव अधिकारों, आदि जैसे नए और विकासशील क्षेत्रों के संबंध में न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समय–समय पर अनुरोध किया जाता रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, न्यायिक अधिकारियों को बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षण दिए जाने पर भी विचार कर रही है।

केन्द्रीय सरकार न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण को उच्च पूर्विकता प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र ने देश में उच्चतम न्यायालय, 18 उच्च न्यायालयों और 430 जिला न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया है। उच्चतम न्यायालय में कम्प्यूटरीकरण को अद्यतन किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई के चार प्रमुख महानगरों में नगर सिविल न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की एक अग्रणी परियोजना आरंभ की है जिसमें मामले की स्थिति की जानकारी वाले कम्प्यूटरीकृत पूछताछ और सुविधाकेन्द्रों की स्थापना करना, मुकदमा सूचियों का तैयार किया जाना, मामलों को फाइल और सूचीबद्ध करना, कम्प्यूटरों के माध्यम से प्रमाणित प्रतियां तैयार करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेलों में विचारणाधीन कैदियों की न्यायालय द्वारा सुनवाई करना, आदि जैसी कम्प्यूटरीकरण की नवीन विशेषताएं हैं। कम्प्यूटरीकरण की परियोजनाएं निरपवाद रूप से प्रशिक्षण का अंग है।

नीलांचल इस्पात निगम का उत्पादन

5573. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीलांचल इस्पात निगम की प्रत्येक श्रेणी में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपर्युक्त संयंत्र की संस्थापना के बाद कितने प्रतिशत प्लांट लोन फैक्टर प्राप्त किये जाने पर विचार किया गया है;

(ग) क्या स्टील के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्पाद के विविधीकरण का कोई प्रस्ताव है और इस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन की शुरूआत किये जाने से पहले ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) नीलांचल इस्पात निगम लि. (एन आई एन एल) के थमन भट्टी कॉम्प्लैक्स को फरवरी, 2002 में चालू किया गया था। 2001– 2002 के दौरान संयंत्र ने विभिन्न श्रेणियों के 26,500 टन कच्चे लोहे का उत्पादन किया और चालू किए जाने से अब तक 11,300 टन कणीकृत धातुमल का उत्पादन किया।

(ख) एन आई एन एल जैसे एकीकृत इस्पात संयंत्र से प्लांट लोन फैक्टर (पी एल एफ) जैसा कोई शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। 2002–03 में प्रचालन के प्रथम पूरे वर्ष के दौरान एन आई एन एल ने धमन भट्टी की निर्धारित क्षमता की 65% क्षमता उपयोगिता का अनुनान लगाया है।

(ग) और (घ) उत्पाद मिश्र का चयन परिवर्तित होती रहने वाली स्थिति है और बाजार शक्तियों पर निर्भर करती है। मौजूदा बाजार परिदृश्य में एन आई एन एल ने भी यह कार्य ि है।

सिम्हाद्री और समरलकोटा विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन

5574. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिम्हाद्री और समरलकोटा विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन ठप्प हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) एनटीपीसी कोयला आधारित सिम्हाद्री विद्युत परियोजना (2 x 500 मेगावाट) की 500 मेगावाट की प्रथम यूनिट को 22.2.2002 को समकालिक बनाया गया और बाद में 20.3.2002 को कोयला पर और अब यह स्थायित्व के चरण में है। यूनिट दी गई समय सीमा अर्थात 180 दिन के भीतर स्थापित होने का अनुमान है। अब तक यूनिट ने 30 मिलियन यूनिट (मि. यू.) का उत्पादन किया है। परियोजना की दूसरी यूनिट दिसम्बर 2002 तक समकालिक होने की संभावना है।

बीएसईएस आन्ध्र प्रदेश पावर लि. द्वारा निष्पादित की जा रही गैस आधारित विद्युत परियोजना अर्थात समरलाकोटा (पेड्डापुरम) की गैस टरबाइन यूनिट (142 मेगावाट) को 26.1.2002 क समकालिक बनाया तथा 25 अप्रैल, 2002 तक हमने 112 मि. यूनिट का उत्पादन किया। परियोजना की स्टीम टरबाइन यूनिट (78 मेगावाट) को मई 2002 तक समकालिक बनाए जाने की सम्भावना है।

सिनेमा अधिनियम, 1952 में संशोधन

5575. श्रीमती कान्ति सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा अधिनियम, 1952 की धारा 5ख में संशोधन किए जाने की मांग है ताकि सेक्स एवं रोमांस, तथा किसी भी रूप में हिंसा करने की प्रवृत्ति भड़काने तथा लूटपाट, चोरी और अपहरण तथा मदिरापान आदि की योजना वाली फिल्मों को लोक प्रदर्शन संबंधी प्रमाण–पत्र प्रतिबंधित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संशोधन किए जाने वाले विधेयक के कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) चलचित्रकी अधिनियम, 1952 की धारा 5बी की उपधारा (2) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाणन दिशानिर्देशों के साथ–साथ (i) महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अतिक्रमण जैसे बलात्मकार का प्रयास, बलात्कार अथवा किसी

भी प्रकार की छेड़छाड़ से संबंधित दृश्यों; (ii) लैंगिक दुराग्रह दर्शाने वाले दृश्य; (iii) अपराधियों की कार्य विधि को दर्शाने वाले दृश्यों, दूसरे दृश्य अथवा अपराध करने के लिए भड़काने वाले शब्दों; और (iv) मदिरा सेवन को उपयुक्त दर्शाने वाले या महिमा मंडित करने वाले दृश्यों को पहले से ही हतोत्साहित किया गया है। विधि आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य (सचिव) श्री पी. एम. बक्शी की अध्यक्षता में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित कुछ कानूनों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। चलचित्रकी अधिनियम 1952 की समीक्षा भी इस विशेषज्ञ समिति के कार्यक्षेत्र में आती है।

प्रगति संबंधी कार्य की मॉनीटरिंग

5576. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों पर यह दबाव डाला है और उनसे यह अनुरोध किया है कि वे विद्युत क्षेत्र में अपने उपक्रमों की चालू विद्युत परियोजनाओं के साप्ताहिक आधार पर कार्य की प्रगति की मानीटरिंग करें;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार की सलाह पर अमल किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन से राज्य ढिलाई बरत रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) विद्युत परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए विशेष सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में विद्युत परियोजना मॉनीटरिंग समिति नामक एक स्थायी समिति गठित की गई है। सभी संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक (सीएमडी), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के संबंधित सदस्य एवं विद्युत मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव समिति के अन्य सदस्य हैं। समिति मासिक आधार पर सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करती है।

राज्य एवं निजी क्षेत्र से समुचित प्रतिक्रिया प्राप्त करने तथा विद्युत परियोजना मॉनीटरिंग समिति की सहायता के लिए सदस्य (आयोजना) के अधीन के.वि.प्रा. में एक उप-समिति गठित की गई है। उप-समिति की सहायता के लिए के.वि.प्रा. के मुख्य अभियंताओं के नेतृत्व में क्षेत्र विशिष्ट टीम भी गठित किए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की परियोजना मॉनीटरिंग समिति गठित करें।

[हिन्दी]

दूरदर्शन और आकाशवाणी में अनु.जा./ अनु.ज.जा. के लिए रिक्त पद

5577. श्री रामशकल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन/आकाशवाणी में श्रेणीवार एवं केन्द्रवार अनु.जा./अनु.ज.जा. से संबंधित कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों पर आरक्षण के मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) श्रेणी-वार कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रक्षा क्षेत्र को आवंटन

5578. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा क्षेत्र को वास्तविक आवश्यकता के मुकाबले कितना आवंटन किया गया;

(ख) क्या वर्ष दर वर्ष रक्षा खर्च में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रक्षा क्षेत्र पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार नयी पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के प्रथम चार वर्षों के दौरान वास्तविक रक्षा व्यय तथा वर्ष 2001–2002 के लिए संशोधित प्राक्कलन की राशि 2,28,868.24 करोड़ रुपए थी :

वर्ष	वास्तविक व्यय
1997–98	35,277.99 करोड़ रुपए
1998–99	39,897.58 करोड़ रुपए
1999–2000	47,070.63 करोड़ रुपए
2000–2001	49,622.04 करोड़ रुपए
2001–2002	57,000.00 करोड़ रुपए (संशोधित प्राक्कलन)

(ख) और (ग) रक्षा सेवाओं के बाध्यकारी प्रभारों, आवश्यक अनुरक्षण आवश्यकताओं तथा आधुनिकीकरण की जरूरतों में सामान्य वृद्धि के कारण रक्षा व्यय वर्ष–दर–वर्ष बढ़ रहा है।

(घ) इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

संकरी लाइनों को पुनः शुरू किया जाना

5579. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के प्रतिनिधियों ने बंद पड़ी संकरी लाइनों के पुनः शुरू करने और आनन्द–खम्भात रेलवे लाइन पर 'डीईएमयू' सेवा की गति बढ़ाए जाने और उस लाइन पर बोगियों की संख्या बढ़ाये जाने और इस मार्ग पर करमसाद रेलवे स्टेशन को पुनः शुरू करने हेतु अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चेवरॉन को कच्चे तेल की बिक्री

5580. श्री मंजय लाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड को चेवॅरान को कच्चे तेल की अपनी वस्तुसूची बिक्री में घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घाटे के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) प्रचालन संबंधी कारणों की वजह से मार्च, 2002 के दौरान आई ओ सी द्वारा पहले खरीदे गये लगभग 500,000 बैरल (लगभग 69 हजार मीट्रिक टन) दुबई क्रूड तेल के एक कार्गों को इंडियन आयल कारपोरेशन ने बेचा। कार्गों के निपटान से आई ओ सी को लगभग 14,500 अमेरिकी डालर का लाभ होगा।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु गुजरात की ओर से प्रस्ताव

5581. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी एजेंसियों की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) ऐसे अनापत्ति प्रमाणपत्रों के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) कच्छ स्थित गुजरात विद्युत बोर्ड की लिग्नाइट टी पी एस (यूनिट–4) के संबंध में केवल ईंधन उपलब्धता प्राप्त किया गया है। अन्य स्वीकृतियों उदाहरणार्थ भूमि उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 29(3) के अन्तर्गत अनुपालना इत्यादि प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) पश्चिमी क्षेत्र में दसवीं योजना के दौरान चालू की जाने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते समय प्रस्तावित कच्छ लिग्नाइट विद्युत परियोजना के संबंध में मामले पर 8.1.2002 को चर्चा की गई है। शेष सूचनाओं/स्वीकृतियों पर तेजी से कार्रवाई किए जाने हेतु मै. गुजरात विद्युत बोर्ड से अनुरोध किया गया है।

एच पी सी एल के लाभ में कमी

5582. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच पी सी एल ने अक्तूबर–दिसम्बर, 2001 से एक तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 82 प्रतिशत कमी दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एच पी सी एल के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। निवल लाभ में कमी इस अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तरराष्ट्रीय क्षमता कीमत में अत्यधिक ह्रास के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप इन्वेन्ट्री और निवल बिक्री के मूल्य में कमी हुई, रिफाइनरी लाभों में कमी हुई और लेखाकरण मानक–22 के अनुपालन में आस्थगित कर का प्रावधान करना पड़ा।

(ग) चौथी तिमाही में पेट्रोलियम उत्पादों की अन्तरराष्ट्रीय कीमतों में कमी नहीं हुई थी इसलिए स्थिति में सुधार आया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कार्यनिष्पादन

5583. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की कार्मिक शक्ति, उत्पादन, उत्पादकता, ऊर्जा उपभोग का वर्ष–वार, यूनिट–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की वित्तीय स्थिति क्या है;

(ग) क्या कार्मिक शक्ति में कमी और घाटे में वृद्धि हुई; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का औचित्य क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सेल की जन शक्ति, उत्पादन, उत्पादकता, ऊर्जा खपत का वर्षवार, इकाईवार विवरण नीचे दिया गया है–

जनशक्ति

संयंत्र	31.3.2000	31.3.2001	31.3.2002
1	2	3	4
भिलाई इस्पात संयंत्र	44730	44060	42158
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	21039	20633	19641
राउरकेला इस्पात संयंत्र	28301	27651	26052
बोकारो इस्पात संयंत्र	43401	42597	40025
मिश्र इस्पात संयंत्र	3846	3793	3340
सेलम इस्पात संयंत्र	1550	1538	1466
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	4679	4399	3325
कच्चा माल प्रभाग	7014	6490	6172
केन्द्रीय कोयला आपूर्ति संगठन	*	224	217
केन्द्रीय विपणन संगठन	3172	3131	3032
अनुसंधान और विकास केन्द्र, लोहा और इस्पात	865	856	827
इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी केन्द्र	390	383	370
प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान	116	112	111
निगमित कार्यालय	737	754	769
विकास प्रभाग के ओ एल	36	35	33
पर्यावरण प्रबंध प्रभाग	48	47	47

1	2	3	4
सुरक्षा	16	16	16
सेल	159940	156719	147601

*1999–2000 के दौरान सी सी एस ओ की जनशक्ति आर एम डी में शामिल थी।

विक्रेय इस्पात उत्पादन

इकाई : हजार टन

संयंत्र	1999–2000	2000–01	2001–02
भिलाई इस्पात संयंत्र	3410.6	3307.2	3382.8
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1402.0	1495.8	1527.1
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1170.3	1294.4	1353.7
बोकारो इस्पात संयंत्र	3246.2	3312.7	3200.1
मिश्र इस्पात संयंत्र	83.2	78.6	84.4
सेलम इस्पात संयंत्र	148.4	129.3	62.5
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	69.1	85.0	86.7
योग : सेल	9529.9	9703.0	9697.3

उत्पादकता रुख

अपरिष्कृत इस्पात/टन/व्यक्ति/वर्ष

संयंत्र	1999–2000	2000–01	2001–02
भिलाई इस्पात संयंत्र	121	129	137
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	88	100	108
राउरकेला इस्पात संयंत्र	55	60	67
बोकारो इस्पात संयंत्र	105	115	116
योग : सेल	96	105	111

ऊर्जा खपत

गैल./टी ई एस

संयंत्र	1999–2000	2000–01	2001–02
1	2	3	4
भिलाई इस्पात संयंत्र	7.16	7.25	7.07
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	7.48	7.43	7.25
राउरकेला इस्पात संयंत्र	10.26	9.97	9.34
बोकारो इस्पात संयंत्र	8.24	8.09	7.96
योग : सेल	7.96	7.90	7.69

(ख) गत तीन वर्षों, अर्थात, 1998–99 से 2000–01 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान सेल की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है–

(करोड़ रुपए)

विवरण	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02 (अप्रैल–दिसम्बर)
सकल मार्जिन	1504	1202	2167	773
ब्याज	2018	1789	1752	1207
नकद लाभ/ हानि (–)	(–)514	(–)587	415	(–)434
मूल्यह्रास	1104	1133	1144	856
निवल लाभ/ हानि (–)	(–)1618	(–)1720	(–)728	(–)1290

(ग) और (घ) जनशक्ति में कमी हुई है। हालांकि सेल की हानि में वृद्धि मुख्य रूप से आर्थिक मंदी के कारण बिक्री से कम प्राप्ति के फलस्वरूप हुई। हानि के अन्य कारण आयात में कड़ी प्रतिस्पर्धा, घरेलू बाजार में वर्धित आपूर्ति और राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के पूंजीकरण के कारण उच्च ब्याज और मूल्यह्रास लागत हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का उद्देश्य कार्यबल में कमी करना है जिससे प्रचालनात्मक लागतें कम होंगी और साथ ही उत्पादन लागत भी कम होगी। कंपनी के पुनरुद्धार के लिए यह रणनीति का एक हिस्सा है।

एसोई गैस के जाली कनेक्शन जारी करने हेतु डीलरों पर दंड

5584. डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों के वितरकों द्वारा रसोई गैस के अप्राधिकृत/जाली कनेक्शन जारी करने हेतु विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 1994 के तहत क्या दंड निर्धारित किया गया है;

(ख) तेल विपणन कम्पनियों द्वारा दंड लगाने से पूर्व जाली कनेक्शनों की वास्तविक संख्या स्थापित करने हेतु क्या क्रियाविधि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या तेल विपणन कम्पनियों ने समान क्रियाविधि का पालन नहीं किया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेणियों के वितरकों को सरकार के दिशानिर्देशों के विरुद्ध असीमित अवधि के लिए निलंबन के तहत रखा है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे वितरकों की उन पर लगाए गए दंड को माफ कर क्षतिपूर्ति की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम डी जी), 1994 के तहत तेल विपणन कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा अनधिकृत/नकली एल पी जी कनेक्शनों के निर्गम के लिए दंड निम्नानुसार हैं–

(1) पहले अपराध के लिए 2000 रुपए का जुर्माना;

(2) दूसरे अपराध के लिए एक महीने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप का निलंबन;

(3) तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति;

(ख) अलग–अलग डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा नकली कनेक्शनों के निर्गम का पता अभिदान वाउचर/अन्तरण वाउचर ब्यौरों की जांच, रीफिल के परीक्षण और स्टाक के सत्यापान द्वारा लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर को उपकरण वापस लेने और ऐसे ग्राहकों को आपूर्ति रोकने का परामर्श दिया गया है।

(ग) से (ङ) तेल विपणन कम्पनियों ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों को लागू करने में किसी विपथन और सरकार के दिशानिर्देशों के प्रति अनु.जा./अनु.जन. श्रेणियों के डिस्ट्रीब्यूटरों को निश्चित समयावधि के लिए निलंबित रखने की कोई सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय ऋणदाता एजेन्सियों से सहायता

5585. श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई रेलवे परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बहुराष्ट्रीय संस्थाओं से धन जुटाने के लिए रेलवे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा किस प्रयोजनार्थ भारी मात्रा में ऋण की मांग की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) उच्च घनत्व वाले मार्गों पर निर्माण कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा दिल्ली कोलकाता मुंबई और चेन्नै के महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुजीय एवं विकर्णीय मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसका वित्तपोषण विभिन्न स्रोतों से किया जाएगा। यह प्रस्ताव रेलवे ने अभी वित्त मंत्रालय को भेजना है। कुछ वित्तपोषण एजेंसियों ने परियोजनाओं के निष्पादन में सहायता प्रदान करने में रुचि व्यक्त की है। रेलवे की वार्षिक योजना में उपलब्ध कराए गए संसाधनों से स्वर्णिम चतुर्भुजीय मार्गों पर कुछ स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य पहले ही प्रगति पर है।

भुसावल में टिकटों की बुकिंग में कठिनाइयां

5586. श्री वाई. जी. महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेल यात्री और अन्य व्यक्ति भारी भ्रष्टाचार और रेल कर्मचारियों के निराशाजनक कार्यनिष्पादन के कारण भुसावल रेलवे स्टेशन पर टिकटों की बुकिंग में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा भ्रष्ट रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (घ) जी, नहीं। भुसावल रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग में भारी भ्रष्टाचार और निराशाजनक कार्य निष्पादन का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है। बहरहाल, वाणिज्यिक एवं सतर्कता विभागों और रे. सु.ब. द्वारा की गई नियमित जांचों के दौरान कुछ अनियमितताओं का पता लगा था। भुसावल स्टेशन के बुकिंग और आरक्षण कार्यालयों में 2000, 2001 और 2002 (मार्च तक) के दौरान 111 जांचें की गई थीं जिनमें 13 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इसके अलावा तीन रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था और रे.सु.ब. द्वारा 2 दलालों पर मुकदमा चलाया गया था। हाल ही में भुसावल में बुकिंग कार्यालयों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए बुकिंग कार्यालय में सभी अप्रचलित प्रिंटर्सों को भी बदल दिया गया है।

[अनुवाद]

नेशनल पावर ग्रिड से आंध्र प्रदेश को विद्युत का आवंटन

5587. श्री पी. सी. थामस :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से नेशनल पावर ग्रिड/बिजली से विभिन्न राज्यों को विशेषकर आंध्र प्रदेश को कितनी मात्रा में बिजली दी गई है;

(ख) उक्त राज्यों द्वारा आवंटित बिजली में से कितनी मात्रा में बिजली का उपभोग किया गया;

(ग) क्या बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उक्त आवंटन पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त राज्यों ने केन्द्र सरकार से नेशनल पावर ग्रिड से और अधिक विद्युत का आवंटन करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राज्यों की मांग पर क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय क्षेत्र जेनरेटिंग स्टेशनों से राज्यों की आहरण–पात्रता एवं वास्तविक आहरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश ने 2000–01 एवं 2001–02 में क्रमशः उनकी 9133 मिलियन यूनिट एवं 9578 मिलियन यूनिट की पात्रता तुलना में 9574 मिलियन यूनिट एवं 9784 मिलियन यूनिट का आहरण किया।

(ग) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों से किया जाने वाला आवंटन सामान्यतः पर्याप्त नहीं होता है। शेष विद्युत की पूर्ति स्वयं राज्यों द्वारा उत्पादित विद्युत से एवं निजी उत्पादकों तथा अन्य राज्यों से विद्युत खरीद करके की जाती है।

(घ) और (ङ) विद्युत अभाव वाले राज्यों से केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों के अनावंटित कोटा से अतिरिक्त विद्युत के आवंटन के लिए समय–समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों के अनावंटित कोटे से राज्यों को विद्युत को आवंटन की समय–समय पर समीक्षा एवं संशोधन सापेक्ष ऊर्जा अभाव, आपातकालीन सामयिक आवश्यकता के साथ–साथ कृषि क्षेत्र तथा राज्यों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में विद्युत का अभाव है और पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों के कुल अनावंटित विद्युत को उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्युत अभाव वाले राज्यों को आवंटित कर दिया गया है।

विवरण

(सभी आंकड़े मि.यू. निवल में)

राज्य/क्षेत्र	2000–2001		2001–2002	
	पात्रता	आहरण	पात्रता	आहरण
1	2	3	4	5
उत्तर क्षेत्र–केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशन				
चण्डीगढ़	430.2	453.2	516.4	443.2

1	2	3	4	5
दिल्ली	11464.6	10020	11504.8	10443.0
हरियाणा	6574.1	7524.4	5763.1	6547.7
हिमाचल प्रदेश	1504.6	1635.6	1638.6	1680.1
जम्मू व कश्मीर	4269.6	4717.6	4898.2	5045.0
पंजाब	7069	6727	7085.2	6690.8
राजस्थान	9361.9	10404.9	9356.8	10126.1
उत्तर प्रदेश	17325.2	16516.5	18903.5	18690.7
पश्चिमी क्षेत्र–केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशन				
छत्तीसगढ़			3330.9	887.8
गुजरात	12688.7	13181.0	13295.3	14407.2
मध्य प्रदेश	12335.6	12263.8	8708.9	10844.0
महाराष्ट्र	14155.2	14281.7	15421.9	15099.4
गोवा	1296.0	749.0	1686.4	1205.0
दक्षिण क्षेत्र–केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशन				
आंध्र प्रदेश	8272.5	8249.6	8317.8	8063.3
कर्नाटक	5823.0	6056.0	5876.0	6472.2
केरल	3142.2	3244.4	3173.6	3393.8
तमिलनाडु	10364.2	10125.2	10168.9	9742.9
गोवा	618.2	544.9	704.7	568.8
पूर्वी क्षेत्र–केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशन				
बिहार	4958.7	5502.1	4727.8	6258.5
डीवीसी	1476.1	1298.4	1113.6	1380.2
उड़ीसा	3358.0	2354.6	3548.7	809.1
पश्चिम बंगाल	4081.8	2875.4	3475.9	2732.0
सिक्किम	351.4	78.6	186.1	71.8
उत्तर प्रदेश	293.2	455.4	454.8	615.3
आंध्र प्रदेश	861.3	1325.0	1280.3	1721.6
असम	326	493.6	659.3	665.8
मध्य प्रदेश	1468.4	2100.9	1624.8	2024.2
गुजरात	259.7	370.5	287.7	356.7
केरल	234.0	356.8	386.4	590.9
तमिलनाडु	444.6	675.6	686.7	93.1
कर्नाटक	427.5	653.8	633.5	864.0
हरियाणा	0	0	115.7	132.6
चण्डीगढ़	0	0	84.7	97.3
जम्मू व कश्मीर	0	0	46.5	49.7
राजस्थान	0	0	65.9	70.4
हिमाचल प्रदेश	0	0	37.9	33.1
पूर्वोत्तर क्षेत्र–केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशन				
अरुणाचल प्रदेश	206.7	108.5	226.4	113.0
असम	1350.2	1718.9	1432.6	1760.9
मणिपुर	437.2	449.8	464.1	436.3
मेघालय	260.5	43.0	269.5	135.3
मिजोरम	211.4	243.3	228.4	264.5
नागालैंड	241.0	227.1	264.0	252.9
त्रिपुरा	354.5	270.9	389.4	311.5

नोट–उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल तथा बिहार में झारखण्ड शामिल है।

भिन्न-भिन्न उद्घोषणाओं के कारण कठिनाइयां

5588. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भिन्न-भिन्न उद्घोषणाओं के कारण कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां अनुभव की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक समान उच्च न्यायालय अधिनियम बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जब कभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के कारण कुछ व्यावहारिक समस्याएं सामने आती हैं, सरकार समुचित अनुतोष के लिए उच्चतम न्यायालय में जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रक्षा मदों के उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम

5589. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने रक्षा मदों के उत्पादन हेतु संयुक्त उद्यम की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रसोई गैस कनेक्शन जारी करने पर प्रतिभूति जमा

5590. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **पेट्रोलियम और ाकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के समय वितरक तेल कंपनियों के उपकरण (सिलेंडर और रेग्यूलेटर) के लिए प्रतिभूति वसूल करते हैं;

(ख) यदि हां, तो वितरकों द्वारा रसोई गैस कनेक्शनों से कुल कितनी प्रतिभूति एकत्र की जा रही है;

(ग) क्या रसोई गैस के वितरक प्रतिभूति जमा की धनराशि पर स्टाम्प शुल्क नहीं देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों से वर्ष-वार और कम्पनी-वार राजकोष को इस प्रकार का कितना घाटा हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अलावा पूरे देश में 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू सिलेंडर और रेगुलेटर पर वर्तमान जमाराशि क्रमशः 500 रुपए तथा 50 रुपए है।

(ग) और (घ) डिस्ट्रीब्यूटर विभिन्न राज्यों में लागू स्टाम्प शुल्क का भुगतान इसे ग्राहकों से एकत्र करने के बाद नए कनेक्शन जारी करते समय करते हैं।

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के कार्यकरण संबंधी रिपोर्ट

5591. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और सैन्य अभियांत्रिकी सेवा के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए कुछ समय पूर्व समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रक्षा और इसके संगठनों की कार्यकुशलता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए इससे पहले कुछ समितियों का गठन किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशें कार्यान्वित की गई थीं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने गुणता आश्वासन महानिदेशालय के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सैन्य इंजीनियरी सेवा के संबंध में उसने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) गुणता आश्वासन महानिदेशालय के संबंध में समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

(घ) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वॉकी टॉकी सैटों पर व्यय

5592. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, कितने वॉकी–टॉकी सैट खरीदे गए और किन कम्पनियों से ये सैट खरीदे गए;

(ख) सरकार द्वारा इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) सरकार ने रेलवे में संचार नेटवर्क के सुधार हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पर वर्ष–वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) रेलवे द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 33414 वॉकी–टॉकी सैट निम्नलिखित कम्पनियों से खरीदे गए थे–

(i) मै. मोटरोला इंडिया लि.

(ii) मै. सिमोको टेलिकॉम लि.

(iii) मै. ट्रांसरिसिवरस इंडिया लि.

(iv) मै. संचार एंटेना एंड कम्यूनीकेशन्स

(v) मै. मैगनोस्टार टेलिकॉम प्रा.लि.

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वॉकी–टॉकी सैट की खरीद पर सरकार द्वारा किया गया खर्च निम्नलिखित है–

(i)	1999–2000	19.86 करोड़
(ii)	2000–2001	15.52 करोड़
(iii)	2001–2002	10.69 करोड़

(ग) जी, हां।

(घ) रेलवे ने वॉकी–टॉकी सेट के प्रावधान के अलावा ऑप्टिकल फाइबर सिस्टमस् का डिजिटल माइक्रोवेव, क्वाड केबल, इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजस्, मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली इत्यादि की व्यवस्था द्वारा संचार नेटवर्क में सुधार के लिए उपाय किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान संचार नेटवर्क में सुधार करने के लिए निम्नलिखित खर्च किया गया है–

(i)	1999–2000	104.75 करोड़
(ii)	2000–2001	144.30 करोड़
(iii)	2001–2002	165.00 करोड़ (लगभग)

दाभोल विद्युत परियोजना से बिजली की खरीद

5593. श्री किरीट सोमैया :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.टी.पी.सी. दाभोल विद्युत परियोजना से बिजली खरीदने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने एन.टी.पी.सी. से विशेष अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो एन.टी.पी.सी. की प्रतिक्रिया क्या है,

बिजली की लागत क्या है और एन.टी.पी.सी. की वर्तमान लागत क्या है; और

(घ) विद्युत मंत्रालय और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हाल ही में हुए विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, नहीं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वे डाभोल पावर संयंत्र अथवा कम से कम 1444 मे.वा. क्षमता के उसके दूसरे चरण को प्रत्यक्ष रूप से अथवा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) जैसे किसी सरकारी उपक्रम के जरिए हाथ में ले ले ताकि उत्पादित पावर को महाराष्ट्र के बाहर वितरित किया जा सके। महाराष्ट्र सरकार ने एनटीपीसी से डाभोल पावन कं. की इक्विटी में भागीदारी पर विचार करने का भी अनुरोध किया है।

(ग) एनटीपीसी ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त नहीं की है।

740 मेगावाट क्षमता का डाभोल पावर संयंत्र का प्रथम चरण 13 मई, 1999 को स्थापित किया गया था और इससे महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) को विद्युत की आपूर्ति हो रही थी लेकिन महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने अब डाभोल पावर कं. (डीपीसी) के साथ विद्युत करार भंग कर 29 मई, 2001 से संयंत्र से बिजली लेना बंद कर दिया है। प्रथम चरण द्वारा आपूर्ति विद्युत की कीमत भिन्न–भिन्न कारकों अर्थात नाप्था की कीमत, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव तथा एमएसईबी द्वारा विद्युत निकासी के स्तर के आधार पर पृथक–पृथक थी। मई 1999 से मार्च 2000 के दौरान डाभोल पावर की औसत लागत 4.67 प्रति यूनिट तथा अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2000 के दौरान 6.19 पैसे प्रति यूनिट थी।

एनटीपीसी के विद्युत स्टेशनों की विद्युत लागत को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(घ) डीपीसी और एमएसईबी के बीच विद्युत खरीद करार पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा उनके बीच विवाद का निर्णय/समाधान किया जाना है। भारत सरकार दोनों पक्षों की इच्छा पर तथा उनको स्वीकार्य करार के लिए सहमत हो गई है। वित्तीय संस्थाओं ने भी परियोजना के लिए उपयुक्त खरीददार तलाशने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

विवरण

एनटीपीसी स्टेशनों में स्टेशन–वार विद्युत की लागत

क्र.सं.	स्टेशन	एनटीपीसी स्टेशनों की विद्युत लागत (पैसे/कि.वा.घं.)
1.	सिंगरौली एसटीपीएस	96.61
2.	कोरबा एसटीपीएस	68.95
3.	रामागुण्डम एसटीपीएस	121.84
4.	फरक्का एसटीपीएस	172.15
5.	विन्ध्याचल एसटीपीएस	129.73
6.	रिहन्द एसटीपीएस	141.11
7.	एफजीयूटीपीएस	194.77
8.	एनसीआरटीपीएस	216.83
9.	कहलगांव एसटीपीएस	192.44
10.	तालचेर एसटीपीएस	172.34
11.	तालचेर टीपीएस	132.41
12.	टांडा टीपीएस	463.93
13.	अंता जीपीएस	132.82
14.	औरैया जीपीएस	174.15
15.	दादरी जीपीएस	183.14
16.	कवास जीपीएस	310.22
17.	गांधार जीपीएस	333.95
18.	कायमकुलम सीसीपीएस	505.82
19.	फरीदाबाद जीपीएस	220.95
	एनटीपीसी	157.20

सौर ऊर्जा हेतु धनराशि

5594. श्री सुकदेव पासवान : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना (आज तक) के दौरान विभिन्न राज्यों को सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु वर्षवार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा धनराशि का उपयुक्त रूपेण उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देशव्यापी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रणालियों जैसे सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों, जल पंपन प्रणालियों, स्टैंड एलोन एवं ग्रिड सम्बद्ध विद्युत संयंत्रों, सौर कुकरों और सौर जल तापन प्रणालियों का संवर्धन केन्द्रीय सब्सिडी, उदार ऋण पैकेजों और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा मंत्रालय देश के चुनिंदा शहरों में 'आदित्य' सौर दुकानों की स्थापना में सहायता कर रहा है।

सौर ऊर्जा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (इरेडा), प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माताओं और बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है।

अधिकांश योजनाओं में, प्रत्येक वर्ष आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों की मंजूरी, इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन और अग्रिम रूप से कुछ निधियों की रिलीज का प्रावधान होता है। आवंटित निधियों की रिलीज कार्यान्वयन की प्रगति, पूर्व के रिलीज की गई निधियों के उपयोग और इन योजनाओं के अन्य प्रावधानों पर निर्भर करती है। किसी वर्ष में किसी एक राज्य को रिलीज की गई धनराशि में उस वर्ष के कार्यक्रमों के लिए अग्रिम धनराशि और पूर्व के वर्षों के दौरान कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों के संबंध में दावों के निपटारे के लिए रिलीज की गई धनराशि शामिल होती है।

नौवीं योजना अवधि के दौरान वर्षवार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों के विवरण संलग्न हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आवश्यक है कि ये व्यय के लेखा परीक्षा किए गए विवरण और उपयोग प्रमाण-पत्र तथा साथ ही परियोजना पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिनसे निधियों के समुचित उपयोग का पता चलता हो।

कुछ मामलों में, राज्यों की हिस्सा राशि में रिलीज में देरी, प्राप्तियों आदि में विलंब के कारण राज्य एजेंसियां रिलीज की गई निधियों के उपयोग करने में असमर्थ रहती हैं, यह मंत्रालय परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन और निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क रखता है। उपयोग न की गई निधियों को या तो वापस ले लिया जाता है अथवा भविष्य की रिलीज में समायोजित कर लिया जाता है।

विवरण

विभिन्न सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी की गई राज्यवार निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3.27	188.14	55.90	69.20	286.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.28	31.20	22.57	18.53	3.53
3.	असम	21.60	70.10	24.38	55.14	1.26
4.	बिहार	25.00	245.54	369.72	6.20	0.33

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–	197.00	249.70
6.	दिल्ली	1.34	0.00	7.20	14.11	0.76
7.	गोवा	0.00	0.85	1.45	0.5	0.00
8.	गुजरात	14.07	111.48	88.70	310.71	87.43
9.	हरियाणा	105.19	180.51	187.33	255.35	233.44
10.	हिमाचल प्रदेश	72.50	167.23	327.32	131.25	135.44
11.	जम्मू एवं कश्मीर	40.47	163.12	335.94	75.25	772.06
12.	झारखंड	–	–	–	–	3.41
13.	कर्नाटक	7.13	46.30	41.80	78.54	115.15
14.	केरल	9.00	130.65	219.79	323.61	851.10
15.	मध्य प्रदेश	74.18	199.00	83.37	0.80	34.53
16.	महाराष्ट्र	25.18	21.00	21.53	46.28	46.09
17.	मणिपुर	0.59	30.80	43.28	2.40	44.75
18.	मेघालय	7.50	18.60	8.36	58.00	9.68
19.	मिजोरम	8.22	24.03	15.74	165.55	19.95
20.	नागालैंड	0.00	5.23	7.25	8.68	0.00
21.	उड़ीसा	64.00	278.86	302.26	34.02	65.00
22.	पंजाब	68.56	299.40	251.04	57.36	650.56
23.	राजस्थान	135.04	490.14	318.31	187.61	592.25
24.	सिक्किम	0.00	7.41	2.66	2.59	36.92
25.	तमिलनाडु	68.56	49.76	54.70	75.66	55.50
26.	त्रिपुरा	26.19	86.79	66.65	110.87	205.80
27.	उत्तर प्रदेश	725.85	909.38	392.40	616.41	794.62
28.	उत्तरांचल	–	–	–	208.60	261.37
29.	पश्चिम बंगाल	249.63	180.05	397.30	359.73	793.44

1	2	3	4	5	6	7
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	10.50	10.00	10.15	66.00
31.	चंडीगढ़	3.47	20.61	4.15	0.80	13.94
32.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	0.00	55.00	116.90	257.00	572.49
33.	पांडिचेरी	2.59	4.50	2.62	–	3.78

सेवानिवृत्ति आयु में कमी

5595. श्री अनन्त नायक : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेवानिवृत्ति की आयु घटाए जाने से विभिन्न इस्पात संयंत्रों और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की अन्य एजेंसियों के कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) सेल ने सूचित किया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष करने पर तुरंत ही सेल के लगभग 8029 कर्मचारियों को पृथक किया जा सकेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण

5596. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने ग्रामीण विद्युत निगम को छः विद्युत बोर्डों के भुगतान में चूक के संबंध में अपनी चिन्ता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों का ग्रामीण विद्युतीकरण में बहुत खराब रिकार्ड रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन विद्युत बोर्डों से बकाये की वसूली न होने के कारण इन राज्यों की ग्रामीण जनसंख्या पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण को गति देने हेतु इन विद्युत बोर्डों से बकाये की वसूली हेतु कोई रणनीति बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) सरकारी उपक्रम संबंधी समिति ने 19 मार्च, 2002 की अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि ग्राम विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को भुगतान करने में छह राज्य विद्युत बोर्ड नामशः असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल बड़े चूककर्त्ता रहे हैं।

इनमें से मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड अपने ऋणों का नए सिरे से भुगतान के लिए सहमत हो गया है। तथापि 5 अन्य चूककर्ता राज्यों से ऋण भुगतान के संबंध में कोई सकारात्मक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। समिति ने चिंता के साथ कहा है कि ये चूककर्ता 5 राज्य वही हैं, जिनका ग्राम विद्युतीकरण का रिकार्ड बहुत खराब है और इन राज्य विद्युत बोर्डों से देयताओं की वसूली में और अधिक विलम्ब से इन राज्यों की ग्रामीण आबादी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ग्राम विद्युतीकरण निगम (आरईसी), ने इन 5 चूककर्त्ता राज्य विद्युत बोर्डों के विरुद्ध ऋण वसूली प्राधिकरण के समक्ष मामले दायर किए हैं।

बहरहाल ग्राम विद्युतीकरण के निमित्त प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां जारी की गई हैं। वर्ष 2001–02 के दौरान पीएमजीवाई तथा एमएनपी के अन्तर्गत असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को क्रमशः 22166.52 लाख और 8943.00 लाख रु. की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

5597. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कई बार वृद्धि की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तारीखें क्या हैं और इन मूल्यों में अलग-अलग किस सीमा तक वृद्धि की गई;

(ग) क्या हर बार मूल्य में वृद्धि करते समय कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय दर का मूल्यांकन किया जाता है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि के दौरान कितनी अतिरिक्त धनराशि एकत्र की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान डीजल, पेट्रोल, घरेलू एल पी जी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के भण्डारण स्थल तक की कीमत में परिवर्तन अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की कीमत 20.4.1999 को 15.46 डालर प्रति बैरल, 16.10.1999 को 22.51 डालर प्रति बैरल, 23.3.2000 को 24.69 डालर प्रति बैरल और 29.9.2000 को 28.72 डालर प्रति बैरल और 1.3.2002 को 21.15 डालर प्रति बैरल थी।

(घ) संलग्न विवरण में दिए गए परिवर्तनों के लिए संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान तेल पूल खाते में अतिरिक्त आय 1999-2000 के दौरान लगभग 7800 करोड़ रुपए और 2000-2001 के दौरान 8700 करोड़ रुपए थी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी की भण्डारण स्थल तक की कीमतों में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण

	पेट्रोल रुपए/ लीटर	डीजल रुपए/ लीटर	रा.वि.प्र. मिट्टी तेल रुपए/ लीटर	घरेलू एल पी जी रुपए/ सिलेंडर
1.1.99 को	15.50	7.54	2.00	113.01
संशोधन की तारीख 9.1.99		6.72		
1.2.99				127.01
28.299	15.40	6.62		124.01
20.499		6.88		
6.10.99		9.63		
23.3.2000			4.50	154.01
30.9.2000	19.00	11.93	7.00	185.01
22.11.2000			6.11	176.46
12.1.2022	10.82	11.04		
1.3.2002	*	*	6.86	185.01
17.3.2002				169.43

*परिवर्तन इसलिए किए गए जिससे पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें क्रमशः लगभग 1 रुपए प्रति लीटर और 50 पैसे प्रति लीटर तक कम हो सकें।

[अनुवाद]

रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण

5598. श्री वाई. वी. राव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने रक्षा उपकरणों के लिए कल पुर्जों का देश में निर्माण करने में क्या प्रगति की है;

(ख) आयातित घटकों की प्रतिशतता की तुलना में सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्रों दोनों से स्वदेशी आपूर्तियों का प्रतिशत कितना है; और

(ग) भारत से ही कल पुर्जों और उपकरणों की अधिकाधिक आपूर्तियों के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और इसे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा देश में ही अनुसंधान द्वारा किया जाता है। विमानों, युद्धपोतों, आयुध सामग्रियों, टैंकों, वाहनों तथा इलेक्ट्रानिक और इंजीनियरी उपस्करों में रक्षा उपस्करों के हिस्से–पुर्जों का स्वदेशीकरण कर लिया गया है। जहां आयुध निर्माणियां और रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयां सुरक्षा बलों के लिए उत्पादों का बड़े पैमाने पर विनिर्माण कर रही हैं, वहीं निजी क्षेत्र की इकाइयां कच्ची सामग्रियों, अर्द्ध–निर्मित उत्पादों और रक्षा उपस्करों के हिस्सों तथा संघटकों की आपूर्ति में लगी हुई हैं। वर्ष 2000–2001 के दौरान आयुध निर्माणियों तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों के उत्पादों का सम्मिलित मूल्य, संघटकों, हिस्से–पुर्जों, ओवरहाल जैसी सामग्री (बड़े उपस्करों को छोड़कर) आदि के आयात पर लगभग 1800 करोड़ रुपए के मुकाबले, लगभग 14000 करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने हाल ही में देश के भीतर सभी प्रकार के रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की 100% तक भागीदारी तथा 26% तक अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दोनों के लिए लाइसेंस लेना होगा, की अनुमति दी है। इससे निजी क्षेत्र में पहले से ही किए गए निवेश में इजाफा होगा।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

5599. श्री सुरेश चन्देल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपनी गैस आधारित परियोजनाओं के लिए पांच मिलियन टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस की वार्षिक आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और/अथवा पुनर्गैसीकृत एलएनजी और/अथवा प्राकृतिक गैस के भावी आपूर्तिकर्त्ताओं से अभिरुचि प्रकट करने का अनुरोध किया है।

(क) अन्ता गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण–2 (650 मेगावाट), राजस्थान।

(ख) औरैया गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण–2 (650 मेगावाट), उत्तर प्रदेश।

(ग) कवास गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण–2 (650 मेगावाट), गुजरात।

(घ) गांधार गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण–2 (650 मेगावाट), गुजरात।

(ङ) कायमकुलम गैस आधारित विद्युत परियोजना चरण–2 (1950 मेगावाट), केरल।

उपर उल्लिखित अन्ता, औरैया, कवास और गांधार गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें प्रत्येक 650 मेगावाट के दो चरणों में क्रियानिवत किया जाना प्रस्तावित किया गया है, को मेगा विद्युत परियोजना का स्तर प्रदान किया गया है।

एनटीपीसी द्वारा इंगित अपेक्षित आपूर्ति की मात्रा लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। 11 पार्टियों ने एनटीपीसी के अनुरोध पर अभिरुचि प्रकट की है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य

5600. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में हुई वृद्धि को शुल्क और कर राहत द्वारा समायोजित नहीं किए जाने की स्थिति में देश की तेल कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वर्तमान स्तर पर बनाए रखने में कठिनाई का अनुभव कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तेल कंपनियों के बचाव में आगे आने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में सामान्य उतार–चढ़ाव पेट्रोल और डीजल के घरेलू मूल्यों में प्रतिबिंबित होंगे। तथापि, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों विशेषकर उनमें उतार–चढ़ाव और घरेलू बाजार पर इसके संभावी प्रभाव का निरंतर पुनरीक्षण कर रही है। जैसे ही और जब भी सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाएगा उचित उपाय किए जाएंगे।

चैनलों पर बकाया देयताएं

5601. श्री शिवाजी माने : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चैनल दूरदर्शन को नियमित रूप से भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये चैनल कौन–कौन से हैं और चैनल–वार इन पर कितनी राशि बकाया है;

(ग) ये चैनल कब से भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन के ऐसे चैनलों को काली सूची में डालने और इनके लाइसेंस रद्द करने का कोई प्रावधान है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बकाया राशि वसूलने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से चैनलों कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) दूरदर्शन किसी अन्य चैनल से कारोबार नहीं करता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कम्पनियों में भर्ती के लिए एक समान नियम और आचार संहिता

5602. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध सभी कंपनियों में भर्ती के स्तर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की सभी कंपनियों में भर्ती के लिए एक समान नियम और आचार संहिता तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी सरकारी कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और लेन–देन में भाई–भतीजावाद में कमी लाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ङ) कम्पनी कार्य विभाग कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन के लिए प्रारंभिक तौर पर उत्तरदायी है। कम्पनियों में भर्ती संबंधी एक समान नियम एवं आचार संहिता बनाने संबंधी विषयवस्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 के दायरे में नहीं आती है।

[हिन्दी]

फुलेरा और जोधपुर के बीच इंटरलॉकिंग

5603. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में फुलेरा और जोधपुर के बीच आमान–परिवर्तन का काम पूरा हो जाने के बावजूद इंटरलॉकिंग का काम शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मार्ग पर इंटरलॉकिंग का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) (क) से (ग) फुलेरा तथा जोधपुर के बीच सभी स्टेशनों पर अंतर्पाशन प्रणाली मौजूद है।

यात्री सुविधाएं

5604. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री उत्तमराम ढिकले :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28.3.2002 को 'द हिन्दू' में 'रेलवेज यट टू प्रोवाइट बेसिक एमेनिटीज : सी ए जी' और दिनांक 1.4.2002 को 'दैनिक जागरण' में "यात्री सुविधाओं पर रेलवे वादाखिलाफ : सी ए जी" शीर्षकों से प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1990 में संसदीय प्राक्कलन समिति के समक्ष आपके द्वारा यात्रियों के साथ सुविधाओं के संबंध में जो वादा किया गया था, उनका ब्यौरा क्या है और ये सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया गया था;

(ग) क्या रेल विभाग यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग करने में विफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान यात्री सुविधाओं के लिए प्रतिवर्ष कितना आवंटन किया गया है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितनी निधियों का उपयोग किया गया है; और

(च) सरकार ने महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे ने प्राक्कलन समिति (1988–89)–आठवीं लोक सभा को उत्तर दिया था कि 30.3.1991 तक मूल सुख–सुविधाओं, अर्थात् प्रतीक्षालयों, बेंचों, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा, शौचालयों, उपयुक्त प्लेटफार्मों, बुकिंग की व्यवस्था और छायादार वृक्षों में कमियां दूर कर दी जाएंगी। इसके अलावा, समिति की 77वीं रिपोर्ट में सिफारिश (क्रम सं. 36) में मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि सभी स्टेशनों पर निर्धारित मानदंड के अनुसार 31.3.1991 तक पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जैसा कि निर्धारित किया गया था और सिफारिश स्वीकार की गई थी।

(ग) से (ङ) 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 में यात्री सुख–सुविधा कार्यों के लिए इन वर्षों के दौरान क्रमशः 130 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए और 190 करोड़ रुपए आवंटन की तुलना में (फरवरी, 2002 तक) क्रमशः 115.25 करोड़ रुपए, 136.50 करोड़ रुपए, 130.38 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। वर्ष के दौरान, आंतरिक संसाधनों में संभावित कमी के दृष्टिगत अतिशय सावधानी के रूप में रेलों को उपलब्ध होने वाले संभावित धन की सीमा तक अपनी वचनबद्धताएं सीमित करने के लिए कभी–कभी निदेश दिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप "यात्री सुख–सुविधाएं" सहित सभी योजना शीर्षों में कार्यों पर वास्तव में किए जा रहे खर्च से कम खर्च हुआ।

(च) प्रतिवर्ष, रेलें महाराष्ट्र सहित सभी स्टेशनों पर निर्धारित मानदंड के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने के अपने प्रयास में यात्री सुविधा कार्यों के लिए अधिक आवंटन कर रही हैं। रेलों का कमियों को दूर करना और तदनुसार वार्षिक निर्माण कार्यक्रम की योजना बनाना है। चालू वर्ष के लिए, यात्री सुख–सुविधा के कार्यों के लिए आवंटन 200 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, रेल सेवाओं के 150वें वर्ष को मनाने के लिए आगामी वर्ष को "रेल यात्री" के लिए समर्पित किया गया है और "यात्री सुख–सुविधा वर्ष" घोषित किया गया है।

दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों की भांति उच्च श्रेणी के साथ जन–शताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ करना, आधुनिक यूआईसी किस्म के वेस्टीब्यूल लगाना, उपयोगकर्ता–सहिष्णु मॉड्यूलर प्रसाधनों की व्यवस्था, सवारी डिब्बों के अन्दर पॉलीविनायल फर्श की व्यवस्था, अत्याधुनिक यात्री–सुविधा के साथ एलएचबी किस्म के सवारी डिब्बे चलाना और ऐसे सवारी डिब्बों का देश में निर्माण शुरू करना, विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सभी सवारी डिब्बों में पेस्ट कंट्रोल "क्लोनिंग ट्रेन स्टेशन स्कीम" के अंतर्गत नामित स्टेशनों पर संपूर्ण सफाई की सुविधाओं की व्यवस्था करना, परम्परागत 24 वोल्ट के स्थान पर 110 वोल्ट की बिजली फिटिंगों की व्यवस्था, पूरी मरम्मत के बीच रेकों का नवीकरण, 12–15 वर्ष आयु समूह के सवारी डिब्बों का मध्य–आयु पुनर्स्थापन, "जीरो मीसिंग फिटिंग" के माध्यम से यात्री सुख–सुविधा की फिटिंग की निगरानी करना आदि जैसे उपाय गाड़ियों में सुख–सुविधाओं में सुधार के लिए किए गए हैं।

सामुदायिक आकाशवाणी केन्द्र

5605. श्री अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र को सामुदायिक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) वर्तमान में निजी क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने के लिए स्वीकृति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्रास सब्सिडाईजेशन

5606. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग क्रास सब्सिडी को समाप्त करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग ने अब तक इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) रेल बजट 2002–03 में किराया और भाड़ा की संरचना का यौक्तिकीकरण शुरू किया गया है जिससे यात्रियों और मालभाड़ा सेवाओं के बीच क्रास–सब्सिडी के स्तर में कमी होने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुरक्षा लागत

5607. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग उत्तर सीमान्त रेलवे में राज्य सरकार के अनुरोध पर रेलमार्गों पर उपलब्ध कराई गई गश्त सुरक्षा की 40 करोड़ रुपये की लागत को वसूल करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2000–01 की अपनी रिपोर्ट में इस मामले में टिप्पणी की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या उत्तर है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) जी, हां। सुरक्षा राज्य का विषय होने के कारण रेलपथों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। चूंकि असम सरकार सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने रेल कर्मियों द्वारा सुरक्षा गश्त संबंधी गतिविधियां करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार की सुरक्षा गश्तों का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार रेलपथों की सुरक्षा गश्तों के संबंध में बिलों को उगाही के लिए असम सरकार को भेजे गए हैं। सुरक्षा गश्त प्रभारों के रूप में 37.23 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान असम सरकार द्वारा रेलों को किया जाना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने रेलों के लिए अपनी वर्ष 2002 की रिपोर्ट सं. 9 में राज्य सरकार के अनुरोध पर मुहैया कराई गई सुरक्षा गश्तों की लागत के भुगतान न किए जाने पर टिप्पणी की है। रेल मंत्रालय ने असम सरकार को अपने बकाया देय राशि के भुगतान का शीघ्र निपटान करने का अनुरोध किया है।

कच्चे तेल का अनुकूल भंडारण

5608. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने देश में तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कच्चे तेल के अनुकूल भंडारण के लिए जोरदार सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में पर्याप्त तेल शोधन क्षमता स्थापित हो जाने के बाद कच्चे तल के अनुकूल भंडारण का महत्त्व और भी बढ़ गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने योजना आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) योजना आयोग की ऊर्जा क्षेत्र की संचालन समिति ने 10वीं योजना के लिए अनुकूल भण्डारों के अनुरक्षण और इन भंडारों के लिए निधि जुटाने की व्यवस्था विकसित करने की सिफारिश की है।

(घ) इस चरण का समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

गांधार तेल कुएं में आग

5609. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के गांधार तेल कुएं में आग लगने की घटना की जांच के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सरकार ने ओ एन जी सी के गांधार क्षेत्र में कूप संख्या जी–345 में आग की घटना के बाद इस मामले की जांच करने के लिए मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस सी एन जटार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को 30.1.2002 को प्रस्तुत कर दी है। तदुपरांत समिति ने ओ एन जी सी के गांधार क्षेत्र, अंकलेश्वर आस्तियों और पश्चिमी अपतट, मुंबई अंचल के संबंध में रिपोर्ट के दूसरे और तीसरे खण्ड सरकार को 29.3.2002 को प्रस्तुत कर दिए हैं। अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए समिति का कार्यकाल 31.5.2002 तक बढ़ा दिया गया है।

रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधा

5610. श्री विष्णुदेव साय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ में रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त टर्मिनल का निर्माण करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और इस कार्य के लिए कितनी निधियां जारी की गई हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी नहीं, फिलहाल नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई जांच

5611. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई जांच के बारे में 14.3.2002 के तारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन–कौन से अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक प्रत्येक मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में दूरदर्शन द्वारा न्यू डेलही टेलीविजन नेटवर्क को विशेष लाभ देने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दक्षिण अफ्रीका के साथ हथियारों के विनिर्माण हेतु संयुक्त उद्यम

5612. श्री के. येरननायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ हथियारों के विनिर्माण हेतु संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव रखा है;

(ख) क्या प्रस्ताव में भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विनिर्मित हथियारों का अन्य देशों को निर्यात करने का प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। दक्षिण अफ्रीका के सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी ने आर्टिलरी तोप और संबंधित प्रणालियों के लिए दक्षिण अफ्रीका और भारत सरकार की रक्षा उत्पादन निर्माणियों के बीच सहयोग के प्रयासों के लिए एक संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) दक्षिण अफ्रीका की कम्पनी के साथ उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया है।

रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर राजसहायता

5613. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर अलग-अलग दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान यह राजसहायता किस सीमा तक कम की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान घरेलू एल पी जी और पी डी एस मिट्टी तेल पर अनुमानित राजसहायता निम्नानुसार है-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	घरेलू एल पी जी	पी डी एस मिट्टी तेल	योग
2000-01	6724	7522	14,246
2001-02	5830	5310	11,140*

*अनन्तिम

बकाया राशि की वसूली

5614. श्री रघुनाथ झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध सेवा महानिदेशक द्वारा मैसर्स रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता को 1990-91 में किए गए 1.42 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान की राशि दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार उस पर बकाया पड़ी है क्योंकि फर्म ने कम्बैट जैकेट और ट्राउजर्स की आपूर्ति नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मामले की जांच की गई है और जिम्मेवारी और जवाबदेही निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) मैसर्स रिहैबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता (सार्वजनिक क्षेत्र का एक सरकारी उपक्रम) को 6,85,484 अदद जैकेट कंबैट

डिसरप्टिव की आपूर्ति के लिए 12 जुलाई, 1990 को तथा 3,57,500 अदद ट्राउजर कंबैट डिसरप्टिव की आपूर्ति के लिए 22 अगस्त, 1990 को सप्लाई आर्डर दिए गए थे। मैसर्स रिहैबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के अनुरोध पर वर्ष 1990–91 के दौरान संभावित सुपुर्दगियों के मूल्य के समतुल्य 1.97 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई थी। किंतु, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मदों की आपूर्ति नहीं कर रहा था, इसलिए मंत्रालय ने अप्रैल, 1991 में नवंबर, 1990 से प्रति वर्ष 17% का ब्याज लगा दिया। इसके अतिरिक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1990–91 में संभावित सुपुर्दगियों में विलंब होने की स्थिति में 19.75% की दर से दंड स्वरूप ब्याज की उगाही की गई थी।

तथापि, सुपुर्दगी अवधि का समय बढ़ा दिए जाने के बाद मैसर्स रिहैबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ने कुल 24,527 अदद जैकेट कंबैट डिसरप्टिव की आपूर्ति की, किंतु ट्राउजर कंबैट डिसरप्टिव की आपूर्ति नहीं की गई। बाद में, 14 सितंबर, 1993 को मदों की तात्कालिकता के मद्देनजर मैसर्स रिहैबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा मदों की न की गई आपूर्ति को देखते हुए फर्म के जोखिम और लागत पर 50% अर्थात् 3,33,255 अदद जैकेट कंबैट डिसरप्टिव तथा 1,88,663 अदद ट्राउजर कबैट डिसरप्टिव का आर्डर रद्द कर दिया गया था। मैसर्स रिहैबिलीटेशन इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन को भुगतान की गई अग्रिम राशि में से 1.42 करोड़ रुपये की राशि अभी भी बकाया है।

रक्षा मंत्रालय ने जैकेटों और ट्राउजरों की आपूर्ति करके उनकी संविदागत प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मैसर्स रिहैबिलीटेशन कार्पोरेशन कलकत्ता से अग्रिम राशि की वसूली में सम्मिलित प्रयास किए और इस प्रकार बकाया अग्रिम राशि वसूल की गई। यह मुद्दा उद्योग मंत्रालय के साथ भी उठाया गया था जिसने बताया कि इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू किए जाने का निर्णय ले लिया गया है।

इस मामले की केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच करवाई गई थी जिसके अभिमतों पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

छोटे और मंझोले समाचार पत्रों की मांगें

5615. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और मंझोले समाचार पत्रों के संघ "आल इंडिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन, नई दिल्ली" ने 6 अक्तूबर, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित अपने 39वें वार्षिक सम्मेलन में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को एक मांग पत्र सौंपा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संघ ने अन्य बातों के साथ–साथ लघु तथा मंझोले समाचारपत्रों को विज्ञापन जारी करने में की गई कमी, सूचीकरण के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने, संघ के प्रतिनिधित्व सहित सूचीकरण समिति के गठन करने, विज्ञापन बिलों के भुगतान में देरी आदि से संबंधित मामले उठाए थे। भारत सरकार की विज्ञापन नीति में संशोधन तथा दृश्य एवं विज्ञापन प्रचार निदेशालय में समाचारपत्रों के सूचीकरण संबंधी दिशा–निर्देशों के संशोधन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की प्रसार संख्या की लेखा परीक्षा न होना

5616. डा. चरण दास महंत : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रकाशित 27,170 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में से केवल 530 ने ही अपनी प्रसार संख्या की लेखा परीक्षा कराई और 1990 समाचार पत्रों में से केवल 205 दैनिक समाचार पत्रों ने ही अपनी प्रसार संख्या की लेखा परीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) अधिकांश समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की प्रसार संख्या की लेखा परीक्षा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अनुसार समाचार पत्रों की प्रसार जांच करना भारत के समाचार पत्रों

के पंजीयक का एक मूल कार्य है। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक ने 1.4.99 से 31.3.2002 तक की अवधि के दौरान प्रसार जांच के कुल 4559 मामलों को अन्तिम रूप दिया जिन्हें शिकायतों के आधार पर और प्रकाशकों के अनुरोध पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, राज्य सरकारों द्वारा भेजा गया था।

[अनुवाद]

फेरोक्रोम संयंत्र

5617. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में कितने फेरोक्रोम संयंत्र हैं;

(ख) क्या इन राज्यों में बहुत से फेरोक्रोम संयंत्र रुग्ण हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में प्रचालनरत फेरोक्रोम संयंत्रों की संख्या निम्न प्रकार है—

राज्य का नाम	फेरोक्रोम संयंत्रों की संख्या
मध्य प्रदेश	–
छत्तीसगढ़	2
उड़ीसा	6
झारखंड	–

छत्तीसगढ़ में चल रहे दो संयंत्रों में से केवल एक इकाई फेरोक्रोम का उत्पादन कर रही है और दूसरी इकाई ने अपना उत्पादन बदलकर मैंगनीज मिश्र कर दिया है।

(ख) और (ग) यह सत्य है कि इन राज्यों में कुछ इकाइयां रुग्ण हो गई और बंद कर दी गई हैं। ऐसा मुख्य रूप से विद्युत के अधिक लागत और खराब बाजार स्थिति के कारण हुआ है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

गुवाहाटी-तिनसुकिया खंड पर रेलमार्ग का दोहरीकरण

5618. श्री के. ए. सांगतम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी–तिनसुकिया खंड पर एक अतिरिक्त बड़ी रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) उक्त परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने और पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं। फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

''गेल'' की आप्टिक फाइबर योजना

5619. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17.4.2002 ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''राइट्स डिले गेल आप्टिक फाइबर प्राजेक्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली–मुंबई आप्टिक फाइबर केबल परियोजना में एक महीने का विलम्ब हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के कारण परियोजना लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) सरकार परियोजना को निर्धारित समय–सीमा में पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हालांकि गुजरात में हाल की गड़बड़ से भड़ूच–सूरत खण्ड में गेल की दिल्ली–मुंबई आप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) परियोजना प्रभावित हुई, फिर भी परियोजना में लागत की कोई वृद्धि नहीं हुई।

(घ) गेल ने अप्रैल, 2002 में दिल्ली–मुंबई ओ.एफ.सी. परियोजना पूरी कर ली है।

नवसृजित जोन का मुख्यालय स्थापित किया जाना

5620. श्रीमती हेमा गमांग : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नव सृजित रेलवे जोन के मुख्यालय स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन जोनों के मुख्यालयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) सात नए प्रस्तावित जोनल रेलों के मुख्यालय केवल न्यूनतम आधार पर ही स्थापित किए गए हैं और ये अभी पूर्णतः परिचालित नहीं हुए हैं। ये प्रस्तावित नए जोनल रेलवे/मुख्यालय इस प्रकार हैं : उत्तर–पश्चिम रेलवे/इलाहाबाद, उत्तर–पश्चिम रेलवे/जयपुर, पूर्वतटीय रेलवे/भुवनेश्वर, पूर्व–मध्य रेलवे/हाजीपुर, बिलासपुर जोन/बिलासपुर, दक्षिण–पश्चिम रेलवे/हुबली और पश्चिम–मध्य रेलवे/जबलपुर।

(ग) और (घ) यद्यपि इनकी स्थापना न्यूनतम आधार पर की गई है तथापि रेलों के सामने मौजूद संसाधनों की विकट तंगी के कारण ये मुख्यालय अभी पूर्णतया परिचालित नहीं हुए हैं। इसके लिए इस समय कोई निर्धारित समय–सीमा बतायी नहीं जा सकती है।

दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर गंदगी

5621. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चंद्र यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़–भाड़ और गंदगी से यह स्टेशन कूड़े–कचरों के ढेर में बदलने के बारे में पता लगाने तथा वहां कुछ कुकुरमुत्ते की तरह ठगों और भिखारियों की संख्या में वृद्धि होने से पर्यटकों/यात्रियों को होने वाली परेशानी का मूल्यांकन करने के लिए हाल में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की अव्यवस्था से उक्त रेलवे स्टेशनों को मुक्त कराने के साथ–साथ वहां की इस स्थिति के लिए जवाबदेही तय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) समस्याओं को पहले समझने और तत्काल निवारक उपाय करने के लिए तथा प्रणाली में सुधार लाने के लिए विभिन्न अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा दलों द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान, अधिकारियों द्वारा स्वच्छता, साफ–सफाई, दलालों, भिखारियों और अनधिकृत व्यक्तियों तथा यात्रियों को होने वाली परेशानी से संबंधित मामले निपटाए जाते हैं। दिन–प्रतिदिन के आधार पर साफ–सफाई को दुरुस्त करने के अलावा, समय–समय पर विभिन्न अभियान भी चलाए जाते हैं और अवसंरचनात्मक सुधार भी किए जाते हैं। पुलिस के सहयोग से अनधिकृत व्यक्तियों को पकड़ा जाता है और कानून के संबद्ध प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

कोलकाता मेट्रो

5622. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोलकाता मेट्रो/सर्कुलर रेलवे का विस्तार तथा टाटा प्रिंसेपघाट रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोलकाता रेलवे के विस्तार हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) से (ङ)

(घ) इन परियोजनाओं में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(करोड़ रुपए में)

परियोजना का नाम	निर्माण कार्यक्रम का वर्ष	प्रत्याशित लागत	2001–02 के अंत में प्रत्याशित परिव्यय	2002–03 के लिए परिव्यय	स्थिति
दम दम–टालीगंज वस्तुपरक आशोधन के रूप में टालीगंज–गरिया से मेट्रो रेलवे के विस्तार सहित द्रुत परिवहन प्रणाली का निर्माण	99–00	2397.95	1799.00	35.00	दम दम से टालीगंज तक मेट्रो रेल सितंबर, 1995 से पूर्णतः चालू हो गयी है। चालू परियोजना के भाग के रूप में टालीगंज से गरिया तक के विस्तार का कार्य प्रगति पर है। इसके मार्च, 2005 तक पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते धन उपलब्ध हो।
प्रिंसेपघाट से माजेरहाट, दम दम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट और उल्टेडंगा से राजेरहाट पीएच तक विस्तार सहित कोलकाता सर्कुलर रेलवे	99–00	252.40	115.94	13.00	दम दम से प्रिंसेपघाट तक विद्युतीकरण पूरा हो गया है। प्रिंसेपघाट से माजेरहाट तक विस्तार संबंधी कार्य प्रगति पर है। इसके सितंबर 2004 तक पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते धन उपलब्ध हो। दम दम कैंट से एयरपोर्ट तक और उल्टेडंगा से राजेरहाट तक विस्तार का कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

यात्री सुविधाएं

5623. श्री दिनशा पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री–किराया से प्राप्त होने वाले राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस राजस्व का एक अंश यात्रा सुविधाओं पर खर्च कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री आमदनियों का ब्यौरा इस प्रकार है–

वित्तीय वर्ष	यात्री आमदनियां (करोड़ रु. में)
1999–2000	9581.07
2000–2001	10515.07
2001–2002 (सं.अ.)	11400.00

(ग) जी, हां। "यात्री सुविधाएं" योजना शीर्ष के अंतर्गत खर्च रेल निधियों अर्थात् मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के जरिए किया जाता है। विकास निधि और चालू लाइन कार्य (राजस्व) रेलवे राजस्व से वित्त पोषित किए जाते हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना शीर्ष "यात्री सुविधाएं" के अंतर्गत हुआ खर्च इस प्रकार है–

	(करोड़ रु. में)
1999–2000	115.25
2000–2001	136.50
2001–2002 (सं.अ.)	168.43

इस्पात संयंत्रों का मूल्यांकन

5624. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात संयंत्रों की कार्यक्षमता के मूल्यांकन और उनके आधुनिकीकरण के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एल एल) के इस्पात संयंत्रों को 1998–99 से हुई निबल हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है–

सेल

(करोड़ रुपए)

वर्ष	हानि
1998–99	1618.00
1999–2000	1720.00
2000–2001	729.00
2001–2002 (अप्रैल से दिसंबर, 2001)	1290.00

आर आई एन एल

(करोड़ रुपए)

वर्ष	हानि
1998–99	457.00
1999–2000	561.68
2000–2001	291.30
2001–2002	125.00

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को हो रही हानि के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं–

- अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी जिसके कारण इस्पात की खपत में ठहराव
- वैश्विक मंदी के चलते अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के कारण बिक्री से प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव
- यूरोपीय संघ, यू एस ए और कनाडा द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाना।

(ग) और (घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए हाल में कोई अध्ययन नहीं करवाया है। तथापि, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने बताया है कि उसके भिलाई इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरय्या आयरन एंड स्टील प्लांट नामक दो इस्पात संयंत्रों ने वर्ष 2001–2002 के दौरान विक्रेय इस्पात का उत्पादन अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक किया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम

लिमिटेड (आर आई एन एल) ने भी बताया है कि उसके संयंत्रों ने वर्ष 2001–2002 के दौरान तप्त धातु, द्रव इस्पात और विक्रेय इस्पात का उत्पादन अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक किया है। जहां तक इस्पात संयंत्रों की आधुनिकीकरण संबंधी आवश्यकताओं का संबंध है, इन आवश्यकताओं को संबंधित संयंत्रों द्वारा अपनी योजनागत योजनाओं के जरिए पूरा किया जाता है।

बी पी सी एल की प्योर फार स्योर स्कीम

5625. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी पी सी एल ने अपने कुछ ए और बी साइट के अधिक बिक्री वाले खुदरा आऊटलेटों को प्योर फार स्योर स्कीम के तहत प्रमाण पत्र देने शुरू कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की स्वीकारोक्ति शेष खुदरा आऊटलेट कदाचार और अनियमितताओं में लिप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस तरह के भेदभाव के क्या कारण हैं और प्योर फार स्योर स्कीम के अंतर्गत कवर न किए जाने वाले उन खुदरा आऊटलेट डीलरों को बदनाम करने के लिए जिनकी बिक्री कम है, निगम के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी, हां। बी पी सी एल द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी को तेल कंपनी द्वारा निर्धारित एक निश्चित मानदण्ड पर आधारित प्योर फार स्योर स्कीम को अधिप्रमाणित करने के लिए नियोजित किया गया है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक है और आरम्भ में यह कंपनी नियंत्रित स्थलों के सभी श्रेणियों के डीलरों के लिए खुला है। प्योर फार स्योर स्कीम के लिए चयन करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों सहित सभी केन्द्र वर्तमान विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों द्वारा शासित हैं।

पानीपत टर्मिनल द्वारा परिवहन ठेका

5626. श्री अधीर चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार तेल कम्पनियों के पानीपत टर्मिनल ने औद्योगिक उपभोक्ताओं और ए टी एफ हेतु ऐसे व्यक्तियों को समांतर परिवहन ठेका देना आरम्भ किया है जो ना तो डीलर हैं और ना ही निविदाकार;

(ख) क्या उक्त प्रणाली निविदा शर्त के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली के कारण पानीपत टर्मिनल में अतिरिकत टैंकर हो गए हैं और योग्य/अधिकृत टैंकरों को घाटा हुआ है;

(घ) क्या पोल (पी ओ एल) उत्पादों के ब्रीजिंग कार्य को पहले पानीपत की उन कंपनियों को प्रदान किया जाना है जिन्हें काम करने का ठेका मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रणाली में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) कोई भी समानान्तर परिवहन संविदा किसी नए परिवहनकर्त्ता से प्रदान नहीं की गई है।

(ख) यह निविदा दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

(ग) पानीपत संस्थापना में कोई अधिशेष बेड़ा नहीं है और विशेष रूप से सर्वाधिक मांग वाले मौसम में मौसमी मांग की आवश्यकता को पूरा करने हेतु अतिरिक्त बेड़े के लिए प्रचालनों में वृद्धि की जाती है।

(घ) ब्रिजिंग कार्य के लिए, प्रापक स्थान द्वारा भेजे गए टैंक ट्रकों को वरीयता दी जाती है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए किसी अगली कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं है।

एच एस सी एल में वी आर एस पैकेज

5627. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच एस सी एल में विशेषकर दुर्गापुर इकाई के कर्मचारियों को तीस महीनों से वेतन नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना (वी आर एस) पैकेज या उनका बकाया वेतन कब तक दे दिया जाएगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) अत्यधिक वित्तीय अड़चनों के कारण हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल) की कई इकाइयों के कर्मचारियों का भुगतान बकाया है। दुर्गापुर में 30 महीनों का वेतन बकाया है क्योंकि यह इकाई वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राजस्व सृजित नहीं कर सकी।

(ख) 5000 कर्मचारियों को पृथक करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू करने के लिए बैंकों से 250 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लिए सरकार ने एच एस सी एल के पक्ष में गारंटी देने की मंजूरी दी है। बकाया मजदूरी और सांविधिक बकाया देयों को आंशिक रूप से निपटाने के लिए सरकार ने एच एस सी एल को 89.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मंजूर की है।

केरल की अथिरा पिल्ली परियोजना को मंजूरी

5628. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल की अथिरा पिल्ली परियोजना की मंजूरी देने तथा वहां के कायमकुलम विद्युत केन्द्र के संदर्भ में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के साथ विद्युत खरीद समझौतों के निर्बंधन और शर्तों की समीक्षा के संबंध में वहां की सरकार की ओर से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने अथिरा पिल्ली जल–विद्युत परियोजना (2 × 80 मेगावाट) के लागत अनुमान/कार्य क्षेत्र में संशोधन किया है और हाल ही में अप्रैल 2002 में इसने तत्संबंधी परियोजना रिपोर्ट एवं स्पष्टीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को भेजा है। पूर्व में इस परियोजना को सीईए ने 13.5.1996 को 1994–95 के मूल्य स्तर पर 230.48 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की थी।

एनटीपीसी ने चरण–2 (क्षमता 1950 मेगावाट) में कायम–कुलम कम्बाइण्ड साईकल विद्युत परियोजना के विस्तार का विचार किया है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र के अन्य राज्यों को कायमकुलम सीसीपीपी से विद्युत आवंटन करने की व्यवहार्यता की जांच करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

सीमावर्ती सड़क परियोजना

5629. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान और अफगानिस्तान आदि देशों से लगी सीमा पर चल रही सीमावर्ती सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी प्रगति हुई है और उस पर अब तक कितना खर्च हुआ है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

लेखा परीक्षण करने वाली फर्मों का कार्यकाल सीमित करने का प्रस्ताव

5630. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लेखा परीक्षण करने वाली फर्म का कार्यकाल किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के साथ अधिकतम 5 वर्ष तक सीमित करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में लेखा परीक्षण करने वाली फर्म अपने संबंध दर्शकों तक निरंतर बनाये रखती है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार लेखा परीक्षण करने वाली फर्मों की किसी कंपनी के साथ लम्बे समय तक के कार्यकरण को सीमित करने की विनियामक प्रक्रिया को किस रूप में सुदृढ़ करने का है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये जाएंगे कि कंपनियां अपने लेखा परीक्षकों के साथ गैर व्यावसायिक संबंध स्थापित न कर पाएं; और

(ङ) यदि हां, तो देश में लेखा परीक्षण के स्तर में सुधार किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) कम्पनी विधेयक, 1997 में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि कोई कम्पनी किसी लेखा परीक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति लगातार पांच अवधियों से अधिक के लिए नहीं कर सकती। यह खंड अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 में यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षापाय निहित है, कि कम्पनियां अपने लेखा परीक्षकों के साथ कोई गैर–व्यवसायिक संबंध न विकसित करें। चार्टर्ड एकाउंटेंट/चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा दुर्व्यवहार, चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डनीय है। उनके द्वारा कम्पनी अधिनियम के संबंधित उपबंधों की गैर–अनुपालना कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233 के अंतर्गत दण्डनीय है।

शरणार्थियों की रक्षा के लिए पृथक कानून

5631. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार शरणार्थियों की रक्षा के लिए पृथक् कानून बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा, जो प्रश्न की विषय–वस्तु से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, सूचित किया गया है, शरणार्थियों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए एक पृथक विधि की साध्यता, आवश्यकता या अन्यथा, आदि के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विभिन्न संबंधित अभिकरणों से परामर्श करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

शकूरबस्ती-जींद/भिवानी रेल लाइन का विद्युतीकरण

5632. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शकूरबस्ती–जींद/भिवानी रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिसार कैण्ट प्राधिकरण और इस क्षेत्र में आने वाली सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कम्पनियों के बोटलिंग संयंत्रों ने भी इस परियोजना पर आने वाले खर्च में हाथ बटाने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस परियोजना पर कब तक काम शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

सेलम इस्पात संयंत्र का निजीकरण

5633. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेलम इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विरोध में सेलम इस्पात संयंत्र की बचाव समिति की ओर से हाल ही में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) क्या उक्त समिति ने सेलम इस्पात संयंत्र को बेचने की प्रक्रिया में इसे अनुषंगी इकाई में परिवर्तित करने

को रोकने और उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता मुहैया कराने तथा आई पी टी और आई पी सी ए की सभी सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (घ) जी, हां। कथित समिति ने सरकार से सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) के स्वत्वहरण की प्रक्रिया पर आगे न बढ़ने का अनुरोध किया है। उन्होंने सरकार से एस एस पी को सहायक कंपनी के रूप में पृथक् न करने का भी अनुरोध किया है। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के वित्तीय तथा कारोबार पुनर्गठन के अंग के रूप में एस एस पी को संयुक्त उद्यम में परिवर्तित करने की पहले ही सहमति दे दी है।

कैम्ब्रिज प्रेस का भारत में व्यापक कारोबार

5634. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के सबसे पुराने और बड़े एकेडमिक शैक्षणिक प्रकाशक कैम्ब्रिज प्रेस भारत में अपने कारोबार का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कैम्ब्रिज प्रेस को भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए सहायता देने हेतु सभी प्रयासों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईंधन में मिलावट

5635. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगरों में ईंधन में मिलावट का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र दिल्ली ने दिसंबर, 2001 से लेकर जनवरी, 2002 के बीच तक दिल्ली के 15 खुदरा आउटलेटों से तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 30 आउटलेटों से ईंधन के नमूने इकट्ठे किए थे और ये सभी नमूने पयुल टैंकरों और डिपो से लिए गए थे;

(ग) यदि हां, तो लिए गए नमूनों से क्या परिणाम निकला है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के दिशानिर्देशों के तहत विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्वेक्षण किया है।

(ख) विज्ञान और पर्यावरण (सीएसई) केन्द्र की रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है कि सीएसई ने दिसंबर, 2001 से जनवरी, 2002 के दौरान राष्ट्रीय राज्य के 15 खुदरा बिक्री केन्द्रों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 30 खुदरा बिक्री केन्द्रों, 13 टैंक लारियों और 6 डिपुओं से नमूने एकत्र किए।

(ग) सीएसई रिपोर्ट में यह इंगित किया गया है कि एचएसडी और एमएस के 3–3 नमूने संबंधित बीआईएस निर्देशों को पूरा नहीं कर सके और 12 एमएस नमूनों में बैंजीन की मात्रा 1 प्रतिशत से अधिक पाई गई। तथापि, उस समय प्रचलित बीआईएस निर्देशों के अनुसार एमएस में 3 प्रतिशत तक बैंजीन मात्रा की महानगरों में अनुमति थी। केवल 2 नमूनों में बैंजीन मात्रा 3 प्रतिशत से अधिक थी।

(घ) रिपोर्ट में उस तेल कंपनी/खुदरा बिक्री केन्द्रों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है जिनके नमूने फेल हो गए। नमूनों की वास्तविक विफलता दर न्यून है। सरकार ने मिलावट की जांच करने के लिए उपाय किए हैं।

पत्रकार कल्याण कोष

5636. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्रकारों को अनुग्रह राशि मुहैया कराने के लिए पत्रकार कल्याण कोष हेतु अब तक कितनी धनराशि संगृहीत की गई है;

(ख) अपनी जान गंवा चुके/स्थायी रूप से अशक्त हो चुके पत्रकारों के परिवारों को दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पत्रकारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) इस मंत्रालय द्वारा 5 करोड़ रुपए के आरम्भिक संग्रह से पत्रकार कल्याण निधि की स्थापना की गयी है।

(ख) दिल्ली में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रत्यायित और अपनी जान गंवाने वाले/स्थायी रूप से अशक्त हो गए पत्रकारों के परिवारों और पत्रकारों को अभी तक छह मामलों में एक–एक लाख रुपये की अनुग्रह राहत दी गई है।

(ग) से (ङ) पत्रकार कल्याण निधि को 2001–2002 में स्थापित किया गया है। इस निधि से अनुग्रह राहत में संशोधित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

दंड प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक, 1994 को फिर से पेश किया जाना

5637. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बेघरबार महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के लिए दंड (संशोधन) विधेयक, 1994 को फिर से पेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ठोस कदम उठाने में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) संसद में प्रस्तावित विधेयक को कब तक पेश किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ङ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 का जो पत्नियों, बालकों और माता–पिता के भरण–पोषण से संबंधित है, हाल ही में अन्य बातों के साथ–साथ, भरण–पोषण भत्ते की रकम की सीमा को हटाते हुए और अंतरिम भरण–पोषण भत्ते तथा कार्यवाहियों के लिए खर्चों का उपबंध करते हुए संशोधन किया गया है। संशोधन तारीख 24 सितंबर, 2001 को प्रवृत्त हुआ था।

पश्चिम रेलवे की परियोजनाएं

5638. श्री दिलीप संघाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में क्रियान्वित की जा रही प्रत्येक चालू/लंबित/नई परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से मिले अतिरिक्त बजटीय समर्थन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजनावार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (घ) 2002–03 के लिए परियोजना–वार प्रस्तावित परिव्यय सहित पश्चिम रेलवे में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए अभी तक कोई अतिरिक्त बजटीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है। पूरा करने की लक्ष्य तिथि जहां निर्धारित है, परियोजना की स्थिति में दर्शायी गई है।

विवरण

पश्चिम रेलवे में चल रही रेल परियोजनाएं

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रेलवे	नवीनतम अनुमानित लागत	2001–02 के अंत में संभावित परिव्यय	2002–03 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
नई लाइन						
1.	कपड़वंज–मोड़ासा	प.रे.	61.67	59.36	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
2.	गोधरा–इंदौरा देवास–मक्सी	प.रे.	597.00	48.73	22.10	यह कार्य चरणों में पूरा किए जाने की योजना है। देवास और मक्सी के बीच पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है।
3.	दौसा–गंगापुर	प.रे.	214.26	0.29	15.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बनास–बामनिया–नांगल–राजावत के बीच भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं।
4.	अजमेर–पुष्कर	प.रे.	67.00	0.02	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात तैयार किए जा रहे हैं।
5.	गांधीनगर–अदरेजमोती–कलोल	प.रे.	52.00	0.02	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है, भूमि के नक्शे तैयार कर लिए गए हैं और राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
6.	रामगंज मंडी–भोपाल	प.रे.	425.00	0.25	20.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन						
1.	मिलड़ी (मेहसाना–पाटन)–वीरमगांव	प.रे.	134.80	15.89	1.00	परियोजना में वीरमगांव से पाटन के बीच 104.36 कि.मी. का आमान परिवर्तन और पाटन और मिलड़ी के बीच 52.64 कि.मी. नई लाइन का निर्माण करना शामिल है। पहले चरण में वीरमगांव–मेहसाना खंड (65 कि.मी.) पर मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। इस खंड के रेलपथ और सिगनलिंग संबंधी कार्य बोट के अंतर्गत किए जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए निविदाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7
2.	नीमच–रतलाम	प.रे.	116.74	14.57	25.00	दीर्घकालिक मदों जैसे पुलों आदि पर कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति करेगा और आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
3.	फुलेरा–मारवाड़–अहमदाबाद	प.रे.	632.35	623.35	9.00	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है। रेवाड़ी–दिल्ली दूसरी लाइन का आमान परिवर्तन कार्य भी इस कार्य का भाग है जहां तल्प संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इस लाइन का आमान परिवर्तन मी.ला. खंडों के आमान परिवर्तन के साथ पूरा हो जाएगा।
4.	वंसजलिया–जेतलसर तक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आशोधन सहित राजकोट–वेरावल	प.रे.	291.61	37.32	35.00	मिट्टी संबंधी, छोटे पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है। राजकोट से जेतलसर (77 कि.मी.) तक का कार्य 2002–03 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।
5.	आगरा फोर्ट–बांदीकुई	प.रे.	178.03	16.29	26.00	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति हो रही है।
6.	गांधीधाम–भुज	प.रे.	50.75	44.40	0.01	पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
7.	वांकानेर–मलिया मियाना	प.रे.	100.85	100.35	0.01	पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
8.	उदयपुर से अमरा तक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आशोधन सहित अजमेर–उदयपुर–चित्तौड़गढ़	प.रे.	294.69	34.85	30.00	उदयपुर और चित्तौड़गढ़ (114 कि.मी.) के बीच मिट्टी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। अजमेर–चित्तौड़गढ़ में बड़े पुलों के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं।
9.	पीपावाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर–भावनगर, ढोला–ढांसा–महुवा	प.रे.	227.63	73.99	25.90	पीपावाव (18 कि.मी.) संपर्क सहित सुरेन्द्रनगर से राजूला (251 कि.मी.) तक मुख्य लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) जिसमें रेल मंत्रालय और जीपीपीएल शामिल हैं, के माध्यम से किया जा रहा है। तल्प और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। यह भाग 2002–03 के दौरान पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना का गैर–

1	2	3	4	5	6	7
						एसपीवी भाग जिसमें ढोला–भावनगर (49 कि.मी.), सिहोर–पालीताना (27 कि.मी.), राजूला–महुवा (30 कि. मी.) में मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
10.	धांगध्रा–कुड़ा साइडिंग	प.रे.	3.39	3.38	0.01	कार्य पूरा हो गया है।
11.	गांधीधाम–पालनपर	प.रे.	370.74	14.36	10.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अनुमान स्वीकृत किए जा रहे हैं। गुजरात सरकार के साथ अंतिम समन्वय बैठक में राज्य सरकार ने अन्य लाभार्थियों के साथ–साथ परियोजना की आंशिक लागत वहन करने की इच्छा जाहिर की है। इस संबंध में समझौता ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।
दोहरीकरण						
1.	कालापीपल–फंदा/ मक्सी–भोपाल	प.रे.	53.00	0.01	31.00	कार्य की प्राथमिकता पुनः निर्धारित की जा रही है।
2.	बोलई–कालीसिंध, कालीसिंध–किसोनी, किसोनी–बेड़छा और मक्सी– पीरोमरोद	प.रे.	49.29	45.31	0.90	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
3.	वड़ोदरा और विरार के बीच सूरत– कोसाम्बा तीसरी लाइन का ~चरण–।	प.रे.	49.00	0.30	16.38	विस्तृत अनुमान तैयार कर लिए गए हैं और स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।
महानगर परिवहन परियोजना						
1.	बोरीवली–विरार– चौहरीकरण	प.रे.	401.66	94.59	118.00	मिट्टी संबंधी, बड़े और छोटे पुल संबंधी, यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और क्वार्टरों का कार्य प्रगति पर है। वसई क्रीक पर महत्वपूर्ण पुल सं. 73 और 75 पर महत्वपूर्ण पुल का कार्य भी प्रगति पर है।
2.	शांताक्रूज– बोरीवली–5वीं लाइन	प.रे.	89.30	88.59	0.40	बोरीवली–अंधेरी खंड पहले ही यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष खंड पर कार्य पूरा हो गया है और रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के पश्चात् शीघ्र ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
3.	विरार–दहानू रोड– ऑटो ब्लॉक सिगनलिंग	प.रे.	29.09	26.57	1.00	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है।
4.	विरार–दहानू रोड ईएमयू शुरू करने के लिए सुविधाओं का विकास और दहानू रोड में टर्मिनल सुविधाएं	प.रे.	29.10	0.08	3.00	कार्य अक्टूबर 2001 में योजना आयोग की स्वीकृति लेने के पश्चात् शुरू कर दिया गया है और प्रगति पर है।
रेल विद्युतीकरण						
1.	उधना–जलगांव	प.रे.	140.99	108.90	30.00	मार्च, 2002 तक 175 मार्ग कि.मी. उर्जित कर लिया गया है। कार्य अनुसूची के अनुसार प्रगति पर है। लक्ष्य मार्च, 2003 है।

इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेराम्बूर

5639. श्री एस. मुरुगेसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के पेराम्बूर में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बहुत से क्रयादेश लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे क्रयादेशों को समय पर निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त कोच फैक्ट्री को बंद करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं। सडिका अपने वार्षिक उत्पादन के लक्ष्यों को नियमित रूप से पूरा कर रहा है तथा कोई बकाया बैकलॉग नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पोटा अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें

5640. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार पोटा अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए गठित की गई विशेष अदालतों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में पोटा के अंतर्गत कितने व्यक्ति निरुद्ध किए गए और इनमें विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) विधि व्यवस्था राज्य का विषय है और इसलिए पोटा अभियुक्तों के विचारण के लिए आज की तारीख तक संस्थित विशेष न्यायालयों की राज्य–वार संख्या और प्रत्येक राज्य में पोटा बंदियों की संख्या के, जिनके अंतर्गत विदेशी राष्ट्रिक भी हैं, संबंध में गृह मंत्रालय में कोई जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

फिल्म संगठनों से ज्ञापन

5641. श्री अनंत गुढे : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान भाषावार कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया और कितनी फिल्में प्रदर्शित की गईं;

(ख) क्या सरकार को फिल्म संगठनों से उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अनुसार भाषावार 2001–2002 के दौरान प्रमाणित फीचर फिल्मों की कुल संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में समय–समय पर मनोरंजन क्षेत्र के लिए रियायत एवं सुविधा मांगने संबंधी पत्र प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे प्रस्तावों का यथाअपेक्षित मूल्यांकन किया जाता है और इन्हें संबंधित मंत्रालयों के साथ उठाया जाता है। मनोरंजन क्षेत्र को इसकी संभावना को प्राप्त करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता देने का प्रयास किया जाता है जिससे यह क्षेत्र देश में आय और रोजगार सृजन में अपने योगदान को बढ़ा सके।

विवरण

भाषा	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2002 तक प्रमाणित फिल्मों की संख्या
1	2
हिन्दी	231
मराठी	17
गुजराती	11
पंजाबी	4
भोजपुरी	2
अंग्रेजी	8
बंगला	48
नेपाली	5
तेलगु	204
तमिल	186
राजस्थानी	2
असमिया	11
छत्तीसगढ़	17
मणिपुरी	7
उडिया	8
मलयालम	139
सिंधी	1
हरियाणवी	1
सौथली	1
कन्नड़	109
मिशी	1
बोड	1
कश्मीरी	1
कुल	1015

कोडईकनाल आकाशवाणी केन्द्र

5642. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडईकनाल आकाशवाणी केन्द्र अधिकांशतः मदुरै आकाशवाणी केन्द्र के कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कोडईकनाल आकाशवाणी केन्द्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) इस आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं। यह केन्द्र अपने कार्यक्रमों को प्रसारित कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों अर्थात् 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान आकाशवाणी को आवंटित की गयी धनराशि क्रमशः 30.65 लाख रुपये और 45.87 लाख रुपये थी।

(घ) आकाशवाणी का नवीनतम कार्यक्रम पद्धति और प्रस्तुति की शैली को अपनाकर कोडईकनाल सहित सभी आकाशवाणी केन्द्रों से अच्छी गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों को प्रसारित करने का सतत प्रयास रहा है। आकाशवाणी कोडईकनाल ने मैट्रो एफ एम की तर्ज पर प्रसारण पद्धति को अपनाया है जो बहुत ही लोकप्रिय है। 'वनाविल' नामक कार्यक्रम में इन्टरएक्टिव फोन ने दर्शकों की संख्या को बढ़ाया है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य

5643. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य कितना था;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के अधिक मूल्य का पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों और तेल पूल घाटे पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों के सरकारी मूल्य के स्थान पर बाजार की तेल कंपनियों द्वारा नियंत्रित मूल्य नीति को अपनाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले छह महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दो प्रमुख मेकर कच्चे तेलों से प्रकाशित मूल्यों का मासिक औसत निम्नवत है–

(अमेरीकी डालर प्रति बैरल)

अवधि	दुबई	ब्रेंट (दिनांकित)
अक्तूबर 2001	19.63	20.49
नवंबर 2001	17.67	18.98
दिसंबर 2001	17.83	18.68
जनवरी 2002	18.48	19.48
फरवरी 2002	19.02	20.22
मार्च 2002	22.96	23.73

(ख) जबकि अक्तूबर, 2001 से मार्च, 2002 के दौरान की अवधियों से पेट्रोल और डीजल भंडारण स्थल मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई वहीं पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों में इन उत्पादों पर दी जा रही राजसहायता कम करने के लिए मार्च, 2002 के दौरान वृद्धि की गई। प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समाप्त किए जाने के साथ–साथ तेल पूल खाता 1 अप्रैल, 2002 से बंद कर दिया गया है।

(ग) और (घ) पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी जो कि राजसहायता प्राप्त उत्पाद हैं, के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण 1 अप्रैल, 2002 से बाजार द्वारा निर्धारित होता है।

[अनुवाद]

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा कृष्णा नदी जल आपूर्ति परियोजना

5644. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) द्वारा सीआरआईएसआईएल को सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुसार केन्द्र

सरकार को हैदराबाद और सिकन्दराबाद के जुड़वां शहरों के लिए कृष्णा जल आपूर्ति परियोजना से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आयात बिल

5645. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष का आयात बिल कुल कितना है;

(ख) क्या इस बिल में कोई गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले वित्तीय वर्ष 2000–01 में 78.025 करोड़ रुपए के आयात बिल के प्रति वित्तीय वर्ष 2001–02 का आयात बिल 73,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरा निम्नानुसार है

	2000–01 वास्तविक (अनन्तिम)		2001–02 (संशोधित अनुमान)	
	मात्रा 000' टन	मूल्य (करोड़ रुपए)	मात्रा 000' टन	मूल्य (करोड़ रुपए)
	1	2	3	4
क्रूड				
सार्वजनिक क्षेत्र	42,024	38,121	46,085	39,160
संयुक्त क्षेत्र	6,202	5,690	6,289	5,295
निजी क्षेत्र	25,871	22,121	28,023	23,145
उत्पाद आयात				
सार्वजनिक क्षेत्र	3,007	3,793	1,635	1,809
निजी क्षेत्र	6,260	8,300	3,321	4,130
योग	83,364	78,025	85,353	73,539

विद्युत आवंटन फार्मूला

5646. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत आवंटन फार्मूला की समीक्षा का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को केन्द्रीय करों/योजना सहायता राशियों के वितरण की अनुरूपता पर आधारित विद्युत आवंटन की सिद्धांततः समीक्षा करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समीक्षा कार्य को कब तक आरंभ किए जाने और कब तक अन्तिम रूप से पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत स्टेशनों से विद्युत की हिस्सेदारी के फार्मूले के अनुसार किसी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत का आवंटन केन्द्रीय योजना सहायता के अनुसार एवं पिछले पांच वर्षों से राज्य में ऊर्जा खपत, जहां दोनों घटकों को समान महत्व दिया जाता है, के आधार पर किया जाता है। गाडगिल फार्मूला जो राज्यों को विभिन्न संशोधित रूपों के केन्द्रीय योजना सहायता के आवंटन का आधार है, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, टैक्स संबंधी कार्य–निष्पादन, वित्तीय प्रबंधन आदि को महत्व देता रहा है।

सरकार ने अप्रैल, 2000 में नए केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत स्टेशनों से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत आवंटन के लिए मौजूदा

फार्मूला को दिशा निर्देश के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया है ताकि विद्युत आवंटन को उनकी आवश्यकता एवं भुगतान क्षमता से जोड़ा जा सके। हालांकि फार्मूले की विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और इससे केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों से किए जा रहे आवंटन में कोई अंतर नहीं पड़ा है। दिशा–निर्देशों के अंतर्गत राज्यों/संघीय क्षेत्रों को उनके द्वारा संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) के शर्त पर उनकी पात्रता के अनुसार विद्युत का आवंटन किया जाएगा। वर्तमान में दिशा–निर्देशों की पुनः समीक्षा करने का कोई विचार नहीं है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विवरणी दाखिल करना

5647. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उनकी विदेश स्थिति सहायक कंपनियों की विवरणियों को दाखिल करने की छूट न देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर से बचने के लिए पूंजी/धन बाहर भेज रही थीं;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सरकार के इस प्रयास का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनारक्षित सवारी डिब्बों में बाहुबल से सीट हथियाना

5648. श्री मानसिंह पटेल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
प्रो. दुखा भगत :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुलियों और बलशाली व्यक्तियों के समूह विधि प्रवर्तक एजेन्सियों की मिलीभगत से नयी दिल्ली से चलने वाली सभी प्रमुख रेलगाड़ियों के प्लेटफार्म पर आने से पहले उनके अनारक्षित कम्पार्टमेन्ट में सीटें हथिया लेते हैं और इसके स्थान पर वे यात्रियों से पैसा लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस अव्यवस्था को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) (क) से (ग) कुछ मामले नोटिस में आए हैं। इस समस्या को कम करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर वाणिज्य और सतर्कता विभागों द्वारा नियमित जांचें की जाती हैं ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा सीटों को हथियाने से रोका जा सके। वे व्यक्ति जो सीट हथियाते हुए पकड़े जाते हैं उनके विरुद्ध नियमों और कानून के संबद्ध प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों पर व्यय

5649. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहुत से निर्दलीय उम्मीदवार विधान सभा और संसद का चुनाव लड़ते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करने और अन्य प्रबंध करने में होने वाले अनावश्यक व्यय को रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) निर्वाचनों में निर्दलीय और अन्य अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा का प्रबंध कानून व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करता है। तथापि, भारत निर्वाचन आयोग ने निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए व्यक्तिक सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

कुर्दुवाड़ी में के.के. एक्सप्रेस को विश्राम देना

5650. श्री रामदास आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में कुर्दुवाड़ी रेलवे स्टेशन पर के.के. एक्सप्रेस को विराम प्रदान करने का है;

(ख) क्या सरकार को जन प्रतिनिधियों से कुर्दुवाड़ी रेलवे स्टेशन पर उक्त रेलगाड़ी को रोकने से संबंधित ज्ञापन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं। कुर्दुवाड़ी स्टेशन पर 2627/2628 बेंगलूरू–नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस का ठहराव मुहैया कराने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) इस संबंध में श्री रामदास आठवले, संसद सदस्य और श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले, संसद सदस्य सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) प्रस्ताव की जांच की गई है परन्तु व्यावहारिक नहीं पाया गया था।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) द्वारा अर्जित लाभ

5651. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) ने वर्ष 2001–2002 के दौरान लाभार्जन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह गत वर्ष की तुलना में कितना अधिक है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) ने किन विभिन्न स्रोतों से लाभार्जन किया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001–2002 के लिए कर–पूर्व लाभ 305 करोड़ रुपये आंका गया है जो कि गत वर्ष 265.15 करोड़ रुपये था तथा यह गत वर्ष की तुलना में 15.03% अधिक है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने वास्तविक रूप से विनिर्माण, मरम्मत एवं ओवरहाल, अतिरिक्त पुर्जों और विकास कार्यकलापों तथा ब्याज–आय के रूप में लाभार्जन किया है।

उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश

5652. श्री एस. अजय कुमार :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में न्यायाधीशों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में न्यायाधीशों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिला न्यायाधीशों के प्रतिशत का न्यायालय–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि न्यायिक प्रणाली में आरक्षित समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ङ) विवरण । और ॥ संलग्न हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियां क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अधीन की जाती हैं जिनमें व्यक्तियों की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है। अतः भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की संख्या के लिए कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

सरकार, न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करती है और तद्नुसार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र भेजे थे जिसमें अन्य बातें के साथ–साथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिज्ञ परिषद् से अभ्यर्थियों का पता लगाने का अनुरोध किया था। उनको अंतिम बार, 15 मार्च, 2002 को स्मरण कराया गया था।

निचले न्यायालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिलाओं की संख्या के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि ये नियुक्तियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं।

विवरण-I

तारीख 29.4.2002 की स्थिति

I. **उच्चतम न्यायालय** : स्वीकृत पद–संख्या = 26

वास्तविक पद–संख्या = 26

रिक्तियां = –

महिला न्यायाधीश = 1

II. **उच्च न्यायालय** :

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	अनुमोदित पद–संख्या	वास्तविक पद–संख्या	रिक्तियां	महिला न्यायाधीश
1.	इलाहाबाद	95	51	44	–
2.	आंध्र प्रदेश	39	32	7	2
3.	बम्बई	60	53	7	5
4.	कलकत्ता	50	42	8	–
5.	छत्तीसगढ़	6	3	3	–
6.	दिल्ली	33	30	3	2
7.	गुवाहाटी	19	15	4	–
8.	गुजरात	42	33	9	1
9.	हिमाचल प्रदेश	8	7	1	1
10.	जम्मू–कश्मीर	14	8	6	–
11.	झारखंड	12	10	2	–
12.	कर्नाटक	40	33	7	1
13.	केरल	29	24	5	1
14.	मध्य प्रदेश	29	26	3	1
15.	मद्रास	42	31	11	1
16.	उड़ीसा	16	14	2	–
17.	पटना	31	23	8	1
18.	पंजाब और हरियाणा	40	26	14	1
19.	राजस्थान	32	27	5	1
20.	सिक्किम	3	1	2	–
21.	उत्तरांचल	7	3	4	–
	योग	647	492	155	18

विवरण-II

निचले न्यायालय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या	1.6.2001 को न्यायिक अधिकारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	682	661	21
2.	असम	259	205	54
3.	अरुणाचल प्रदेश*	293	293	0
4.	बिहार	1065	874	191
5.	झारखंड	533	370	163
6.	गुजरात	636	581	55
7.	गोवा	44	39	5
8.	हरियाणा	266	233	33
9.	हिमाचल प्रदेश	98	93	5
10.	जम्मू–कश्मीर	156	141	15
11.	कर्नाटक	665	589	76
12.	केरल	370	369	1
13.	मध्य प्रदेश	798	665	133
14.	छत्तीसगढ़	190	175	15
15.	महाराष्ट्र	1280	1107	173
16.	मणिपुर	32	28	4
17.	मेघालय	7	6	1
18.	मिजोरम	35	21	14
19.	नागालैंड	21	21	0
20.	उड़ीसा	483	404	79
21.	पंजाब	301	279	22
22.	राजस्थान	790	663	127
23.	सिक्किम	12	9	3
24.	तमिलनाडु*	692	688	4
25.	त्रिपुरा	74	55	19
26.	उत्तर प्रदेश	1929	1517	412
27.	उत्तरांचल	–	–	–
28.	पश्चिमी बंगाल	588	507	81
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	8	0
30.	चंडीगढ़	19	19	0
31.	दिल्ली	385	239	146
32.	दादरा और नगर हवेली	2	2	0
33.	दमन और दीव	2	2	0
34.	लक्षद्वीप	3	3	0
35.	पांडिचेरी	19	14	5
	योग	12,737	10,880	1,857

रक्षा उत्पादन

5653. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादन देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि रक्षा उत्पादन देश की रक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा। विमानों, युद्धपोतों, शस्त्रास्त्रों, टैंकों, युद्धक वाहनों तथा इलेक्ट्रानिक एवं इंजीनियरी उपस्करों आदि के स्वदेशी उत्पादन में, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणियों ने काफी प्रगति की है। उनके प्रयासों में निजी क्षेत्र ने भी सहायता प्रदान की है। वर्ष 2000–01 के दौरान आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के उत्पादों का संयुक्त मूल्य लगभग 14,000 करोड़ रुपए रहा है।

आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आयुध निर्माणियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की क्षमता की लगातार मानीटरी की जा रही है। सेना मुख्यालयों से परामर्श करके संदर्शी योजनाएं भी बनाई गई हैं। देश में ही सभी प्रकार के रक्षा उपस्करों का विनिर्माण करने के लिए सरकार ने हाल ही में रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की 100 प्रतिशत भागीदारी की अनुमति प्रदान की है तथा इसमें 26 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी अनुमति दी गई है तथा ये दोनों कार्य लाइसेंस के अंतर्गत किए जाएंगे।

कोयले का माल भाड़ा

5654. डा. ए. डी. के. जयशीलन : क्या **रेल** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का रेल भाड़ा कोयले की मूल कीमत से 155% अधिक है लेकिन सीमेंट का माल भाड़ा बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या माल भाड़े को तर्कसंगत बनाने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) किसी पण्य की माल भाड़ा की दर पारवहन की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। वर्ष 2002–03 के लिए 656 कि.मी. की अनुमानित औसतन गमन दूरी पर कोयला और सीमेंट की माल भाड़ा दरें क्रमशः 508.80 प्रति टन और 548.00 प्रति टन है।

(ग) से (ङ) रेलवे बजट 2002–03 में माल भाड़ा संरचना के यौक्तिकीकरण को शुरू किया गया है।

निधि कम्पनियों के लिए दिशा-निर्देश

5655. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समितियों की दशा को अच्छी स्थिति में रखने हेतु निधि कम्पनियों/म्यूचुअल बेनेफिट फंड के लिए कई दिशा–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन विधि कंपनियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए कौन–कौन से अधिदेशात्मक मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 26.7.2001 की दो अधिसूचनाओं के द्वारा निधि कम्पनियों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व फंड, जमाराशि के शुद्ध स्वामित्व फंड के अनुपात, लाभांश पर सीमा, सम्पत्ति ऋण पर सीमा तथा राजस्व मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण के लिए विवेकयुक्त मानदण्ड तथा उपबंधीय मानदण्ड आदि पर दिशानिर्देश शामिल है। कम्पनी कार्य विभाग के प्रादेशिक निदेशकों को नियामक प्राधिकारी [illegible] से मार्गदर्शी सिद्धांत [illegible] लाने तथा जमाकर्ताओं के मन में विश्वास लाने के लिए शुरू किए गए थे।

मतदान का अधिकार और चुनावों में उम्मीदवार बनने का अधिकार

5656. श्रीमती कान्ति सिंह :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 326, 327 और 328 के अनुसरण में संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मतदान के अधिकार और चुनावों में उम्मीदवार बनने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में परिवर्तित करने की कोई पहल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मताधिकार और निर्वाचनों में अभ्यर्थी होने का अधिकार कानूनी अधिकार हैं। इस व्यवस्था से कोई व्यावहारिक समस्या सामने नहीं आई है।

ओएनसीजी, रिलायंस और ब्रिटिश गैस का संयुक्त उपक्रम

5657. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया : क्या **पेट्रोलियम और गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी, रिलायंस और ब्रिटिश गैस दिनांक 23 मार्च, 2002 को पन्ना मुक्ता और ताप्ती आयल और गैस फील्ड्स में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इन तेल क्षेत्रों में तेल और गैस की अनुमानित संभावना कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि., मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. और मैसर्स ब्रिटिश गैस ने पन्ना मुक्ता और ताप्ती तेल और गैस क्षेत्रों के लिए विभिन्न संयुक्त आप्रेटरशिप माडलस पर चर्चा करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। इन क्षेत्रों का संयुक्त रूप से प्रचालन करने के लिए किसी करार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) पन्ना–मुक्ता और ताप्ति क्षेत्रों के तेल और गैस भंडारों का 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा निम्नानुसार है–

क्षेत्र	तेल (मिलियन मीट्रिक टन)	गैस (बिलियन घन मीटर)
पन्ना–मुक्ता	21.85	31.75
ताप्ति	–	42.86

रेल अभिलेखागार

5658. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक रेल अभिलेखागार की स्थापना की गई है जिसमें चार कक्षों में भारतीय रेल के 150 वर्षों के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अभिलेखागार की मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) रेलों के ऐतिहासिक पहलू से संबंधित किताबों, रिपोर्टों, फाइलों, फोटोग्राफ्स, स्लाइड्स, पैम्फलेट, पत्रिकाओं, नक्शों जैसे दस्तावेजों का संग्रहण और इन्हें अनुसंधानकर्त्ताओं के संदर्भ के लिए और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में दर्शकों के लिए उपलब्ध कराना।

अमरीका को इस्पात का निर्यात

5659. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को किए जाने वाले इस्पात उत्पादों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान अमरीका को कितनी मात्रा में इस्पात उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान कौन–कौन से देश स्थिर

अथवा वर्धमान रूप से अपने यहां भारत के इस्पात–उत्पादों का आयात करते रहे हैं; और

(घ) अमरीका को इस्पात–उत्पादों के निर्यात में आई गिरावट के क्या कारण हैं और उसे तथा अन्य देशों को दिए जाने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 (अप्रैल, 01 से जनवरी, 02) के दौरान यू एस ए को निर्यात किए गए इस्पात उत्पादों की मात्रा नीचे तालिका में दी गई है–

1999–2000	2000–2001	2001–2002 (अप्रैल, 01 से जनवरी, 02)*
724	482	123

(स्रोत डी जी सी आई एंड एस)
*अनंतिम

(ग) इन वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात उत्पादों का आयात करने वाले कुछ देश हैं : थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान, यू ए ई, बेल्जियम, बंगलादेश, पी आर चीन और नाइजीरिया।

(घ) यू एस ए द्वारा भारतीय इस्पात निर्यातकों के संबंध में व्यापार कार्रवाई निर्यात के स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी है। भारत के कट–टु–लेंथ कार्बन प्लेटों के आयात पर यू एस द्वारा 72.49% पाटन रोधी शुल्क और 12.82% प्रतिकारी शुल्क लगाने के मुद्दे पर भारत सरकार ने चुनौती दी है और इस विवाद को डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय (डी एस बी) में उठाया है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और डब्ल्यू टी ओ संबंधी मुद्दों से संबंधित जानकारी का प्रचार–प्रसार करके भारतीय निर्यातकों की चिन्ता और विभिन्न पाटन रोधी और सुरक्षात्मक जांच के माध्यम से भारतीय निर्यातकों का समर्थन किया है।

भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें

5660. श्री के. पी. सिंह देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय भूतपूर्व–सैनिक संघ ने अपनी शिकायतों के निदान की मांग को लेकर 100 दिन से अधिक की अवधि तक आंदोलन चलाया था;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों के प्रमुख बिंदु क्या–क्या थे;

(ग) क्या उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए सरकार ने कोई आश्वासन दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो मांगों के किन–किन बिंदुओं का समाधान अभी शेष है; और

(छ) इनका समाधान कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार को ऐसे किसी आन्दोलन कार्यक्रम की जानकारी नहीं है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

नई रेल लाइन के लिए गुजरात द्वारा लागत में भागीदारी

5661. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने नई रेल लाइनों यथा, ध्रांगध्रा–कुडा रेल लाइन पोरबंदर रेलवे–स्टेशन से वरिहमासी पोतघाट तक की रेल लाइन और जामनगर बेड़ी पत्तन से रोजिपिसर तक की रेल लाइन के निर्माण के लिए रेल विभाग के साथ लागत में भागीदारी करने की इच्छा जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ध्रांगध्रा–कुडा साइडिंग के आमान परिवर्तन की लागत

का केवल एक–तिहाई हिस्सा वहन कर रही है जो कि पहले ही प्रगति पर है। इस परियोजना की अनुमानित लगात 10.17 करोड़ रुपए है।

शिकायतें दर्ज करने में जी.आर.पी. का उपेक्षा भाव

5662. श्री मंजय लाल :
श्री अरुण कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राजकीय रेल–पुलिस (जी.आर.पी.) रेल यात्रा के दौरान चोरी आदि घटनाओं के पीड़ित यात्रियों की शिकायतें दर्ज करने में सदैव उपेक्षा का भाव दर्शाती है;

(ख) क्या यात्रियों को यात्रा करते समय कभी आवश्यकता पड़ जाने पर, जी.आर.पी. के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने की अनुमति है;

(ग) यदि नहीं, ता इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत वर्ष के दौरान जी.आर.पी. के पास कितनी शिकायतें दर्ज कराई गईं और इन पर क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) हालांकि सरकार ऐसी कुछ शिकायतों से अवगत है तथापि यह सही नहीं है कि राजकीय रेल पुलिस सदैव यात्रियों की शिकायतें दर्ज करने में ध्यान नहीं देती है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कानून और व्यवस्था बनाए रखना और चलती गाड़ियों तथा रेलवे परिसरों में यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा राज्य सरकार की सांविधिक जिम्मेदारी है। राजकीय रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.), जो सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्य करती है, को रेलों पर अपराध के मामले सूचित किए जाते हैं। उनके द्वारा दर्ज किए जाते हैं एवं मामलों की जांच की जाती है। बहरहाल, इस मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2001 के दौरान राजकीय रेल पुलिस द्वारा चोरी और डकैती सहित यात्रियों के सामान की चोरी के 12,278 मामले पंजीकृत किए गए थे। जहां तक इन मामलों पर की गई कार्रवाई का संबंध है, इस मंत्रालय के पास कोई ब्यौरा नहीं है।

कंपनी के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा ही प्रचालित (कोको)पेट्रोल/ डीजल पंप

5663. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विभिन्न तेल कंपनियों के स्वानित्वाधीन तथा उनके द्वारा ही प्रचालित (कोको) पेट्रोल/डीजल पंपों की कुल संख्या कंपनीवार अलग–अलग कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात स्थित ऐसे अनेक पंप पद्म नाम से संचालित किये जा रहे हैं और उनमें मिलावटी पेट्रोल/डीजल बेचा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसे मामलों का पता लगाने के उद्देश्य से सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है/कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में 1139 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पंप) प्रचालन में थे, जिनका कंपनीवार वितरण निम्नानुसार था–

तेल कंपनी	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.	471
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	289
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	254
आईबीपी कंपनी लि.	125
योग	1139

(ख) से (ङ) सरकार को फर्जी नाम पर चलने वाले और मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले किसी खुदरा बिक्री केन्द्र की जानकारी नहीं है। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) मिलावट के विरुद्ध आवधिक निरीक्षण और जांच करती हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों में बेनामी प्रचालन के कारण कुल 4 खुदरा बिक्री केन्द्र समाप्त किए गए थे।

[हिन्दी]

गोंदिया-बल्लारशाह रेल मार्ग स्थित प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाना

5664. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोंदिया–बल्लारशाह (महाराष्ट्र) रेलमार्ग पर स्थित रेल–प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। एक अभ्यावेदन श्री एन.एच दिवाथे से प्राप्त हुआ है जिनमें अन्य मांगों के साथ–साथ गोंदिया–बल्लारशाह खंड पर स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करने के बारे में मांग की गई है।

(ग) स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की सतह सहित यात्री सुविधाएं यात्री यातायात की मात्रा और उससे प्राप्त आमदनियों पर आधारित निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई जाती है। गोंदिया–बल्लारशाह खंड पर सभी–स्टेशन 'ई' कोटि में आते हैं और इन स्टेशनों पर मानदंडों के अनुसार पर्याप्त ऊंचाई वाले प्लेटफार्म की व्यवस्था कर दी गई है।

बहरहाल, नागबीर और सिंदेवाही स्टेशनों पर उच्च सतह वाले प्लेटफार्म उपलब्ध हैं। वाडसा में प्लेटफार्म की सतह को ऊंचा उठाने का कार्य प्रगति पर है। स्टेशनों पर यात्री यातायात में वृद्धि होने पर जब कभी आवश्यक होगा तब प्लेटफार्मों के ग्रेडोन्नयन पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

कोयला-संस्तर मीथेन

5665. श्री बसुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल के कोयला भंडार वाले क्षेत्रों में कोयला संस्तर मीथेन (कोल बेड मीथेन) का भंडार पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा खोज का कार्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) प्रारंभिक अध्ययनों और अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों से पश्चिम बंगाल में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) होने का पता चला है।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अनुसंधान एवं विकास कार्य के रूप में सीबीएम के अन्वेषण का कार्य आरंभ किया था और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर निचान में दो कूपों का वेधन किया गया। ओएनजीसी और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन के लिए नामांकन आधार पर पश्चिम बंगाल में उत्तरी रानीगंज नामक एक ब्लाक, संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इस ब्लाक के ठेके पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

रेल-सवारी डिब्बों का आधुनिकीकरण

5666. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेल–सवारी डिब्बों का आधुनिकी–करण करके उन्हें अधिक सुरक्षित और आरामदेह बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रेल विभाग ने किन–किन कारखानों से परामर्श मांगा है और प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं; और

(घ) रेल विभाग द्वारा नये सवारी–डिब्बे कब तक तैयार किये जाने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मौजूदा सवारी डिब्बों में संरक्षा और आराम के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय रेलों की सवारी डिब्बा उत्पादन इकाइयों और सवारी डिब्बा मरम्मत कारखानों को नवीन विचारों के साथ आगे उन्हें एक–एक कोच में क्रियान्वित करने को कहा गया था। नई दिल्ली में इस प्रकार की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें इस प्रकार के सवारी डिब्बों का प्रदर्शन किया गया था विभिन्न कारखानों और उत्पादन इकाइयों द्वारा दिए गए सभी सुझावों की संवीक्षा चल रही है। विश्वव्यापी आधार पर स्वीकार करने योग्य पाई गई उपयुक्त विशेषताओं से क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों को अवगत करा दिया जाएगा ताकि मरम्मत/नए उत्पादन के दौरान इन्हें शामिल किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, जन शताब्दी सवारी डिब्बों के रूप में मौजूदा द्वितीय श्रेणी सवारी डिब्बों का उन्नत रूप चलाया गया है जिसमें उच्च श्रेणी जैसी विशेषताएं हैं। इनका अभिकल्प भारतीय रेलों द्वारा स्वयं तैयार किया गया है।

इसके अतिरिक्त, रेलों ने मैसर्स एलस्टॉम एल एच बी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित 24 अत्याधुनिक सवारी डिब्बों को खरीदकर, ताकि इनका उत्पादन देश में हो सके, उच्च यात्री सुविधा के लाभ प्राप्त करने, संरक्षा और अनुरक्षण और परिचालन की निम्न लागत प्राप्त करने के लिए सवारी डिब्बा विनिर्माण प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इन सवारी डिब्बों में उन्नत यात्री आराम और संरक्षा के लिए अत्याधुनिक विशेषताएं हैं जैसे फ्लैक्सी कॉयल सस्पैंशन बोगियां, एन्टीड्रमिंग विशेषता सहित नॉएज इंसुलेटिड फ्लोरिंग, फाइबर रीइन्फोर्सड पैनल, इलेक्ट्रानिक फिटिंग सहित मौड्यूलर शौचालय और नियंत्रित निर्गम शौचालय, एन्टी क्लाइमिंग विशेषता सहित सैंटर बफर कपलर, स्टेनलेस स्टील बाडी आदि।

(घ) नए अभिकल्प वाले सवारी डिब्बों के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त होने की आशा है।

[अनुवाद]

वंदे मातरम् का टेली-प्रसारण

5667. श्री रामजी मांझी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997 में अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर मासों के दौरान 'वंदे मातरम्' गान का टेलीविजन पर 198 बार प्रसारण किया गया और इस संबंध में अभी भी 5.44 लाख रु. की राशि का संग्रहण किया जाना शेष है--जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 की अपनी रिपोर्ट सं. 2 के पृ. क्र. 53–54 पर उल्लेखित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इसकी 2002 की रिपोर्ट सं. 2 में यह मामला उठाया गया है और यह जांचाधीन है।

[हिन्दी]

रेल-समपार

5668. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि में, चौकीदार–सहित और चौकीदार–रहित रेल समपारों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान रेल समपारों पर हुई दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्तियों की मौत हुई या वे घायल हुए;

(ग) क्या सरकार का चौकीदार–रहित समपारों पर चौकीदारों को नियुक्त करने का विचार है;

(घ) क्या चौकीदार–रहित समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने कोई धनराशि आवंटित की है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2000–2001, 2001–2002 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और वर्ष 2002–2003 के लिए इसकी मात्रा कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क)

चौकीदार सहित	16424
चौकीदार रहित	20291

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है–

व्यक्ति	1999–2000	2000–2001	2001–2002*
मारे गए	238	154	165
घायल हुए	314	167	229

*2001-2002 के आंकडे अनंतिम हैं।

(ग) जी, नहीं। केवल खतरनाक बिना चौकीदार वाले समपारों पर ही कार्यक्रम के आधार पर चौकीदार तैनात करने का प्रस्ताव है। फिलहाल, पांच वर्षों की अवधि में बड़ी लाइन के मार्गों पर चौकीदार तैनात करने के लिए 4449 बिना चौकीदार वाले समपारों की पहचान की गई है। बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(घ) जी, हां।

(ङ) योजना शीर्ष–2900–सड़क संरक्षा–समपार के अंतर्गत बिना चौकीदार वाले समपरों पर चौकीदार तैनात करने के लिए वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान क्रमशः 13.00 करोड़ रु. और 18.47 करोड़ रु. आवंटित किए गए थे। वर्ष 2002–2003 के दौरान भी चौकीदार तैनात करने के लिए 42.03 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में अपील अदालतों का सृजन

5669. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों में अपीलों की सुनवाई करने के उद्देश्य से सरकार का प्रत्येक उच्च न्यायालय में अपील अदालतें/उच्च अपीलीय प्रभाग सृजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कम्पनियों द्वारा रिटर्न दाखिल किया जाना

5670. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने अपने लेखे तैयार नहीं किए हैं और कम्पनी रजिस्ट्रार को रिटर्न दाखिल नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले सरकारी उपक्रमों की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (ग) सरकारी कम्पनियों से कम्पनी अधिनियम, 1956 के संबंधित उपबन्धों की अनुपालना करने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई उल्लंघन नोटिस किया जाता है तो अधिनियम के संबंधित उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है। कम्पनी कार्य विभाग ने राज्य सरकारों/सरकारी कंपनियों को कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों की समय से अनुपालना के महत्व पर जोर दिया है।

रसोई गैस डीलरों के गोदामों में चोरी के मामले

5671. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस वितरकों के गोदामों में होने वाली चोरी की घटनाओं के संबंध में तेल कंपनियों की नीति क्या रहती है;

(ख) क्या रसोई गैस वितरकों के गोदामों में हुई चोरी की घटना की सत्यता प्रमाणित होने पर तेल कंपनियों द्वारा वितरकों पर शुल्क दर (अर्थात् नियंत्रित दर) प्रभारित की जाती है;

(ग) क्या कतिपय मामलों में तेल कंपनियों द्वारा वितरकों से दंडित जुर्माने सहित प्रभार की वसूली की जाती है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें रसोई गैस वितरकों द्वारा अपने गोदाम में चोरी की घटना की सत्यता प्रमाणित कर दिए जाने पर भी, उनसे जुर्माने सहित प्रभार की वसूली की गयी;

(ङ) क्या गोदामों में चोरी की घटना की पुनरावृत्ति होने पर भी वितरकों को जुर्माना भरना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा अपनायी जा रही नीति के अनुसार चोरी/क्षतिग्रस्त होने के कारण जब भी उपस्कर की कमी का पता चलता है, वितरक से पैनल दर पर उसकी कटौती की जाती है। तथापि, जिन मामलों में चोरी की वास्तविकता स्थापित होती है उन चोरियों की संख्याओं के अनुसार कटौती पैनल दर से टैरिफ दर में बदल जाती है।

प्रसार भारती अधिनियम 1990 में संशोधन

5672. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती पर कर लगाया जा सकता है;

(ख) क्या प्रसार भारती पर कर लगाने के क्रम में प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रसार भारती निगम की वैत्तिम आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतया सरकार द्वारा की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रसार भारती पर कर लगाने का प्रस्ताव महज एक सैद्धांतिक संतोष की बात होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 22 के तहत प्रसार भारती को निगम की निधि से होने वाली अथवा मिलने वाली किसी भी आय, लाभ या प्राप्ति पर आयकर अथवा किसी अन्य प्रकार से कर से छूट दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2002–03 के संघीय बजट में प्रसार भारती को दी जाने वाली कर छूट को वापस लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, प्रसार भारती को मुख्यतः सरकार द्वारा वित्त–पोषण (लगभग 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत) किया जाता है।

तमिलनाडु में पेट्रोल पंप/ रसोई गैस एजेंसियां

5673. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में, तमिलनाडु के कितने पेट्रोल/डीजल पंपों तथा रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित पड़े हैं तथा इन्हें कहां–कहां खोला जाना है;

(ख) तमिलनाडु में उन पेट्रोल/डीजल पंपों तथा रसोई गैस एजेंसियों के संबंध में स्थान–वार ब्यौरा क्या है जिन्हें खोलने की मंजूरी तो दे दी गई थी, किन्तु कतिपय कारणों से खोला नहीं जा सका;

(ग) क्या इन पेट्रोल/डीजल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए सरकार का नये आवेदन आमंत्रित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इन खुदरा विक्रय केन्द्रों और एजेंसियों का आवंटन कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) तमिलनाडु में 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार 119 खुदरा बिक्री डीलरशिप (पेट्रोल/डीजल पंप) थे और 196 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटन हेतु बकाया थे। राज्य में क्रमशः 11 और 6 ऐसे मामले भी थे जहां आवंटन करने के बाद खुदरा बिक्री डीलरशिपों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को आरंभ नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) वह समयावधि बताना संभव नहीं होगा जब तक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन किए जाने की संभावना है क्योंकि संबंधित विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के लिए डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की प्रक्रिया में तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिया जाना,

आवेदन पत्रों की जांच करना, डीलर चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कार लिया जाना, योग्यता पैनलों की तैयारी, क्षेत्र की जांच, आशय पत्र का निर्गम आदि सम्मिलित है।

ऐसे मामलों में जहां कतिपय कारणों की वजह से आवंटित डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरंभ नहीं की जा सकी हैं, वहां गत्यावरोध दूर करने के बाद आरंभ की जा सकती हैं।

भर्ती विषयक नीति

5674. श्री मोहन रावले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के बारे में वर्तमान में क्या नीति अपनाई जाती है;

(ख) क्या निचले संवर्ग के पदों, यथा सैनिक के पदों पर भर्ती के लिए सेना हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा आयोजित करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस भर्ती विषयक नीति को बदलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नीति के बदलाव लाने के विषय में सरकार को कुछ और राज्यों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) इस समय नौसेना और वायु सेना के निचले रैंकों में भर्ती आवेदन-पत्रों की प्रणाली के माध्यम से अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर की जा रही है। सेना में भर्ती खुली भर्ती रैलियों के माध्यम से की जाती है। सशस्त्र सेनाओं की तीनों शाखाओं में निचले रैंकों की भर्ती के वास्ते परीक्षाएं द्विभाषी अर्थात् हिन्दी अथवा अंग्रेजी में आयोजित की जाती हैं।

यह प्रणाली ठीक तरह से कार्य कर रही है और सरकार का इस संबंध में विद्यमान नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की ओर से सेना की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन प्रादेशिक भाषाओं में किए जाने के लिए समुचित नीतिगत परिवर्तन करने का अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस अनुरोध पर विचार किया गया था और उस पर इस आशय का उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है कि सेना में लोअर रैंकों की भर्ती के लिए परीक्षा प्रश्न-पत्र अंग्रेजी और हिन्दी में बनाए जाते हैं और वे इतने आरंभिक मानक के होते हैं जिन्हें औसत जानकारी वाला कोई भी व्यक्ति पास कर सकता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय भाषाओं में दक्ष अध्यापकों को नियोजित करके उम्मीदवारों के समक्ष प्रश्नों को स्थानीय भाषाओं में स्पष्ट कर दिया जाता है और इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय लेने की अनुमति दी जाती है। सेना भर्ती के वास्ते भाषा के विकल्प का निर्णय दैनंदिन कार्यों तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी और हिन्दी की जानकारी में कमी से संप्रेषण की कमी रह सकती है।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों द्वारा कच्चे तेल का आयात

5675. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मूल्य-नियंत्रण को हटा लेने के पश्चात भी, निजी क्षेत्र की कंपनियों को कच्चे तेल सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) इस उद्योग पर अभी तक नियंत्रण बनाए रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस उद्योग को नियंत्रण मुक्त कब तक किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.4.2002 से प्रभावी वर्तमान

निर्यात–आयात नीति 2002–2007 के अनुसार कच्चे तेल का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का संबंध है, मोटर स्पिरिट (एसएस) (सभी प्रकार का), विमानन ईंधन (एटीएफ), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), प्राकृतिक गैस तरल (एनजीएल), लाईट डीजल आयल (एलडीओ) आदि के आयात की अनुमति राज्य व्यापार उद्यम के रूप में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से है। अन्य सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

(ग) अतिरिक्त परिशोधन क्षमता के सृजन से देश में एचएसडी, एमएस और एटीएफ निर्यातयोग्य अधिशेष मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों के अलावा किसी भी कंपनी को परिवहन ईंधनों के विपणन का अधिकार प्राप्त नहीं है।

(घ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में तेल और गैस की खोज

5676. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पश्चिम बंगाल सहित देश के तेरह स्थलों पर बढ़िया गुणवत्ता के तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता की संभावना के बारे में अनुसंधान कार्य किया गया था;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी चौबीस परगना क्षेत्र में खुदाई कार्य के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का विश्वसनीय साक्ष्य मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) भारत में 26 तलछटी बेसिनों में से तेल और गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने पश्चिम बंगाल में स्थित बेसिनों सहित भूकंपीय सर्वेक्षण और/या ड्रिलिंग द्वारा हाइड्रोकार्बन संभाव्यता के लिए 19 बेसिनों का अन्वेषण तथा परीक्षण किया है। आज तक ओएनजीसी ने 7 बेसिनों में वाणिज्यिक उत्पादन स्थापित किए हैं। इस समय ओएनजीसी 16 बेसिनों में सक्रिय रूप से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण में संलग्न है।

(ख) ओएनजीसी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना क्षेत्र में सात अन्वेषणीय कूपों का वेधन किया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में इंडो स्टनबैक पेट्रोलियम परियोजना (आईएसपीपी) द्वारा एक अन्वेषणीय कूप का वेधन किया गया था। उत्तरी 24 परगना क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा किसी अन्वेषणीय कूप का वेधन नहीं किया गया था।

(ग) गोल्फ ग्रीन–1 में कूप के परीक्षण पर थोड़े तेल और पानी सहित गैस के कुछ मामूली संकेत को छोड़कर ओएनजीसी द्वारा वेधन किए गए कूपों में हाइड्रोकार्बनों के कोई संकेत नहीं हैं।

उत्तरांचल और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लोगों को रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप का आवंटन

5677. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में कितने उपभोक्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए और इसमें वर्षवार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) इन राज्यों के प्रत्येक जिले में कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप चल रहे हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के लोगों को दिये गये; और

(ग) वर्ष 2002–2003 में आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल के लिये रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की विपणन योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में निम्नानुसार एलपीजी कनेक्शन जारी किए थे–

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	आंध्र प्रदेश	उत्तरांचल
1999–00	11.83	–
2000–01	14.10	0.21
2001–02	09.42	0.59

(ख) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार तेल विपणन कंपनियां आंध्र प्रदेश में अ.जा. श्रेणी के 64 समेत 695 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और उत्तरांचल में अनु.जा. श्रेणी के 4 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों समेत 111 का प्रचालन कर रही थीं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में अनु.जा. श्रेणी के 99 समेत 1478 खुदरा बिक्री केन्द्र और उत्तरांचल में अनु.जा. श्रेणी के 13 समेत 211 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन कर रहे थे।

(ग) तेल विपणन कंपनियों ने देश में किसी भी राज्य के संबंध में वर्ष 2002–03 के लिए एलपीजी और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप की किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एटीएफ की आपूर्ति

5678. श्री वाई. वी. राव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवियेशन टर्बाइन फ्यूल की आपूर्ति पर से सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का एकाधिकार चरणबद्ध तरीके से समाप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा इस संबंध में क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1.4.2001 से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को नियंत्रणमुक्त किया गया है। इस समय भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन तेल उपक्रम नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड एटीएफ का विपणन कर रहे हैं। एक निजी कंपनी, मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड को भी 7.12.2001 से 102 विमानपत्तनों पर एटीएफ का विपणन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) एपीएम की समाप्ति और एटीएफ पर नियंत्रण हटाने को ध्यान में रखते हुए सार्वजनकि क्षेत्र के तेल उपक्रम अपने व्यापार हितों की संरक्षा हेतु उत्पाद और फैसिलिटी शेयरिंग व्यवस्था को जारी रखने के लिए सहमत हो गये हैं।

दल-बदल रोधी कानून में परिवर्तन

5679. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दल–बदल रोधी कानून में परिवर्तन लाने हेतु काफी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान दल–बदल रोधी कानून में कमियों का मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करना

5680. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने की संभावना की जांच करने के लिये कहा है;

(ख) क्या इस सिद्धान्त को अंतिम रूप/कानूनी शक्ल दी गयी है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार निदेशक मंडल की बैठकों को आयोजित करने की कब तक अनुमति दिए जाने पर विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सुझाव के क्रियान्वयन में हो रही देरी के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) से (घ) सैद्धान्तिक रूप से वीडियो कान्फ्रेंसिंग सहित "इलैक्ट्रोनिक मीडिया" के प्रयोग से माध्यम से बोर्ड की बैठकों की स्वीकृति देने के लिए एक निर्णय ले लिया गया है। कम्पनी

सचिव संस्थान विचार–विमर्श में शामिल होता रहा था। प्रस्तावित परिवर्तनों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण

5681. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण के लिए कौन से प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे;

(ख) क्या सरकार ने रिलायंस कंपनी को अपने तेल के टैंकर इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के डिपो से भरने और डीजल तथा पेट्रोल के मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के परिणामस्वरूप, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण 1 अप्रैल, 2002 से बाजार निर्धारण के अनुसार हो गया है।

(ख) सरकार द्वारा इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के डिपो (टर्मिनलों) से अपने तेल टैंकर भरने के लिए रिलायंस कंपनी को कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता है।

जैसलमेर में विस्फोट

5682. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छह माह पूर्व राजस्थान के जैसलमेर में हुए विस्फोट में कुछ मारे गये और कई अन्य घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो इस विस्फोट में कितने लोग मारे गये और कितने घायल हुए;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) ऐसे जवानों, जो सुरंग विस्फोट अथवा देशी विस्फोटक उपकरणों के विस्फोट के परिणास्वरूप मारे गए हैं अथवा घायल हो गए हैं, के आंकड़े राज्य–वार आधार पर नहीं रखे जाते। तथापि, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, सेना मुख्यालय ने सूचित किया है कि पिछले छह माह (1 अक्तूबर, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक) के दौरान सुरंग दुर्घटनाओं और देशी विस्फोटक उपकरणों के विस्फोटों के क़ारण 61 सेना कार्मिक मारे गए और 159 घायल हो गए।

(ग) और (घ) प्रारंभिक उच्च स्तरीय जांच से पता चला कि सुरंग बिछाने की कार्रवाई नाइट लेइंग, धुंध आदि जैसी जलवायु एवं भू–भाग संबंधी प्रतिकूल अवस्थाओं में की जाती है। ऐसी बाधाओं के कारण, संभवतः कुछ दुर्घटनाओं को मानवीय चूक माना जा सकता है। कुछ मामलों में, सामान–सूची में लंबे समय तक रखी गई सुरंगों और फ्यूजों ने संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि पुरानी सामान सूची को बदलने के लिए नई सुरंगें और फ्यूज लिए जाएं।

बिहार में समाचार बुलेटिनों का प्रसारण न किया जाना

5683. श्री राजो सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के शेखपुरा, लखीसराय और सिकन्दरा दूरदर्शन केन्द्रों से दैनिक समाचार बुलेटिनों का नियमित प्रसारण नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त केन्द्रों में दैनिक समाचार बुलेटिनों के नियमित प्रसारण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि शेखपुरा, लखीसराय

तथा सिकन्दरा दूरदर्शन केन्द्र नहीं हैं। ये केवल अल्प शक्ति रिले केन्द्र हैं। क्षेत्रीय समाचार एककों द्वारा प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों तथा दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों को सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे भूमि के लिये लाइसेंस शुल्क

5684. श्री जी. एस. बसवराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन छह वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ समझौता करने, बाड़ लगाने के लिये दी गई रेलवे भूमि के संबंध में लाइसेंस शुल्क वसूलने हेतु बिल भेजने में असफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप मार्च, 2001 के अंत तक रेलवे को 1.15 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2000–01 की अपनी रिपोर्ट में इस चूक पर टिप्पणी की है; और

(ग) यदि हां, तो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट का सारांश क्या है और सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिंडन हवाई अड्डा

5685. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 2002 को नई दिल्ली से प्रकाशित "राष्ट्रीय सहारा" में "अग्निकांड से हिंडन वायु सेना केन्द्र की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) हिंडन वायु सेना केन्द्र पर अब तक पक्षियों के लड़ाकू विमानों से टकराने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(घ) सरकार द्वारा वायु सेना केन्द्र, हिंडन से माल निर्यातक उद्योगों को दूर ले जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त वायु सेना केन्द्र पर सुरक्षा को और बढ़ाने हेतु क्या नए कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) घास में आग लग जाने की एक घटना हुई थी। तथापि, सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई।

(ग) वायु सेना स्टेशन, हिण्डन में पिछले 20 वर्षों के दौरान पक्षी के टकराने से 7 कैट–1 विमान दुर्घटना हुई हैं। इसी अवधि के दौरान 59 विमान पक्षी के टकराने से मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

(घ) इस मुद्दे को सुलझाने के लिए यह मामला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ उठाया गया है।

(ङ) वायु सेना स्टेशन, हिण्डन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। तथापि, राष्ट्रीय हित में ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते।

रेलवे काम्पलीमेंट्री पासों का दुरुपयोग

5686. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे काम्पलीमेंट्री पासों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे दुरुपयोग को रोकने और ऐसे पासों पर आने वाली लागत के बराबर धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) अनुचित उपयोग के कुछेक मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) और (ग) रेलवे मानार्थ पासों के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए गाड़ियों और आरक्षण कार्यालयों दोनों में सतर्कता और पुलिस के सहयोग से कपट–रोधी और टिकट जांच दलों द्वारा नियमित जांचें की जाती हैं और किसी अनियमितता के मामले में इसको जब्त कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, टिकट जांच कर्मचारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि पास धारियों सहित यात्रा करने वाले प्राधिकारी के टिकटों की जांच विनम्रता और शिष्टतापूर्वक करें ताकि ऐसे पासों का अनुचित उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

दक्षिण गुजरात अपतट में गैस के भंडार

5687. श्री के. येरननायडू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण गुजरात अपतटीय क्षेत्र में गैस के भंडार का पता लगाने के लिए किये गये नये सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां गैस के भंडार पहले से लगाये गये अनुमानों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो पुराने और नये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां से कब तक गैस निकाले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) दक्षिणी गुजरात के विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किए गए अन्वेषण और विकास कार्य से हजीरा क्षेत्र में भंडारों में वृद्धि हुई है जो अपतटीय क्षेत्रों तक बढ़ता हुआ पाया गया है। इसके अलावा सीबी–ओएस–2 ब्लाक में 5 तेल और/अथवा गैस खोजों और सीबी–ओएस–1 ब्लाक में तेल खोज के परिणामस्वरूप भंडार आधार में वृद्धि हुई है जिसका निश्चित अनुमान अभी किया जाना है।

(ख) आठवीं योजना के अंत में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) ने मुंबई अपतट के ताप्ती–दमन क्षेत्र, खम्बात की खाड़ी और सौराष्ट्र अपतट को सम्मिलित करते हुए दक्षिणी गुजरात अपतटीय क्षेत्र में 58357 लाइन किलोमीटर (एलके) द्विआयामी और 28907 एलके त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े एकत्र किए हैं।

31.3.2002 तक नौवीं योजना के दौरान ओएनजीसी ने इस क्षेत्र में अतिरिक्त 2180 एलके द्विआयामी और 95378 एलके त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े एकत्र किए। इसके अलावा सीबी–ओएस/2 ब्लाक में 3137 एलके द्विआयामी और 344 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

(ग) हजीरा क्षेत्र से पहले ही गैस का उत्पादन किया जा रहा है। लक्ष्मी गैस क्षेत्र से उत्पादन अगस्त 2002 से आरंभ होने की संभावना है। अन्य खोजों से उत्पादन की योजनाएं इन खोजों के मूल्यांकन के बाद तय की जाएंगी।

लेखा-परीक्षा फर्में

5688. श्री रघुनाथ झा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 2002 को "इंडियन एक्सप्रेस" में "रेग्युलेटरी नार्मस फॉर आडिटिंग फर्मस सून" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लेखापरीक्षा फर्मों की वर्तमान प्रणाली में भारी परिवर्तन होने जा रहा है;

(ग) क्या लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा वार्षिक लेखा प्रतिवेदनों पर उठाई गई आपत्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) यदि कम्पनी अधिनियम का विशेष उल्लंघन होता है और यदि नोटिस में आता है तो कार्रवाई की जाती है।

तेल क्षेत्रों के संचालन पर विवाद

5689. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न तेल क्षेत्रों के संचालन संबंधी समिति ने सरकार से तेल क्षेत्रों के संचालन संबंधी विवाद को हल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को जारी किए गए विज्ञापन

5690. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 2000 से मार्च, 2001 के बीच डी. ए.वी.पी. द्वारा बड़ी संख्या में पंजीकृत समाचार–पत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने वाली सूची से हटा दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सूचीकरण समिति द्वारा वर्ष 2000–2001 के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में सूचीकरण/दर नवीनीकरण के लिए समाचार–पत्रों की जांच हेतु दिशा–निर्देश तैयार किए गए थे। मुख्य रूप से इन दिशा–निर्देशों में मुद्रण के युक्तिसंगत स्तर के बारे में मानदण्ड निर्धारित किए हैं जो समाचार–पत्र विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में सूचीकरण दर नवीनीकरण हेतु कोशिश कर रहे हैं, उन्हें प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के प्रावधानों का अनुपालन करने के अलावा इनका अनुपालन करना चाहिए। इन मानदण्डों में अन्य बातों के साथ–साथ भारत के समाचार–पत्रों के पंजीयक द्वारा प्रमाणित घोषित प्रसार, पूर्ण दस्तावेज, मुद्रण मानक, अन्य प्रकाशनों से विषय–वस्तु का न दोहराना और विषय–वस्तु पुनः प्रस्तुत न करना शामिल हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पैनल में 5190 समाचार–पत्र/पत्रिकाओं के मुकाबले, वर्ष 2000–2001 के दौरान 2519 समाचार–पत्र/पत्रिकाएं थीं।

[अनुवाद]

इंडोनेशिया में इरकान द्वारा शुरू की गई परियोजनायें

5691. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरकान इंडोनेशिया में रेल लाइन बिछाने संबंधी परियोजनायें शुरू करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इरकान द्वारा उक्त परियोजनाओं से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। बहरहाल, इंडोनेशिया के साउथ सुमात्रा प्रांत में अभिकल्प विकास और मुख्य संरचना के निर्माण और बन्दरगाह विकास कार्य के लिए साउथ सुमात्रा प्रोविंशल सरकार (एस एस पी जी) पी टी बुकित असाम सहित इंडोनेशिया गणराज्य के संचार मंत्रालय, एम एम टी सी लि. और इरकॉन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं–

- तानजुंग अपी अपी तक रेल संपर्क के लिए संरचना और विकास कार्य
- तानजुंग अपी अपी में पोर्ट टर्मिनल

इस परियोजना की कुल लागत लगभग 260 मिलियन अमेरिकन डालर होने की संभावना है।

पाइप लाइन परियोजना से आईओसीएल का अलग हो जाना

5692. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड 2200 करोड़ रुपये की लागत वाली सेन्ट्रल इंडिया पाइप लाइन परियोजना की दौड़ से अलग हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिस्पर्धी बोलीकर्ताओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने तैयार करो, स्वामी बनो, प्रचालन करो और स्थानांतरण करो (बीओओटी) आधार पर 2200 करोड़ रुपए की मध्य भारत पाइप लाइन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए योग्यता पूर्व बोली में भाग नहीं लिया है। आईओसीएल के पास अभी भी पेट्रोनेट सेन्ट्रल इंडिया लिमिटेड (संयुक्त उद्यम कंपनी) में 26 प्रतिशत इक्विटी है और यह संयुक्त उद्यम कंपनी से नहीं हटी है।

(ख) आईओसीएल ने पेट्रोनेट सीआई लिमिटेड द्वारा उत्पाद के लिए खरीद करारों के बारे में कोई गारंटी नहीं दी।

(ग) निम्न प्रतिस्पर्धी बोलीदाता बचे हैं :

(1) मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल), मुंबई।

(2) लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (एल एंड टी), चेन्नई।

(3) निम्न सदस्यों वाला परिसंघ :

(1) मैसर्स ओएओ स्ट्रोयट्रान्सगेज, रूस (परिसंघ के प्रधान)

(2) मैसर्स ओएओ ट्रांसनेफ्ट, रूस

(3) मैसर्स एसयूएन सिक्योरिटीज लि., जर्सी, चैनल आइलैंड्स।

स्लीपरों की खरीद

5693. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने मई, 1987 में मलेशिया से आयात किये जाने वाले 'बलाऊ' स्लीपरों की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई थी और रेलवे बोर्ड को कम संख्या में स्लीपरों की खरीद की सलाह दी थी, लेकिन रेलवे बोर्ड ने एफ.आर.आई. की सलाह की अनदेखी की और 20.03 करोड़ रुपये की लागत से लकड़ी के 2,69,690 स्लीपरों का भारी संख्या में आयात किया जिससे उसे काफी धन राशि का नुकसान हुआ;

(ख) क्या यह मामला मई, 2001 में रेलवे बोर्ड की जानकारी में लाया गया लेकिन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को उनके उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है; और

(ग) यदि हां, तो एफ.आर.आई. की सिफारिशों की अनदेखी किये जाने और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या 9 को ध्यान में लाने के बावजूद कंपनी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न करने और उसके साथ केवल तीन वर्ष तक कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ग) जी, नहीं। फरवरी, 1986 में रेल मंत्रालय से विशिष्ट संदर्भ के प्रत्युत्तर में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने सलाह दी थी कि बलाऊ लकड़ी बहुत ठोस, भारी, मजबूत और टिकाऊ तथा सभी प्रकार से भारतीय साल (शोरिया रोबस्ता) से श्रेष्ठ है और इस लकड़ी के भारतीय साल लकड़ी से अधिक मजबूत होने के कारण रेलवे स्लीपरों के लिए उपयुक्त है। बाद में मई, 1987 में इस संस्थान ने रेलों को बलाऊ लकड़ी के कुछ अंतर्निहित कमियों से अवगत कराया जैसे कि सूखने पर यह लकड़ी फट जाती है और मलेशियन स्थिति के अंतर्गत हवा में लकड़ी की पकाई करने के दौरान फट जाती है और ऊपरी सतह पर चटक जाती है और संस्थान ने परीक्षण के लिए इसका कम मात्रा में खरीद करने की सिफारिश की थी। चूंकि वन अनुसंधान संस्थान ने स्वयं बलाऊ लकड़ी पर कोई परीक्षण नहीं किया था और उनकी सलाह केवल प्रकाशित साहित्य के आधार पर थी। भारतीय रेलवे ने भी निदेशक सिविल इंजीनियरी, परिवहन मंत्रालय मलेशिया रेलवे (पीकेटीएम) से प्रत्यक्ष आंखों देखी जानकारी प्राप्त की थी जिन्होंने रेलवे स्लीपरों के लिए बलाऊ लकड़ी के ऐसे प्रयोग की सिफारिश की जैसी कि मलेशिया रेलवे अपनी प्रणाली में इस लकड़ी का प्रयोग कर रही थी

और एफआरआई और पीकेटीएम की सिफारिश के आधार पर भारतीय रेलवे ने स्लीपरों के लिए बलाऊ लकड़ी के 41399 क्यूबिक मीटर की कम मात्रा आयात करने का निर्णय लिया। यह मात्रा विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर विविध क्षेत्रीय स्थितियों में क्षेत्रीय परीक्षण के लिए पर्याप्त समझी गई थी।

वास्तव में बलाऊ लकड़ी के आयात करने का निर्णय संदेहास्पद नहीं था इसलिए मुख्य समस्या तब उत्पन्न हुई जब आपूर्तिकर्त्ता ने बलाऊ लकड़ी के स्थान पर कंपात लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई की थी। जहां तक मध्य प्रदेश निर्यात निगम (एमपीईसी) का संबंध है। रेलवे बोर्ड सतर्कता विभाग और सीबीआई द्वारा मामले की जांच की गई थी। संबंधित रेल कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को कदाचर के लिए अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की गई। सीबीआई की सिफारिश पर एमपीईसी के विरुद्ध 5 वर्षों की अवधि के लिए व्यापार संबंधों पर रोक लगाने की कार्यवाही कर दी गई है। इसी प्रकार मैसर्स वीएन पाडिया के मामले की जांच क्षेत्रीय रेल सतर्कता द्वारा की गई थी और उन्होंने इस कम्पनी को कदाचार में लिप्त होने के कारण काली–सूची में डाल दिया था और संबंधित रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की गई थी।

(ख) नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट केवल संसद (लोक सभा) में 22.3.2002 को प्रस्तुत की गई है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, संबंधित मंत्रालयों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई संबंध नोट तैयार करने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है। रेल मंत्रालय अपने से संबंधित पैराग्राफ पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट का मसौदा तैयार करेगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ नियंत्रक एवं लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में तेल की खोज

5694. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी द्वारा मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेल और गैस के कुएं खोदे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुओं की खुदाई में कोई सकारात्मक परिणाम मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने चार कूपों का वेधन किया है और फिलहाल पांचवें अन्वेषणात्मक कूप खरखड़ी–1 का वेधन कर रही है।

(ख) और (ग) वेधन किए गए चार कूपों में से एक में गैर–वाणिज्यिक गैस का होना दिखाई दिया है जबकि अन्य तीन से कोई उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। 3800 मीटर की गहराई के लक्ष्य के साथ 11 मार्च, 2002 को खुदाई किया गया कूप खरखड़ी–1 फिलहाल वेधनाधीन है और अभी इसके लक्ष्याधीन गहराई तक पहुंचना है। इस कूप के परिणामों का पता लक्ष्यगत गहराई तक पहुंचने के बाद लग पाएगा।

[अनुवाद]

आई.आर.सी.टी.सी. लिमिटेड

5695. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी;

(ख) क्या निगम ने अपेक्षित परिणाम हासिल किये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) निगम के राज्यवार और जोनवार प्रकार्यों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) निगम का उद्देश्य एक ही निगम के अस्तित्व के अन्तर्गत भारतीय रेल में खानपान और आतिथ्य सत्कार सेवा के प्रबंनधन को व्यावसायिक और अपग्रेड करना, रेल आधारित पर्यटन का विकास और यात्रियों से संबंधित मूल्य संवर्धित सेवाओं के विपणन का विकास करना है।

(ख) और (ग) निगम ने अभी–अभी कार्य करना शुरू किया है और इतनी जल्दी उसके कार्य निष्पादन का आकलन नहीं किया जा सकता है।

(घ) निगम अखिल भारतीय के आधार पर कार्य करता है न कि राज्य–वार या क्षेत्र–वार।

''सेल'' का पुनर्गठन

5696. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पाद की विशिष्टता पर आधारित दो महत्वपूर्ण व्यावसायिक इकाइयों को बनाने के माध्यम से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ''सेल'' के केन्द्रीय विपणन संगठन को विभाजित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) सेल की वित्तीय तथा कारोबार पुनर्गठन योजना में प्रतिस्पर्धा में बढ़ोत्तरी करने के लिए उत्पादन तथा विपणन की योजना सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद आधारित नीतिपरक कारोबार इकाइयों (एस बी यू) का गठन शामिल है। तदनुसार, सेल ने इन इकाइयों के गठन की प्रक्रिया शुरू की है।

(ग) और (घ) सेल के केन्द्रीय विपणन संगठन विपणन के कुशलता में सुधार करने के लिए पिछले एक वर्ष से आंतरिक रूप से लंबे तथा चपटे उत्पादों में पुनर्गठित किया है।

बोगीबील सेतु परियोजना

5697. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बोगीबील में एक रेल पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक शुरू और पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) बोगीबील में रेल एवं सड़क पुल के कार्य को बजट में शामिल कर लिया गया है। अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस पुल के निर्माण की लागत लगभग 1760 करोड़ रुपए आंकी गई है।

(घ) कार्य हाल ही में शुरू किया गया है और इसके 6 वर्षों की अवधि में पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

लेखा परीक्षण करने वाली फर्मों और कंपनियों के बीच संबंध

5698. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेखा परीक्षण करने वाली फर्मों और कंपनियों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए विनियामक मानदंडों को तय करने हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

धावनपट्टी का निर्माण

5699. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से रक्षा विभाग वाईजैक हवाई अड्डे पर 10,000 फीट लंबी धावनपट्टी के निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुरोध की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसकी रक्षा मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। भूमि के अधिग्रहण, अप्रोचफनल चार्ट और मास्टर प्लान से संबंधित मामले हल कर लिए गए हैं।

आल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी)– डायरेक्ट-टू-होम डिजीटल सेवा का शुरू किया जाना

5700. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी द्वारा शुरू की जा रही डायरेक्ट–टू–होम डिजीटल उपग्रह प्रसारण सेवा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या मात्र 25,000 डिजीटल रिलीवर्स हैं और आकाशवाणी प्राधिकरण को आशा है कि कम लागत वाले डिजीटल सेटों के स्वदेशीय उत्पादन से यह नई प्रौद्योगिकी जल्दी ही लोकप्रिय हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो नई प्रौद्योगिकी से श्रव्य गुणवत्ता में कितना सुधार होगा; और

(घ) प्रसारण जांच के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र को लाने हेतु एक अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) आकाशवाणी द्वारा शुरू की गयी डायरेक्ट–टू–होम डिजीटल उपग्रह प्रसारण सेवा की रिसीवरों/लिस्नरों के लिए सीधे उपग्रह के जरिए डिजीटल पद्धति में प्रसारण, व्यापक पहुंच, उच्च गुणवत्ता वाला श्रव्य इत्यादि आदि जैसी कई विशेषताएं हैं। आकाशवाणी, दिल्ली से प्रारंभ किए गए राउंड दी क्लाक कार्यक्रम को इस प्लेटफार्म पर प्रसारित किया जा रहा है। इस प्लेटफार्म से क्षेत्रीय कार्यक्रमों को भी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रसार भारती द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, इस समय लगभग 25,000 डिजीटल रिसीवर उपलब्ध हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि कम लागत वाले डिजीटल रिसीवरों के घरेलू निर्माण से नई प्रौद्योगिकी लोकप्रिय हो जाएगी। प्रत्येक चैनल के लिए प्रयुक्त की गयी बैंड–विड्थ पर निर्भर करते हुए श्रव्य गुणवत्ता ए एम/एफ एम लाइक से सी डी लाइक तक भिन्न–भिन्न होती है।

(घ) यह सेवा भारतीय उप–महाद्वीप तथा दक्षिण एशिया में श्रोताओं को एशियास्टार उपग्रह के जरिए उपलब्ध है। वर्तमान में, कवरेज क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सचल ऑक्टेन परीक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता

5701. श्री दिलीप संघाणी :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पेट्रोलियम उत्पादकों में मिलावट की जांच हेतु परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में स्थायी और सचल ऑक्टेन परीक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) गुजरात में पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट का पता लगाने के लिए 9 परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

(ख) से (घ) गुजरात में अचल और सचल आक्टेन परीक्षण केन्द्रों और प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु गुजरात सरकार से केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कोलकाता मेट्रो ट्रेक

5702. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलकाता मेट्रो ट्रेक पर इसकी स्थापना से अब तक हुई दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) मेट्रो ट्रांसमण्ड ऑथरिटी द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या अधिक विद्युत क्षमता वाले ट्रेक के कारण भी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सवारी डिब्बे और माल डिब्बे पटरी (ट्रेक) पर सुरक्षित और दुर्घटनारोधी हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) कोलकाता मेट्रो के प्रारम्भ होने से अब तक 6 दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) (i) सुरंग में रेलपथ का संरेखण समायोजित किया गया है।

(ii) कार-शैड की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

(iii) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि. के मोटर कोचों में उच्च गति सर्किट ब्रेकरों का प्रतिस्थापन पूरा हो गया है।

(iv) पावर केबल विद्युत रोधी की जांच अब रैकों के अर्द्ध वार्षिक कार्यक्रम के दौरान 6 महीने के अंतराल पर किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

निधियों का उपयोग

5703. श्री नरेश पुगलिया :
श्री वाई. वी. राव :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 2002 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "5 करोड़ फ़ॉर जवान्स गोज टू स्कूल फोर बिगशॉट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जवानों के कल्याण हेतु धनराशि के इस अन्यत्र उपयोग के लिए किस व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराया गया है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सरकार को 31 मार्च, 2002 के इंडियन एक्सप्रेस में "5 करोड़ फार जवान्स गोज टू स्कूल फोर बिगशॉट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है। तथापि, समाचार-पत्र की रिपोर्ट में लगाया गया आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है।

"सिविल सर्विसेज सोसाइटी" जो सोसाइटी पंजीकार, दिल्ली के पास पंजीकृत है, को सशस्त सेनाओं, अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पदाधिकारियों और जनसाधारण के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किए जाने हेतु आंशिक वित्त व्यवस्था के वास्ते कैंटीन स्टोर विभाग के ट्रेड अधिशेष से मार्च, 1996 में सहायता-अनुदान के रूप में 5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी। कैंटीन स्टोर विभाग द्वारा अर्जित शुद्ध वार्षिक लाभ में से धनराशि का 50% भारत की संचित निधि में जमा करया जाता है और शेष 50% सिविलियन संगठनों सहित सशस्त्र सेनाओं, रक्षा मंत्रालय के अंतर सेवा संगठनों और विभिन्न स्थापनाओं को कल्याणकारी उपाय के रूप में बतौर सहायता अनुदान वितरित किया जाता है।

जहां तक वर्ष 1996 में सिविल सर्विस सोसाइटी को आवंटित अनुदान का संबंध है, उसे परियोजना रिपोर्ट की सम्यक् संवीक्षा करने और यह वचनबद्धता लेने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था कि स्कूल सशस्त्र सेनाओं या अन्य हकदार श्रेणियों के कार्मिकों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करेगा। स्कूल चल रहा है और इसलिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डीजल की मांग

5704. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र में डीजल की मौजूदा मांग कितनी है;

(ख) डीजल के लिए मौजूदा मांग को पूरा करने में स्वदेशी संसाधनों का कितना योगदान है;

(ग) क्या देश में निकट भविष्य में डीजल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) खुदरा और सीधी दोनों बिक्रियों सहित विभिन्न क्षेत्रों का अनुमानित क्षेत्रवार हिस्सा निम्नानुसार होने का अनुमान है–

क्षेत्र	अनुमानित प्रतिशत हिस्सा
परिवहन	58.5
कृषि	19.8
विद्युत उत्पादन	6.8
औद्योगिक इस्तेमाल	8.3
अन्य/विविध	6.6

(ख) से (घ) फिलहाल डीजल की मांग पूरी करने में देश आत्मनिर्भर है। वर्ष 2001–2002 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार 37,100 टीएमटी की अनुमानित मांग की तुलना में उत्पादन 40,478 टीएमटी होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन

5705. श्री विनय कुमार सोराके : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रयोक्ता के अनुकूल और व्यवहार्य बनाने हेतु संशोधन करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन से उत्पन्न ऐसे मामलों, जो सरकार द्वारा भेजे जाएं, पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति गठित कर दी गई है।

[हिन्दी]

प्रख्यात आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों संबंधी कार्यक्रम

5706. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित किसी धारावाहिक का प्रसारण/निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन केन्द्रों ने विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित दूरदर्शन केन्द्र–वार, राज्य–वार और वर्ष–वार किसी धारावाहिक का प्रसारण अथवा निर्माण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और देश में स्वतंत्रता सेनानियों/आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों/आदिवासी समुदाय के जीवन पर आधारित धारावाहिक के प्रसारण/निर्माण हेतु धारावाहिक–वार, राज्य–वार और वर्ष–वार क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेल लाइन से नहीं जोड़े गए शहर

5707. श्रीमती कान्ति सिंह :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसे जिलों और महत्वपूर्ण शहरों जो रेल मार्ग से अभी तक नहीं जोड़े गए हैं के संबंध में कोई अध्ययन अथवा मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों और अन्य जन निकायों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा कोई तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ङ) देश के अधिकांश महत्वपूर्ण कस्बों और जिला मुख्यालयों को रेल संपर्क मुहैया करा दिया गया है। रेल नेटवर्क का विस्तार एक सतत और आवश्यकता पर आधारित प्रक्रिया है जिसे राष्ट्र की एकीकृत आवश्यकता और समग्र संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसा करते हुए, राज्य सरकारों जन प्रतिनिधियों, उपयोगकर्त्ता एजेन्सियों और जनता के हितों की रक्षा करने वाले अन्य ग्रुपों/व्यक्तियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों/प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाता है। इस समय 8500 कि.मी. नई रेल लाइनों को लगभग 27,650 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है।

आयुध कारखानों का निजीकरण

5708. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 8 अप्रैल, 2002 के "दी टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली संस्करण" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार ने आयुध कारखानों का निजीकरण नहीं करने का पक्का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा आयुध कारखानों के कामगारों के समक्ष आ रही समस्याओं को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में आयुध कारखानों के कामगारों को कोई आश्वासन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) आयुध निर्माणियों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) कामगारों की समस्याओं को दूर करने के लिए आयुध निर्माणियों में सरकार के संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के तहत एक सांस्थानिक प्रणाली मौजूद है। समस्याओं के विस्तार और जटिलता के आधार पर उन पर उपयुक्त मंच पर विचार–विमर्श किया जाता है ताकि उनका समाधान पारस्परिक सलाह–मशविरे और जहां आवश्यक हो, वहां सरकारी अनुमोदन से किया जा सके।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाएं

5709. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति क्या है जो इस समय पूरा होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या हाल ही में कुछ परियोजनाओं पर कार्य स्थगित/बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन परियोजनाआं पर कार्य को कब तक पुनः शुरू और पूरा किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) वर्ष 2002–03 के दौरान आरंभ की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड तथा डाभोल पावर कं. के बीच विवाद के कारण 17 जून, 2001 से मै. डाभोल पावर कं. के डाभोल सीसीजीटी फेज–2 1444 पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। विदेशी प्रायोजकों के परियोजना से बाहर होने के इरादे को ध्यान में रखते हुए आईडीबीआई और अन्य ऋणदाता परियोजना के विदेशी प्रायोजकों के हिस्सों की बिक्री के लिए बोली प्रक्रिया का सरलीकरण कर रहे हैं। आईडीबीआई ने सूचित किया है कि भारतीय और विदेशी ऋणदाता आगामी बोली को अंतिम रूप देने और पुनर्गठन के उपायों हेतु परामर्श प्रक्रिया में हैं।

विवरण

2002–03 के दौरान आरंभ होने वाली विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

परियोजना का नाम	क्षमता मेगावाट	चालू होने का कार्यक्रम, प्रत्याशित	स्थिति
1	2	3	4
दिल्ली			
प्रगति सीसीजीटी			
जीटी–2	104.6	05/02	जीटी–2 साइट पर प्राप्त हुई, उत्थापन प्रगति पर है।
एसटी	121.2	11/02	एस टी उत्थापन प्रगति पर है।
राजस्थान			
रामगढ़ सीसीजीटी चरण–2			
जीटी–2	37.5	06/02	जीटी/एसटी नींव को पूरा किया गया।
एसटी	37.8	12/02	जीटी उत्थापन प्रगति पर है।
गुजरात			
अकरीमोटा लिग्नाइट आधारित टीपीपी यू–1	125	01/03	टीजी उत्थापन अप्रैल, 2002 में आरंभ हुआ। हाइड्रोलिक परीक्षण 06/02 में प्रत्याशित है।
महाराष्ट्र			
डाभोल सीसीजीटी चरण–2 ब्लॉक 1 और 2	1444	अनिश्चित	जून, 2001 में कार्य बंद होने पर परियोजना को समकालिक बनाने की तैयारी थी। महत्वपूर्ण क्षेत्र एमएसईबी तथा डाभोल पावर कंपनी के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए विवाद है।
अंडमान व निकोबार			
बम्बूफ्लैट डीजीपीपी			सभी 4 डीजी सेट खड़े किए गए।
डीजी–1	5	05/02	कूलिंग टावर उत्थापन कार्य को पूरा किया जाना है।
डीजी–2	5	05/02	महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्खनन प्रणाली और पीपीए से विपथन
डीजी–3	5	08/02	हेतु तैयार है।
डीजी–4	5	08/02	
निजी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश			
सिम्हाद्री टीपीएस यू–2, केन्द्रीय क्षेत्र	500	12/02	फरवरी, 02 में टीजी बॉक्स बनाया गया। बॉयलर लाइट अब 08/02 में प्रत्याशित है। महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युत निकासी प्रणाली के लिए तैयार है।

1	2	3	4
पेद्दापुरम सीसीजीटी, निजी क्षेत्र	78	06/02	टरबाईन उत्थापन 12/2001 में आरंभ हुआ। टीजी बॉक्स 04/02 में प्रत्याशित महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एस्क्रो करार, वित्तीय समापन तथा प्राकृतिक गैस का सुव्यवथित आवंटन।
कर्नाटक			
रायचूर टीपीपी यू–7, राज्य क्षेत्र	210	02/03	12/2001 टीजी उत्थापन शुरू। 10/2001 में बॉयलर ड्रम को उठाया गया। टीजी बॉक्स अप 09/02 में होने की आशा है।
तमिलनाडु			
नैवेली प्रथम विस्तार,			टीजी उत्थापन 08/01 (यूनिट–2) में शुरू। बॉयलर
केन्द्रीय क्षेत्र	210	6/2002	(यूनिट–1) की एसिड क्लीनिंग और बॉयलर हाइड्रोलिक
यू–1	210	12/2002	टेस्ट (यूनिट–2) 04/02 में होने की आशा है।
यू–2			
वलूथर सीसीजीटी,			जीटी : क्रेकिंग 04/02 में होगा।
राज्य क्षेत्र			एसटी : हाइड्रोलिक टेस्ट 05/02 में होगा।
जीटी	60	05/02	
एसटी	34	08/02	
नैवेली टीपीएस जीरो यूनिट, निजी क्षेत्र	250	09/02	बॉयलर हाइड्रोलिक टेस्ट दिसंबर, 2001 में पूरा। टीजी बॉक्स अप जनवरी, 02 में सम्पन्न। लिग्नाइट परिवहन प्रणाली एवं राख नियंत्रण प्रणाली महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
मणिपुर			
लीमाखोंग डीजीपीपी,			10, 12 और 16 अप्रैल, 2002 को यूनिटों को
राज्य सरकार			तुल्यकालिक बनाया गया।
यू–4	6	4/02	
यू–5	6	4/02	
यू–6	6	4/02	
त्रिपुरा			
रोखिया जीटी विस्तार, राज्य सरकार, यूनिट–7	21	06/02	जीटी : 30.3.2002 को क्रेकिंग पूरा। ट्रांजिट में जेनरेटर ट्रांसफार्मर गिर गया था और इसकी क्षति का स्थल पर आकलन किया जा रहा है। गैस पाइप लाइन एवं जेनरेटर एवं जेनरेटर ट्रांसफार्मर महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
बारामूरा जीटी विस्तार जीटी, राज्य क्षेत्र	21	09/02	जीटी नींव कार्य 11/01 में शुरू और जीटी उत्थापन 05/02 में संभावित।

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश			
टिहरी चरण–1, टीएचडीसी, केन्द्रीय क्षेत्र	4 x 250	03/2003	जून, 2001 में सुरंगबंदी के बाद मार्च, 2003 तक पहली यूनिट को चालू करने के लिए सभी क्षेत्रों में काम प्रगति पर है।
मध्य प्रदेश			
बाणसागर टोंस चरण–2, राज्य सरकार	2 x 15	02/03	बांध में स्पिलवे ब्लॉक क्रेस्ट स्तर तक पूरा। अन्य सभी सिविल कार्य एवं उत्थापन प्रगति पर हैं।
बाण सागर टोंस–3, राज्य सरकार	3 x 20	08/2002	यूनिट का उत्थापन पूरा होने के चरण में है।
आंध्र प्रदेश			
श्रीसेलम एलबीपीएच, यूनिट 4 व 5	6 x 150	10/2002 02/2003	सिविल कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य प्रगति पर है।
बिहार			
चांडिल एलबीसी	2 x 4	12/2002	सभी सिविल कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। टीजी सेट भेल से प्राप्त हो गए। यूनिट–1 का बॉक्सिंग अप पूरा हो गया। यूनिट–2 के लिए भेल से थ्रस्ट बोल्ट के अभाव में रोटर लोअरिंग का कार्य रुका पड़ा है।
उड़ीसा			
पोत्तेरू, राज्य सरकार	2 x 3	09/2002	सिविल कार्य लगभग पूरे हो गए। इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्य भी लगभग पूरे हो गए हैं।
नागालैंड			
लिकिम रो, राज्य सरकार	3 x 8	06/2002	सिदिल कार्य पूरे हो गए। यूनिट उत्थापन लगभग पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों का बंद किया जाना

5710. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में बंद पड़े पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का स्थान–वार ब्यौरा क्या है और उन्हें किस श्रेणी में आवंटित किया गया था;

(ख) क्या किसी निकटतम स्थान अथवा उसी स्थान पर उन पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य में विभिन्न श्रेणियों के तहत आवंटित सात खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और सात

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बंद पड़ी हैं। ये डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप लंबित न्यायालय मामलों, एजेंसियों के प्रचालन में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा की गई अनियमितताओं के मामले संबंधित तेल कंपनियों द्वारा शुरू की गई/विचारित कार्रवाई, स्थल समस्या आदि जैसे विभिन्न कारणों से बंद पड़ी हैं। पुराने स्थल पर अथवा नए स्थल पर इनमें से प्रत्येक डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन को पुनः चालू किया जाना प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर करेगा।

जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन

5711. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जीवाश्म ईंधन से उत्पादित विद्युत पर कोई नियंत्रण/सीमा लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन की अनुमानित अधिष्ठापित क्षमता 73,000 मेगावाट है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरण की रक्षा हेतु जीवाश्म ईंधन से विद्युत पर निर्भरता को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विद्युत का उत्पादन प्रचुर मात्रा में कोयला और लिग्नाइट भण्डार की उपलब्धता के कारण ताप विद्युत उत्पादन पर अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा है क्योंकि जल विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत उत्पादन की गति विभिन्न कारणों की वजह से योजनाओं के अनुरूप नहीं रही है। देश में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1,04,917.5 मेगावाट (31 मार्च, 2002 की स्थितिनुसार) है। इसमें 74,429 मेगावाट जीवाश्म ईंधन (लिग्नाइट, कोयला, गैस और डीजल) आधारित उत्पादन निहित है।

भारत सरकार पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन पर बल प्रदान कर रही है। 10वीं योजना में जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से सम्भावित क्षमता अभिवृद्धि 17311 मेगावाट है। इस जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के साथ जल विद्युत अनुपात 10वीं योजना के अंत तक वर्तमान स्तर 26 : 74 से सुधर कर 29 : 71 होने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त देश में पर्यावरण जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन के विपरीत प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित कर रही है। सुपर क्रीटिक्ल वायलरों और आईजीसीसी जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकीय को अपनाये जाने को प्रोत्साहित कर रही है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के इन प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है और ताप विद्युत संयंत्र में क्षमता सुधारों और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा वितरण सुधारों के जरिये पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों द्वारा पेट्रोल/डीजल पंपों की स्थापना

5712. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल पंपों की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी मंजूरी कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है और किन-किन राज्यों में पेट्रोल-डीजल पंपों को स्थापित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 8 मार्च, 2002 के अपने संकल्प द्वारा निजी क्षेत्र सहित नए प्रवेशकों को मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और विमानन ईंधन नामक परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। नई कंपनियों को अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए आवश्यक अनुमति इन दिशानिर्देशों के अनुसार उनके द्वारा मानदंडों को पूरा किए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाएगी। अब तक सरकार ने परिवहन ईंधनों का विपणन करने के लिए किसी निजी कंपनी को अनुमति प्रदान नहीं की है।

[अनुवाद]

बरौनी तेलशोधक कारखाने का आधुनिकीकरण

5713. श्री राजो सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेलशोधन कारखाने में नई प्रणाली के क्रियान्वयन, मौजूदा मशीनरी के आधुनिकीकरण ओर उत्पादन हेतु गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बरौनी तेलशोधक कारखाने में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तेलशोधक कारखाने के आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) बरौनी रिफाइनरी विस्तार परियोजना में 1803 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत की फ्लूडाइज्ड कैटलिटिक क्रैकिंग यूनिट और डीजल हाइड्रोट्रीटिंग यूनिट तथा संबद्ध सुविधाओं का स्थापना कार्य शामिल हैं जिन्हें मई–जून 2002 तक शुरू किए जाने का कार्यक्रम है। दिसंबर 2000 में नवरत्न बोर्ड द्वारा दूसरी परियोजना अर्थात् मोटर स्पिरिट गुणवत्ता उन्नयन परियोजना सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित की गई थी बशर्ते कि इसके लिए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति (स्वीकृति) और यूरो मानकों के अंगीकरण हेतु सरकार के रोड मैप के लिए अंतिम अनुमोदन मिले।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों में बरौनी रिफाइनरी विस्तार परियोजना पर 1304 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

शुल्क संशोधन न किया जाना

5714. श्री जी. एस. बसवराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–पूर्व रेलवे ने बिलासपुर–कटनी खंड के कोलियरी साइडिंग में मालडिब्बों की शंटिंग हेतु प्रयुक्त विद्युत इंजनों के संबंध में शुल्क संशोधन नहीं किये जाने से वर्ष 2000–01 के दौरान रेलवे को 25 करोड़ का घाटा हुआ है;

(ख) क्या वर्ष 2000–01 के दौरान ताप विद्युत केन्द्र चंद्रपुर को प्रदान की गई सुविधाओं हेतु मध्य रेलवे द्वारा इसी तरह की शंटिंग शुल्क की वसूली नहीं किये जाने के कारण रेलवे को 17.50 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है;

(ग) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने मार्च, 2001 में समाप्त होने वाले वर्ष की अपनी रिपोर्ट में उक्त त्रुटि पर प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी 2002 की रिपोर्ट संख्या 9 में पैरा संख्या 2.1.1 और 2.1.2 के तह दक्षिण पूर्व रेलवे और मध्य रेलवे पर साइडिंग/शंटिंग प्रभारों के प्रति क्रमशः 24.67 करोड़ रुपए और 17.58 करोड़ रुपए की हानि का उल्लेख किया है।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है और मौजूदा नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय रेलों से टिप्पणियां आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मांगी गई हैं।

रेलगाड़ियों का विलंब से आगमन एवं प्रस्थान

5715. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों के विलंब से आगमन एवं प्रस्थान करने से यात्रियों की सुरक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान समय पर न चलने वाली रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रेलगाड़ियों में से कितनी घटनाएं हुईं; और

(घ) यात्रियों की सुरक्षा एवं रेलगाड़ियों को समय पर

चलाए जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल परिसरों तथा चलती गाड़ियों में यात्रियों एवं उनके सामान की सुरक्षा एवं कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। रेलों पर अपराध के मामलों की रिपोर्ट की जाती है, उन्हें दर्ज किया जाता है तथा इनकी जांच–पड़ताल राजकीय रेल पुलिस द्वारा की जाती है जो राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। बहरहाल, इस मंत्रालय रो उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि पिछले तीन महीनों अर्थात् अक्टूबर से दिसम्बर, 2001 तक राजकीय रेल पुलिस द्वारा सवारियों के सामान की चोरी के 1981 मामले दर्ज किए गए जिसमें डकैती और लूटपाट के मामले भी शामिल हैं।

(घ) (i) यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं–

1. गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण और संरक्षा संबंधी कार्यों में वृद्धि करने के लिए 17,000 करोड़ रु. की व्यपगत न होने वाली विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

2. "ए", "बी", "सी", "डी" और "डी" विशेष के सभी मार्गों पर, जहां गति 74 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक है, उल्लंघन चिह्नों से उल्लंघन चिह्नों तक रेलपथ परिपथन पूरा हो गया है। शेष भागों में कार्य प्रगति पर है।

3. ड्राइवर/गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच डुप्लेक्स रेडियो संचार मुहैया कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार को मंजूरी दी गई है।

4. रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई–टेम्पिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। साथ ही, रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा है। इससे बेहतर ज्यामिति उपलब्ध होती हैं।

5. पटरियों में छुपे हुए दोषों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है। अब स्वनोदित पराश्रव्य रेल जांच वाहनों की भी खरीद की जा रही है।

6. भिलाई में रेल रोलिंग मिल में दोषग्रस्त पटरियों को अलग करने के लिए ऑन–लाइन पराश्रव्य दोष जांच तथा एडी करंट परीक्षण किया जा रहा है। हाइड्रोजन तत्व कम करने तथा इस प्रकार पटरियों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए निर्वात डोगैसिंग की जा रही है। भारतीय रेल तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड रेलपथ में वेल्डन की संख्या कम करने के लिए परंपरागत 13 मीटर लंबाई के स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक लंबी पटरियां अर्थात् 26 मीटर और 65 अथवा 78 मीटर की पटरियों का उत्पादन करने की एक साथ योजना बना रही है।

7. ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं, जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

8. सभी नए सवारी डिब्बों को बोगी माउन्टेड ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित किया जा रहा है। कई डिपुओं में सवारी डिब्बों की अनुरक्षण संबंधी सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन किया जा रहा है।

9. सवारी डिब्बों की टक्कर–रोधी क्षमता को बेहतर करने के लिए एक तात्कालिक उपाय के रूप में, सवारी डिब्बों की आंतरिक साज–सज्जा को बेहतर जुड़नारों तथा

विशिष्टियों से पुनर्संज्जित किया जा रहा है जिससे क्षति नहीं होगी। साथ ही साथ सवारी डिब्बे के कवच की डिजाइन में इस तरह संशोधन किया गया है कि ये जोर के झटके बर्दाश्त कर सके ताकि यात्री वाले क्षेत्र को अवकिल रख सके।

10. टक्करों को रोकने के लिए "टक्कररोधी उपकरण" के परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ii) गाड़ियों के समय पालन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रह हैं–

1. मंडलीय, क्षेत्रीय मुख्यालयों तथा रेलवे बोर्ड, सभी तीनों स्तरों पर गाड़ियों की गहन, चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाएगी।

2. गाड़ियों की निगरानी रखने के लिए नामित अधिकारियों द्वारा समय पालन अभियान चलाए जा रहे हैं।

3. संरक्षा सीमाओं तथा गति नियंत्रण के अनुपालन के अध्ययधीन अधिकतम अनुमेय गति पर गाड़ियों को चलाना।

4. उपस्करों की विफलताओं को कम करने के लिए अनुरक्षण के मानक में सुधार।

5. समय से गाड़ियों के संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को सलाह देना तथा उन्हें प्रेरित करना।

6. गुण्डागर्दी तथा कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क करना।

16 और जन-शताब्दियों को चलाया जाना

5716. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 2002 के 'दि हिन्दू' में "16 और जन–शताबदीज् सून" शीर्षक से प्रकाशिता खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में जन–शताब्दियों के संचालन हेतु किन मार्गों की पहचान की गई है; और

(ग) जन–शताब्दियों को आरंभ करने हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) 16.4.2002 से 2051/2052 मडगांव–लोकमान्य तिलक टर्मिनस जन–शताब्दी चलाई गई है। शेष वर्ष 2002–2003 के दौरान चलाई जाएंगी।

विवरण

जन–शताब्दियों को चलाने के लिए फिलहाल निम्नलिखित मार्गों की पहचान की गई है–

1. मडगांव–लोकमान्य तिलक (टी) बरास्ता थाणे, रोहा
2. गुवाहाटी–दीमापुर बरास्ता छपरमुख, होजाई
3. रायगढ़–रामपुर–दुर्ग बरास्ता बिलासपुर
4. अहमदाबाद–भुज बरास्ता विरमगाम समाखियाली
5. टाटा–रांची बरास्ता मुरी
6. बेंगलूरू–हुबली बरास्ता तुमकुर, बिरार
7. एरनाकुलम–निजामुद्दीन बरास्ता एलेप्पी
8. कोटा–निजामुद्दीन बरास्ता सवाईमाधोपुर
9. भुवनेश्वर–हावड़ा बरास्ता बालासोर
10. देहरादून–नई दिल्ली बरास्ता रुड़की
11. हावड़ा–मालदा टाऊन बरास्ता अजीमगंज, बंदेल
12. वाराणसी–लखनऊ बरास्ता प्रतापगढ़
13. चण्डीगढ़–नई दिल्ली बरास्ता अम्बाला कैंट, कुरुक्षेत्र
14. चेन्नई सेन्ट्रल–गुडूर–विजयवाड़ा बरास्ता सुलुरपेटा, गुडूर

15. हबीबगंज–जबलपुर बरास्ता होशंगाबाद, इटारसी

16. कटिहार–पटना बरास्ता मोकामा, बरौनी।

रसोई गैस के डीलरों से बीमा पालिसी प्राप्त करना

5717. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी तेल कंपनियों को रसोई गैस के वितरकों से उनके 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडरों के लिए बीमा पालिसी प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वितरकों को सिलेंडर के लिए किस दर पर बीमा पालिसी मिलती है;

(ग) क्या सिलेंडर की लागत से दोहरी लागत पर बीमा प्रीमियम लिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के एलपीजी वितरकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते के अनुसार सिलेंडरों के लिए समुचित बीमा कराएं। इस समय वितरक बृहत् बीमा पालिसी कराते हैं जहां प्रीमियम सिलेंडर के टैरिफ मूल्य या उनके अपने व्यापार हितार्थ सिलेंडर के पैनल मूल्य के आधार पर लिया जाता है।

प्रसार भारती के अधिकारियों द्वारा धोखेबाजी एवं विश्वास का आपराधिक उल्लंघन

5718. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती निगम के कुछ अधिकारियों एवं अन्य लोगों के विरुद्ध धोखेबाजी और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के द्वारा निगम को 13.79 करोड़ की क्षति पहुंचाने के मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोषी ठहराये गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस आरोप के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे धोखेबाजी की रोकथाम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) प्रसार भारती के अधिकारियों के विरुद्ध ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है तथापि प्रसार भारती द्वारा कुछ गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध धोखेबाजी और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया निवेश योजना

5719. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया की योजना वर्ष 2005 तक अपने संचालन का विस्तार करने हेतु लगभग 1,300 करोड़ रुपए का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निवेश टर्मिनलों के विस्तार एवं रेलगाड़ी के डिब्बों एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसंरचना में वृद्धि करने हेतु किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) भारतीय कंटेनर निगम लि. ने आकलन किया है कि इसके योजना के विस्तार के लिए वित्त वर्ष 2005–06 तक लगभग 1400 करोड़ रु. के खर्च की आवश्यकता होगी।

(ख) और (ग) जी, हां। निम्नलिखित क्षेत्रों में खर्च किए जाने का प्रस्ताव है–

(i) टर्मिनल विकास संबंधी कार्यों,

(ii) चल स्टॉक,

(iii) कंटेनरों की खरीद,

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी,

(v) सम्हलाई उपस्कर आदि।

(घ) प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

सिकन्दराबाद में छावनी बोर्ड के कार्यालयों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के छापे

5720. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जन संचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों के अनुसार सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड कार्यालय पर बड़े पैमाने पर हुए घोटालों के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मारे गए छापे से क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड के अफसरों के एक दल ने, छावनी जनरल अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा की गई दवाइयों की खरीदारी के संबंध में एक संयुक्त निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के फलस्वरूप, किसी प्रकार की अनियमितताओं की सूचना नहीं मिली है।

व्यापार कानूनों से संबंधित रिपोर्ट को सौंपना

5721. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार कानूनों एवं विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट को उनके मंत्रालय को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यदल ने उन विदेशी लेखा कम्पनियों पर नियंत्रण पाने का सुझाव दिया है जिन्होंने प्रबंधन परामर्श के नाम पर देश में पिछले दरवाजे से प्रवेश किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा "व्यापार कानून एवं विश्व व्यापार संगठन" से संबंधित कोई कार्य दल गठित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेल यात्रियों की सुरक्षा

5722. श्री रघुनाथ झा :
श्री रामजी मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार से रेल यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी दृष्टिकोण से यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय में रेलवे के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि संरक्षा और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में रेलवे द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मामला अदालत में लंबित है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका की सुनवाई की जा रही है।

(ग) संरक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

(i) गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण और संरक्षा संबंधी कार्यों में वृद्धि करने के लिए 17,000 करोड़ रु. की व्यपगत न होने वाली विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

(ii) "ए", "बी", "सी", "डी" और "डी" विशेष के सभी मार्गों पर, जहां गति 75 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक है, उल्लंघन चिह्नों से उल्लंघन चिह्नों तक रेलपथ परिपथन पूरा हो गया है। शेष भागों में कार्य प्रगति पर है।

(iii) मुंबई के उपनगरीय खंड पर चलती गाड़ी

के ड्राइवर को "खतरे के संकेत" के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली चालू की गई है।

(iv) मध्य रेल के पलवल–मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर यूरोपियन गाड़ी नियंत्रण प्रणाली (ईटीसीएस) की एक पायलट परियोजना आरंभ की गई है। इसके लिए निविदा को आमंत्रित किया गया है।

(v) 175 से अधिक ब्लॉक खंड पर धुरा काउंटर द्वारा अंतिम गाड़ी जांच शुरू की गई है और इसमें उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी की जा रही है।

(vi) उत्तर रेलवे के लिए टक्कररोधी उपकरण (एसीडी) की एक पायलट परियोजना को अनुमोदित किया गया है। प्रोटोटाइप एसीडी उपकरण का परीक्षण शुरू किया गया है। इस पायलट परियोजना के सफल समापन के बाद भारतीय रेल के अन्य मार्गों पर इसके अनुप्रयोग पर फैसला लिया जाएगा।

(vii) ड्राइवर/गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच डुप्लेक्स रेडियो संचार मुहैया कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार को मंजूरी दी गई है।

(viii) तीव्रतर और बेहतर संचार माध्यम के लिए सभी ड्राइवरों और गार्डों को वाकी–टाकी सेट्स मुहैया कराए गए हैं।

(ix) ड्राइवरों और गार्डों को एलईडी पर आधारित विद्युतीय फ्लैशिंग लैम्प भी उत्तरोत्तर मुहैया कराए जा रहे हैं क्योंकि इनकी दृश्यता पारंपरिक मिट्टी के तेल से जलने वाले हैंड सिगनल से बेहतर होती है।

(x) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(xi) पटरियों में छुपे हुए दोषों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है। अब स्वनोदित पराश्रव्य रेल जांच वाहनों की भी खरीद की जा रही है।

(xii) बहुत से डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(xiii) धुराओं में खामियों का पता लगाने के लिए नेमी मरम्मत डिपुओं को परश्रव्य परीक्षण उपकरण से सुसज्जित किया गया है ताकि कोल्ड ब्रेकेज की घटनाओं को रोका जा सके।

(xiv) बिना चौकीदार वाले समपार फाटकों पर सीटी बोर्ड/गतिरोधक तथा सड़क संबंधी चिह्न मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों की दृश्यता में सुधार हुआ है।

(xv) सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित तरीके से समपार पार करने के लिए दृश्य–श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(xvi) उच्च यातायात घनत्व वाले समपारों को सुनियोजित तरीके से सिगनलों से उत्तरोत्तर अन्तपार्शित किया जा रहा है।

(xvii) सवारी गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री को ले जाने से रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(xviii) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं, जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(xix) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है, उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है।

(xx) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की जा रही है।

(xxi) कर्मचारियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच संरक्षा संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आवधिक रूप से संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(xxii) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्तगी/हटाने की सीमा तक गंभीर दंड दिया जा रहा है।

रेलगाड़ियों में समाचार

5723. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आकाशवाणी के उपग्रहों से सीधे समाचार प्राप्त करने हेतु अद्यतन उपकरण लगाने के लिए आकाशवाणी के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में आकाशवाणी समाचार के बेहतर प्रसारण हेतु आकाशवाणी एवं रेलवे के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उन रेलगाड़ियों का चयन किया है जिनमें ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो यात्री सुविधाओं के उल्लंघन हेतु रेलगाड़ियों का चयन करने के मानदण्ड क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) (क) जी, अभी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेल नीर

5724. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए 'रेल नीर' उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम किसी सीमा तक रेल यात्रियों को उत्तम गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने में सहायक हुआ है;

(घ) क्या भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम ने रेलवे स्टेशनों पर कुछ फूड प्लाजा भी खोले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) ने अभी कार्य करना शुरू किया है और इतनी जल्दी उसकी कार्य कुशलता का आकलन नहीं किया जा सकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रथम बहु व्यंजन पाक प्रणाली फूड प्लाजा के पुणे में 4.5.02 से कार्य शुरू करने की संभावना है।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग एवं उत्पादन

5725. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006 तक देश में विद्युत की समस्त मांग के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वर्ष तक विद्युत की मांग को पूरा करने हेतु विद्युत उत्पादन पर होने वाली अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक धन की मांग को पूरा करने के लिए विदेशों/निजी क्षेत्र से सहायता जुटाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) मार्च 1998 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 2004–05 तक के लिए तथा तत्पश्चात् 2016–17 तक के

लिए विद्युत मांग के आकलन के लिए 16वीं इलैक्ट्रिक पावर सर्वे (ईपीएस) तैयार की। 16वें ईपीएस ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 2006–07 के लिए, अर्थात् 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ऊर्जा आवश्यकता एवं व्यस्ततमकालीन ऊर्जा भार निम्नानुसार होगीं :

ऊर्जा आवश्यकता (एमकेडब्ल्यूएच) — 719097

व्यस्ततमकालीन भार (मे.वा.) — 115705

10वीं योजना के लिए लगभग 41,000 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य है। अतिरिक्त लगभग 4,000 मे.वा. ऊर्जा अक्षय स्रोतों से प्राप्त होगी। 10वीं योजना के लिए विद्युत मंत्रालय की क्षमता अभिवृद्धि के प्रयासों को सघन बनाने के लिए योजना आयोग ने लगभग 1,43,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का आवंटन किया है जिसमें 25,00 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता भी शामिल है।

[अनुवाद]

स्क्रैप का पुनः चक्रण

5726. श्री विनय कुमार सोराके : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पर्याप्त मात्रा में स्क्रैप तैयार करता है जिनका निपटान आवधिक निलामी के द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या रेलवे ने इस्पात/लौह संधानियों द्वारा अपने स्क्रैप के इसकी विशिष्टताओं/आवश्यकताओं के अनुरूप पुनः चक्रण करने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रेलें अपने कारखानों/उत्पादन इकाइयों के इस्पात/लौह संधानियों की आवश्यकता के लिए अपने कुछ उत्पन्न हुए स्क्रैप का एक सीमा तक पुनः चक्रण करती हैं। रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पुनः चक्रित स्क्रैप का उपयोग ब्रेक ब्लाकों, पहियों, काष्ठ बोगियों, सेंट्रर बफर कपलर, कलपुर्जे आदि जैसे मदों के विनिर्माण के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

तेल कंपनियों में नियुक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण

5727. श्री रामदास आठवले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन में नियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को देश एवं विदेश में प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम में आरक्षण देने के संबंध में कोई नियम/दिशानिर्देश है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान देश एवं विदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या कितनी है और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में इन कार्यक्रमों में नामित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वर्ष–वार एवं रैंक–वार संख्या कितनी है; और

(ग) देश एवं विदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करते हेतु क्या कार्रवाई की जाती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। लोक उद्यम विभाग द्वारा नियम/ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें उपबंध है कि अ.जा./अ. ज.जा. अधिकारियों के समूह 'क' के पदों की उच्चतम श्रेणियों पर चयन द्वारा अवसरों में सुधार करने के लिए अ.जा./अ. ज.जा. अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण और गोष्ठियों/संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

इन दिशानिर्देशों में उपबंध है कि जहां संभव हो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों के लिए 25 प्रतिशत स्थान नियत करना उपयुक्त होगा।

(ख) पिछले तीन वर्षों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आईओसीएल द्वारा डिवीजनों/यूनिटों के प्रशिक्षण अध्यक्षों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों का 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों को कार्यनिष्पादन मानकों में छूट के आधार पर नामांकित किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इन कार्यक्रमों में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि का रुझान दिखाई दे रहा है।

विवरण

इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता किए प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्रेड / वर्ष	क		ख		ग		घ		ङ		च		छ		ज		झ		योग			
	सामान्य	अ.जा./ अ.जजा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.ज./ अ.ज.जा.	सामान्य.	अ.ज./ अ.ज.जा.	योग	प्रतिशत
99–2000	3474	884	2026	536	1955	620	1257	245	843	114	367	49	126	4	13	0	2	0	10063	3336	13399	24.90
2000–01	3536	958	1807	606	1684	461	1163	269	709	134	305	45	160	0	35	0	8	0	9407	2473	11880	20.82
2001–02	3928	1062	2369	778	1934	625	1184	282	824	137	376	38	128	2	49	0	41	1	10794	2925	13719	21.32

विदेशों में प्रशिक्षण

ग्रेड / वर्ष	क		ख		ग		घ		ङ		च		छ		ज		झ		योग			
	सामान्य	अ.जा./ अ.जजा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.जा./ अ.ज.जा.	सामान्य	अ.ज./ अ.ज.जा.	सामान्य.	अ.ज./ अ.ज.जा.	योग	प्रतिशत
99–2000	18	1	20	4	35	8	29	2	25	0	17	1	14	1	19	0	5	0	182	17	199	8.54
2000–01	3	0	8	0	23	3	23	1	29	2	22	1	9	0	11	0	0	1	128	8	136	5.88
2001–02	5	0	7	4	8	6	22	5	24	4	24	2	12	0	15	1	3	0	120	22	142	15.49

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा "क्लीन कोल टैक्नोलॉजीस्"

5728. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अपने विद्युत उत्पादन संयंत्रों में क्लीन कोल टेक्नोलॉजीस् का उपयोग करने की एक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सभी संयंत्रों को क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए परिवर्तित करने हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को उपलब्ध कराए गए धन का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) स्थित, चरण–1 (3 x 660 मेगावाट), बाढ़ एसटीपीपी (3 x 360 मेगावाट) एवं कहलगांव एसटीपीपी चरण–2 (2 x 660 मेगावाट) में भावी कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए स्वच्छ कोयला तकनीक, अर्थात् सुपर क्रिटिकल तकनीक अपना रहा है। इन संयंत्रों की क्षमता ज्यादा होगी जिससे कि ग्रीन हाउस गैस में कमी आएगी।

(ग) और (घ) एनटीपीसी के पुराने संयंत्रों को स्वच्छ कोयला तकनीक में स्थान्तरित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

5729. श्री राजो सिंह :
श्री अम्बरीश :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 2002 तक विद्यमान विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्राप्त करने के संबंध में कर्नाटक राज्य सहित अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों अर्थात् 1.4.1999 से 31.3.2002 के दौरान विद्यमान विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण (के.वि.प्रा.) से तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में कर्नाटक राज्य समेत विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य यूटिलिटियों से 15 प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे। इनमें से तीन प्रस्तावों को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, दो प्रस्ताव जांचाधीन हैं और 10 प्रस्ताव आवश्यक सूचनाओं/स्वीकृतियों के अभाव में परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दिए गए हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है–

के.वि.प्रा. स्वीकृति प्राप्त/मूल्यांकित	क्षमता (मेगावाट)
1	2
गुरु हरगोविंद टीपीपी–2 पंजाब, राज्य सरकार	2 x 250
सूरतगढ़ चरण–3, राजस्थान, राज्य सरकार	1 x 250
रायचूर टीपीपी यूनिट–7, कर्नाटक, राज्य सरकार	1 x 210
जांचाधीन	
बक्रेश्वर टीपीएस, यू–4 व 5, पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार	2 x 210
ताऊ देवी लाल (पानीपत) टीपीएस, यू–7 व 8, चरण–5, हरियाणा, राजय सरकार	2 x 250
सूचनाओं/स्वीकृतियों के अभाव में परियोजना प्राधिकारियों को लौटाई गयी	

1	2
यूबीडीसी चरण–3 एचईपी पंजाब, राज्य सरकार	75
सिक्का टीपीएस विस्तार यू–3 व 4 गुजरात, राज्य सरकार	2 x 250
उहल चरण–3, एचईपी हिमाचल प्रदेश, राज्य सरकार	2 x 50
कच्छ लिग्नाइट विस्तार यू–4 गुजरात, राज्य सरकार	1 x 75
संजय गांधी विस्तार, मध्य प्रदेश, राज्य सरकार	1 x 500
परीचा टीपीएस, चरण–1 उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार	2 x 210
शाहपुर कंडी विस्तार पंजाब, राज्य सरकार	55.5
इब वैली टीपीएस यूनिट–3 व 4, उड़ीसा राज्य सरकार	2 x 210
कोटा टीपीएस यू–6, राजस्थान, राज्य सरकार	1 x 195
तूतीकोरिन टीपीएस एनेक्स, तमिलनाडु, राज्य सरकार	1 x 500

[अनुवाद]

मानव जनित भूलों से होने वाली दुर्घटनाएं

5730. श्री जी. एस. बसवराज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष हुई दुर्घटनाओं के कारणों के विश्लेषण यह उद्घाटित करते हैं कि मानव जनित भूलों एवं उपकरणों की त्रुटियों (चल स्टॉक एवं पटरी) में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हुई दुर्घटनाओं का कारण तोड़–फोड़ के संदिग्ध मामले भी थे;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई जांच से क्या पता लगा; और

(घ) संचालन में मानव जनित भूलों की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या निवारणात्मक/दंडात्मक उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) यद्यपि 1999–2000 की तुलना में 2000–2001 के दौरान मानवीय विफलताओं के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई थी किन्तु वर्ष 2001–2002 के दौरान इसमें कमी आई है। 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान उपस्करों की विफलता के कारण दुर्घटनाओं में मामूली–सी कमी आई है। इसका संक्षिप्त विश्लेषण नीचे दिया गया है–

	1999–2000	2000–2001	2001–02*
मानवीय विफलता			
1. रेल कर्मी की विफलता	287	293	234
2. रेल कर्मी से इतर व्यक्तियों की विफलता	105	109	92
3. **उपस्कर की विफलता**			
(क) चल स्टॉक	12	16	17
(ख) रेलपथ	12	17	19
4. तोड़फोड़ की कार्यवाही	21	19	21

*आंकडे अनंतिम हैं।

(ख) तोड़फोड़ के कारण दुर्घटनाओं की संख्या वही थी जबकि 2000–2001 अवधि के दौरान इसमें मामूली कमी आई है।

(ग) चूंकि "पुलिस व्यवस्था" राज्य का विषय है इसलिए तोड़फोड़ से संबंधित मामलों को राज्य सरकार की पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है। उनकी जांच–पड़ताल की जाती है। अतः इन जांच–पड़तालों के निष्कर्ष मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) मानवीय विफलताओं के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

(i) परिचालनिक कोटियों (सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक ड्राइवर इत्यादि) के लिए प्रवेश स्तर पर ही मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं आरंभ की गई हैं।

(ii) वात–ब्रेक स्टॉक के परिचालन के कर्मी दल का गहन परीक्षण तथा वात ब्रेक वाली गाड़ियों के लिए अलग होने योग्य दबाव आमान की व्यवस्था चालू की गई है।

(iii) ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर स्थापित किए गए हैं। कानपुर, तुगलकाबाद, भुसावल और खड़गपुर प्रत्येक में एक–एक इस प्रकार चार सिमुलेटर कार्यरत हैं।

(iv) ड्राइवरों द्वारा हस्ताक्षर करते समय उनकी श्वास विश्लेषण की जांच की जाती है कि कहीं उन्होंने मद्यपान तो नहीं किया है। दोषी कर्मियों का पता लगाने के लिए अचानक जांचें भी की जाती हैं।

(v) संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्राइवरों से 10 घंटे से अधिक रनिंग ड्यूटी नहीं करने को कहा जाता है। इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है और जहां कहीं जरूरी होता है, निवारक उपाय किए जाते हैं।

(vi) घात लगाकर जांचों के जरिए ऑटोमेटिक क्षेत्र में ड्राइवरों द्वारा नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

(vii) कर्मचारियों को आवधिक रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा संरक्षा कैंपों में भेजा जाता है।

(viii) प्रशिक्षण केन्द्रों पर आधुनिक प्रशिक्षण संबंधी सहायता मुहैया कराई जाती है।

(ix) गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान के लिए निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन कर्मियों की गहन निगरानी परामर्श एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।

(x) गाड़ी के परिचालन से संबंधित कर्मचारियों की समय–समय पर विशेष रूप से जांच की जाती है और जिनमें कुछ कमी पाई जाती हैं, उन्हें प्रशिक्षण केन्द्रों पर क्रैश पाठ्यक्रम दिया जा रहा है।

(xi) कर्मचारियों की जागरूकता की जांच और उन्हें संरक्षा संबंधी मामलों पर शिक्षित एवं मानिटर करने के लिए आवधिक रूप से संरक्षा संबंधी अभियान चलाए जाते हैं।

(xii) अचानक निरीक्षणों और घात लगाकर जांचों पर जोर दिया जाता है। संक्षिप्त तरीके अपनाने वालों की जांच करने के लिए नियमित रूप से रात्रिकालीन निरीक्षण किए जाते हैं और जो शिक्षित पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(xiii) समपारों पर जागरूक रहने के लिए सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए नियमित अभियान चलाए जाते हैं।

तमिलनाडु के रसोई गैस वितरक

5731. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के उन रसोई गैस वितरकों का ब्यौरा क्या है जिनके पास रसोई गैस के 18,000 से ज्यादा कनेक्शन हैं और 10,000 सिलेंडर/प्रतिमाह से ज्यादा के रिफिल सिलेंडर की बिक्री करते हैं;

(ख) इन वितरकों से (अंतर–कंपनी स्थानांतरण के रूप में) व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित रसोई गैस के कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ग) उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार रसोई गैस कनेक्शनों के तत्काल स्थानांतरण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन

कंपनियों के 118 एलपीजी वितरक प्रतिमाह 10,000 से अधिक रिफिल सिलेंडरों की बिक्री कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को सलाह दी है कि वे राज्य में प्रत्येक बाजार के लिए व्यवहार्यता सीमा के आधार पर ग्राहकों का स्थानांतरण अविकसित डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पास करें। तेल विपणन कंपनियों द्वारा सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

कर्नाटक में स्टेशन की स्थापना

5732. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटरक्षक बल ने समुद्रतटीय सीमा पर सुरक्षा बल निगरानी उपायों को सुदृढ़ करने हेतु तटीय राज्यों में आठ स्टेशनों की स्थापना करने के साथ कर्नाटक में दो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दो स्टेशनों के लिए किसी स्थान की पहचान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कब तक कार्य आरम्भ होने की संभावना है; और

(घ) देश में वे स्थान कौन से हैं जहां पर अन्य आठ स्टेशन स्थापित किए जाएंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) भारतीय तट के साथ–साथ नौ अन्य तटरक्षक स्टेशनों सहित कर्नाटक में एक तटरक्षक स्टेशन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2000-07 योजना अवधि के दौरान चरण–I में पांच तटरक्षक स्टेशनों तथा वर्ष 2007–2012 योजना अवधि के दौरान चरण–II में शेष पांच तटरक्षक स्टेशनों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। नौ अन्य तटरक्षक स्टेशनों की स्थापना निम्नलिखित स्थानों पर किए जाने की योजना है–

(i) वाडिनार (गुजरात)

(ii) जाफराबाद या पीपावव (गुजरात)

(iii) रत्नागिरी (महाराष्ट्र)

(iv) बेपोर (केरल)

(v) कावारत्ती (लक्षद्वीप)

(vi) पांडिचेरी (पांडिचेरी का केन्द्र शासित क्षेत्र)

(vii) काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)

(viii) गोपालपुर (उड़ीसा)

(iv) कमोर्टा (अंडमान व निकोबार द्वीप)

परियोजना प्रारंभ करने के लिए समय–सीमा मंजूरी जारी होने की तारीख से 1 से 2 वर्षों के बीच है।

जेट एयरवेज के बही-खातों की जांच

5733. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अंतर्गत जेट एयरवेज के बही खातों की व्यापक जांच करने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कंपनी की शेयरधारिता की भी जांच की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) और (ख) सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत जेट एयरवेज के निरीक्षण का आदेश दे दिया है।

(ग) और (घ) निरीक्षण के दौरान कंपनी की शेयरधारिता पद्धति की भी जांच की जाएगी।

कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के बारे में कृतिक बल की सिफारिशें

5734. श्री राजैया मल्याला :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कंडीशनल एक्सेस सिस्टम हेतु कृतिक बल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृतिक बल ने दर्शकों द्वारा देखे जाने वाले चैनलों के लिए ही शुल्क लेने के लिए, न कि अनेक चैनलों के लिए इसे केबल आपरेटरों के लिए अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है;

(ग) दर्शकों के हितों की रक्षा करने हेतु कृतिक बल द्वारा दिए गए अन्य सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनमें से कितने सुझाव/सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और सभी सिफारिशें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकृत सुझावों/सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या कंडीशनल एक्सेस सिस्टम को केबल टी. वी. नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाएगा;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) से (ज) कृत्यक बल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन करके सशर्त पहुंच प्रणाली के जरिए 'पे' चैनलों के देखने को अनिवार्य बनाना शामिल है। कृत्यक बल की सिफारिशें सामान्यतया सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इस प्रणाली के शुरू करने से संबंधित विभिन्न मामलों की भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके जांच की जा रही है। तथापि, इस प्रणाली के शुरू होने की समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार संबंधी रिपोर्ट

5735. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायमूर्ति वी. एस. मल्मिथ की अध्यक्षता में भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के बारे में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस रिपोर्ट के कब तक पटल पर रखे जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) समिति, दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार के क्षेत्र में निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए बार, पुलिस, न्यायविदों, अभियोजकों, उच्च न्यायालयों और अन्य विधि विशेषज्ञों से विचारों का आदान-प्रदान कर रही है। समिति की कार्यावधि को 30 सितंबर, 2002 तक विस्तारित किया गया है।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

5736. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार जोन-वार कितनी लम्बाई के रेलमार्गों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान जोन-वार कितनी लम्बाई के रेलमार्गों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेल विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं कि विद्युत आपूर्ति बंद होने के कारण गाड़ियां न रुकें; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किए गए सुरक्षा उपायों और तकनीकी पहलों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) मार्च, 2002 तक जोनवार विद्युतीकृत रेलमार्गों की लंबाई तथा

2002–03 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले रेलपथों की लंबाई का ब्यौरा इस प्रकार है–

जोन/रेलवे	31.3.2002 को विद्युतीकृत रेलमार्गों की लंबाई	2002–03 के दौरान विद्युतीकरण किए जाने वाले रेलपथों की लंबाई
मध्य	2947	–
पूर्व	2333	45
उत्तर	1598	75
पूर्वोत्तर	23	–
पूर्वोत्तर सीमा	–	–
दक्षिण	1432	38
दक्षिण मध्य	1518	–
दक्षिण पूर्व	4181	145
पश्चिम	1969	72
जोड़	16001	375

(ग) और (घ) जी, हां। किसी भी एक कर्षण उप स्टेशन पर बिजली आपूर्ति विफल होने के मामले में, निकटवर्ती कर्षण उप–स्टेशन से रिमोट कंट्रोल के जरिए आपूर्ति कर दी ज है।

माध्यस्थम के मामलों का निपटान

5737. श्री अधीर चौधरी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यस्थम के मामलों के निपटान में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार 1940 के माध्यस्थम अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कोई कड़े कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों से निपटने के लिए न्यायपालिका को प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) माध्यस्थम अधिनियम, 1940, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) द्वारा पहले ही निरसित किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे भूमि का व्यावसायिक उपयोग

5738 श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे भूमि के व्यावसायिक उपयोग/विकास हेतु भारतीय रेल संपत्ति विकास प्राधिकरण नामक एक स्वायत्तशायी निकाय गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित प्राधिकरण के कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने अप्रयुक्त पड़ी अथवा अवैध अतिक्रमण वाली भूमि के संबंध में भी कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार अलग–अलग ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अतिक्रमित भूमि को खाली कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां। रेलवे द्वारा रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग/विकास के लिए भारतीय रेलवे भूमि, आकाशीय क्षेत्र और संपत्ति विकास प्राधिकरण के गठन करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित प्राधिकरण रेल मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय होगा। प्राधिकरण समय–समय पर मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार भूमि और संपत्ति के विकास के लिए कार्य करेगा। प्रस्तावित प्राधिकरण के अधिनियमों का

मसौदा तैयार कर दिया गया है और संबंधित मंत्रालय को समीक्षा के लिए भेज दिया गया है। टिप्पणियां प्राप्त होने पर प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) से (ङ) इस समय लगभग 0.18 लाख हेक्टेयर रेलवे भूमि खाली पड़ी है और अन्य 0.02 लाख हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमणाधीन है। अलग से राज्य के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। रेलवे ऐसे आंकड़े जोनवार रखती हैं। रेलवे को अपनी परिचालनिक तथा अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के साथ–साथ भविष्य के लिए विकासात्मक कार्यों के लिए खाली भूमि की आवश्यकता होती है। रेलवे अपने भूमि को अतिक्रमणों से मुक्त कराने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और रेल अधिनियम 1989 के अनुसार निरंतर प्रयासरत रहती है।

उच्चतम न्यायालय

5739. श्री रघुनाथ झा : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 अक्तूबर, 2001 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के "पुलिस मस्ट प्रूव चार्जेज", रूल्स एस.सी., शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय ने सुभाष चंद बनाम राजस्थान राज्य (2002 जिल्द 1 एससीसी, पृ. 702) के मामले में 1999 की दांडिक अपील संख्या 230–231, तारीख 16 अक्तूबर, 2001 में अपने निर्णय, तारीख 16 अक्तूबर, 2001 में यह संप्रेषण किया है कि : "ऐसा कोई सतर्क अन्वेषक अधिकारी, जो अपने कार्य की तकनीकियों से सुपरिचित है, ऐसी स्थिति में होता है कि साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़कर उस पथ का पता लगा ले जिस पर वह अपराधी तक पहुंचता है। न्यायालय में आरोप को पूर्णतया साबित किया जाना होता है। न्यायालय में दिए गए अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य में एक ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जो एक के बाद एक कदम पर यह स्पष्ट कर सके कि अन्वेषण किस प्रकार आगे बढ़ा जिससे अपराधी का पता लगा और उसके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित हुआ। यह आवश्यक है कि किसी निर्दोष को पकड़े जाने और उसे अपराधी करार दिए जाने की संभावना को और तब मानवीय सहानुभूति पैदा करने वाली अपराध की गंभीरता को, जो संदेहपूर्ण और संदिग्ध परिस्थितियों के कारण मन को उद्वेलित करती है, समाप्त किया जाए, जिससे उन्हें 'शंका से परे' साक्ष्यिक महत्व के रूप में माना जा सके।"

सरकार, राज्य में गृह विभाग के अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वतंत्र अभियोजन अभिकरण के रूप में अभियोजन निदेशालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त कर रही है। इससे अन्य बातों के साथ–साथ अन्वेषण और अभियोजन अभिकरणों के बीच बेहतर समन्वयन के द्वारा अन्वेषण की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता मिलेगी। अन्वेषण कार्य में अधिकाधिक पेशेवर बनाने के बढ़ावा देने के लिए अन्वेषण कार्य से विधि–व्यवस्था के कर्त्तव्यों को पृथक् किया जाना भी अनुध्यात है।

आशुलिपिक समूह 'घ' के स्वीकृत पद

5740. श्री एन. टी. षणमुगम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 तक रेल बोर्ड में आशुलिपिक समूह 'घ' के कुल कितने पद स्वीकृत थे;

(ख) उसके बाद स्वीकृत पदों के अतिरिक्त इस संवर्ग में आशुलिपिक समूह 'घ' के पदों का वर्षवार कितना सृजन किया गया;

(ग) क्या आशुलिपिक समूह 'घ' के इन सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है और "टाइम स्केल" के आधार पर उन्हें उचित पदोन्नति दी गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संवर्ग में आगे पदोन्नति न होने के मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) 31.12.1996 की

स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड में आशुलिपिक 'घ' के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 190 थी।

(ख)	वर्ष	सृजित पदों की संख्या
	1997	04
	1998	01
	1999	कोई नहीं
	2000	कोई नहीं
	2001	कोई नहीं

(ग) और (घ) रेलवे बोर्ड में सभी आशुलिपिक 'घ' नियमित कर्मचारी हैं। आशुलिपिक 'घ' को समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। बहरहाल, समूह 'घ' के जिन आशुलिपिकों ने 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है जिन्हें उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति नहीं मिली है, उन सभी को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अगला उच्चतर ग्रेड प्रदान किया गया है।

एम ई एस का कार्यकरण

5741. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 50.103 एवं 50.106 में की गई सिफारिश के अनुसार एम ई एस को विद्यमान सिविल श्रम बल को नहीं सौंपे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वर्ष 1998 में सेना मुख्यालय ने यह आकलन किया था कि एक लड़ाकू सैनिक को रोजगार देने के मुकाबले इसके समकक्ष सिविल पद पर नियुक्त करने पर आई लागत की तुलना में दो गुणा खर्च आता है; और

(ग) यदि हां, तो एम ई एस से सेवा कार्मिकों को हटाने के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा पैरा 33.15 में की गई सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सेना इंजीनियर सेवा एक अंतर सेवा संगठन है जिसमें सेना और सिविलियन दोनों स्वरूप के कार्यों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सिविल और सेना का विवेकसम्मत मिश्रण है। सेना अधिनियम के अधीन जारी सरकारी अधिसूचना के तहत इंजीनियर-इन-चीफ सेना इंजीनियर सेवा का प्रमुख है। केन्द्रीय वेतन आयोग के पैरा 50.106 और 33.15 में की गई सिफारिश के अनुरूप सेना इंजीनियर सेवा का धीरे-धीरे सिविलियनीकरण किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सेना इंजीनियर सेवा से किसी सैन्य कार्मिक को वापस लेने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

राजधानी रेलगाड़ियों को प्रोत्साहन देना

5742. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तर और पूर्वी भारत में चल रही राजधानी रेलगाड़ियों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने हेतु किन्हीं ट्रेवल एजेंसियों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ ट्रेवल एजेंसियों को उत्तर और पूर्वी भारत में चल रही राजधानी रेलगाड़ियों संबंधी पैकेजों और टिकटों की बिक्री हेतु अधिकृत किया गया है;

(घ) क्या ऐसे समझौते के पश्चात् इन रेलगाड़ियों पर आवागमन में सुधार हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे ने उत्तर और पूर्व भारत में चलने वाली राजधानी गाड़ियों के लिए टिकट बेचने और पैकेजों के लिए किसी भी ट्रेवल एजेन्सी को प्राधिकृत नहीं किया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेल परियोजनाओं पर आने वाली लागत में राज्य सरकारों की भागीदारी

5743. श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रेल परियोजनाओं पर आने वाली लागत में उन राज्यों की सरकारों से जिनके क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है, शीघ्र काम पूरा कराने के लिए भागीदारी का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि का आकलन कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे के प्रस्तावों पर राज्य सरकारों की सहमति न होने की स्थिति में अन्य स्रोतों से धन उगाही करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिवों को रेल मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र के प्रत्युत्तर में अब तक कर्नाटक सरकार तथा झारखण्ड सरकार ने उनके राज्य में आने वाली कतिपय रेल परियोजनाओं को लागत में भागीदारी के आधार पर करने में तत्परता दिखाई है। प्राप्त हुए प्रत्युत्तर के अनुसार, कर्नाटक तथा झारखण्ड सरकारें निम्नलिखित परियोजनाओं को लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू करने के लिए इच्छुक हैं

परियोजना	आज की तारीख में उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1.4.02 को पूरी करने के लिए अपेक्षित निधियां (करोड़ रुपए में)
1	2
झारखण्ड	
रांची–बरकाकाना–हजारीबाग–कोडरमा नई लाइन	1002
टोरी तक विस्तार सहित रांची–लोहरदगा का आमान परिवर्तन	216
देवगढ़–दुमका नई लाइन	200
दुमका–रामपुर हाट नई लाइन	154
कोडरमा–गिरीडीह नई लाइन	351
कोडरमा–तिलैया नई लाइन (केवल झारखण्ड का भाग)	74
कर्नाटक	
कोट्टूर–हरिहर नई लाइन	124.03
बैंगलूरू–केंगेरी दोहरीकरण	20.72
केंगेरी–रामानगरम	45.00

(ङ) रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक–निजी साझादारी मॉडलों के लिए कतिपय दिशा–निर्देश प्रतिपादित किए हैं। इनमें एस पी वी मार्ग, बी ओ टी मार्ग, निजी माल टर्मिनल आदि शामिल हैं, जिनके माध्यम से निजी सेक्टर भागीदारी कर सकते हैं।

डीजल के मूल्यों में स्थिरता

5744. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित मूल्य प्रणाली के बाद सरकार डीजल के मूल्यों में स्थिरता पर कुछ नियंत्रण पुनः बनाए रखने के लिए चिन्तित है जो खपत किये गए पेट्रो उत्पादों का लगभग 50 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यों में स्थिरता को प्रभावित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का प्रयोग करना प्रस्तावित है;

(ग) क्या सरकार को पेट्रो उत्पाद कंपनियों के खुदरा मूल्यों में समानता की उम्मीद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में सामान्य उतार–चढ़ाव डीजल की घरेलू कीमतों में दिखाई देंगे। तथापि, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों, विशेष रूप से इनके उतार–चढ़ाव और घरेलू बाजार पर इनके संभावित प्रभाव की निरंतर समीक्षा कर रही है। जैसे ही सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाएगा, उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

विद्युत अंतरण

5745. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरग्रिड कॉर्पोरेशन बाढ़ कहलगांव–2, उत्तरी करनपुरा और हिरमा विद्युत उत्पादन संयंत्रों को जोड़कर 7500 मेगावाट क्षमता वाले सुपर हाइवेज को क्रियान्वित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सभी संयंत्र पहले से ही विद्युत उत्पादन कर रहे हैं;

(ग) किन क्षेत्रों को विद्युत अंतरित की जाएगी;

(घ) क्या इस लिंकेज में पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र शामिल होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो विद्युत पारेषण के लिए यह सुपर हाइवे कब तक तैयार होगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) बाढ़ ताप विद्युत परियोजना चरण–1, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना चरण–2, उत्तरी करनपुरा ताप विद्युत परियोजना एवं हिरमा ताप विद्युत परियोजना विकास की प्रक्रिया में हैं। पावर ग्रिड ने बाढ़, कहलगांव–2 एवं उत्तरी करनपुरा ताप विद्युत परियोजना से विद्युत प्राप्ति के लिए एक सघन उच्च क्षमता वाली पारेषण प्रणाली तैयार करने की योजना बनाई है। हिरमा ताप विद्युत परियोजना से विद्युत प्राप्ति के लिए भी पारेषण प्रणाली तैयार करने की योजना बनाई गई है। इन लिंकेजों में पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र शामिल होंगे। इन पारेषण प्रणालियों को विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के समानुरूप ही चालू करने की योजना है, जिन्हें 10वीं/11वीं योजना के अंत तक चालू किए जाने की आशा है।

वसूल न की गई धनराशि

5746. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000–01 के दौरान वसूल न की गई धनराशि में करीब 24% की वृद्धि की हुई है;

(ख) क्या वसूल न की गई आय का एक बड़ा हिस्सा राज्य विद्युत बोर्ड और एन.टी.पी.सी. जैसे सरकारी संस्थाओं से भाड़े के रूप में मिलने वाली बकाया धनराशि का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी संस्थाओं द्वारा 1600.00 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के बकायों का भुगतान न करना विद्युत क्षेत्र को रेलवे द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के समान है, जो स्वयं सामान्य राजकोष से लिये गये पूंजीगत ऋण पर 7% ब्याज का भुगतान करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। मौजूदा नीति के अनुसार, रेलवे बकाया माल–भाड़ा देय राशि पर ब्याज नहीं वसूलती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिगबोई तेल शोधक कारखाना

5757. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड के दिगबोई तेल शोधक कारखाने को राहत पैकेज के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारतीय तेल निगम लिमिटेड को किस सीमा तक मदद मिली है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम और तेल क्षेत्र में संयुक्त उद्यम की परियोजनायें

5748. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम और तेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में निजी क्षेत्र की और विदेशी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम की परियोजनायें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम की परियोजनाओं से उच्च लाभ मिलने की उम्मीद है; और

(घ) यदि हां, तो देश में विचाराधीन संयुक्त उद्यम की ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो बहुत शीघ्र शुरू की जाने वाली हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तेल क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत निजी क्षेत्र एवं विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम तैयार करते रहे हैं। संयुक्त उद्यम के अंतर्गत प्रवेश करने का प्रयोजन संयुक्त उद्यम साझेदारों के माध्यम से नवीनतम प्रौद्योगिकी, जानकारी, कार्यनीतियों एवं वित्त तक संपर्क प्राप्त करना है। संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत उनके वित्तीय निवेश सामान्यतया समांशता के रूप में होंगे तथा उत्पादन अनुज्ञप्तियों की क्षमता पर निर्भर करेगा।

भारत में तेल क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे संयुक्त उद्यमों, जो पहले ही प्रचालन में हैं तथा वे भी जो क्रियान्वयनाधीन हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	प्रवर्तक	कार्यव्यापार
1	2	3	4
1.	इंडो–मोबिल लिमिटेड	आईओसी तथा मोबिल पेट्रोलियम कं. इंक	मोबिल ब्रांड स्नेहकों का आयात सम्मिश्रण एवं विपणन करना।
2.	एवी–आयल इंडिया लिमिटेड	आईओसी, बामर लारी तथा नाइको एसए, फ्रांस	विमानन स्नेहकों के लिए।
3.	इंडियन आयल टैंकिंग लि.	आईओसी तथा आयल टैंकिंग जीएमबीएच, जर्मनी	पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास।
4.	लुब्रीझाल इंडिया लि.	आईओसी, लुब्रीझाल कार्पोरेशन, यूएसए	ल्यूब योगजों का निर्माण।
5.	पेट्रोनेट इंडिया लि. (सीआईएल)	आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईबीपी, इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशल सर्विसेस (आई एलएफएस), आईसीआईसीआई एसबीआई, एस्सार आयल लि. (ईओएल) और रिलायंस पेट्रोलियम लि. (आरपीएल)	कामन कैरियर संकल्पना के रूप में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए उत्पाद पाइप लाइनों का निर्माण और प्रचालन करने के लिए संयुक्त उद्यमों का गठन।

1	2	3	4
6.	पेट्रोनेट वाडीनार कांडला लि.	आईओसी, पीआईएल, आरपीएल, ईओएल, एसबीआई, कांडला पत्तन–न्यास (केपीटी), गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग, आईएलएफएस, केनरा बैंक	कामन कैरियर के रूप में, आरपीके और ईओएल रिफाइनरियों से, वाडीनार से कांडला तक पेट्रोलियम उत्पादों के परियहन के लिए एक पाइपलाइन का निर्माण करना और प्रचालन करना।
7.	पेट्रोनेट चेन्नई–त्रिची–मदुरई लि.	आईओसी, पीआईएल और अन्य	कंपनी त्रिची के रास्ते चेन्नई से मदुरई तक पेट्रोलियम उत्पादों के कामन कैरियर के रूप में परिवहन के लिए एक पापइपलाइन का निर्माण और प्रचालन करेगी।
8.	पेट्रोनेट सीआईपीएल लि.	आईओसी, पीआईएल, आरपीएल, ईओएल और बीपीसीएल	मध्य भारत के खपत क्षेत्रों को आपूर्ति करने के लिए जामनगर में रिलायंस पेट्रोलियम लि. (आरपीएल) और एस्सार आयल (ईओएल) रिफाइनरियों और कोयाली में आईओसीएल की गुजरात रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों के निष्कर्षण के लिए एक पाइपलाइन का निर्माण और प्रचालन करना।
9.	पेट्रोनेट एलएनजी लि.	आईओसी, बीपीसीएल, ओएनजीसी, गेल और अन्य कार्यनीतिक भागीदार एवं वित्तीय संस्थान	एलएनजी के आयात और पुनरगैसीकरण के लिए सुविधाओं का विकास।
10.	इंडियन आयल पेट्रोनास प्रा. लि. (आईपीएल)	आईओसी, पेट्रोनास–मलेशिया	वाणिज्यिक प्रोपेन एवं ब्यूटेन का आयात करना, मिश्रण तथा विपणन करना।
11.	इंडियन आयल पानीपत पावर कंसोर्टियम लि. (आईपीपीसीएल)	आईओसी तथा मारूबेनी कार्पोरेशन (एमसी), जापान	पानीपत में पावर जनरेशन संयंत्र बनाना, अधिकार में लेना और प्रचालित करना तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. (एचवीपीएनएल) को बिजली बेचना।
12.	इंडियन आयल टीसीजी पेट्रोकैम लि.	आईओसी, चटर्जी ग्रुप (टीसीजी)	पेट्रोरसायन व्यापार अधिकार में लेना, प्रचालन तथा व्यवस्था करना।
13.	ओएनजीआईओ इंटरनेशनल प्रा. लि.	आईओसी, ओएनजीसी	हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में प्रशिक्षण, परामर्श और सेवाएं।
14.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रो–केमिकल्स लि. (एमआरपीएल)	एचपीसीएल और एवी बिरला समूह की कंपनियां	कच्चे तेल का शोधन।
15.	हिन्दुस्तान कोलास लि.	एचपीसीएल और मैसर्स कोलास फ्रांस	बिटुमन इमल्शन का उत्पादन व विपणन करना।
16.	पेट्रोनेट एमएचबी लि.	एचपीसीएल और पेट्रोनेट इंडिया लि.	बंगलौर के पास मंगलौर से देवनगुंटी तक पाइपलाइन बिछाना।
17.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि.	एचपीसीएल, आईसीआईसीआई तथा एचडीएफसी	हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए।

1	2	3	4
18.	साउथ एशिया एलपीजीवीओ प्रा. लि.	एचपीसीएल तथा मैसर्स टोटल फिना एल्फ फ्रांस	विशाखापत्तनम में एलपीजी आयात टर्मिनल का निर्माण करना।
19.	हिन्दुस्तान ओमान पेट्रोलियम कं. लि.	एचपीसीएल तथा ओमान आयल कंपनी लि.	–
20.	भारत ओमान रिफाइनरीज लि. (बीओआरएल)	बीपीसीएल और ओमान आयल कंपनी	बीना (मध्य प्रदेश) में एक रिफाइनरी की स्थापना करना।
21.	एएमईसी–इंजीनियर्स इंडिया लि. (एईआईएल)	एएमईसी प्रोसेस एंड एनर्जी इंटर–नेशनल लि (एपीईआईएल) तथा ईआईएल	तेल और गैस संसाधन रिफाइनरियों, पेट्रोरसायन और अपतटीय एवं अनुषंगी परियोजनाओं के क्षेत्रों में डिजाइन, इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण प्रबंधन सेवाओं सहित परियोजनाओं का निष्पादन करना।
22.	गेल और गाज प्राम, रूस	एलईएलपी–1 के तहत बंगाल अपतट में एनईसी–ओएसएन–97/1 (ब्लाक 26)	अन्वेषण कार्यक्रम।
23.	गेल और मैसर्स डेवू इंटर–नेशनल, दक्षिणी कोरिया	अन्वेषण ब्लाक–ए1 म्यांमार अपतट	अन्वेषण कार्यक्रम।
24.	महानगर गैस लि. (एमजीएल)	गेल और ब्रिटिश गैस	मुंबई नगर में पाइप द्वारा गैस और सीएनजी की आपूर्ति।
25.	इन्द्रप्रस्थ गैस लि. (आईजीएल)	गेल, बीपीसीएल और राष्ट्रीय राजधानी राज्य दिल्ली सरकार	दिल्ली में पाइप द्वारा गैस और सीएनजी की आपूर्ति।
26.	इंडियन मैरीन फ्रेट कन्टेनर्स मैन्यूफैक्चरिंग लि. (जिसे पहले बामर लारी फ्रेट कन्टेनर्स लि. कहा जाता था) चेन्नई	बामर लारी, मैसर्स टेकट्रांस, जर्मनी और ओकुरा, जापान	चेन्नई में मैरीन फ्रेट कन्टेनर्स का विनिर्माण और निर्यात।
27.	इंडियन कन्टेनर लीजिंग कं. लि. कलकत्ता	बामर लारी, आईसीआईसीआई, टीडीआईसीआई, ट्रांस अमेरिका, यूएसए	घरेलू क्षेत्र में कन्टेनराइजेशन की संकल्पना को बढ़ावा देना।
28.	बामर लारी–वैन लियर लि. मुंबई	बामर लारी एंड मैसर्स वैनलियर, नीरलैंड्स	बैरल क्लोजर्स और फिटिंग्स का विनिर्माण।
29.	बामर लारी (यूएई) एलएलसी, दुबई	बामर लारी और एचएच शीक हाशर मकटोम, दुबई	स्टील और प्लास्टिक बैरलों का निर्माण।
30.	भारत शैल लि. (बीएसएल)	बीपीसीएल और शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, बीवी	शेल ब्रांड के स्नेहकों का विपणन करना।

[हिन्दी]

गैर-पंजीकृत कम्पनियां

5749. श्री रामदास आठवले : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों विशेषतः जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कम्पनियां स्वयं को कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराए बिना कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भी कंपनी के लिए स्वयं को एक निर्धारित समय के भीतर पंजीकृत कराना आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर कानूनी रूप से कार्य कर रही गैर पंजीकृत कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार "कम्पनी" का अर्थ है कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत कम्पनी या पूर्ववर्ती विशेषीकृत कम्पनी कानूनों में से किसी के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत कार्यरत कम्पनी।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अल्पसूचना प्रश्न

सीएनजी की कमी

1. **श्री ए. वेंकटेश नायक** :
   श्री अशोक ना. मोहोल :
   श्री अधीर चौधरी .

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने दिल्ली सरकार द्वारा वाहनों के लिए अपेक्षित मात्रा में सीएनजी उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेशों के अनुसार बिना सीएनजी वाली बसें नहीं चलाई जा सकतीं, या डीजल चालित बसमालिकों को इन्हें चलाए जाने पर प्रतिदिन 500 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप दिल्ली की परिवहन व्यवस्था संकट का सामना कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है और सीएनजी के संबंध में एक अध्यादेश लाने का भी अनुरोध किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। 6.4.2002 से 30 दिन के प्रचालन के बाद दंड की राशि 1000/- रुपए प्रतिदिन होगी।

(ग) दिल्ली में परिवहन प्रणाली कुछ सीमा तक प्रभावित हुई है।

(घ) से (च) भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में परिवहन क्षेत्र द्वारा उपयोग के लिए **सीएनजी** के आपूर्ति से संबंधित सेवाओं की प्रभावकारिता में **वृद्धि करने और** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1985 की रिट याचिका **संख्या 13029** में दिए गए दिनांक 5 अप्रैल, 2002 **के आदेश में वर्णित** निर्देशों का कार्यान्वयन करने के लिए **समितियों का गठन** किया है, जिनमें से एक समिति भूमि के **आवंटन**, पाइप लाइन सहित सीएनजी संबंधी बुनियादी सुविधाओं **की स्थापना** में विभिन्न संगठनों/मंत्रालयों द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्रों के प्रदान किए जाने की समीक्षा के लिए **दिल्ली** के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में गठित की गई है और दूसरी समिति सीएनजी की आपूर्ति के प्रचालनात्मक पहलुओं की निगरानी के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है।

सरकार संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से उपायों की व्यापक रूप से समीक्षा कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : माननीय सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : अभी क्या व्यवस्था है? अभी तो सदन की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप सुनेंगे तब व्यवस्था जानेंगे... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या पिछली व्यवस्था का रूल उठाएंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह : कृपया रूल 47 देखिए। यह हाउस इस सवाल पर ऐडजर्न हुआ था कि माननीय सदस्य श्री सुनील खान का रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक सवाल था। आसन ने सुनील खान जी का नाम बुला लिया। वे खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने आपत्ति की। आपका नियम यह कहता है कि अगर किसी सदस्य को अपना प्रश्न वापिस लेना हो तो हाउस चलने से पहले वे लिखित रूप में सूचना दे देते हैं या उस समय प्रश्न पास किया जाता है जिस समय हाउस में कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो। माननीय सदस्य उपस्थित थे, वे खड़े हुए, आसन से नाम पुकारा गया। उसके बाद उस प्रश्न को जब दूसरे सदस्य पूछना चाहते थे तो उन्हें पूछने नहीं दिया गया। हम चाहेंगे कि इस सवाल पर आपका नियमन हो। इस तरह हाउस कैसे चलेगा, यह व्यवस्था आपको बतानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, इसी संबंध में मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एक विनिर्णय था। आप रिकार्ड देख सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने केवल प्रभुनाथ जी को सुना है। आप लोग कृपा करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप चेयर को भी नहीं सुनना चाहते। आप पुराने सदस्य हैं। कृपा करके बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आपका क्या विनिर्णय है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : अगर आप चाहते हैं कि यह मैटर फिर से खुले तो यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप चेयर को तो सुनिये, बैठ जाइये। क्या आप आसन को भी नहीं सुनना चाहते हैं? आप बैठ जाइये, यह अच्छी परम्परा नहीं है, प्लीज बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : चेयर की रूलिंग के बाद ही हाउस में कोई बिजनेस होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : इस पर पहले ही विनिर्णय दिया जा चुका है। अब उन्हें बोलने की अनुमति क्यों दी गई है?...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : आप सभा में व्यवधान क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैडम, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप इस तरह से नहीं करें, टोका–टाकी करके आप व्यवधान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार : किसी के मन में मंत्री बनने की इच्छा है तो हम क्या कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मामले का निपटान हो चुका है। उन्हें क्यों बोलने दिया जाए?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम व्यवस्था जानना चाहते हैं कि जब उन्होंने सवाल पुकार लिया तो उसका क्या हुआ? हम इस पर आपकी व्यवस्था जानना चाहेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, आपको मालूम है कि रूल 49 के तहत माननीय डिप्टी स्पीकर साहब इस पर ऑलरेडी रूलिंग दे चुके हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : मैंने जो सवाल उठाया था, इस पर कोई रूलिंग नहीं है। हम इस पर नई रूलिंग चाहेंगे, हम कोई पुरानी रूलिंग नहीं सुनना चाहते। हम यह समझते हैं कि नाम पुकारने के बाद माननीय सदस्य ने उस पर स्टेटमेंट दिया है, इस पर कोई रूलिंग नहीं है। अब हम आपसे नई रूलिंग चाहेंगे।

सभापति महोदय : अच्छा, आप बैठ जाइये, आप चेयर को सुनिये। माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, वह नियम 47 के तहत रेज किया गया है। नियम 47 में आमतौर पर जो क्वश्चन रेज होता है, माननीय सदस्य जब खड़े हो गये, रैस्पोंड कर लेते हैं तो वह क्वश्चन ऑलरेडी हाउस की प्रापर्टी हो जाता है। उस समय जो सदन में आसन पीठासीन है या डिप्टी स्पीकर साहब हैं, इस सन्दर्भ में जो सवाल उठा था, उस सन्दर्भ में ऑलरेड रूलिंग हो चुकी है, लेकिन आप जिस सन्दर्भ में पूछ रहे हैं, उस सन्दर्भ में मैंने आपका समाधान चेयर से कर दिया। यही अभी तक रूल भी है और परम्परा भी है। हां, अगर मैम्बर खड़े नहीं होते, रैस्पोंड नहीं करते, बैठे ही रह जाते तो वह क्वश्चन हाउस की प्रापर्टी नहीं माना जाता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, अब आप बैठिए।

अपराह्न 2.07 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्णमराजू) : महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2000–2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5571/2002]

(3) (एक) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5572/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सभापति महोदय, मैं श्री अरूण जेटली की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम उत्पाद लिमिटेड और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2001, जो 9 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1110(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम (तमिलनाडु डिवीजन–दो) लिमिटेड और राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम (तमिलनाडु डिवीजन–एक) लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 2001, जो 12 जनवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 53(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5573/2002]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कंपनी (कर्मचारियों की विशिष्टियां) (संशोधन) नियम, 2002, जो 17 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 288(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5574/2002]

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) (एक) सेंटर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5575/2002]

(3) 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति के वर्गों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर इन वर्गों के उम्मीदवारों को लिए जाने में हुई प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5576/2002]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : महोदय, मैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5577/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5578/2002]

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5579/2002]

(तीन) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5580/2002]

(चार) चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5581/2002]

(पांच) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5582/2002]

(छः) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5583/2002]

(सात) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5584/2002]

(आठ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5585/2002]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, श्रीमती जयवंती मेहता की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5586/2002]

(2) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कलकत्ता के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5587/2002]

(4) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2002–2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5588/2002]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : महोदय, मैं सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 50/2000–सी. शु. जो 2 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विट्रीफाईड इंडस्ट्रियल टाइल्स को छोड़कर विट्रीफाईड और पोर्सिलेन टाइल्स पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5589/2002]

अपराह्न 2.09 बजे

[हिन्दी]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2002 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 अप्रैल, 2002 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अपराह्न 2.10 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) 'नौसेना पोतों हेतु मरम्मत/रखरखाव सुविधाएं' विषयक रक्षा संबंधी स्थाई समिति के नौवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन के अध्याय–एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण।

(दो) 'भारतीय वायुसेना का आधुनिकीकरण' विषयक रक्षा संबंधी स्थाई समिति के सातवें प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति (तेरहवीं लोक सभा) के चौदहवें प्रतिवेदन के अध्याय–एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण।

अपराह्न 2.11 बजे

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

निन्यानवेवां और सौवां प्रतिवेदन

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : सभापति महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन

संबंधी स्थाई समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) जैव–प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2002–2003) संबंधी 99वां प्रतिवेदन।

(2) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2002–2003) संबंधी 100वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[हिन्दी]

(एक) जयपुर, राजस्थान में जोनल रेलवे कार्यालय भवन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : जयपुर में पूर्व प्रधान मंत्री ने पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का गणपति नगर, जयपुर में उद्घाटन किया था। वर्तमान में कार्यालय चल रहा है, परंतु इसका स्थाई भवन बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन देने के बाद भी भारत सरकार ने इस क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए जोनल आफिस की स्थापना नहीं की है। उद्घाटन करने के पश्चात् कार्यालय अभी तक नहीं बन पाया है। राज्य सरकार ने रियायती दर पर स्टाफ क्वार्टर बनाए जाने के लिए भी जमीन उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया है।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से पुरजोर मांग है कि प्रदेश की जनता के हित के लिए जोनल आफिस बनाया जाए।

(दो) उत्तर प्रदेश में देवरिया महुआडीह-हेतिमपुर-कुशीनगर-पडरौना रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : सारनाथ, उत्तर प्रदेश भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और वाराणसी के पास होने से इसने पर्यटन की दृष्टि से काफी प्रगति की है। हमारे संसदीय क्षेत्र देवरिया में कुशीनगर भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इन दोनों धर्म स्थलों को जोड़ने से पर्यटन में काफी वृद्धि होगी। खासतौर से सारनाथ को कुशीनगर से रेलवे लाइन से जोड़ना आवश्यक है। वाराणसी से देवरिया तक रेलवे लाइन उपलब्ध है। देवरिया से कुशीनगर के लिए रेलवे लाइन जरूरी है। यह लाइन देवरिया–महुआडीह–हेतिमपुर–कुशीनगर–हवाई अड्डा–पडरौना रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी। इस लाइन की दूरी 60 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी, परंतु पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

रेल मंत्रालय सम्भवतः इसका सर्वे करा चुका है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देवरिया–महुआडीह–हेतिमपुर–कुशीनगर–पडरौना रेलवे लाइन को इस साल की योजना में शामिल करें।

[अनुवाद]

(तीन) मध्य रेलवे, मुम्बई ने भांडुप और मुलुंड के बीच नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मध्य रेलवे, मुंबई में भांडुप और मुलुंड के बीच नया रेलवे स्टेशन विकसित करने, बनाने की बहुत पहले से चली आ रही मांग की ओर माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इससे 70,000 से अधिक दैनिक यात्रियों को लाभ होगा। वर्तमान में भांडुप और मुलुंड इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 4.25 कि.मी. है जो मुंबई उपनगर में मध्य रेलवे में सबसे अधिक है। इसी लाइन पर कुछ स्टेशनों के बीच की दूरी 1–1 कि.मी. है। माननीय रेल मंत्री ने अप्रैल में सकारात्मक सहमति भी दे दी है। महाप्रबंधक, मध्य रेलवे तथा अन्य अधिकारियों से भी अपेक्षा है कि सकारात्मक रूप से सोचेंगे। अतः एक कार्य योजना बनाने, 'एम यू टी पी' या रेलवे बजट में वित्तीय प्रावधान करने तथा समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

(चार) कर्नाटक को सेंट्रल ग्रिड से बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा (दावणगेरे) : महोदय, कर्नाटक सरकार के सामने इस समय बिजली की बहुत कमी है और गर्मियों में भी रहेगी। राज्य अधिकतर जल विद्युत पर निर्भर है। विगम मानसून में अपर्याप्त वर्षा होने के कारण तालाब पूरे नहीं भरे हैं। राज्य के जल विद्युत स्टेशन उनकी पूरी क्षमता का मात्र 60 प्रतिशत उत्पादन कर पाएंगे और इससे राज्य में बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन

*सभा पटल पर रखे गए।

[श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा]

के कार्य के अलावा राज्य ने विद्युत उत्पादन में भी कदम बढ़ाए थे। इस वर्ष दो मुख्य परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

कर्नाटक सरकार ने पड़ौसी राज्यों से भी बिजली देने का अनुरोध किया है किंतु उन्होंने सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है।

बिजली की कमी के कारण जो गम्भीर स्थिति पैदा होगी, उसे देखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पर्याप्त बिजली देने में राज्य की मदद करे ताकि जनता को राज्य में बिजली की कमी का सामना न करना पड़े।

(पांच) ढेंकानाल स्थिति संग्रहालय का अनुरक्षण तथा विस्तार करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, उड़ीसा के ढेंकानाल संग्रहालय को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। संग्रहालय में काफी संख्या में प्राचीन कलाकृतियां मौजूद हैं, जिसमें नृत्य की मुद्रा में बुद्ध की बलुआ पत्थर की प्रतिमा, भूसे से भरे जानवर, तेंदुवे और रॉयल बंगाल चीते, हाथी, हिरण, जंगली भैंसे आदि की मूर्तियां और रघुराजपुर के प्रसिद्ध पट्टाचित्र हैं। इन सभी अनोखे संग्रहों के बावजूद, मुख्यतः कर्मचारियों की कमी तथा निधियों के अपर्याप्त आवंटन के फलस्वरूप इस संग्रहालय का उचित रख–रखाव न होने के कारण यह उपेक्षित स्थिति में है।

संग्रहालय के विस्तार की बहुत गुंजाइश है तथा वहां महिमा पंथ के लिए गैलरी, ढेंकानाल के औद्योगिक उत्पादों तथा वनस्पतिक गैलरियों, जिसमें औषधीय पौधे, पोशाकें तथा विभिन्न नृत्य गायन यंत्र शामिल हैं, हेतु गैलरियां स्थापित करने की आवश्यकता है।

उड़ीसा राज्य सरकार को इस दिन–प्रतिदिन के रख–रखाव तथा संग्रहालय के प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम के व्यय को वहन करने के लिये वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि वह ढेंकानाल संग्रहालय का शत–प्रतिशत खर्चा वहन करे तथा साथ ही इसके विस्तार हेतु अपेक्षित धन भी उपलब्ध कराये।

(छह) समूचे देश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 25 वर्ष पूर्व यह घोषणा की गई थी कि सभी व्यक्तियों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप पेयजल प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन आज विश्व में भारत सहित कई देश इस संबंध में पिछड़े हुए हैं। पंजाब तथा हरियाणा, जहां गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का प्रतिशत क्रमशः 6.16 प्रतिशत तथा 8.74 प्रतिशत है, भूमिजल संसाधनों का 98.34 प्रतिशत तथा 75.61 प्रतिशत के बीच उपयोग करते हैं। जबकि दूसरी ओर उड़ीसा अथवा बिहार अथवा असम में, जहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 40 प्रतिशत से अधिक है, भूमिजल का उपयोग बहुत कम है, तथा यह 15.22 प्रतिशत और 35.99 प्रतिशत के बीच में है। अतः मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हमारे देश में आज भी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति तथा पर्याप्त स्वच्छता उपलब्ध नहीं है। हाल ही के एक अध्ययन में राष्ट्रीय जल नीति में इन दो मूलभूत आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने की निंदा की गयी है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में जल, स्वच्छता तथा सफाई को गरीबी कम करने का मुख्य आधार मानें।

[हिन्दी]

(सात) बिहार में एनटीपीसी, कहलगांव को कमान क्षेत्र घोषित करके इसके आस-पास 40 कि.मी. के क्षेत्र में अवस्थित उद्योगों को अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : महोदय, एनटीपीसी कहलगांव भागलपुर शहर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित होने के बावजूद बिजली आपूर्ति के अभाव में पावरलूम सैक्टर, कृषि कार्य, व्यवसाय एवं आम उपभोक्ताओं को भीषण संकट का सामना करना पड़ता है।

बिजली आपूर्ति की बदतर स्थिति के कारण बुनकर, किसान, व्यवसायी और आम उपभोक्ताओं का जीवन संकटमय है तथा इस क्षेत्र का विकास बुरी तरह बाधित है। फलस्वरूप घोर पिछड़ापन, अभाव, गरीबी और असमानता के अंधकार में अपराध और विधि–व्यवस्था की चुनौती लगातार बढ़ रही है। पांच लाख से अधिक बुनकर, किसान एवं बेकार नौजवानों में हताशा बढ़ रही है।

अतएव भारत सरकार एवं विद्युत मंत्रालय से मांग है कि उपरोक्त समस्या के निदान हेतु कहलगांव एनटीपीसी के चालीस कि.मी. क्षेत्र को कमांड एरिया घोषित कर पावरलूम उद्योग, कृषि, व्यवसाय एवं अन्य कार्यों के लिए वहां से सीधे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जाए।

(आठ) बुन्देलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित जिलों में निःशुल्क 'बोरवेल' योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : किसानों के लिए नलकूप खनन हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की महती आवश्यकता है। भारत सरकार अथवा जल संसाधन मंत्रालय के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत सूखा, अकाल पीड़ित क्षेत्रों के किसानों की सहायता की जा सके। भारत सरकार अथवा जल संसाधन मंत्रालय को शीघ्र ही ऐसी योजना बनानी चाहिए और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के सूखा पीड़ित जिलों—ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा व चित्रकूट के किसानों को वित्तीय सहायता शीघ्र उपलब्ध करानी चाहिए। भू—जल उपलब्धता संबंधी वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने हेतु अन्वेषण कूपों का खनन कार्य चित्रकूट जिले के सुखल और खोया आदि गांवों में बीस वर्षों पूर्व किया गया था। उन क्षेत्रों में और अधिक स्थानों पर अन्वेषण कूपों का खनन कार्यक्रम चलाना चाहिए। इस कार्यक्रम को और अधिक तीव्र गति से चलाकर भी किसानों को राहत दी जा सकती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

(नौ) बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छपरा और मोहम्मदपुर के बीच बरास्ता बनियापुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 101 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजपुर से होकर वाया बनियापुर मार्ग दिगत दिनों आई बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुई क्षति के संबंध में मुझे सूचित किया गया कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को बाढ़ से हुई क्षति की तत्काल मरम्मत हेतु अगस्त, 2001 को दो करोड़ रुपये जारी किये गये थे एवं इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा भेजे गये आकलन के आधार पर 999.96 लाख रुपये के 22 प्राक्कलनों को अनुमोदित कर दिया गया, किंतु राष्ट्रीय राजमार्ग 101 पर बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत हेतु राज्य सरकार से कोई प्राक्कलन नहीं प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मैं सरकार को सूचित करना चाहूंगा कि मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग, पटना द्वारा अपने पत्रांक 48—ई.एस.एच. दिनांक 13.4.02 के माध्यम से इस कार्य का प्राक्कलन भेजा गया है।

आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि इस प्राक्कलन को स्वीकृति देते हुए इस पथ के निर्माण हेतु अविलम्ब राशि निर्मुक्त की जाए ताकि इस राजमार्ग की मरम्मत शीघ्र हो सके।

सभापति महोदय : आप जो लिखित पढ़ रहे हैं, केवल वही रिकार्ड में जाएगा दूसरा कुछ नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

(दस) दक्षिण-पूर्व रेलवे की तामलुक-दीघा रेल परियोजना का शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने की आवश्यकता

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदय, तामलुक—दीघा रेल परियोजना में वर्ष 2000—2001 में अद्भुत प्रगति के बाद वित्तीय वर्ष 2001—2002 के दौरान रुक गई है। इससे स्थानीय लोगों में घोर निराशा की भावना पैदा हुई है। इसका मख्य कारण यह है कि ठेकेदारों के बहुत से आपूर्तिकर्ताओं को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा तीन ठेकेदारों और दक्षिण—पूर्व रेलवे के बीच के विवाद को नहीं निपटाया गया है। अतः मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि उक्त परियोजना उतनी ही तेजी से बहाल की जा सके।

मैं रेल मंत्री से यह भी चाहूंगा कि जैसा कि मंत्री महोदय से वायदा किया है, वे यह सुनिश्चित करें कि रेलगाड़ियों को जून माह तक कोंटाई और दिसम्बर तक दिघा तक चलाया जा सके।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चांदगढ़ तालुक में जाम्बरे मध्यम सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : महोदय, केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम

[श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक]

1980 की धारा 2 (ii) के जम्बरे मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थता जताई है। इस संबंध में, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि इस परियोजना के पूरे होने पर 37.73 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी तथा लगभग 53444 व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ कोल्हापुर में चान्दगढ़ ताल्लुक में काजू की खेती को भी बढ़ावा मिल सकेगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि जम्बरे मध्यम सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये 78 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने की स्वीकृति दी जाये।

[हिन्दी]

(बारह) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में जो टेलीफोन लगाए हैं उसमें अधिकतर खराब रहते हैं और खराब होने की स्थिति में वह महीनों तक ठीक नहीं हो पाते हैं। इस संबंध में जब संबंधित अधिकारियों से पता लगाया जाता है तो व बताते हैं कि पावर काफी कम है, जिसके कारण टेलीफोन खराब रहते हैं। चाहे जो भी समस्या हो, टेलीफोन सेवा सुचारु और समुचित रूप से मिलनी चाहिए। यह दूरसंचार विभाग की जिम्मेदारी है। साथ ही गुजरात के बहुत से भाग में मोबाइल सेवा अभी तक शुरू नहीं की है, जिसे तत्काल शुरू किया जाना चाहिए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन का रखरखाव ठीक प्रकार से किया जाए और मोबाइल सेवा तुरंत शुरू की जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) दक्षिण कन्नड़ में स्थानीय मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान दक्षिण कन्नड़ के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदाय की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा।

देश में निर्मित मछली पकड़ने की छोटी–छोटी नावों और अर्द्ध स्वचालित नौकाओं का उपयोग करके, नौ–परिवहन तथा सुरक्षा संबंधी सहायता के बिना, तटवर्ती जल की उग्र लहरों के बीच मछली पकड़ने का काम करते हैं, जहां उन्हें बेहतर उत्पाद नहीं मिल पाता। इसके विपरीत बड़े–बड़े स्वचालित मछली पकड़ने वाले पोत तटवर्ती क्षेत्र के साथ छोटे मछुआरों को नुकसान पहुंचाकर बेहतर उत्पाद प्राप्त करने के लिये सागर के अंदर दूर तक पहुंच जाते हैं। यहां यह आवश्यक होगा यदि केन्द्र पारम्परिक नौकाओं का उपयोग कर रहे मछुआरों की रक्षा करने के लिये गहरे सागर में जाने वाले मछली पकड़ने वाले पोतों के संचालन को सीमित करने की एक अखिल भारतीय नीति बनाये।

इसके साथ ही वहां पेयजल की गम्भीर समस्या तथा रियायती दरों पर मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता है। कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जैसे–माल्पे पर मत्स्यन पत्तन द्वितीय चरण, हंगरकट्टा (उदुपी ताल्लुक) तथा गांगोली व कोदेरी (कुंदापुरा ताल्लुक) पर पत्तन/जेटी कामप्लेक्स के पूरे किये जाने के लिये बड़े पैमाने पर केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मेरे क्षेत्र में मछुआरा समुदाय को चालू वित्तीय वर्ष 2002–2003 के दौरान विशेष उत्तरजीविका पैकेज प्रदान करके उनकी सहायता करे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य लेते हैं, मद संख्या–14

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि गुजरात में श्रीमती सोनिया गांधी, नेता विरोधी पक्ष शांति के लिए गई हैं या...*(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : सभापति जी, सोनिया गांधी जी ने जो गुजरात दौरे के समय जो कहा, वह गुजरात की जनता का अपमान है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.31 बजे

[हिन्दी]

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

और

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : सभापति जी, मेरी प्रार्थना यह है कि ये मद संख्या 14 एवं मद संख्या 15 पर जो दो विधेयक हैं, ये बेसिकली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्डर से डील होते हैं। इन दोनों की मैरिट के साथ-साथ माननीय सदस्य यह भी जरूर चाहेंगे कि जनरल चर्चा भी हो। हो सकता है कि वह चर्चा दोनों के बारे में लगभग समान हो। इसलिए मेरा आग्रह है कि दोनों बिलों पर इकट्ठी चर्चा कर ली जाए और भले ही छः बजे के बाद थोड़ा ज्यादा समय लगे, तो भी ये दोनों विधेयक आज ही पारित हो जाएं, ऐसी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम सहमत हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : हम भी सहमत हैं, महोदय।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सदन की सहमति है कि आइटम नं. 14 एवं आइटम नं. 15 पर एक साथ विचार किया जाए। माननीय मंत्री जी दोनों को एक साथ मूव करें।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की ऐसी कतिपय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्वासित व्यक्तियों को, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हो गए हैं और गुजरात राज्य में बसा दिए गए हैं या वहां बसाये जाने वाले हैं, गुजरात राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके, पर विचार किया जाए।"

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदय, संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 इस समय विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में यह व्यक्त करना उचित होगा कि इस विधेयक में जो प्रस्ताव सम्मिलित हैं वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार हैं तथा इन प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारों, भारत के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुमोदन प्राप्त है।

पहले विधेयक में मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों जिन्हें सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन के अनुसरण में गुजरात में पुनर्वासित किया गया है, या किया जाना है, के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वर्गीकरण को बरकरार रखने का प्रस्ताव है।

विधेयक यानि कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 में उड़ीसा, पंजाब एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित आठ प्रस्ताव सम्मिलित हैं। इन प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकारों, भारत के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अनुमोदन प्राप्त है।

इस तरह ये दो प्रस्ताव हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन पर विचार-विमर्श किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और

संशोधन करने वाले विधेयक, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की ऐसी कतिपय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्वासित व्यक्तियों को, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हो गए हैं और गुजरात राज्य में बसा दिए गए हैं या वहां बसाये जाने वाले हैं, गुजरात राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके, पर विचार किया जाए।"

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : अब मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी को बोलने के लिए बुलाता हूं।

***श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज)** : सभापति महोदय, में अपने दल की ओर से माननीय मंत्री जी का दो महत्वपूर्ण विधेयकों अर्थात् संविधान (अनुसूचित जातियां), आदेश, (संशोधन) विधेयक 2002 और संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 में दो संशोधनों को लाने के लिए धन्यवाद करता हूं। संशोधन का यह निर्णय दो वर्ष पहले ही किया जाना चाहिए था। देर से ही, किन्तु मैंने पाया है कि माननीय मंत्री डा. जटिया हमारी मांग का अध्ययन करने के बाद आवश्यक कार्यवाही करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। इस पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद, वह पिछले सत्र में ही आवश्यक संशोधनों के साथ दोनों विधेयकों को लेकर आए थे। आज यह पारित होने जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने इन दो विधेयकों में दो उद्देश्यों का उल्लेख किया है। एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के निर्वासित व्यक्तियों को, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हो गए हैं और गुजरात राज्य में बसा दिए गए हैं या वहां बसाए जाने वाले हैं, गुजरात की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करना है। मुझे इन संशोधनों पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं दूसरे विधेयक पर कुछ कहना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि चैन समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा–सा संशोधन करने का अनुरोध करूंगा। यह चैन समुदाय मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया में रहता है और आपने दक्षिण दीनाजपुर का उल्लेख किया है। महोदय, पश्चिम बंगाल में दक्षिण दीनाजपुर नामक कोई जिला नहीं है। यह पश्चिम दीनाजपुर था। अब इसे विभाजित कर दिया गया है और इसे उत्तर दीनाजपुर और दक्षिण दीनाजपुर के रूप में जाना जाता है। यह समुदाय उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर दोनों में बसा हुआ है। इसलिए दक्षिण दीनाजपुर के बजाय यदि उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर लिखा जाए तो इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले इस समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा। यह मेरा प्रथम निवेदन है। आज चर्चा समाप्त होने से पहले आप पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि ये सूची में उत्तर दीनाजपुर और दक्षिण दीनाजपुर है और उसके बाद संशोधन किया जा सकता है।

चैन समुदाय के नेता मुर्शिदाबाद के श्री कंचन सरकार, संसद सदस्य और हमारे प्रिय नेता श्री अधीर चौधरी और मैं इस मुद्दे पर दो वर्षों से भी अधिक समय से आंदोलन करते रहे हैं। किन्तु दुःख की बात है कि आवश्यक कार्यवाही के लिए आंदोलन करने और आपके मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए टिप्पण भेजने के बाद भी कुछ नहीं किया गया था! हर बार हमें एक ही उत्तर मिलता था कि मामला लंबित है अथवा विचाराधीन है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने तीन वर्ष पहले सर्वसम्मति से संकल्प को पारित किया था। दो वर्ष पहले मंत्रालय को दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी कुछ नहीं किया गया। मैं आपका आभारी हूं कि मेरे द्वारा आपको कागजात भेजे जाने के बाद, आपने कार्यवाही की और आज आप यह विधेयक लाए। मैं आपका इसके लिए पुनः धन्यवाद करता हूं। चैन मंडल समुदाय मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर में बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। वे पेशे से किसान हैं और वर्षों से वंचित समुदाय रहे हैं। ये लोग लम्बे समय से अनुसूचित जाति की सूची में अपने को सम्मिलित करने की मांग करते रहे हैं। आज यहां इस विधेयक के पारित होने पर और फिर राज्य सभा में पारित होने पर और राष्ट्रपति का आदेश जारी होने पर, इस समुदाय को एक नई दिशा, एक नया जीवन मिलेगा। किन्तु मैं माननीय मंत्री से एक अन्य अनुरोध करना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में एक अन्य समुदाय चाशाढ़ है जो चैन समुदाय के साथ रहता है। वे भी मंडल हैं। इस विधेयक में उनका नाम अलग से सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने मंत्रालय के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार से इन तीन जिलों में रहने

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वाले चाशाढ़ समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त करें, आप पाएंगे कि यह समुदाय भी अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित होने का पात्र है।

मैं मंत्री जी का ध्यान दूसरे मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रिय सहकर्मी श्री अमर रायप्रधान कूच बिहार से इस सभा के सदस्य हैं। असम के कोच राजबंशी आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए ग्यारहवीं लोक सभा में एक चयन समिति गठित की गई थी। उस समय श्री सन्ना अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे इस चयन समिति का सभापति नियुक्त किया था। मैंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह उचित नहीं है। समिति का मुद्दा अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति के बारे में होगा। इसलिए सभापति अ. जा./अ.ज.जा. समुदाय के किसी सदस्य को होना चाहिए। इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया और तब श्री अमर राय प्रधान को उस समिति के सभापति का पद सौंपा गया। श्री अमर राय प्रधान पूरे कूच बिहार और बहुत से क्षेत्रों में गए तथा सूचना एकत्रित की और बहुत कठिन परिश्रम तथा अध्यवसाय के बाद 14 अगस्त, 1997 को एक प्रतिवेदन तैयार किया। उस प्रतिवेदन में उन्होंने सिफारिश की थी कि असम के कोच राजवंशी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। असम सरकार ने भी यह सिफारिश की थी। किंतु दुःख की बात है कि यह मामला आपके विधेयक में सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि युगों से वंचना, दमन और शोषण की शिकार असम की इस जाति को अ. जा./अ.ज.जा. का दर्जा देने वाले संशोधन आदेश सहित अगले सत्र में एक और विधेयक लाएं। यदि उन्हें सूची में शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें नया जीवन और नई आशा मिलेगी। आपको प्रवर समिति का प्रतिवेदन मिल गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पीड़ित जाति को नई आशा और उम्मीद देने के लिए इस सिफारिश का कार्यान्वयन करें। इसके साथ ही मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र करूंगा। यह बिल्कुल राजनैतिक नहीं है। उत्तरी बंगाल पश्चिम बंगाल का हिस्सा है जहां राजवंशी समुदाय के लोग रहते हैं। रॉय, बर्मन, सरकार, चौधरी, सिंह इसी समुदाय के हैं और वे उत्तरी बंगाल के मूल निवासी हैं। जब भारत एक था तब अविभाजित बंगाल में यह समुदाय रंगपुर, फरीदपुर, बगूरा, राजशाही, दीनाजपुर, मालदा, कूचबिहार और जलपाईगुड़ी में रहता था। इस समुदाय का नेता पंचानन बर्मन होता था जिसे ठाकुर पंचानन के नाम से जाना जाता था। वह पेशे से वकील था और उसने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उसने रंगपुर से कूचबिहार तक इस जाति को जागृत करने का प्रयास किया और शिक्षा का महत्व बताया ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और मांग सकें। उसने उन्हें अंधविश्वास छोड़ने और अपना जीवन देश के लिए समर्पित करने का उपदेश दिया। मैं आपसे कहूंगा कि इन लोगों को उत्तरी बंगाल में राजवंशी समुदाय के रूप में पहचाना गया है और उनका एक प्रतिनिधि श्री अमर राय प्रधान यहां उपस्थित है। जलपाईगुड़ी के भूतपूर्व नेता श्री उपेन बर्मन राज्य सभा सदस्य थे, उन्होंने भी इस कारण के लिए अनेक बार आंदोलन किया था। यह समुदाय यद्यपि अनुसूचित जनजाति है फिर भी अनेक कारणों से जैसे कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई खामी होना, अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आवंटित धन का अनुचित उपयोग अथवा देश में उत्तरी बंगाल के विकास के लिए अतिरिक्त भार—ऐसे कारणों से यह जाति वंचित ही रही है। आप सबको पता है और आप सब स्वीकार भी करेंगे कि विभाजन का भार पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों ही ने उठाया है। भारत के किसी और राज्य पर विभाजन का उतना भार नहीं पड़ा है जितना पंजाब और पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। जब देश का विभाजन हुआ था तब दूसरी ओर से आने वाले लोग पंजाब और पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। पश्चिम बंगाल में आए कुछ विस्थापितों को दंडकारण्य, माना कैंप, अंडमान, पीलीभीत भेजा गया तथा कुछ को मौजूदा उत्तरांचल में भेजा गया था। इन विस्थापितों में अ.जा. तथा गैर अ.जा. दोनों ही थे। अनेक विस्थापित जिन्हें बाद में हमने शरणार्थी कहना शुरू कर दिया, उत्तरी बंगाल में बस गए। यहां हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय शांति से रहते हैं तथा यह संस्कृति वहां आज भी मौजूद है। किंतु इस संबंध में जो कुछ जानकारी हासिल है उससे सिद्ध होता है कि छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में अ.जा. और अ.ज.जा. के कल्याण हेतु आवंटित निधियों को उचित रूप से और समय से खर्च नहीं किया गया था। यहां प्रशासन के असफल होने के कारण उनमें एक अंतर, एक शून्य की स्थिति पैदा हो गयी है। उत्तरी बंगाल का यह क्षेत्र भारत में सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र है। आतंकवादी नेपाल और भूटान दोनों ही सीमाओं से आते हैं। ये आतंकवादी इन लोगों को धमका रहे हैं और इनकी निराशा और वंचित जीवन का लाभ उठा रहे हैं तथा उन्हें आतंकवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। के.एल.ओ. नाम का एक संगठन पृथकतावाद, हिंसा और आतंक फैलाना चाहता है तथा उत्तरी

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

बंगाल में यह आग से खेल रहा है। पश्चिम बंगाल में सब आतंकवाद के विरुद्ध हैं, इस हिंसा के विरुद्ध हैं। किंतु साथ ही हमें उत्तरी बंगाल की राजवंशी समुदाय जो अनुसूचित जाति है, इसके साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को भी समाप्त करना चाहिए। हमें उनकी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे के बारे में मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है। मैंने अपने मुख्य मंत्री बुद्धदेव बाबू को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे आंदोलन से जुड़े उन लोगों से बातचीत करें जो अपने हक के लिए हिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ना चाहते हैं। हमें उनके आंदोलन के पीछे क्या कारण है, यह जानने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी भिन्न संस्कृति है, उनकी एक बोली है, अभिव्यक्ति की एक भिन्न शैली है। वे चाहते हैं कि उनकी बोली, उनकी अभिव्यक्ति की शैली, उनकी लिपि भले ही वह भी बंगाली ही है, उसे उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय में पूरी गरिमा के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। इस जाति को पृथकतावाद का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। इनकी जाति के 400 से अधिक युवक और युवतियां जेल में हैं। 100 से अधिक महिलाओं का दमन किया गया है। इस जाति के 10 से अधिक योग्य अध्यापकों को जेल में पीटा गया है। यदि इन लोगों पर बल प्रयोग किया गया तो ये बाहर के आतंकवादियों के हाथों में चले जाएंगे। निश्चित ही ये उनके हाथों में खेलेंगे।

मेरा आपसे अनुरोध है कि पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्र से बात करें और उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ विकासात्मक उपाय करें। उनकी भाषा और संस्कृति को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए तथा उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके। महोदय, वे शांतिप्रिय लोग हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैं उत्तरी बंगाल से ही आया हूं। वंचना और शोषण के कारण वे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। यद्यपि नक्सलवादी आंदोलन उत्तरी बंगाल से ही शुरू हुआ था किंतु यह भूमि और कृषि से संबंधित था। आपसे मेरी अपील है कि उत्तरी बंगाल के विकास के लिए आप कृपया राजवंशी समुदाय की मांग और समस्या के बारे में पूछताछ करें तथा योजना आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार से बात करने के बाद उचित उपाय करें ताकि ये लोग अपना सिर ऊंचा करके पूरी गरिमा के साथ रह सकें। उनके साथ अब बिलकुल भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।

कुछ समय पूर्व कलकत्ता में एक नाटक में इस समुदाय को निशाना बनाया गया था, इनकी भाषा और जीवन शैली का मजाक उड़ाया गया था। इस घटना के बाद उत्तेजना और क्रोध भड़क सकता था। लेकिन मेरे हस्तक्षेप के बाद ऐसा नहीं हुआ।

मेरी आपसे अपील है कि इन लोगों की शिकायत पर ध्यान दें और इनकी स्थिति को सुधारने हेतु कुछ उचित उपाय करें।

मेरी अंतिम अपील आज की सूची में नहीं है जबकि यह आपके मंत्रालय के अधीन आता है। उत्तरी बंगाल में मुर्शिदाबाद से कूचबिहार तक एक मुस्लिम समुदाय है। उत्तर प्रदेश में अंसारी समुदाय है जो पिछड़े वर्ग में आता है। उत्तरी बंगाल में भी शेरशाबादी नामक एक मुस्लिम समुदाय है जो हजारों वर्ष से वंचित रहा है। वे दो भागों में विभक्त हैं—एक नोर्सा शेरशावादी और दूसरे शेरशाबादी। नोर्सा शेरशाबादी निम्न जाति के हिन्दू लोग हैं जिन्होंने निम्न जाति में पैदा होने के कारण शोषण और घृणा के कारण इस्लाम अपना लिया था। शेरशाबादी समुदाय वे मुसलमान हैं जो अपनी ही जाति द्वारा वंचित रखे गए हैं और शिक्षा और विकास के बिना पिछड़े रहे हैं तथा सामंतवादी शासन के भी शिकार रहे हैं।

इन दो समुदायों ने उन्हें पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किए जाने हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग से अनेक बार अपील की है। इन्होंने राज्य सरकार से भी अपील की है। जब मैंने इनके मामले का जिक्र यहां किया तो केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कलकत्ता गया। उन्होंने कलकत्ता में सुनवाई की किंतु इस समुदाय को पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित करने की दिशा में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। यदि आप मालदा, दीनाजपुर, कूचबिहार जाएं तो आपको एक के बाद एक ऐसा गांव मिलेगा जो अत्यधिक पिछड़ा, अविकसित और अशिक्षित है। ये लोग वहां रहते हैं। ये गांव में बिना उचित देखभाल के, बिना शिक्षा के और बिना विकास के खेतों में काम करते हैं। कृपया इन लोगों के बारे में सोचिए और इन वंचित लोगों को आशा की कोई किरण दिखाने के लिए कोई उचित उपाय कीजिए।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और दीनाजपुर जिलों में रहने वाले चाशाढ़ समुदाय के लोगों के मामले पर विचार करें जो मालदा से लेकर कूचबिहार तक पूरे उत्तरी बंगाल में फैले हुए राजवंशी ही हैं। आपके माध्यम से मैं पश्चिम बंगाल सरकार से भी अपील करता हूं कि स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार राजवंशियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने, जेलों में इन पर हो रहे अमानवीय व्यवहार को रोकने और इस मामले की तह तक जाने के लिए संयुक्त पहल करे। यह पहल उनकी समस्या को हल करने में सहायक हो सकती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला दे दिया है। फिर भी ये अत्यंत भयाक्रांत हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बच्चे आतंकवादी बनें। मैं चाहता हूं कि वे भारत में, पश्चिम बंगाल में शांति से रहें, अन्य सभी पार्टियों के साथ मुख्य धारा में रहें।

एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि श्री अमर रायप्रधान के 14.8.97 के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को पूरा करें। आपसे पुनः अपील है कि अ.जा. सूची में शामिल कोच राजवंशियों को आदिवासियों का दर्जा दिया जाए। मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ये विधेयक लाए और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 तथा संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत किया है। इसका मैं समर्थन करता हूं और उनको और इस सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की समस्याओं के निदान के लिए यह सरकार समय-समय पर और समय के पहले उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस प्रकार की कानूनी अड़चनों को ठीक करने के काम में लगी हैं। पिछले दो वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारों पर रोक लग गई थी। उस रोक को हटाने का काम भी इस सरकार ने किया है और इस सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में काम करके यह दिखा दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो अधिकार इस वर्ग के लोगों के लिए प्रदत्त किये गए हैं, उनको यह सक्रियता से लागू करना चाहती है। यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : असली बात तो हम लोग दिखा देंगे कि क्या-क्या बात हो रही है।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : ये ऐसे ही कहते हैं। इसमें अच्छी बात यह हुई है कि इस सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग से भी इस विषय में सलाह ली है। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत यह आयोग काम करता है तथा पिछले अनेक वर्षों से हमने यह देखा है कि इस आयोग की सिफारिशों पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है और इस आयोग को नजरअंदाज करने का काम किया गया है। इस बार राज्य सरकारों से सलाह ली गई, विशेषज्ञों से राय ली गई और इस आयोग से भी सलाह-मशविरा किया गया। उसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ जातियों को जिनके पर्यायवाची नाम हैं, एक-दूसरे के पूरक नाम दर्ज किये गये हैं। उसका कारण यह है कि एक राज्य में उनको सुविधाएं मिलती हैं और दूसरे राज्य में नहीं मिलती। एक जिले में सुविधाएं मिलती हैं और दूसरे जिले के उसी प्रदेश में सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए उन नामों को ठीक करने का काम किया है और कुछ जातियों को जोड़ने का काम भी किया है। उसके कारण अनेक वर्षों से अनुसूचित जाति वर्ग क जो लोग थे, वे उन वर्ग समूहों में आने के बाद भी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं, वे उससे वंचित हो रहे थे, इस संशोधन के कारण ये सुविधाएं अब उनके मिल जाएंगी।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे राजस्थान में मीणा जाति अनुसूचित जनजाति में आती है परंतु वह अनेक राज्यों में अनुसूचित जनजाति में नहीं मानी जाती। केवल इतना ही नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में भील मीणा आदिवासी में आते हैं, बाकी जिलों में मीणा शब्द की जाति अनुसूचित जनजाति में नहीं आती। राजस्थान में मीणा जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में आते हैं और सारे देश में चाहे रेलवे में हो या केन्द्रीय सरकार के कारखानों में जो काम करने लग जाते हैं और उन राज्यों में दस-बीस साल तक उनकी जमाहट हो जाती है, मकान बना लेते हैं, उनका आवास वहीं हो जाता है, जमीन-जायदाद खरीद लेते हैं, वहां उनके बच्चे

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

पढ़ते हैं। चूंकि पिताजी वहां नौकरी करते हैं और बच्चे वहां पढ़ते हैं तो इस कारण से वे सुविधाएं उनको उन राज्यों में नहीं मिल पाती हैं। या तो फिर वे प्रमाण–पत्र लेने के लिए राजस्थान जाएं नहीं तो वहां रहते हुए उनको सुविधाएं नहीं मिलतीं और राजस्थान जाने के लिए केन्द्र सरकार से स्थानान्तरण करवाने की बात करनी पड़ेगी कि मुझे जातिगत सुविधाएं नहीं मिलती हैं और मुझे उस राज्य में पदस्थ कर दो और सभी को एक ही राज्य में पदस्थ कर देना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि इस दिशा में कोई कारगर पहल की जाये ताकि उनकी इस प्रकार की कठिनाइयां दूर हो जाएं। दूसरा उदाहरण मैं मध्य प्रदेश का देना चाहता हूं कि वहां धोबी जाति और प्रजापति जाति जिनको कुमार बोलते हैं, मुश्किल से दो–दो तीन–तीन जिलों में वे अनुसूचित जाति में दर्ज हैं और बाकी जिलों में अनुसूचित जाति में दर्ज नहीं हैं। वहां कांग्रेस के एक राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़े। जिस जिले में अनुसूचित जाति में थे, वहां का प्रमाण–पत्र लगा दिया पर वहां आरक्षित सीट पर उनको टिकट नहीं मिला। वह दूसरे जिले में चुनाव लड़ लिये, फॉर्म की जांच के समय पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और अगर की भी होगी तो निर्वाचन अधिकारी जो थे, उन्होंने उनका फॉर्म पास कर दिया। बाद में रिट लग गई–"नर्मदा प्रसाद प्रजापति।" ये ऊर्जा मंत्री थे, जब रिट लगी तो कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध करार दे दिया और यह कह दिया कि ये इस जिले में तो अनुसूचित जाति के हैं, परन्तु जिस जिले में चुनाव लड़े हैं, वहां वे अनुसूचित जाति की लिस्ट में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति हो गई।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रदेश में अगर आधे से अधिक जिले में या 25 प्रतिशत जिलों में कोई एक जाति रहती है और उन्हें अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग की लिस्ट में पंजीकृत, अधिसूचित कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में, या तो सारे प्रदेश में उन जातियों को उस वर्ग में ले लिया जाए या फिर उस वर्ग से निकालने की बात पर विचार किया जाए। इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं, उन्हें हल करने की आवश्यकता है और हल करने के लिए इस सरकार को प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये विसंगतियां बहुत तकलीफदायक हैं।

दूसरे, इस संशोधन विधेयक में मध्य प्रदेश से संबंधित मामले अधिक हैं, जो सरदार सरोवर परियोजना बनाई जा रही है, उसमें सर्वाधिक जमीन डूब में आने वाली है। डूब में आने वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का है और एक नहीं, अनेक, सैकड़ों गांव उस डूब में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसे–जैसे काम बढ़ रहा है, इस परियोजना की जो–जो मेन दीवार है, जिसे डैम बोलते हैं, वह जैसे–जैसे ऊंची होती जा रही है वैसे–वैसे पानी रुकता जा रहा है और पानी रुकने के कारण गांव के गांव डूब में जा रहे हैं। जो गांव डूब में जा रहे हैं, उन्हें विस्थापित करने की व्यवस्था एवं कार्यवाही चालू है। ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश में उसके आसपास कोई जमीन नहीं है, उन्हें गुजरात में ले जाकर पुनर्स्थापित कर रहे हैं।

महोदय, मध्य प्रदेश के साथ–साथ महाराष्ट्र के भी कुछ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं। उन्हें भी वहां गुजरात में विस्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है, उनका भी वहां पुनर्स्थापन यहां से हटने के कारण किया जा रहा है। गुजरात की जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची है, इनके नाम उसमें सम्मिलित नहीं हैं। ऐसी जातियों को जो वहां बसा रहे हैं, वहां इन्हें बसाने के कारण यहां जो उन्हें सुविधा मिल रही थी, वह गुजरात में नहीं मिलेगी। यह सुविधा उन्हें गुजरात में भी मिलती रहे, इस प्रकार की व्यवस्था करने की दृष्टि से जो जातियां यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति की लिस्ट में सम्मिलित थीं, उन्हें गुजरात में भी सम्मिलित करने का इस संशोधन विधेयक के माध्यम से यह सरकार काम कर रही है। मैं इसका समर्थन करता हूं और सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अच्छे काम में सब सहभागी बनें और सर्वानुमति से इस प्रस्ताव को पारित करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एच. डी. देवगौड़ा (कनकपुरा) : सभापति महोदय, मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक–दो बात, विशेषतः अनुसूचित जनजातियों का मुद्दा उठाना चाहता हूं। दोनों विधेयक सभा में विचार किए जाने हेतु एक साथ लिए गए हैं।

कर्नाटक सरकार ने दो समुदायों–परिवारा और उपवारा को शामिल किए जाने की सिफारिश की है। श्री चंद्रशेखर के शासन काल के दौरान इन दो समुदायों को छोड़ दिया गया था। उन्होंने करीब चार समुदायों को जैसे वाल्मीकि, नाइक

और बंजारा को शामिल किया था। दुर्भाग्य से, जब अधिसूचना जारी होने वाली थी, तब अधिकारिक सतर पर इन दो समुदायों को हटा दिया गया था। उस समय मैं सभा में नहीं था। उस समय हमारे वरिष्ठ नेता श्री चंद्रशेखर ने कृपा करके इस पर विचार किया था, यद्यपि उनका कार्यकाल बहुत ही कम था, और इन दो समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। बाद में जब 1991 में मैं इस सभा में आया तो मैं कांग्रेस सरकार को समझाने का प्रयास करता रहा। श्री सीताराम केसरी उस समय कल्याण मंत्री थे।

अपराह्न 3.00 बजे

उन्होंने इसी सभा में कहा था कि कई राज्यों की सिफारिशें लंबित हैं इसलिए वे एक व्यापक विधेयक लाने वाले हैं, उनका विभाग पूरे मुद्दे की जांच करेगा, सभी सिफारिशों का कूटीकरण किया जाएगा और तब वे एक व्यापक विधेयक लाएंगे जिसमें उन समुदायों का स्पष्ट उल्लेख होगा जिन्हें या तो अनुसूचित जातियों की सूची में या अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना है।

यह मामला विगत बारह वर्षों से वर्ष 1990 से लंबित है। कर्नाटक की सभी सरकारों ने इन दो समुदायों को शामिल करने की सिफारिश की है। क्या मैं माननीय मंत्री से कह सकता हूं कि वे न केवल कर्नाटक सरकार द्वारा बल्कि अन्य राज्यों द्वारा भी की गई सिफारिशों पर विचार करें? कम से कम अब वे इस अनुसूचित जनजाति विशेष को सूची में तो ले आए हैं क्योंकि सरदार सरोवर बांध के निर्मण के कारण कुछ लोगों का पुनर्वास करना पड़ा है। इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। किंतु मेरा सिर्फ यह अनुरोध है कि वे कम से कम अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक लाएं जिसमें सभी राज्य सरकारों की सभी सिफारिशें शामिल हों और यह सुनिश्चित करें कि यह लाभ इन दो समुदायों—कर्नाटक की परिवारा और उपवारा जातियों को भी मिले।

श्री देवराज उर्स के समय में बहुत लम्बे आंदोलन चले थे। यह सिफारिश सर्वप्रथम उस समय की केन्द्र सरकार को दी गई थी। दुर्भाग्यवश, यह तभी से खिंचा आ रहा है, यद्यपि मैं किसी पर इसका आरोप लगाना नहीं चाहता।

मैं माननीय मंत्री की जानकारी में एक बात और लाना चाहता हूं। सामाजिक बाध्यता के कारण हम कई छोटी जातियों को भी शामिल कर रहे हैं जो वास्तव में गरीब हैं और उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने योग्य हैं। किंतु संविधान में आरक्षण का जो प्रतिशत रखा गया था, वही प्रतिशत चला आ रहा है। उनकी जनसंख्या में योग होने के बाद, हम आरक्षण का जो प्रतिशत उनको दे रहे हैं वह उनकी वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप नहीं है। कर्नाटक में हमने विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती में इसे 18% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय लिया है। जब मैं लोक निर्माण मंत्री था और बाद में कर्नाटक का मुख्य मंत्री बना, तो हमने आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का फैसला किया। पहले यह अ.जा. के लिए 5% और अ. ज.जा. के लिए 3% था। हमने इसे संशोधित करके क्रमशः 20% और 5 % कर दिया। इनमें से कुछ समुदायों की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनकी अनदेखी होती आई है। माननीय मंत्री जी जरा इस पहलू का भी ध्यान रखें।

मुझे आशा है और विश्वास है कि जहां तक मेरे राज्य का संबंध है, वे परिवारा और उपवारा समुदायों को शामिल करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाएंगे। जहां तक अन्य राज्यों का संबंध है, उनकी सिफारिशों पर विचार किया जाए।

महोदय, आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, सरकार की ओर से संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 के माध्यम से दो विधेयक पेश किए गए हैं। मैं उन दोनों का समर्थन करता हूं। सरकार की ओर से समय–समय पर कुछ बातों को जोड़ने और कुछ बातों को निकालने का निर्णय किया जाता है। पंजाब, बंगाल और उड़ीसा के लोगों की वर्षों से यह मांग थी। उनकी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो संशोधन विधेयक लाकर जो कदम उठाया है, उसके लिए माननीय मंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनेक सवाल आज तक खड़े थे। जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता श्री थावरचन्द गेहलोत जी ने कहा कि अमेंडमैंट लाकर अनुसूचित जाति–जनजाति के खिलाफ पांच अध्यादेश जारी किये गये थे। इन अध्यादेशों के कारण समग्र देश के लोग परेशान थे। इन अध्यादेशों में

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

से तीन अध्यादेशों को खारिज करके पूरे देश के अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों के दिल में उत्साह बढ़ाया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकार के साथ, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो उम्मीद रखी थी कि वे हमारे दुखों को समझ सकेंगे, तो सभी पक्ष के लोगों ने सहयोग देकर जो अध्यादेश सदन में खारिज कराए थे, मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि लोक सभा में यह अमेंडमैंट हो जाता है लेकिन उसका जो इम्प्लीमैंटेशन होना चाहिए, वह नहीं होता। फिर कोई न कोई कोर्ट में जाकर उस पर अड़ंगा डाल देता है। सब संसद सदस्यों के प्रयत्न से जो काम हुआ, उस काम में जो सफलता मिलनी चाहिए थी, उस काम का जो लाभ कर्मचारियों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिला। इसलिए उनके दिलों में इस बात का दुःख है। हमने पहले भी कहा था कि ऐसा न हो इसलिए इसे हम नौवीं सूची में डालने के लिए बार–बार प्रार्थना करते आये हैं। आज भी मैं मंत्री जी को उस बात की याद दिलाना चाहता हूं।

सभापति जी, इसके भाग 13–उड़ीसा राज्य के संबंध में, प्रविष्ठि 22 का लोप करने की बात आयी है और उसी तरह प्रविष्टि 19 का लोप करने की बात आई है। इसी के साथ थर्ड भाग के उपभाग दो में प्रविष्टि 37 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित करने और 38 में 'मोची' शब्द का उपयोग किया गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि गुजरात में अनुसूचित जाति–जनजाति के अंदर सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो डांग है। वहां के रहने वाले मोची कहे जाते हैं। वे इसमें आते हैं। जिस तरह आज मोची शब्द इसमें समाविष्ट हो रहा है, उस तरह गुजरात में पहले मोची शब्द समाविष्ट नहीं था। इस शब्द के आने से लिमिटेड एरिया में रहने वाले लोग मोची जमात के थे लेकिन एरिया रैस्ट्रिक्शन उठ जाने के कारण, समग्र गुजरात में रहने वाले मोची जमात के लोग, जो अछूत नहीं हैं, जो शैड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं आते हैं, वे जनरल लोगों के साथ रहते हैं। उनमें छुआछूत का कोई प्रश्न नहीं होता, लेकिन एरिया रैस्ट्रिक्शन उठ जाने के कारण आज पूरे गुजरात के मोची समाज की गणना अ.जा. में की जाती है, परिणामस्वरूप गुजरात के अनुसूचित जाति–जनजाति के लोग अपनी नौकरी से हाथ धोने लगे हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। स्कूल–कालेज में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आज गुजरात के अंदर सब पढ़े–लिखे लोग चिल्ला रहे हैं।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में उस समय के संसद सदस्य, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया। उसके परिणामस्वरूप 20 साल से गुजरात के अंदर हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं। हमारे सामने कांग्रेस के सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जी बैठे हैं। जब उन्हें बोलने का मौका मिलेगा तब वे इस संबंध में कुछ कहेंगे। आज हमारे लिए यह जन्म–मरण का प्रश्न बन गया है। माननीय मंत्री जी से मैं विनती करता हूं कि गुजरात सरकार ने रेज्योल्यूशन पास करके भारत सरकार को भेज दिया है और कैबिनेट ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के अंदर यह बात रुकी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां यह बात क्यों रुकी हुई है? क्यों वह रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए, वह क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी पर दबाव डाला जाये और जल्द से जल्द यह अमेंडमैंट यहां आये ताकि गुजरात में बसने वाले जो लाखों गरीब परिवार के युवक नौकरी से वंचित हैं, एडमिशन से वंचित हैं, अच्छी–अच्छी पोस्ट से वंचित हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वर्मा जी, स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामैंट्री कमेटी है। मंत्री जी उस पर दबाव नहीं डाल सकते। वैं उनसे रिक्वैस्ट करेंगे। पार्लियामैंट्री स्टैंडिंग कमेटी मिनी पार्लियामैंट्री कमेटी है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : आपने जो कहा, वह ठीक है लेकिन भावना यही है, इसलिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया है।

उसी तरह गुजरात में तीन जातियां ऐसी हैं जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में जोड़ने की आवश्यकता है। यह लिस्ट आई है, समय पर इसे भी यहां शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात इन्होंने की। सरदार सरोवर के कारण वहां बहुत सारी जमीन डूबने जा रही है। पुनर्वास के लिए लोग गुजरात में भेजे जाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात पुनर्वास के कार्य में अग्रणी है। वहां बहुत लोग आए जिनको बसा दिया गया। उनके पास जो जगह थी, उससे

भी अच्छी जगह उनको दी गई। एक एकड़ जमीन वाले व्यक्ति को दो एकड़ जमीन दी गई। 18 साल से वरिष्ठ उम्र के जितने लड़के हैं, हरेक को इनडिवीजुअल जमीन दी गई। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग गुजरात में आए हैं, वे खुश हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे गुजरात की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में आएं और यह होना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश में वे जिन चीजों से लाभान्वित होते थे, वे सब लाभ गुजरात में भी उनको मिलें। लेकिन साथ–साथ पुनर्वास के केस में मध्य प्रदेश को जो तेजी लानी चाहिए, वे नहीं लाते। आज कुछ लोग पानी न मिलने के कारण परेशान हैं। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही गुजरात सरकार से बात करके पुनर्वास का कार्य पूरा करे क्योंकि हमारा मेन कार्य सरदार सरोवर की योजना को पूरा करना है। सरकार की ओर से बार–बार कमेटी बैठती है और कहती है कि जब तक पुनर्वास का काम पूरा नहीं होगा, तब तक डैम को 110 मीटर तक ले जाने की परमीशन नहीं मिलेगी। आप जानते हैं कि गुजरात के लोग पानी के बिना परेशान हैं, किसान परेशान हैं। सभापति महोदय, आप बार–बार खड़े होकर किसानों के बारे में यहां बोलते हैं। किसान बरसात के लिए आकाश पर भरोसा करके बैठा रहता है। नर्मदा का लाखों क्यूसिक पानी समुद्र में बह जाता है लेकिन किसान नदी को देखकर तड़पता रहता है। अभी एक महीने बाद यह समस्या हल हो जाएगी लेकिन मैं गुजरात सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उसने महीपरीएज पानी की पाइप लाइन द्वारा गुजरात के लोगों की प्यास बुझाई वरना गुजरात में पानी पर लड़ाई होने वाली थी। यह काम जल्दी खत्म हो और सरकार की ओर से सर्टीफिकेट मिले तो नर्मदा अथारिटी को डैम बनाने की मंजूरी मिल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह काम जल्दी से पूरा हो जाए और मध्य प्रदेश सरकार इसे गुजरात भेजे और जरूरी कार्यवाही पूरी करे। मध्य प्रदेश सरकार इसकी अगुवाई करे। मैं विनती करता हूं कि गुजरात सरकार द्वारा जल्दी इसका हल निकाला जाए और एरिया रेस्ट्रिक्शन को पुनः स्थापित किया जाए ताकि लोगों पर जो अन्याय हो रहा है, वह मिट सके।

***श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद)** : माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक अर्थात् संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 के संबंध में कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे दल के एक अन्य माननीय सदस्य दूसरे विधेयक पर बोलेंगे।

सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री जी को चैन समुदाय को सम्मिलित करने के लिए बधाई देता हूं। वे मुख्यतः मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और दक्षिण दीनाजपुर में रहते हैं, जिनका इस विधेयक में उल्लेख किया गया है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि दक्षिण दीनाजपुर के बजाय उत्तर तथा दक्षिण दीनाजपुर अंतःस्थापित करना चाहिए। चैन समुदाय के कई लाख से अधिक लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र और मेरे जिले मुर्शिदाबाद में रहते हैं। वे मुख्यतः बिहार और उत्तर प्रदेश से मजदूरों के रूप में प्रव्रजन होकर आए और गंगा तथा भगीरथी के किनारों पर बस गए। आज भी इस समुदाय की प्रवृत्ति नदियों विशेषकर बड़ी नदियों के किनारे पर बसने की है। इनकी भाषा हिन्दी से मिलती–जुलती है। उनमें से अधिकतर कृषि कार्यों से जुड़े हैं। वे सब्जियां उगाते हैं और अपने को कृषि कार्यों से जोड़े रखते हैं। इसके अतिरिक्त, इस समुदाय की अपनी एक संस्कृति है। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछड़े समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन न केवल मुर्शिदाबाद, बल्कि राज्य के अन्य भागों में भी चलता रहा है। इस समुदाय को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष पहले सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को केन्द्र के विचारार्थ भेजा गया था। आज वह मांग सूची में सम्मिलित की गई है और मैं इसे स्वीकार करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे पास सूचना है और जानकारी भी है कि इस समुदाय के बहुत से लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उच्च शिक्षित होने के बावजूद ये लोग कठिनाइयों का सामना करते रहे हैं, क्योंकि वे अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं हैं। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने से समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अन्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे में क्या होता है। यदि कोई व्यापक आर्थिक पैकेज स्वीकार किया जाए, केवल तभी हम इस समुदाय के कुछ विकास की आशा कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इनकी दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा अलग से व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। इस समुदाय के उत्थान के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम चलाना आवश्यक है। यह सही है कि बहुत सारे अविकसित समुदायों को इस सूची में सम्मिलित नहीं किया

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री मोइनुल हसन]

गया है। पश्चिम बंगाल में ही बहुत सारे अविकसित समुदायों को सूची से बाहर रखा गया है। इसी बीच, देशुवाली मांझी संबंधी गैर सरकारी सदस्य का एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। देशुवाली मांझी के इस समुदाय को अ.जा./अ.ज.जा. सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक समय, ये संयाल समुदाय से जुड़े हुए थे। अंग्रेजी शासन के दोरान संयाल विद्रोह के बाद इन्हें इस सूची से निकाल दिया गया था। अब पुनः इस समुदाय को इस सूची में सम्मिलित करना चाहिए। इनकी अपनी विलक्षणता है, अपनी संस्कृति है, अतः इन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इन्हें अंधेरे से उजाले में लाना चाहिए। इन्हें हमारी व्यवस्था के साथ जोड़ना चाहिए और इन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयास करने चाहिए। यहां पर उल्लेख किया गया है कि मालदा कूचबिहार से असम में बराक के साथ कई जिले उत्तरी बंगाल में सम्मिलित हैं। काफी बड़ी संख्या वाला समुदाय है जिसे राजवंशी कहा जाता है। वे अविकसित हैं और निसंदेह जिनके पूर्ण विकास की आवश्यकता है। महोदय, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके विकास का यथासंभव प्रयत्न किया है। यह कहना सही नहीं है कि इन लोगों को बाहरी तत्वों द्वारा आतंकित किया गया और धमकाया गया जिससे यह लोग हर समय डरे रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों को अंधेरे से उजाले में लाने के लिए रचनात्मक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास अन्य क्षेत्रों पर भी केन्द्रित होना चाहिए।

हम अपने संविधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए हमें सूची को संवैधानिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। पहली सूची 1950 में अनुच्छेद 341 के अंतर्गत तैयार की गई थी। कई संशोधनों के बाद, समय–समय पर परिवर्तनों को स्वीकार किया गया है। किन्तु सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इस पिछड़े समुदाय को सूची में केवल सम्मिलित करना ही पर्याप्त नहीं है। इन वर्षों से हमारा यह अनुभव रहा है कि जब तक आर्थिक विकास नहीं होता है, उनकी दशा नहीं सुधर सकती है। उन्हें अंधेरे से उजाले में लाने के लिए उनके जीवन–स्तर में परिवर्तन तथा विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, इस चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

***डा. बिक्रम सरकार (पंसकुरा) :** आज हमारे पास सभा में चर्चा के लिए दो विधेयक संख्या 11 संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 और संख्या 14 संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2002 हैं। महोदय, इस चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से इन दो विधेयकों को लाने के लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ये विधेयक भले ही देर से लाए गए किन्तु इनसे सरकार की अ.जा. और अ.ज.जा. के प्रति चिंता झलकती है।

सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे अनुसूचित जातियों के बारे में बोलने दें। अनुसूचित जातियों के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आजकल हम समाज के अन्य भागों के साथ एकीकरण की बात करते हैं। किन्तु यह जिम्मेदारी न केवल उनकी है, बल्कि समाज के उच्च वर्ग–तथाकथित ऊंची जातियों की भी है। इस विधेयक में चर्चा नर्मदा नदी परियोजना के कारण कुछ आदिवासियों के विस्थापन और उनके अन्य राज्यों अर्थात् गुजरात में पुनर्वास और गुजरात में अ. जा./अ.ज.जा. की सूची में उनके नाम सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता पर केन्द्रित है। यह अच्छा विचार है किन्तु मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस तरह की समस्या कई क्षेत्रों में मौजूद है। मुझे इस समस्या का सामना कर रहे अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करने दें। विभाजन के पश्चात दो जातियां पौंद्र और नमोशूद्र पूर्व बंगाल छोड़कर पश्चिम बंगाल में आ गईं। इन लोगों को राज्य सरकार और केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के भागों में पुनर्वासित किया गया था।

कल पीलीभीत से कुछ लोग आकर मुझसे मिले। उन्होंने बताया कि वे बंगाल विभाजन से पहले पूर्व बंगाल के निवासी थे। सरकार ने उन्हें उनके मूल निवास स्थान से लाकर नैनीताल और अन्य स्थानों पर बसाया। उन्होंने विशेषकर अनुसूचित जातियों के दो समुदायों के बारे में उल्लेख किया। ये अनुसूचित जातियां–पौंद्र और नमोशूद्र पश्चिम बंगाल से हैं। उन्हें अ.जा. के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए उन्हें अ.जा. को

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मिलने वाली सुविधाओं और लाभों से वंचित किया जा रहा है। कुछ मामलों में यह हुआ कि कोलकाता आने के बाद वे अपने कुछ संबंधियों के घरों में रहे और उन्हें वहां से उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में ले जाया गया। यदि इनके पास कोलकाता अथवा पश्चिम बंगाल में कोई पता होता, तो उन्हें समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। किन्तु जिन्हें पूर्व बंगाल से सीधे इन क्षेत्रों में भेजा गया है, वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और वे अपनी जाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जो उपाय विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और गुजरात की अनुसूचित जनजातियों की सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किए गए हैं, वही उपाय इन लोगों के लिए भी किए जाने चाहिए। इस सुझाव के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाई को मैं जानता हूं। मैं 1982 से 1987 तक संबंधित मंत्रालय में संयुक्त सचिव था। मैं इसमें आने वाली व्यावहारिक कठिनाई से अवगत हूं। श्री देवगौड़ा जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने व्यापक विधेयक का सुझाव दिया है। मैं नहीं जानता 'व्यापक' शब्द में यहां कोई अर्थ है। यह गतिशील प्रक्रिया है जिसमें कुछ परिवर्तन, तब्दीली, विलोपन शामिल है। व्यापक विधेयक के बजाय, जिसमें ज्यादा समय लगेगा, इसे थोड़ा–थोड़ा करके किया जा सकता है। मैं इस संबंध में ध्यान केन्द्रित करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

राजवंशी समुदाय के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वे बड़ी संख्या में असम से लेकर उत्तर बंगाल तक फैले हुए हैं। यह अत्यावश्यक है कि इन्हें अ.जा. की सूची में लाया जाए। माननीय सदस्य, श्री प्रियरंजन दासमुंशी और अन्य सदस्यों ने इसके बारे में बोला है। हम महसूस करते हैं कि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और वे अ.जा. की सूची में सम्मिलित होने के मापदंड को पूरा करते हैं। उनके हितार्थ जहां तक संभव हो सके जल्द से जल्द उन्हें सम्मिलित करना चाहिए। उनकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है, उनका सभ्यता में योगदान है। हमें इन पहलुओं पर और उनकी मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए और इन लोगों को शीघ्रता से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। किन्तु मैं इस संबंध में एक बात जरूर कहूंगा कि यह सोच की इन लोगों को अ.जा. की सूची में सम्मिलित करते ही इनकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, गलत है। उनके लिए कार्यस्थलों, चाहे वे सरकारी हों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हों, में आरक्षण है। किन्तु आज निजीकरण का युग है। जहां तक अ.जा./अ.ज.जा को आरक्षण देने का संबंध है, निजी उपक्रमों का इस ओर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। निजी उद्योग भी सरकार से धन प्राप्त कर रहे हैं। वे अपनी कम्पनियां या तो सरकारी निधि से धन अथवा बैंक से ऋण लेकर चला रहे हैं।

इसलिए में मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर गौर करें और यह सुनिश्चित करें कि इन वंचित लोगों को निजी उपक्रमों में भी आरक्षण मिले।

मैं एक और चीज का भी उल्लेख करना चाहूंगा। जब मैं मंत्रालय में था, तो मैं इस मुद्दे पर गौर किया करता था। क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी अतः मैं इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास करता था। मैं अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि से आया हूं तथापि मैं सामान्य श्रेणी से संसद सदस्य चुना गया हूं। उस विभाग में कार्य करने के बाद मैं जानता हूं कि एक समय आता है, जब इस मुद्दे के संबंध में दिमाग चलना बंद हो जाता है, मैंने पश्चिम बंगाल में 1987 में देखा है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए योग्यता केवल साधारण मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा विद्यालय की अन्तिम कक्षा उत्तीर्ण ही थी। किन्तु उस पद के लिये भी, जहां 16 प्रतिशत पद आरक्षित थे, केवल 2.5 प्रतिशत ही भरे गये। अभी तक भी वह प्रतिशत 3 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पाया है। जानकारी के अनुसार, यह अभी भी 2.5 प्रतिशत है। इसका तात्पर्य है कि हमने उन्हें अ.जा./अ.ज.जा. के रूप में सूचीबद्ध किया है। किन्तु यदि इन लोगों के लिए दोनों राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किये जाते हैं तो कोई सुधार नहीं हो सकता है।

उनकी मुख्य समस्या भूमि से संबंधित है। उनमें से अधिकतर भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं अथवा बारगादर हैं, जो गांवों में रहते हैं। उनका अत्यधिक शोषण किया जाता है। यदि सरकार उनकी स्थिति सुधारना चाहती है, तो यह सब व्यापक रूप से करना पड़ेगा। हां, वहां एक योजना थी और अभी भी वह चल रही है–अ.जा. तथा अ.ज.जा. हेतु विशेष संघटक योजना। इस योजना के अनुसार कुछ धनराशि अ.जा./अ.ज.जा. के विकास हेतु आवंटित की गयी है। धनराशि का अ.जा. के प्रतिशत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों के मामले में, आवंटित धनराशि इस प्रतिशत से कहीं कम है। पश्चिम बंगाल, जहां यह प्रतिशत 24 है, वहां

[डा. बिक्रम सरकार]

विशेष संघटक योजना के लिये केवल 5% आवंटित किया गया है। हम तेज गति से विकास की बात करते हैं, जिसका हमारे संविधान में भी उल्लेख है। किन्तु यदि अन्तर बहुत ज्यादा है, तो कोई विकासात्मक कार्य में सफल कैसे हो सकता है। इसी कारण से ये लोग पिछड़ जाते हैं। अतः आर्थिक उपाय अवश्य होने चाहिए ताकि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। हमने देखा है, कि जहां कहीं भी अ.जा. से संबंधित लोग संविधान में दिये गये अपने अधिकारों का दावा करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है, उनकी महिलाओं का बलात्कार किया गया है। यह केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं हुआ अपितु बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह हुआ है। उनकी आवाज को दबा दिया गया है, क्योंकि वे अपने अधिकारों का दावा करना चाहते हैं। जब कभी भी वे खड़े हुए हैं तथा अपने अधिकारों की मांग की है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मुझे पश्चिम बंगाल की बात करने दें। मेदिनीपुर, केशपुर, गरबेटा, खजूरी, इटाबेरिया, झारग्राम में चन्द्रकाना, देबरा, पिंगला, सबंग, शालबानी, उत्तरी बंगाल में विशेष रूप से बालूरघाट में और कूचबिहार पर भी गौर करें। यह सच है कि उत्तरी बंगाल में और बांकुरा जिला के विष्णुपुर, कोतुलपुर ओंडा, खटर में, बर्धवान जामूरिआ, हुगली में गोघाट तथा खानाकुल में, हर जगह इन लोगों पर अत्याचार किये गये हैं, चाहे वह राजनैतिक रूप से अथवा पुलिस बल द्वारा, अधिकतर पीड़ितों को, जो जेल भेजे गये हैं, उनके शरीर के हिस्सों को काट दिया गया है। इन प्रताड़ित लोगों का बड़ा प्रतिशत अ.जा. से संबंधित है। यह इस तथ्य को सिद्ध करता है कि अत्याचार और दमन अभी भी अनवरत जारी है। अ.जा./अ.ज.जा. पर इसके विरुद्ध समाज द्वारा ठोस प्रयास नहीं किया गया है। जहां तक नौकरियों में कोटे का प्रश्न है, मैंने ऊपर उदाहरण दिया है। यहां तक कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के मामले में, जहां शैक्षिक योग्यता न्यूनतम है, वहां भी प्रतिशत बहुत कम रही है। निःसन्देह, जहां तक आई.ए.एस., आई.पी.एस. अथवा अखिल भारतीय सेवा जैसे उच्च पदों अथवा प्रथम श्रेणी अधिकारियों के मामले का प्रश्न है, कोटा लगभग पूरा भरा गया है। किंतु जहां तक निम्न पदों का प्रश्न है, इस मानदंड का पालन नहीं किया गया है।

मैं पुनः पौंद्रा और नामशूद्र के मामले पर वापस आऊंगा। कुछ सदस्यों ने इन दो समुदायों के बारे में उल्लेख किया है। वे उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के कुछ भागों में रहते हैं तथा अभी तक उनकी अनदेखी की गयी है क्योंकि उन्हें अ.जा./अ.ज.जा. हेतु सृजित अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं जानता हूं कुछ समय पहले एक संविधान संशोधन विधेयक लगाया गया था किन्तु संसद के भंग हो जाने के कारण वह विधेयक पेश नहीं किया जा सका। मैं माननीय मंत्री जी से उनकी समस्याओं को समझने तथा जितनी जल्दी संभव हो कुछ उपाय करने का अनुरोध करता हूं। दूसरी चीज, जिसका मैंने उल्लेख किया है, वह दोहराने जैसी हो सकती है। किन्तु मैं एक बार पुनः अवश्य दोहराता हूं कि इन लोगों के विकास हेतु धनराशि आवंटित की गई है। किन्तु वह धनराशि निगरानी (मॉनीटरिंग) की कमी के कारण उचित ढंग से व्यय नहीं की गयी है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारी मानसिकता भी हमें इन लोगों के साथ न्याय करने से रोकती है। धनराशि का एक छोटा प्रतिशत उनके लिये व्यय किया गया है तथा शेष धनराशि लौटा दी गई है। यहां तक कि यदि समस्त धनराशि खर्च की भी गई है, तो वह किसी अन्य उद्देश्य से ही व्यय की गई है। मैं कई राज्यों को जानता हूं, जहां अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये आवंटित धनराशि उचित ढंग से खर्च नहीं की गई है। मैं उड़ीसा का उदाहरण दे सकता हूं। कालाहाण्डी और कोरापुट के लिये दी गई धनराशि भुवनेश्वर में खर्च की गई है। तथापि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन कुछ नहीं किया गया।

जब हम देखते हैं कि अ.जा./अ.ज.जा. को पीटा, प्रताड़ित किया गया है और मारा गया है, यहां तक कि जब वे जैसे बिहार में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिये न्याय मांगते हैं, सभापति महोदय, उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी कमी यह है कि उन्होंने अपने सांवैधानिक अधिकारों का दावा करने का प्रयास किया है। दक्षिण भारत में अभी भी कुछ क्षेत्र हैं, जहां एक अनुसूचित जाति का आई पी एस भी अपनी कमीज पहनकर गांव में प्रवेश नहीं कर सकता था। उसे गांव में ऊपरी भाग को नंगा रखे हुए जाना पड़ता था। उनके विवाह समारोह में, उन्हें घोड़े की पीठ से उतरकर गांव के उस भाग, जहां ऊंची जाति रहती है, से पैदल चलकर गुजरना पड़ता है।

अतः जब हम इन्हें मिलाने की बात करते हैं तो इन कथित उच्च जातियों की अधिक जिम्मेदारी है। वे अपनी

जिम्मेदारी की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इन्हें समावेश करने के विचार को केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। हम सभी को यह करना पड़ेगा। यह जिम्मेदारी ऊंची जातियों के लोगों और समाज के प्रतयेक सदस्य पर है।

इन शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी को एक बार पुनः बधाई देता हूं तथा सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं अपनी बात भी समाप्त करता हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : सभापति महोदय, मैं यहां माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डा. सत्यनारायण जटिया द्वारा प्रस्तुत 2002 का विधेयक संख्या 14, संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह विधेयक अविलम्बनीय महत्व के कारण प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि नर्मदा बांध नामक एक बड़ा बांध, अर्थात सरदार सरोवर परियोजना निर्माणाधीन है। और एक बार जब बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के हजारों गांव सरदार सरोवर परियोजना की वजह से डूब जायेंगे। अब गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महराष्ट्र राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार और जैसा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है—माननीय जल संसाधन मंत्री भी यहां उपस्थित हैं—यह देखना गुजरात सरकार का दायित्व है कि किसी भी जाति से संबंध रखने वाले लोगों के चाहे वे अनुसूचित जाति के हों अथवा अनुसूचित जनजाति के और वहां अन्य लोग भी हो सकते हैं जो इस विशेष परियोजना के कारण विस्थापित हुए हैं, को बसाया जाये। एक व्यक्ति अपने भले के लिये एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है। उस समय, इस राज्य सरकार अथवा उस राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस विशेष जाति के अपनी-अपनी जातियों की सूची में शामिल करे। हम सभी को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि इसके अत्यन्त गम्भीर आशय भी हो सकते हैं क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा तैयार की गई थी तथा सभी तदन्तर सूचियों में केवल संसद द्वारा ही संशोधन किये गये थे क्योंकि इन्हें केवल सांवैधानिक संशोधनों के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में दिये जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत, शिक्षा में आरक्षण का प्रतिशत तथा विभिन्न अन्य सुविधायें मूल सूची पर आधारित हैं।

प्रत्येक राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचति जनजातियों की भिन्न और पृथक सूची है। अब हम सभी जानते हैं, वास्तव में हममें से कुछ ही जानते हैं कि एक जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में कैसे शामिल किया जा सकता है। उस मुद्दे पर 1931 में निर्णय लिया गया था, जब सार्ते नामक एक ब्रिटिश कमीश्नर के अधीन पहली जनगणना हुई थी और वह हमारे देश में पहली जाति आधारित जनगणना थी। उस जनगणना के अनुसार, अस्पृश्यता के कारण उत्पन्न सामाजिक अयोग्यता किसी जाति विशेष को अनुसूचित जाति के रूप में मानने का मुख्य मानदंड था। एक सूची तैयार की गई थी। जहां तक अनुसूचित जनजाति का प्रश्न है, उसका अस्पृश्यता से कोई संबंध नहीं है। किन्तु यदि वह मूल रूप से एक विशेष क्षेत्र का निवासी है—वह वन, जंगल, जनजातीय क्षेत्र हो सकता है और वह हिन्दू, मुसलमान या ईसाई हो सकता है—तभी उसको अनुसूचित जनजाति का माना जाता है और उस जनजाति अथवा उस जाति की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाता है।

गुजरात में, राज्य सरकार सेवाओं में समूह ग तथा घ में आरक्षण न केवल राज्य की जनसंख्या के आधार पर, बल्कि जिले में जनसंख्या के आधार पर भी दिया जाता है। समूह घ की निम्नतम श्रेणी में, सफाई कर्मचारी तथा विभिन्न अन्य पदों पर जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तर पर भर्ती होती है, तो विज्ञापन केवल उस जिले से संबंधित अनुसूचित जातियों के लिये ही होता है और जहां तक इस विशेष जाति का प्रश्न है, भर्ती अथवा पदोन्नति के लिये उस जिले का प्रतिशत लागू किया जाता है। अतः यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, हमें ऐसा कोई सुझाव नहीं देना चाहिए जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के मूल सिद्धांत का उल्लघन करे।

अब जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य से अधिकतम संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। परिणामस्वरूप, उस जलमग्न गांव के सभी लोग, जो अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित हैं, जैसा कि विधेयक में सूचीबद्ध है—बालाही, बलाई,

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

भंगी, मेहतर, चमार, चिकवा, चिकवी, कोली, कोरी इत्यादि वहां पर हैं। गुजरात में बिल्कुल वैसी ही उपजातियां हैं, किन्तु कई उपजातियां हैं, जो गुजरात की सूची में नहीं हैं। परिणामस्वरूप वे इच्छापूर्वक नहीं आ रहे हैं। वे विस्थापित हो गये हैं। अब गुजरात सरकार के साथ समस्या यह है कि उनके नाम संसद द्वारा स्वीकृत गुजरात सरकार की सूची में नहीं हैं। अतएव उप–जातियों की सूची को गुजरात सरकार की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अतः यह विधेयक हमारे समक्ष आया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

इसी प्रकार, भली, भीलाला, बरेला, पटेलिआ, भली, तडवी भील, पावरा, वसावे जैसी अनुसूचित जनजातियों की उप–जातियां भी हैं। गुजरात में वसावा हैं, वसावे नहीं हैं, पटेल हैं किन्तु पटेलिआ नहीं हैं। अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ये महाराष्ट्र की उपजातियां हैं। जलमग्न हो जाने के कारण वे गुजरात में आयेंगे, अतः आवश्यकता यह है कि उन्हें सूची में शामिल किया जाए।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस बात से सहमत हैं कि इन गांव वालों, जो अपने गांव जलमग्न हो जाने के कारण गुजरात आये हैं, के नाम गुजरात सरकार की सूची में शामिल किये जाने चाहिए ताकि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के रूप में लाभ उठा सकें। उनकी जनसंख्या को गुजरात में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान जनसंख्या में जोड़ दी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के प्रतिशत में गुजरात में तदनुसार संशोधन किया जाये।

महोदय, मैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौडा का आभारी हूं, जिन्होंने इस ओर इशारा किया कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत का संशोधन नियमित रूप से नहीं किया जाता है। हमने 2001 की जनगणना पूरी कर ली है। एक बार मैंने इस सम्माननीय सभा में कहा था कि लोक सभा में संसद सदस्यों का आरक्षण 1971 की जनगणना के आधार पर है तथा अब हमारे पास 2001 की जनगणना के आंकड़े भी हैं। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। यदि गुजरात में सेवाओं में इसी प्रकार आरक्षण जारी रहता है, तो अनुसूचित जातियों को 1971 के आंकड़ों के कारण केवल सात प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा जबकि अनुसूचित जनजातियों को 14 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।

मैं माननीय मंत्री जी तथा सत्तारूढ़ सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक बार जब जनगणना समाप्त हो जाती है, वे पर्याप्त समय ले सकते हैं। मान लीजिए जनगणना 2001 में पूरी होती है। 2002 अथवा 2003 तक, उन्हें सेवाओं में प्रतिशत, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में प्रतिशत तथा केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को दिए जा रहे एस ई पी और अन्य अनुदानों के प्रतिशत में संशोधन अवश्य करना चाहिये। अन्यथा प्रत्येक दस वर्षों में जनगणना करवाने तथा संविधान का मूल उद्देश्य के अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने समाप्त हो जायेगा।

एक और गम्भीर मुद्दा है, जो मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में, मैं यहां हूं। श्री रतिलाल वर्मा उस समिति के सभापति हैं और मेरी बहन, श्रीमती जसकौर मीणा भी इसकी सदस्य हैं। हमें इस देश में झूठे प्रमाण–पत्रों के हजारों मामलों की जानकारी मिली है और वह भी विशेष रूप से भर्ती तथा पदोन्नति हेतु बैंकों, एल आई सी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा समूह ग और घ के नहीं, अपितु समूह क और ख में। ऐसे भी मामले हैं, जहां एक व्यक्ति ने जाली प्रमाणपत्र के आधार पर सेवा में प्रवेश किया तथा उसने बीस वर्षों तक कार्य किया और 20 वर्षों के बाद एक गुमनाम याचिका के आधार पर पता चला कि उसने अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किये गये लाभों का फायदा उठाया है। वास्तव में, वे अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं, किंतु सरकार निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। मैं इस सम्माननीय सभा से अनुरोध करूंगा कि जहां तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की सूची का प्रश्न है, संसद सर्वोच्च है। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र देने की शक्ति प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में सक्षम प्राधिकारी को दी जानी चाहिए और केवल उसी प्रमाण–पत्र को वैध माना जाना चाहिए।

एक अन्य सुझाव यह है कि मंत्रालय को पूरे देश में झूठे प्रमाण–पत्रों से संबंधित सारी जानकारियां एकत्र करनी चाहिए। यह सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय का कार्य

है। अन्यथा वास्तविक अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां अपने सांवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। यह अत्यन्त गम्भीर मुद्दा है।

इस परिस्थिति में, मैं आपका ध्यान एक ओर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो गुजरात राज्य के संबंध में अत्यन्त गम्भीर है। वर्ष 1976 में तत्कालीन सरकार द्वारा एक विसंगति पैदा की गई थी, जब क्षेत्र प्रतिबंध हटा दिया गया था। वह एक अच्छा संशोधन था, किन्तु जहां तक गुजरात का प्रश्न है, लोगों को गुजरात के इतिहास की जानकारी नहीं थी। गुजरात राज्य वर्ष 1960 में बना। उससे पहले यह बम्बई राज्य था—जो अब महाराष्ट्र अथवा मुम्बई के नाम से जाना जाता है। पुराने बम्बई राज्य के अनुसार, मोची नामक एक विशेष उप–जाति थी। वे तत्कालीन बम्बई राज्य के डांग जिले में और तत्कालीन बम्बई राज्य के उमरगांव तालुका में अनुसूचित जाति के थे। जहां तक डांग जिले और उमरगांव तालुका का प्रश्न है, इस विशेष उप–जाति से संबंधित व्यक्तियों की संख्या केवल कुछेक सौ थी, किंतु वे मृत जानवरों की खाल उतारने तथा चमड़ा शोधन का काम करते थे। परिणामस्वरूप उन्हें तत्कालीन बम्बई राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सही रूप से शामिल किया गया था। बम्बई राज्य के दो भागों अर्थात् महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन होने के बाद डांग जिला तथा बलसारी जिले का उमरंगाव तालुका गुजरात राज्य में आ गया। तदनुसार, भारत सरकार की ओर से क्षेत्र प्रतिबंध था। अतः इन लोगों को अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्त करते रहने की अनुमति थी। किंतु 1976 में यह क्षेत्र प्रतिबंध हटा लिया गया। यह गलत काम था। जो भी सरकार रही हो—वह कांग्रेस की सरकार रही हो—किंतु यह गलती की गई थी, यह विसंगति पैदा की गई थी। तदन्तर, जनता दल की सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार थी, जनता दल और भाजपा सरकार थी, पुनः आर जे पी तथा कांग्रेस सरकार थी और अब भाजपा सरकार है, किंतु इस मुद्दे पर गुजरात के सभी राजनैतिक दलों के मध्य कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। गुजरात सरकार ने भारत सरकार को दसियों बार लिखा। मैं संसद सदस्य नहीं था, किंतु मुझे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव और अन्य संसद सदस्यों तथा सामाजिक नेताओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, श्री देवगौडा से भी मिला था, जब वे प्रधानमंत्री थे और जो यहां बैठे हुए हैं। मुझे माननीय श्री वाजपेयी जी, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था।

तीनों प्रधानमंत्रियों ने यह कहते हुए हमारा अनुरोध स्वीकार किया था कि मांग न्यायोचित, बहुत साधारण तथा बिलकुल यथार्थ है, किंतु यह संविधान में संशोधन किये बिना नहीं किया जा सकता। पत्र स्वाभाविक रूप से सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को भेज दिये गये जिसे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करनी थी। हमें एक लिखित उत्तर प्राप्त हुआ, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही उद्धृत किया है: "हम व्यापक विधेयक बनाने जा रहे हैं, सम्मिलित करने के हमें सैकड़ों अनुरोध मिले हैं।" किंतु हमारा मामला सम्मिलित अथवा विलोपन का नहीं था। गुजरात मामला क्षेत्र प्रतिबंध को पुनः लागू करने का था। वस्तुतः मैं खुश हूं कि यह विधेयक पहले ही मंत्रालय द्वारा तैयार कर लिया गया है किंतु नियम या प्रथा के अनुसार, श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया है। इसे इस समिति को नहीं भेजना चाहिए था। किंतु भेजा गया है।

मैं अब माननीय मंत्री जी से इस समिति के सभापति से बात करने का अनुरोध करूंगा। वस्तुतः मैं भी उन्हें कह चुका हूं। वह सहमत हैं कि यदि यही बात है, तो समिति शीघ्र प्रतिवेदन तैयार करेगी। मैं माननीय मंत्री से व्यक्तिगत रुचि लेने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि डांग जिले में मोची की आबादी कुछ सौ है, वे संख्या में मुश्किल से 1000 होंगे, किंतु पूरे गुजरात में उनकी संख्या पांच लाख है। इस उपजाति विशेष के लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अन्यथा वे अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत आगे हैं।

यहां एक अन्य विसंगति है। यह उपजाति विशेष पहले ही राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित थी। वे पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में हैं। क्या कोई जाति दो सूचियों अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग सूची और अनुसूचित जाति सूची में रह सकती है। मेरी सूचना के अनुसार, गुजरात सरकार ने आश्वासन दिया है। मैं गुजरात में सामाजिक न्याय मंत्री के साथ निरंतर संपर्क में हूं। गुजरात सरकार ने आश्वासन दिया है कि यदि क्षेत्र प्रतिबंध पुनः लागू किया जाता है, तो पूरी मोची उपजाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया जाएगा। उन्हें निश्चित तौर पर अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित किया जा सकता है, किंतु सामाजिक रूप से वे काफी आगे हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। यह शर्त नहीं है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

श्री एच. डी. देवगौडा ने बताया, ऐसे सभी अनुरोध सही हैं और सम्मिलित करने के बारे में हैं। कुछ विलोपन के मामले हैं। वस्तुतः अनुसूचित जातियों में विलोपन का कोई मामला नहीं हो सकता। सम्मिलित करने के मामले हैं। यदि वे सही हैं, यदि वे व्यक्ति अछूत हैं और यदि उन्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है और यदि नाई उनके बाल नहीं काटता है आदि उनके मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि मानदंड क्या हैं? आप भारत के किसी गांव में जाइए, आप देख सकते हैं कि कौन अनुसूचित जाति का सदस्य है और कौन नहीं है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मामले में तेजी लाएं। यह पिछले 24 वर्षों से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास लंबित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में डा. सत्यनारायण जटिया के साथ, मुझे विश्वास है कि यह और 24 दिनों तक वहां लंबित नहीं रहेगा। आप कृपया विधेयक लेकर आएं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : कर देंगे।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : कर देंगे, बहुत अच्छा।

[अनुवाद]

मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। जब कभी सरकारी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, आदिवासी सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित होते हैं। विस्थापन हमेशा आदिवासी अथवा गांवों में रहने वाले गरीब लोगों का होता है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि क्षेत्र प्रतिबंध को पुनः लागू करने के संबंध में विधेयक को प्रस्तुत करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मैं भी हैदराबाद हाउस में रात को बारह बजे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौडा के साथ हुई बैठक में उपस्थित था। यह केवल उनको याद दिलाने के लिए है।

श्री एच. डी. देवगौडा : हां, सभी नब्बे लोग वहां थे।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 और संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 का समाजवादी पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। इस संशोधन के समय इस विधेयक में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अभी न अनुसूचित जातियों में आई हैं और न पिछड़ी जातियों में आई हैं। ऐसी जातियां कोई भी सुविधा नहीं पा रही हैं, जैसे हमारे यहां उत्तर प्रदेश में गोरैया जाति है जिसे जनजाति में जोड़ रहे हैं, वैसे ही मुशहर जाति है, घुमक्कड़ जातियां हैं, जो घुमक्कड़, बंजारा जातियां हैं, वे चारों तरफ घूमती रहती हैं। माननीय सदस्यों ने कहा, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन्हें भी अनुसूचित जाति में डालने का कष्ट करें और जो ओबीसी में आने लायक हैं, उन्हें उस जाति में शामिल करने का कष्ट करें। जब सार्वजनिक उद्योगों में छंटाई होने का काम हो रहा है, इन उपक्रमों में सरकार अपनी पूंजी घटा रही है-जैसे मारूती उद्योग, बाल्को या ऐसी जितनी भी सार्वजनिक कम्पनियां हैं, जिनको सरकार बेचना चाहती है और प्राइवेट लोग ले रहे हैं तो उनमें भी आरक्षण की सुविधा मिलती रहे। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, प्राइवेट कम्पनियां आ रही हैं, उनमें भी अनुसूचित जाति ओबीसी आरक्षण का अधिनियम पारित हो रहा है या नहीं, उनमें भी आरक्षण मिलना चाहिए।

महोदय, मैं दो-तीन बातें मंत्री जी से कहना चाहूंगा। अब पता नहीं मंत्री महोदय के बस में है या नहीं। इस सरकार की नीति क्या है, हम नहीं जानते। हम लोग लगातार देख रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने भी जजों की नियुक्ति में कहा है कि जो जजों की लिस्ट बनाई जा रही है, उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए मैं मंत्री जी और भारत सरकार से मांग करता हूं कि उच्च न्यायलय, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्तियां की जा रही हैं, उनमें भी आरक्षण की सुविधा लागू की जानी चाहिए, क्योंकि यह न्याय का मंदिर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जी को मुख्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया गया, उसका आज तक फैसला कोर्ट से नहीं आया। जब मायावती की कुर्सी छीनी

गई तो उसके बाद विधान सभा अध्यक्ष और हाईकोर्ट से लेकर आज तक जजमेंट नहीं आया और वहीं भाजपा की सरकार का मुख्य मंत्री जब उत्तर प्रदेश से हटाया गया तो रातों–रात हाईकोर्ट ने बैठ कर फैसला किया और पुनः भाजपा के मुख्य मंत्री को कुर्सी पर बैठा दिया। मैं माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि वहां भी न्याय मिलना चाहिए।

जितने भी हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बनाए जा रहे हैं, आप देखें कि वहां इन जातियों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जो जातियां अपेक्षित हैं, उन्हें सब जगह न्याय मिले। यहां माननीय पेट्रोलियम मंत्री बैठे हैं। उन्होंने डीलर सलैक्शन बोर्ड बनाया, आप बता दें कि उसमें कितने रिटायर जज बनाए गए हैं, कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं, कितने पिछड़ी जाति के लोग डीलर सलैक्शन के चेयरमैन बनाए गए हैं, हम जानना चाहेंगे कि उसमें कितनी कितनी जाति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया गया। यह कहा जाता है कि इन्हें आरक्षण मिल रहा है, लेकिन वास्तव में उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। आज जितनी भी ऊंची–ऊंची पोस्टें हैं–चाहे वाइस चांसलर की कुर्सी हो या अन्य कोई पद इन सारी कुर्सियों पर इनकी उपेक्षा की जा रही है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिन जगहों पर पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों का आरक्षण लागू नहीं हुआ, उनमें भी आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए, इसी अनुरोध के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 स्वागत योग्य कदम हैं और इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत आवश्यकता है। इस मामले में पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। ज्यादातर गरीब अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार की खोज में, और कई बार 'कार्य के लिए अनाज कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रव्रजित होती हैं। स्वाभाविक रूप से उनके ठहरने के स्थान पर उनके पास कोई स्थिर आस्तियां नहीं हैं।

यह आश्चर्यजनक है कि किसी एक राज्य में कोई विशेष जाति पिछड़े वर्ग में आती है, परंतु जब वे पड़ोस के राज्य में चले जाते हैं, तो वे न तो अनुसूचित जाति और न ही अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। यह अजीब समस्या केवल महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा में ही नहीं है, बल्कि देश के अन्य भागों में भी है। उदाहरण के तौर पर, उड़ीसा में मछुआरे अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं। इनमें से कुछ मछुआरे उड़ीसा से जाकर श्रीकाकुलम जिले में रह रहे हैं, और दयनीय स्थिति में हैं, क्योंकि जब वे आंध्र प्रदेश में चले गए, तो उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जा रहा है, बल्कि पिछड़ा वर्ग समुदाय में माना जा रहा है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने कोई ज्ञापन दिया है अथवा। नहीं यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है कि जो मछुआरे उड़ीसा से आंध्र प्रदेश में चले गए हैं, उन्हें इस विधेयक में अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

इसे नेमी कार्य माना जाना चाहिए और इसे आवधिक रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सी जातियां हैं और विशेष कर दलित और बेजुबान लोग नहीं जानते कि अपना मामला कैसे रखें। यदि वे आवाज उठा सकते और यदि अपनी बात प्रस्तुत कर सकते, तो उनकी यह दयनीय दशा नहीं होती।

इन सबके बावजूद, जातियों का शोषण जारी है। हममें से बहुत से लोग उनकी परेशानियों को कम करने के उपाय खोज पाने में असमर्थ हैं। ये बातें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित अनुसूचित जातियों को गुजरात राज्य के संदर्भ में, अनुसूचित जातियों की सूची में नई जातियों के रूप में शामिल किए जाने के कारण सामने आई हैं। यह बहुत पहले किया जाना चाहिए था। वे इतने वर्षों से पीड़ित हैं और हम अब स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। यह शुभ संकेत है।

इसी तरह से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 के माध्यम से वे उड़ीसा के कोरापुट और कालाहांडी जिलों में 'मंगली' समुदाय और नवरंगपुर जिले में 'मिरगन' समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में

[श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति]

सम्मिलित कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आंध्र प्रदेश के मछुआरों को भी सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमें तत्काल उन्हें यह लाभ प्रदान करना चाहिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है। इस आयोग को चारों ओर जाना चाहिए, राज्य सरकारों से याचिकाएं प्राप्त करनी चाहिए और इन छोटी जाति के लोगों की परेशानियों को कम करना चाहिए। यदि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो यह मानवता, विशेषकर निर्धनतम वर्गों के लिए महती सहायता होगी। हम उन्हें किसी स्थान विशेष पर रहने के लिए नहीं की सकते। यदि सूखा पड़ता है अथवा कुछ प्राकृतिक आपदा आती है तो वे पास मे स्थानों, अन्य राज्यों में चले जाते हैं। यदि हम 'मंगली' समुदाय को लें, तो उड़ीसा में उन्हें अनुसूचित जाति माना जाता है जबकि जब वे आंध्र प्रदेश में चले जाते हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग का माना जाता है। वे आंध्र प्रदेश में 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अंतर्गत रोजगार पाने की चाह में आते हैं। मेरा सुझाव है कि उनकी बोल चाल की भाषा और उनके मूल स्थान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये गरीब मछुआरे जब आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में हेक्काली निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, तो उन्हें पिछड़े वर्ग का माना जाता है।

महोदय, मंगली समुदाय के लोग, जिन्हें अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित माना जाता है, जब अपने पड़ोसी जिले, पार्वतीपुरम, जो अब आंध्र प्रदेश में है, में आते हैं, तो उन्हें पिछड़ा वर्ग से संबंधित माना जाता है। यह सही नहीं है। यह उनके मूलस्थान और उनकी मातृ भाष के आधार पर किया जाना चाहिए और उनकी स्थिति उनके रहने के स्थान में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना नहीं चाहिए। अन्यथा हम उन लोगों के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे और यह देश के वृहत हित में अच्छा नहीं होगा। इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

महोदय, इन जातियों की आवधिक समीक्षा भी करनी चाहिए यह वर्ष में एक बार अथवा दो वर्ष में एक बार हो सकती है ताकि जो लोग नियमित अंतराल पर अन्य राज्यों में चले जाते हैं, उन्हें जाति की सही श्रेणी में रखा जा सके और उन्हें लाभ मिले। तभी हम उनकी सही रूप में सहायता करेंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं इन संशोधनों का स्वागत करता हूं और उनका समर्थन करता हूं।

श्री राम सजीवन (बांदा) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो विधेयक यहां पेश किया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जो इस विधेयक से संबंधित नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति–जनजाति और बैकवर्ड क्लास की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को व्यापक रूप से हल करने के लिए एक अलग से धांसू अमेंडमैट सम्पूर्ण संशोधन परिवर्धन सहित एक नया विधेयक लाना चाहिए जिसमें बहुत सी समस्याएं जो माननीय सदस्य यहां पर प्रस्तुत करते हैं, उन पर विचार किया जा सके। मैं समझता हूं कि उस नये विधेयक को इस तरह से सर्व समर्थन प्राप्त होगा जैसे आज इस विधेयक को प्राप्त हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मंत्री जी को हिम्मत करने की जरूरत है। सम्पूर्ण संशोधन परिवर्धन विधेयक लाना क्यों जरूरी है, इसके लिए सभी ने बताया है और मैं भी बता रहा हूं।

आपने उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले का दौरा किया, इसके बारे में आपको याद होगा। मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी लेकिन उसके बाद आपने अखबारों में जो बयान दिये, उसे पढ़कर मुझे इसकी सूचना मिली कि आपने वहां बहुत अच्छी घोषणा की है। जब आप चित्रकूट जिले में गये, यह मध्य प्रदेश से मिला हुआ चित्रकूट जिला है।

डा. सत्यनारायण जटिया : मैं मध्य प्रदेश गया था।

श्री राम सजीवन : आप मध्य प्रदेश गये होंगे लेकिन वहां जाने के लिए चित्रकूट जिले से ही क्रास करना पड़ता है।...*(व्यवधान)* वह अच्छी बात है। आप सब जगह जायें लेकिन वहां पर आपको आदिवासियों ने एक ज्ञापन दिया था। वहां पर मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले में कई जिले शामिल हैं जिनमें से चित्रकूट, बांदा, मोहबा, झांसी, हमीरपुर और उधर बनारस, मिर्जापुर और सोनभद्र आदि पूरी पट्टी जो मध्य प्रदेश से मिली हुई है, उसमें दो–तीन जातियां अनुसूचित जाति–जनजाति की रहती हैं। उनमें मुख्य रूप से कोल है। इनको अलग–अलग जगह कोल, कोल्लार आदि भिन्न–भिन्न नामों से पुकारा जाता है। कोल, मवइया, गौंड आदि तीन अनुसूचित जातियां बड़े पैमाने पर वहां रहती हैं। उत्तर प्रदेश के पूरे इलाके की 12 करोड़ जनता में इनकी संख्या

सभी जिलों की मिलाकर 30–40 लाख के करीब होगी। वे जातियां अनुसूचित जाति में तो शामिल हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हैं। आपसे लोगों ने मांग की थी कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाये तब आपने अखबारों में बड़ा जोरदार बयान दिया था कि इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जायेगा लेकिन आपने जब यह विधेयक प्रसारित किया, मैं आशा कर रहा था कि अपने कहे मुताबिक आप इनको शामिल कर लेंगे लेकिन यह बहुत ही मामूली संशोधन विधेयक है और इसमें उनका नाम शामिल होने का सवाल ही नहीं है, आपने किया भी नहीं है।

इसलिए मैं कहता हूं कि व्यापक संशोधन लाइए और उसमें इन जातियों को शामिल किया जाए। इन जातियों को शामिल करने का आधार और औचित्य भी है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भूभाग के इन जिलों से मिले हुए मध्य प्रदेश के जिले जैसे, रीवा, सतना, छतरपुर आदि में ये जातियां अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं किन्तु उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हैं। उनके शामिल न होने से इन जातियों का बड़ा अहित हो रहा है। कैसे अहित हो रहा है, मैं उदाहरण देता हूं। अभी पम्प देने के लिए एक एडवर्टाइजमैंट निकला। उन जिलों में जब वे जातियां निवास करेंगी तभी वे उनको पेट्रोल पम्प दे सकते हैं। वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी है ही नहीं तो उनको वह लाभ कैसे मिलता। वे लोग रिजर्वेशन्स, सर्विस और भारत सरकार की अन्य सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा सुझाव है कि आप कृपा करके इस पर विचार करें और सदन में विचार करने का आश्वासन भी दें।

इस संबंध में मैं आपको एक पत्र के बारे में बताना चाहता हूं। जनजाति मंत्री श्री जुएल उराम अभी बैठे नहीं हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा। मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि इन जातियों को अनुसूचित जाति से आगे बढ़ाकर अनुसूचित जन जाति में शामिल किया जाए। प्रधान मंत्री जी का पत्र मेरे पास आया जो गृह मंत्रालय होकर मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री जी ने मुझे उत्तर भेजा। मेरे पास उत्तर की प्रति है। मैं समझता हूं कि उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उसमें लिखा है कि मैं उक्त विषय पर विचार करवा रहा हूं। आप दूसरे विभाग के मंत्री रहे हैं और आश्वासन दूसरे मंत्री दे रहे हैं। आप सदन में खड़े होकर कहिए कि मंत्री जी ने विचार का जो आश्वासन दिया है, उसे मैं मानता हूं और उसे पूरा करूंगा, तब हम समझेंगे कि आप वास्तव में शक्तिशाली मंत्री हैं और आप में जनजाति के लोगों का भला करने का साहस है। ...*(व्यवधान)* मेरा कहना है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि डा. अम्बेडकर ने शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लिए संविधान में सुविधाएं प्रदत्त कीं। उस समय भी मनुवादी लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया था। डा. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ अदर बैकवर्ड क्लास तथा अन्य बहुत से लोग शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं कि डा. अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान में जो सुविधाएं दी गई हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के हित के लिए, हमको एकताबद्ध तरीके से लगातार संघर्ष करना चाहिए और डा. अम्बेडकर के सपने को पूरा करना चाहिए। डा. अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया, उसे पूरा करना चाहिए। इसलिए हमारा नारा है, मंत्री जी जरा मेरी तरफ ध्यान देकर आप भी सुन लीजिए :

"डॉ. अम्बेडकर तेरा मिशन अधूरा,

बहन मायावती और कांशीराम करेंगे पूरा।"

हम सब को मिलकर उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

हमारे पीछे मनुवादी चलें तो हमें क्या आपत्ति है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बोलने वालों में आपका नाम है, कृपा करके उनको बोलने दें।

श्री राम सजीवन : यदि मनुवादी और कोई भी लोग हमारे पीछे, हमारे साथ और हमारे मिशन के पीछे चलने के लिए तैयार हैं तो हम सब का समर्थन लेने के लिए तैयार हैं। चाहे वे जो भी हों। इसमें डिवाइड मत करिये, हमें मिशन को पूरा करना है तो एकताबद्ध तरीके से चलने की कोशिश करिये। आप जरा राव साहब से सम्पर्क कर लें और हाउस में अभी कुछ कह देंगे तो हमको बल मिलेगा, वरना सुन लिया और चल दिये, ऐसा बहुत होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्रीमती जस कौर मीणा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं आज अनुसूचित जाति, जनजातियों को समृद्ध करने हेतु जिस उद्देश्य से इन दोनों विधेयकों को लाया गया है, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई हैं।

पिछले 50 वर्षों में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को लेकर जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ा है, लेकिन बढ़ते समय पिछले चार दशक ऐसे निकले हैं, जिसमें मात्र संवैधानिक व्यवस्था के नाम पर आंकड़ेबाजी का ही मकड़जाल रहा है। इसमें मैं यह कहूं कि नौकरियों में आरक्षण को लेकर जिस तरह से न्याय और अन्याय का तराजू यदि हम इस तरह से लेते हैं तो अन्याय का ही पलड़ा भारी होता है। पिछले ढाई वर्ष में वर्तमान सरकार ने दो संशोधन इसी सदन में पास किये और उन दोनों संशोधनों के पास होने के उपरान्त भी आज देश की कई गैरभाजपा सरकारों ने अभी तक उन्हें लागू नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनैतिक तुष्टीकरण की नीति के चलते अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण सम्बन्धी लाभ और परिलाभ उन्हें पूरे–पूरे नहीं मिल पाते। आज इन दोनों अध्यदेशों में से प्रथम अध्यादेश पर मैं चर्चा करना चाहूंगी, अपने विचार रखना चाहूंगी। अनुसूचित जातियों में कुछ प्रान्तों, जैसे पंजाब और बंगाल को लेकर जो कुछ और जातियों को जोड़ने की बात आई है, यह केवल पंजाब और बंगाल की ही बात नहीं है, बल्कि मैं यह कहूंगी कि सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जाति की ऐसी बहुत सी उपजातियां हैं, जिनका सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर और आर्थिक स्तर आज भी इस तरह का है कि मुझे एक महान कवि की पंक्तियां याद आती हैं :

"श्वानों को मिलता दूध–वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं,
मां की हड्डी से चिपट निठुर, जाड़े की रात बिताते हैं।"

यह दशा आज अनुसूचित जाति के उन भाई बहनों की है, उन परिवारों की है, जिन परिवारों को न शैक्षित लाभ मिला है, न सामाजिक स्तर ऊंचा उठा है और न आर्थिक रूप से उनके पास उन्नत व्यवसाय है। आप दिल्ली के अन्दर ही देख लीजिए कि रेल की पटरी के पास–पास लाखों झुग्गी–झोंपड़ियां हैं और उन झुग्गी–झोंपड़ियों की यदि कल्पना करें तो लगता है कि धरती माता की छाती पर फफोले हैं और उनमें रहते हुए वे तड़पते हुए जीव हैं। यदि आप सर्वे करके भी उनमें रहने वालों को देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग दिल्ली में मजदूरी करने के उद्देश्य से यहां रहते हैं।

अनेक प्रकार की लाभकारी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती हैं, लेकिन उन लाभकारी योजनाओं का लाभ, उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। सवर्ण जाति के बहुत सारे विद्वान, समृद्ध और सक्षम भाई बहन अपनी संस्थाओं का निर्माण करके, स्वयंसेवी संस्थाओं का निर्माण करके उनके विकास और उनकी समृद्धि की धनराशि को अपने ऐश और आराम पर खर्च करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वे खुद के मंत्रालय में भी यदि मूल्यांकन करेंगे तो उन्हें यह जानकारी मिलेगी कि अनुसूचित जाति के विकास के नाम पर, अनुसूचित जनजाति की समृद्धि के नाम पर शैक्षिक, सामाजिक और उनके स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण के नाम पर कितना धन सवर्ण जातियों के सक्षम लोग ले जा रहे हैं।

वे दिल्ली में बैठे हुए अपने आंकड़ेबाजी कर लेते हैं। उनमें मात्र वोटों का ही लालच होता है कि उस समय गर्ज पड़ती है तो वे उनके पास जाते हैं। आज कई ऐसी उपजातियां हैं, कई जातियां हैं जिन जातियों को अलग–अलग राज्यों में भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूंगी कि आज भारत का 90 प्रतिशत शारीरिक श्रम यदि कोई जातियां करती हैं तो वे अनुसूचित जनजातियां ही करती हैं। यू.पी. में जब गंगा और युमना की नहरों की खुदाई हुई थी, उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बहन पहुंचे और उनका पूरा कुटुम्ब वहां पहुंचा और नहरों की खुदाई की लेकिन जब भूमि के आवंटन की बात की तो उन्हें भूमि नहीं दी गई और कहीं दी भी गई तो किसी को दो एकड़ या ढाई एकड़ दी गई। यू.पी. में लाखों परिवार ऐसे है और हमारे भाई अशोक प्रधान जी जो आज राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने कई बार यह बात उठाई कि बुलंदशहर, मेरठ या अन्य शहरों में मीणा जाति के लोग जो राजस्थान से पलायन करके नहरों की खुदाई के दौरान वहां चले गये थे और सैकड़ों वर्षों से वहां रह रहे हैं लेकिन उन्हें अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे पूर्व वक्ता मध्य प्रदेश के सांसद थावरचंद गेहलोत जी ने भी मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही समुदाय की बात की कि जब राजस्थान में अकाल पड़ता था और भीषण अकाल की वजह से पानी, चारे और भोजन की तलाश में गांव खाली हो गये थे और कई जातियां मध्य प्रदेश में जाकर

बस गयी थीं। आज मध्य प्रदेश में उन भाइयों के लिए भी संवैधानिक आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा आग्रह है कि यू.पी., मध्य प्रदेश और दिल्ली जहां हम बैठे हैं और इस जगह पर आज लगभग साढ़े चार लाख परिवार अनुसूचित जनजाति के रहते हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिल्ली में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री जी को विधेयक को पेश करते समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य को भी मद्देनजर रखना चाहिए था। अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, उनको भी आरक्षण का लाभ दिलवाने की बात करनी चाहिए थी। आरक्षण के प्रतिशत की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी जातियों को आरक्षण की परिधि में जोड़ा जा रहा है चाहे वह आरक्षण एससीएसटी, ओबीसी का क्यों न हो लेकिन उसके प्रतिशत को बढ़ाने की बात नहीं की जाती। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे लोग जो थोड़ा–बहुत सक्षम हैं, वे ही इसका लाभ ले पाएंगे लेकिन जो जंगलों, गांवों, खेतों और खलिहानों में पड़े हुए हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा और इसके साथ–साथ जो महानगरों में शहरी बस्तियों में रहने वाले एससी श्रेणी के भाई–बहन हैं, अन्य राज्यों से यहां पलायन करके रोजी–रोटी की तलाश में महानगरों में जो बसे हैं और इन झुग्गी–झोंपड़ियों में बस जाते हैं, उनको आरक्षण के लाभ की जानकारी नहीं है। उसका प्रमुख कारण उनका शैक्षिक स्तर है कि पचास वर्षों में भी कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं खुद अनुसूचित जनजाति के आरक्षण क्षेत्र से चुनाव जीतकर आई हूं। वहां की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में 0.5 प्रतिशत भी साक्षरता का भाग नहीं है। इन न्यूनतम साक्षरता दर को लेकर क्या उम्मीद करें कि उन्हें किसी भी तरह का संवैधानिक लाभ या संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होगा। मैं एक बात ध्यान में लाना चाहूंगी कि आज अनुसूचित जनजाति को मंत्रालय अलग है, अनुसूचित जनजाति के प्रभारी मंत्री को भी यहां विराजमान होना चाहिए था ताकि सम्पूर्ण राज्यों में होने वाली असमान व्यवस्था को वह समझते और पंजाब और बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में भी किस तरह से अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था, जो आज भी कुप्रभावित हो रही है, उसको वे समझते।

महोदय, दूसरे विधेयक में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हमारे भाई–बहन जल प्रबन्धन की वजह से प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के व्यक्ति को गुजरात जाना पड़ेगा और महाराष्ट्र के व्यक्ति को गुजरात जाना पड़ेगा और वहां जिले के हिसाब से जो आरक्षण की व्यवस्था है, वह त्रुटिपूर्ण है। मैं समझती हूं कि भारत का संविधान पूरे भारत का संविधान है। भारत के संविधान में जिन जातियों को जोड़ा गया है, उनकी मान्यता सम्पूर्ण भारत मे लिए रखनी चाहिए और सम्पूर्ण जातियों को समान रूप से सम्पूर्ण भारत में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यदि यह व्यवस्था हो जाती है, तो राज्यों की सरकारों को आरक्षण की व्यवस्था में कटौती करने और अनुसूचित जनजाति का गला घोंटने पर अंकुश लगेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी इस बिन्दु पर गम्भीरता से विचार करें। राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते हुए, अनुसूचित जनजाति के लोगों का गला घोंटा जाता है, यह व्यवस्था केवल एक प्रान्त में ही नहीं है, अनेक प्रान्तों में है और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को संवैधानिक आरक्षण का समुचित लाभ मिलना बहुत मुश्किल है।

अंत में, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगी। विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी परिलाभ दे रहे हैं, उनका बहुत ही सतर्कता के साथ मोनिटरिंग होना जरूरी है। यह मूल्यांकन नहीं हुआ और पिछले 50 वर्षों में मूल्यांकन न होने की वजह से उनका सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उन्नयन नहीं हो पाया है। मुझे आपसे निवेदन करते हुए दुःख है कि आज भी मेरे संसदीय क्षेत्र में सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मी नहीं हैं। शैक्षिक स्तर में गिरावट की वजह से आज भी यदि हैजा हो जाता है। तो देवता के चबूतरे पर रखकर झाड़ा–फूंकी करते हैं। जब उनको कुछ कहा जाता है, तो कहते हैं कि किताबों में लिखा हुआ हम नहीं जानते हैं, यहां तो देवता, भैरों जी और माताजी हैजा, उल्टी का इलाज करेंगी। पचास सालों की आजादी के बाद भी यह स्थिति है। पूर्व में अनेक संविधान संशोधन हुए और पिछले दो सालों में दो बार नौकरियों के लिए संविधान संशोधन किए गए और अब जातियों और उपजातियों को जोड़ने के लिए दो संविधान संशोधन पेश किए गए हैं, इन दोनों विधेयकों के पास होने के बाद भी मुझे उम्मीद नहीं है कि उप लोगों के हितों को संरक्षित कर पायेंगे। इनका कार्यान्वयन भी वे लोग करेंगे, जो सवर्ण हैं और बड़े–बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। इन लोगों के चलते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ नहीं दिला पायेंगे और

[श्रीमती जस कौर मीणा]

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस दिशा में सतर्कता बरती जाए। इन दोनों विधेयकों के पास होने के बाद उनके हितों की रक्षा के लिए जो कल्पना की गई है, वह पूरी होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

***श्री रूपचंद मुर्मू (झाड़ग्राम)** : सभापति महोदय, मैं इन विधेयकों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मंत्रीजी को भी बधाई देता हूं कि वे ये दो महत्वपूर्ण विधेयक लाए। मंत्री बनने के बाद, डा. जटिया ने आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए अपनी चिंता दिखाई है। अ. जा. तथा अ.ज.जा. के विकास के लिए उन्होंने कुछ उपाय भी किए हैं। इन विधेयकों पर मेरे दल के एक माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे एक और साथी इन्हीं विधेयकों पर बोलेंगे। इस संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 का प्रयोजन सरदार सरोवर परियोजना के कारण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उन विस्थापितों के नाम गुजरात की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना है, जो गुजरात में जाकर बसें हैं अथवा बस सकते हैं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे विस्थापन के बाद पुनर्वास की समस्या का जिक्र अवश्य करना चाहिए जो हमारे देश के अनेक राज्यों में बनी हुई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए चिंता व्यक्त की गई है तथा इस विधेयक का प्रयोजन उन्हें गुजरात के लिए सूचीबद्ध करना है। अनेक माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर बोला है और इसका समर्थन किया है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं किंतु मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अन्य राज्यों के विस्थापितों के लिए माननीय मंत्रीजी क्या करना चाहेंगे। मुझे असम में बनी हुई समस्या का जिक्र करना चाहिए। अनेक वर्ष पूर्व, अनेक आदिवासी, अ.जा., अ.ज.जा, काम की खोज में असम गए और स्थायी रूप से वहीं बस गए। किंतु आज तक उनके नाम असम की अ.जा./अ.ज.जा. की सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य श्री दासमुंशी ने कहा था, मैं भी 1996 की प्रवर समिति के बारे में कहना चाहूंगा। उस समिति के सभापति माननीय श्री अमर राय प्रधान थे। इसका प्रतिवेदन समय से 1997 में प्रस्तुत किया गया था किंतु प्रतिवेदन की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई विधेयक नहीं लाया गया था और उन लोगों के नाम असम की अ.ज./अ.ज.जा. की सूची में शामिल नहीं किए गए थे। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच कराएं ताकि इन आदिवासियों, अ.जा. और अ.ज.जा. के नाम असम की अ.जा./अ.ज.जा. की सूची में शामिल किए जा सकें। इस वर्ष अ.जा./अ.ज.जा. संसदीय समिति के लिए मेरा निर्वाचन हुआ है। मैं पहले भी इस समिति का सदस्य था। जब भी हम उस क्षेत्र में गए उन्होंने हमें अभ्यावेदन दिया और मांग की कि उनके नाम असम की अ.जा/अ.ज.जा. की सूची में शामिल किए जाएं। माननीय मंत्री डा. जटिया से मेरा अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण मामले की भी जांच करें। महोदय, अंग्रेजों ने हमारे देश पर 200 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया था। उन्होंने इन आदिवासियों का हर प्रकार से शोषण और दमन किया किंतु मैं कहना चाहता हूं कि इन आदिवासियों ने उनसे कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने शुरू से ही सामंतशाही से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन और विद्रोह किए। हम सिंधुकानु, बिरसा मुंडा, अजीत मुर्मू और विभिन्न अन्य आदिवासियों के नाम लेते हैं, मुझे अभी सबके नाम याद नहीं आ रहे। किन्तु इस लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए, विद्रोह किए। वर्ष 1855 मैं सिंधुकानु ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी। यदि हम उनके आंदोलन की बात करें तौ पता चलता है कि यह आंदोलन अंग्रेजों के शासन के खिलाफ था और इसके साथ-साथ उन्होंने दमनकारियों, जोतदारों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ भी लड़ाई की। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों के बाद उन पर कोई अन्याय और दमन नहीं होगा। किन्तु अंग्रेजों के बाद भी इसका अंत नहीं हुआ। यह स्वतंत्रता के बाद भी चलता रहा। शोषित लोगों की दशा सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं किन्तु कोई खास परिणाम नहीं निकले हैं। वे अभी भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यहां माननीय सदस्य हैं, इस सम्माननीय सभा के नेतागण हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इन अभागे लोगों के कष्ट के बारे में सोचें। इन लोगों को अन्य मनुष्यों के बराबर लाने के लिए गम्भीर प्रयास करने चाहिए। इनको दो वक्त की रोटी जुटाने तथा साधारण जीवनयापन करने की भी

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

समस्या है। यहां पश्चिम बंगाल का नाम लिया गया है। माननीय श्री दासमुंशी और श्री बिक्रम सरकार ने भूमि के बारे में कहा था। किन्तु उन्होंने भूमि सुधार के बारे में नहीं बोला। यदि भूमि सुधार का प्रश्न आता है तो हमें पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा की बात करनी होगी। उन्होंने गरीबों, आदिवासियों को भूमि बांटी है। मंडल आयोग के प्रतिवेदन में भी कहा गया है कि अधिकांश पिछड़े लोग खेतिहर, सीमांत मजदूर हैं। उनका संबंध भूमि से है। भूमि सुधार के बिना, यदि उन्हें भूमि नहीं दी जाती है, उन्हें सिंचाई सुविधा नहीं दी जाती हैं तो वे अपनी आजीविका कैसे अर्जित करेंगे? उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? जब हम भूमि की बात करते हैं तो हमें पश्चिम बंगाल का नाम जरूर लेना चाहिए। वर्ष 1977 से पूर्व क्या हालत थी? यदि हम आदिवासियों, उनकी हालत के बारे में सोचें तो हमें वर्ष 1977 से पहले और 1977 के बाद का समय याद करना पड़ेगा। वर्ष 1977 से पूर्व, विशेषतः सितम्बर–अक्टूबर के दौरान भोजन की कमी के कारण आदिवासियों को भूख का सामना करना पड़ता था। मैं आदिवासी हूं। मैं स्कूल में पढ़ता था। सितम्बर–अक्टूबर के महीने में मुझे भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता था। मैं पूरे–पूरे दिन भूखा रहता था। अब भूमि सुधार के कारण पश्चिम बंगाल में निःसंदेह आदिवासियों, अनुसूचित जातियों के जीवन में बदलाव आया है। बेशक समस्याएं हैं। यह बताया गया है कि कुछ क्षेतों में आदिवासियों पर आक्रमण किए जाते हैं। इसका कारण राजनैतिक भी हो सकता है। उन्होंने केशपुर गरपेटा एवं अन्य क्षेत्रों की बात कही है किन्तु ऐसी स्थिति राजनैतिक लाभ लेने के लिए पैदा की गई थी। मैं ऐसे विवाद में जाना नहीं चाहता किन्तु कुछ सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता। आदिवासियों की समस्याएं हैं तथा सिर्फ खाद्यान्न उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है। आदिवासियों की विशेषतः संथालों की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी लिपि है। अन्य भाषाओं के प्रभाव के कारण उनकी भिन्न भाषा की पहचान खोती जा रही है। उनकी सांस्कृतिक पहचान पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उनकी अपनी लिपि 'ओल्चीकी' है। हमने अनेक बार संसद में यह मुद्दा उठाया है किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार ने संथाली भाषा को मान्यता दी है। पश्चिम बंगाल में एक मत से संकल्प पारित हुआ था और उन्होंने इसे केन्द्र सरकार के विचारार्थ भेज दिया है ताकि संथाली भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हो सके। भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए तथा समृद्ध संथाली भाषा को मान्यता देनी चाहिए और यथासंभव शीघ्र इसे आठवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें और सरकार से आग्रह करें कि संथाली भाषा को मान्यता प्रदान करके हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करे। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्कूलों में संथाली भाषा पहले से ही है तथा आदिवासी क्षेत्रों में इसकी लिपि को पढ़ाने के माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया है। उस पर विचार करने और प्रक्रिया अपनाने के लिए समिति है ताकि यह संथाली भाषा उच्चतर शिक्षा में भी प्रयोग की जा सके। अन्य आदिवासी भी अपनी भाषा को उचित मान्यता दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं।

मैंने कहा था कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं आदिवासियों से संबंधित दो–तीन मुद्दों पर बात करूंगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने आदिवासियों की संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं। किन्तु अकेले राज्य सरकार यह कार्य नहीं कर सकती। केन्द्र सरकार को आदिवासियों की भाषा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ प्रभावी उपाय करने चाहिए। मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं। कुछ आदिवासी साम्प्रदायिक घटनाओं में लिप्त रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ राजनैतिक दलों और अन्य संगठनों ने आदिवासियों को धर्म 'बांटना' शुरू कर दिया है। मुझे कहना चाहिए कि जब भी भारत में कोई दुर्घटना हुई है, उसके पहले शिकार आदिवासी ही होते थे। यह चाहे दंगे हों या साम्प्रदायिक उपद्रव या फिर भूकंप। क्योंकि वे गरीब हैं और उनमें से कुछ को प्रलोभन दिया जा रहा है और वे परिस्थितियों के शिकार हो जाते हैं। किन्तु मैं उन लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा जो धर्म 'बांट' रहे हैं कि धर्म से पहले वे आदिवासियों में शिक्षा बांटें। उन्हें उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी जीवन शैली और शिक्षा की कमी पर विचार करना होगा। ये लोग आदिवासियों को ये चीजें क्यों नहीं देते। धर्म तो निजी मामला है, यह दूसरों पर थोपा क्यों जाए? वंचित आदिवासियों के समग्र विकास की जरूरत है। आशा है भारत सरकार इन लोगों के समुचित विकास के लिए कुछ उपाय करेगी माननीय मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि वे अपने प्रभाव का प्रयोग करें ताकि आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ हो सके।

इन दो विधेयकों का समर्थन करने और इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए एक बार पुनः सभापति महोदय का धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री माधव राजंवशी (मंगलदोई) : सभापति महोदय, मैं यहां दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए मैं एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं जो असम में संवैधानिक संकट बन गया है। मेरे वरिष्ठ साथी तथा कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने असम में कोच राजवंशी की समस्या का उल्लेख किया है असम के कोच राजवंशी लोग सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से पददलित हैं। वे केवल असम में ही नहीं अपितु पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से पददलित हैं। मेरे रिश्तेदार तथा वरिष्ठ संसद सदस्य, श्री अमर राय प्रधान कोच राजवंशी जाति से हैं। हम पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जातियों से हैं। हम मेघालय के अनुसूचित जनजातियों से हैं, हम बिहार के अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, और हम बिहार के सामान्य श्रेणी से हैं।

माननीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री ने इस विधेयक में कोच राजवंशी को शामिल न करके हमारे साथ अन्याय किया है। मुझे स्पष्ट करने दें कि उन्होंने हमारे साथ किस प्रकार अन्याय किया है। मैं 1996 में अनुसूचित जनजाति से था। अब मैं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हूं। मैंने 1996 का चुनाव अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। श्री करुणो दत्ता अनुसूचित जनजाति (आरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र से विधान–सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि श्री पी.वी. नरसिंहा राव के शासन काल के दौरान एक अध्यादेश लागू करके हमें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। यह अध्यादेश चार बार जारी किया गया था। 1996 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, श्री देव गौड़ा के शासन काल के दौरान 1996 का विधेयक संख्या 21 सभा में प्रस्तुत किया गया था। सभा द्वारा उस विधेयक को संसदीय प्रवर समिति को भेजा गया था। श्री अमर राय प्रधान उस समिति के सभापति थे। वे असम गये और उन्होंने मामले का अध्ययन किया। उन्होंने अग्रणी नागरिकों सहित सभी से साक्ष्य लिया। उन्होंने सिफारिश की कि कोच राजवंशी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिये। समिति नें अपना प्रतिवेदन 14 अगस्त,1997 को प्रस्तुत किया था। 14 अगसत 1997 तक, हम अनुसूचित जनजाति से थे। उसके बाद न तो कोई अध्यादेश जारी किया गया न ही कोई विधेयक प्रस्तुत किया गया। अब कोच राजवंशी न तो अनुसूचित जनजाति के हैं न ही अन्य पिछड़ा वर्ग के। अब न तो हम यहां के हैं, न ही वहां के हैं। मेरा विद्यार्थी, जो कोच राजवंशी जाति से है, इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ रहा है। अब वह सामान्य श्रेणी में आता है। श्री करुणो दत्ता भी, जो अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे, अब सामान्य श्रेणी के अधीन आते हैं।

कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया था। तत्पश्चात् लोक सभा भंग हो गई थी। अध्यादेश को नवीकृत नहीं किया गया था। कोच राजवंशी एक सामान्य जाति बन गई है। माननीय सामाजिक न्याय मंत्री जी, क्या यह हमारे साथ अन्याय नहीं क्या यह संवैधानिक संकट नहीं है? 1998 से मैं इसकी मांग कर रहा हूं। भाजपा इसका समर्थन करती है। असम की राज्य भाजपा कार्यकारी समिति ने यह कहते हुए एक संकल्प पारित किया है कि कोच राजवंशी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये। उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बारे में वचन दिया था। कांग्रेस ने यह कहते हुए अपने चुनाव घोषणा पत्र में आश्वासन दिया है कि कोच राजवंशी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये। राज्य के अध्यक्ष, श्री राजन गोहाई ने चुनाव से पहले हमें एक आश्वासन दिया था कि कोच राजवंशी को उनके समय के दौरान अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जायेगा।

श्री दिलीप सिंह भूरिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सभापति थे। वह असम गये। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों के सामने बोलते हुए कहा कि हमारी जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाएगा। श्रीमती विजया चक्रवर्ती, जो केन्द्रीय मंत्री हैं, ने भी इस बारे में हमें आश्वासन दिया था किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में सभा में विधेयक प्रस्तुत करना था। इस विधेयक में कोच राजवंशी समुदाय का उल्लेख नहीं है। फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं। प्रवर समिति द्वारा कोच राजवंशी समुदाय को पांच अन्य समुदायों अहोम, मोरान, मोटोक, चूटिया, तथा पूर्व चाय बागान जनजाति के सहित सूची में शामिल किये जाने की सिफारिश की गई थी।

यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि असम में एक और समस्या उठी है। केन्द्र सरकार ने असम में जहां केवल 18

प्रतिशत बोडो लोग रहते हैं, एक बोडो स्वायत्त प्रशासन बनाने का निर्णय लिया है। महोदय, इस क्षेत्र में 82 प्रतिशत लोग गैर जनजातीय हैं। केवल 18 प्रतिशत बोडो लोग हैं जो उस क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने इस परिषद को बनाने का निर्णय लिया है। यदि यह परिषद केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा भी बनाई जाती है, तो 82 प्रतिशत गैर–जनजातीय लोगों का भाग्य क्या होगा? इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत से अधिक लोग कोच राजवंशी तथा चाय–जनजातियों के हैं। क्या मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध कर सकता हूं कि वे असम राज्य में पृथक बोडो प्रादेशिक परिषद बनाने से पहले इस सभा में एक विधेयक प्रस्तुत करे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक में इस समुदाय का नाम अनुसूचित जनजातियों के रूप में शामिल करें। अन्यथा असम राज्य में गम्भीर रोष पैदा होगा। आप देखें कि बंगाल में 5000 से अधिक कोच राजवंशी अब जेल में हैं। वे वहां पृथक कामातापुर राज्य की मांग कर रहे हैं। अतः यह रोष मेरे राज्य में भी पैदा हो रहा है। किन्तु हमने कभी भी पृथक राज्य की मांग नहीं की है। हम असमिया: हैं। हम असम में रहना पसंद करेंगे। हम तो केवल यह मांग कर रहे हैं कि हमें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। हम सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अतः हमें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। यह हमारी छोटी सी मांग है।

क्या मैं जान सकता हूं कि असम सरकार, भारत के महापंजीयक, प्रवर समिति द्वारा सिफारिश किए जाने तथा भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टियों तथा कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन किये जाने के बावजूद भी सभा में विधेयक प्रस्तुत न करने का क्या कारण है? कोच राजवंशी को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने के लिये किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या करण है? यदि कोई कारण नहीं है, तो कृपया अगले सत्र में विधेयक प्रस्तुत करें ताकि असम में समस्या का समाधन किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर)** : माननीय सभापति महोदय, डा. जटिया दो विधेयक अर्थात संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2002 तथा संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 चर्चा करने तथा पारित करने के लिये लाये हैं। मैं चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं तथा मैं अपने विचाार संक्षेप में व्यक्त करूंगा। हमने विधेयक में देखा है कि अ.जा./अ.ज.जा. सूची में कुछ अ.जा. और अ.ज.जा. के नाम शामिल किये जाने का प्रावधान है। कुल मिलाकर हमारी एक शिकायत है कि विभाजन के बाद कई विस्थापित लोग यहां आये और बस गये। उनमें से कई अ.जा./अ.ज.जा. से हैं। इन लोगों के सुधार हेतु कई प्रयास किये गये थे किन्तु कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। 1996 में, श्री अमर राय प्रधान की अध्यक्षता में एक प्रवर समिति का गठन किया गया । असम, बिहार कूचबिहार और कई अन्य क्षेत्रों का दौरा करने और अ.जा./अ.ज.जा. के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद एक प्रतिवेदन तैयार किया गया था जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. की सूची में कुछ जातियों और जनजातियों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। पहले ही यह उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रतिवेदन 14 अगस्त, 1997 को प्रस्तुत किया गया था। किन्तु, आज तक प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण हेतु कुछ कदम उठाने के लिये केन्द्र सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया है।

जब हमने भारत के अन्य भागों में अ.जा./अ.ज.जा. हेतु उठाए गए कदमों का पता लगाया, हमें कुछ बातों का पता चला। वे लोग जो एक क्षेत्र विशेष में अ.जा./अ.ज.जा. के रूप में मान्यता प्राप्त सूचीबद्ध हैं यदि वे किसी अन्य राज्य में रहने लगते हैं तो उन्हें वही दर्जा प्राप्त नहीं होता है। देश के विभाजन के बाद बहुत लोग विस्थापित हुए थे और यहां आकर बस गये थे। उन्हें दंडकारण्य, मानाकैम्प, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में भेजा गया था। यद्यपि, ये लोग वास्तव में अ. जा./अ.ज.जा. के हैं किन्तु उन्हें उन क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त नहीं हुई, जहां वे बस गये। पश्चिम बंगाल में हमने पौंद्र और नामशूद को अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध किया है, किन्तु जब ये लोग उड़ीसा अथवा बिहार में बस गये, उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई।

इस भेदभाव से हर तरफ प्रभाव पड़ा है। पता चलता है कि अ.जा./अ.ज.जा. की पृष्ठभूमि वाले लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है–न शैक्षिक दृष्टि से, न सामाजिक दृष्टि से और न आर्थिक रूप से। दोषयुक्त प्रशासनिक कदमों के कारण

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

[श्री सनत कुमार मंडल]

ऐसा हुआ है। हमने देखा है कि अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण के लिए आवंटित धन बिलकुल अपर्याप्त होता है तथा यह धन उन पर उचित ढंग से खर्च भी नहीं किया जाता। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अ.जा./अ.ज.जा. के विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त आवंटन करें। इसके अलावा, उनकी संस्कृति, भाषा और जीवन शैली पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

हमने पश्चिम बंगाल में विशेषतः सुन्दरबन क्षेत्र में देखा है कि वहां एक जाति महतो है। उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना गया है। इसलिए ये लोग जीविकोपार्जन के लिए सुंदरबन क्षेत्र में बस गए हैं। उनके लिए शिक्षा की सुविधा नहीं है, आर्थिक स्थिरता नहीं है और इन्हें अन्य अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति और अपनी जीवन शैली हैं। वे जब जंगल काटने में लगे हुए थे, तब सुंदरबन में बसे थे। वे अनुसूचित जाति के सभी मानदंडों को पूरा करते हैं किन्तु दुर्भाग्य से उन्हें यह मान्यता अभी तक नहीं मिली है। साथ ही साथ, ओराम तथा अन्य को जिनकी यही भाषा और संस्कृति तथा कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजति के रूप में मान्यता मिल गई है। हमें इस प्रकार के भेदभाव से छुटकारा पाना पड़ेगी इस भेदभाव को महसूस करने हुए कई माननीय सदस्यों ने व्यापक विधेयक की आवश्यकता व्यक्त की है। किन्तु दुर्भाग्य से 1950 से न तो व्यापक विधेयक के रूप में और न ही सूची में, संशोधन करके कुछ किया गया। इसी कारण से इस निष्क्रियता के चलते केन्द्र सरकार से हमें शिकायत है। मैं इन दोनों विधेयकों का पूरा समर्थन करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में मौजूद खामी को दूर करने के लिए सरकार कुछ उपाय करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए माननीय सभापति महोदय का धन्यवाद करते हुए में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : सभापति महोदय, डा. सत्यनारायण जटिया ने दो अमैंडमैंट बिल रखे हैं–एक वह है जो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर बनने के बाद जो विस्थापित होकर गुजरात में चले गए हैं, उनको रिजर्वेशन के बारे में हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

उनको रिजर्वेशन दे दी जाये। यह बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका वैलकम करता हूं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि उनको वहां ले जाकर बसा देना ही काफी नहीं है, उनके लिए जो और सहूलियतें पैदा करनी जरूरी हैं। जहां पर वे गये हैं, वहां पर उनके काम का प्रबन्ध होना चाहिए और वहां पर स्पेशल फंड उनके लिए बनाकर उनका सुधार होना चाहिए। कोई ऐसा प्रोग्राम हो, जिससे वे पिछले जीवन के बारे में यह महसूस न करें कि हम दूसरी स्टेट में आ गये हैं तो हमारा क्या बनेगा। यह ठीक है कि रिजर्वेशन उनको दे दी जाये, मगर दूसरा घर बसाने का इन्तजाम भी करना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है।

दूसरा बिल कुछ जातियों को इन्क्लूड करने का है, जो जातियां काफी दिनों से अनुसूचित जाति से बाहर रह गई थीं, उनको इन्क्लूड करने का है। मैं देखता हूं कि दूसरे बिल से, आपको पता चलेगा कि पंजाब में रमदासिया, रायदासिया और रविदासिया कास्ट हैं, उनको पुराने 1950 के आर्डर में रामदासी, रविदासी लिखा हुआ था। आज तक उनको सब अनुसूचित जाति में मानते रहे, पर पिछले इलैक्शन में किसी ने हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर दी तो एक एम.एल.ए. को अनसीट कर दिया, क्योंकि उसे जो सर्टिफिकेट दिया गया था, वह रविदासी का नहीं था, रविदासिया का था, इसलिए उसको एमेंड करने के लिए जो कानून में प्रावधान किया गया है, यह अच्छी बात है। बंसल साहब का भी इसमें एक एमेंडमेंट बिल था, यह इसमें इन्क्लूड हो गया है। इसको इन्क्लूड करने के अलावा इसमें बहुत सी बातें आई हैं कि जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अन्य जातियों को वह मिलता नहीं है। बहुत सी बड़ी–बड़ी पोस्टें हैं, जैसे जजों की पोस्ट का जिक्र किया गया है कि उसमें रिजर्वेशन नहीं है, उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं है। जो जज बनेगा, उसकी क्वालिफिकेशन तो पूरी होगी ही न, लेकिन उसको इसलिए जज नहीं बनाया जाएगा कि वह अनुसूचित जाति का है। वह क्वालिफाइड होगा, तभी जज बनेगा। पर जज की पोस्ट में रिजर्वेशन क्यों नहीं है, इस बात का जवाब दिया जाए। इसी तरह यूनिवर्सिटी के बड़े–बड़े वाइस चांसलर हैं, उनमें भी रिजर्वेशन नहीं है। पंजाब में छः यूनिवर्सिटीज

हैं, लेकिन एक भी अनुसूचित जाति का वाइस चांसलर नहीं है। बड़ी–बड़ी पोस्टें, जो सरकार नोमिनेट करती है, उनमें अनुसूचित जाति को नोमिनेट नहीं किया जाता, उनमें भेदभाव किया जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। यदि रिजर्वेशन देना है तो सभी जगहों पर हो, चाहे 25 हो या 33 परसेंट हो, लेकिन वह सभी पोस्टों में हो।

दूसरे जो प्राइवेट अदरे हैं, जैसे बैंक हैं, दूसरी कम्पनियां हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन जरूर किया जाए। इसमें गवर्नमेंट का जितना उसूल है, उतना ही रिजर्वेशन वहां पर मिलेगा और उसे लाजिमी किया जाए, तब जाकर उनको कोई लाभ मिल सकेगा, नहीं तो वे लोग परवाह नहीं करते। वे अपनी मर्जी से लोगों को रख लेते हैं और किसी को रिजर्वेशन नहीं देते। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि प्राइवेट अदारों में रिजर्वेशन लाजिमी कर दें। बाकी जो बातें हैं कि कास्ट को इधर से उधर कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। मैं मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि जो स्टैप्स लेने हैं, वे सख्ती से लें, ताकि गरीब लोगों का उद्धार हो सके।

मुल्क को आजाद हुए 50 साल हो गए हैं, मगर आज भी गांवों में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज भी इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं हैं। पंजाब जिसको हम लोग इतना फॉरवर्ड समझते हैं, वहां भी लाखों लोग बेघर हैं, उनके पास जमीन नहीं है, कानून नहीं है। केन्द्र सरकार का एक कानून जो यूनाईटेड फ्रंट की पहली सरकार थी, उसने मजदूरों के लिए एक काम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन लाने की बात कही थी जिसमें इन लोगों को कानूनी तौर पर अधिकार मिलने थे लेकिन वे नहीं मिले क्योंकि आपकी सरकार ने पता नहीं उसको कहां फेंक दिया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उस काम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन को लाए और पास करवाए, इससे आपका बहुत बड़ा नाम होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कानून का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे सख्ती से लागू करेंगे।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति जी, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री जटिया जी के द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 और संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 जो लाया गया है, इसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल इन राज्यों में कुछ जातियों की नई प्रविष्टियों को शामिल करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है और उसमें राज्य सरकारों के साथ–साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के परामर्श के साथ विकास की दृष्टि से जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। आज देखा जाए तो आजादी के बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान की दृष्टि से काफी योजनाएं बनीं लेकिन क्रियान्वयन की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक तरह से क्रियान्वयन नहीं होने के कारण एससी, एसटी के लोग इन योजनाओं से होने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं। अधिकांश एससी, एसटी के जो व्यक्ति हैं, उनके परिवारों को अगर आप देखें और जब आप उनकी बस्ती में जाते हैं जहां छोटे–छोटे मकान होते हैं और पानी के निकास की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है और बिजली की व्यवस्था नहीं है। केन्द्र सरकार से जो पैसा गरीब बस्ती उन्मूलन हेतु जाता है, उसका भी लाभ उनको नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री जी से इस अवसर पर अनुरोध करना चाहता हूं कि तीन राज्यों में जिन नई जातियों को शामिल किया गया है, वे स्वागत योग्य हैं लेकिन आज भी देखने में आता है कि मध्य प्रदेश में जो धोबी जाति है, उसे भोपाल में सीहोर में, रायसेन में एससी में शामिल किया गया है लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में एससी की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। जब हमारे परिवार में दुख आता है किसी की मृत्यु होती है तो कपड़े घर में नहीं धोए जाते हैं और वे सारे कपड़े धोबी ही धोता है। इसी प्रकार से जब परिवार में नया बच्चा जन्म लेता है तो अस्पताल से प्रसूति के बाद महिला घर आती है तो सौर के वस्त्र घर में नहीं धोए जाते हैं और वे कपड़े भी धोबी को दिए जाते हैं। इस प्रकार से वह महत्वपूर्ण व्यक्ति धोबी जो इस संकट के क्षणों में समाज के सारे परिवारों के कपड़े धोता है, इस पर भी उसको अस्पृश्य माना जाता है, उसको साथ बिठाकर खाना खाने में आज भी लोग परहेज करते हैं। खटीक समाज को मध्य प्रदेश, यू.पी., राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में एससी की श्रेणी में शामिल किया गया है। मैं केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश गया था, वहां पर खणिक जाति के लोगों को पिछड़े वर्ग में रखा गया है, अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया है और पिछड़े वर्ग की भी अंतिम श्रेणी में रखा गया है।

हम देखते हैं कि योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता है। अनेक राज्यों में अनुसूचित जाति के लोग सरकार

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

द्वारा दिए गए लाभ से वंचित रह गए हैं। अन्य जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ फर्जी प्रमाण–पत्र से मिल जाता है। इस संबंध में आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश, गुना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक गैस एजेंसी का विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उस गैस एजेंसी के लिए मेरे ही जिले की एक महिला ने फर्जी प्रमाण–पत्र बनवाकर यह गैस एजेंसी अपने नाम में आवंटित करवा ली, जो गुना के लिए अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लिए प्रकाशित हुई थी। इस संबंध में जब दूसरे स्थान पर जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को पता चला, तो उसने कलेक्टर महोदय से शिकायत की। कलेक्टर महोदय, ने एसडीम महोदय से जानकारी प्राप्त की कि वह महिला वास्तव में अनुसूचित जनजाति में आती है या नहीं, तो पाया गया कि उसने अपने नाम में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। इस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के कारण भी इन लोगों को लाभ नहीं मिलता है।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक योजना चलाई गई है। ऐसे लोग जो भूमिहीन हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास रोजी–रोटी के साधन नहीं हैं और एक एकड़ भी भूमि नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक–दो एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए योजना चलाई है। देखने में आ रहा है कि वह भूमि भी जो बड़े–बड़े सम्पन्न लोग हैं, वे अपने लोगों के नाम से आवंटित करा लेते हैं, लेकिन रिकार्ड में उन लोगों का नाम ही होता है और वास्तव में वे हकदार नहीं होते हैं। जब उनके घर में कोई दुखद घटना होती है या शादी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को एक–दो हजार रुपए कर्ज दे दिया जाता है और बन्धुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है। इस तरह का शोषण अनेक राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ देखने को मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग छोटे–छोटे कामों में लगे हुए हैं। थोड़े प्रतिशत ही लोग ऐसे हैं, जो सर्विस तक पहुंचे हैं या अच्छे काम–धन्धे में लगे हुए हैं। अधिकांश लोग मजदूर बनकर ही काम कर रहे हैं, चाहे वे बीड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे ईंट–भट्टे में काम कर रहे हैं। ये लोग छोटे काम करके ही अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे हैं।

अंत में, मैं इन विधेयकों का समर्थन करते हुए, माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के नाम पर जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इसको रोकने के लिए वे सख्त कदम उठाएं। इसके साथ ही जिन जिलों में इन लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, उसको राज्य सरकार की सूची में शामिल किया जाए और जिनको प्रदेश की सूची में शामिल किया गया है, उनको सारे देश में उस श्रेणी में शामिल किया जाए, तभी उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं इन विधेयकों का समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) :** माननीय सभापति महोदय, इतने वर्ष बाद, संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के बारे में लाए गए विधेयकों का मैं पूरा समर्थन करता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से इन विधेयकों का प्रस्ताव करने वाले डा. जटिया को भी बधाई देता हूं। कम से कम, आप लाल फीताशाही को समाप्त करके आगे तो आए। आपने कम से कम अ.ज. और अ.ज.जा. की 8 जातियों को मान्यता देने का प्रयास किया। किंतु साथ ही, मुझे बड़े दुःख के साथ और जहां तक मुझे जानकारी है, कहना पड़ रहा है कि जब भी चौथी–पांचवीं लोक सभा से तेरहवीं लोक सभा तक इस सम्माननीय सभा में अ.जा./अ.ज.जा. आयोग के प्रतिवेदनों को उठाया गया तभी पूरे दिन की चर्चा की मांग भी उठाई गई। हम भी इसके बारे में पूर्ण, व्यापक विधेयक चाहते थे, किंतु यह विधेयक तो आंशिक है, पूर्ण विधेयक कहां है? कुछ समय पूर्व आपने दोनों पक्षों के सदस्यों से सुना होगा कि अभी भी इतनी जातियां और जनजातियां हैं कि वे सब इस विधेयक में शामिल नहीं की जा सकतीं। महोदय, मुझे पता है कि आप स्वामी विवेकानन्द के परम अनुयायी हैं और माननीय मंत्री श्री जटिया भी स्वामी विवेकानन्द के अनुयायी हैं। स्वामी जी ने कहा था, "ओ भारत ! यह मत भूलो कि ये गरीब देशवासी, ये देशवासी जिनके पास खाने को अन्न नहीं है, ये निरक्षर भारतीय, मोची लोग, सफाईकर्मी, ये सब के सब आप ही का खून हैं, आप ही के भाई हैं।" क्या इनके बिना भारत प्रगति कर सकता है? यह असम्भव है। यदि कुछ लोग सोचते हों

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

कि अ.जा. और अ.ज.जा. को नजरअंदाज करके भारत प्रगति कर लेगा तो यह उनकी भूल होगी।

माननीय मंत्री जी, मैं आपकी भी थोड़ी प्रशंसा करूंगा। आपके विधेयक के "उद्देश्यों और कारणों का कथन" में यह कहने का प्रयास किया है कि 15 जून, 1999 को जैसे ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग तथा भारत के महारजिस्ट्रार ने आपको इन आठ जातियों और जनजातियों के बारे में सूचित किया, आपने उन्हें शामिल कर लिया। कई माननीय सदस्यों ने मेरा नाम कई बार लिया है। वर्ष 1996 में मुझे संविधान सुधार समिति का सभापति नियुक्त किया गया था समिति में दोनों पक्षों से श्री घाटोवार, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जैसे अन्य सदस्य थे। हमने प. बंगाल, असम, मेघालय, उड़ीसा जैसे राज्यों और अन्य स्थानों का दौरा किया। हमने लोक सभा सचिवालय के स्टाफ के साथ मिल कर इसके लिए कड़ी मेहनत की। काफी काम करने और असंख्य पत्रों को पढ़ने के बाद हमने 14 अगस्त, 1997 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। सभापति महोदय, आप भी मानेंगे कि यह तारीख 15 जून, 1999 से काफी पहले की थी। इसलिए यह प्रश्न निश्चित रूप सें उठाया जाएगा कि पहले वाले प्रतिवेदन को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया और अब बाद वाले को कार्यान्वित करने पर विचार क्यों किया जा रहा है। यह क्यों नहीं किया गया, किसके लिए नहीं किया गया और किसने इसे नहीं होने दिया? विधेयक में आपने कहा है कि इसे क्यों जरूरी समझा गया। इसके बारे में आपने विस्तार से कहा है कि नर्मदा बांध परियोजना के कारण जो लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्थापित हो गए थे उनका पुनर्वास गुजरात में किया गया। उनके नाम गुजरात की अ.जा./अ.ज.जा. की सूची में शामिल किए जाने हैं। कोई भी, किसी भी पक्ष से इसका विरोध नहीं करेगा। किंतु अगर केवल यही हुआ है तो ऐसे लोग जो विभाजन के पश्चात बेघर हो गए थे उन्हें भी विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जैसा कि एक माननीय सदस्य श्री सनत कुमार मंडल ने कहा देश का विभाजन जनता ने नहीं बल्कि नेताओं ने किया। ये नेता कांग्रेस के या हिंदू महासभा के या मुस्लिम लीग के हो सकते हैं। परंतु पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल में शरणार्थी के रूप में आए लाखों लोगों को पुनर्वास हेतु आगे मध्य प्रदेश, उड़ीसा या दण्डकारण्य या मानाकैंप या अंडमान द्वीप समूह भेजा गया। इन्हें प. बंगाल से क्यों भेज दिया गया? उन्हें उन क्षेत्रों में अ.जा. और अ.ज.जा. के रूप में मान्यता नहीं मिल सकी। यही कारण है कि अब हमें एक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है। श्री घाटोवार यहां हैं, वे कह सकते हैं कि उनके पूर्वज असम के नहीं बल्कि झारखंड के थे। वह क्षेत्र जिसे आज झारखंड कहा जाता है। अंग्रेज झारखंड और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को चाय के बागानों में काम करने के लिए असम ले गए थे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम यहां कई बार उठाया गया है, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे इस संबंध में भी अपने विचार व्यक्त करने दें।

हम इन चाय के बागानों से हर वर्ष करोड़ों की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। और वहां काम करने वालों को चाय–जनजाति कहा जाता है। क्यों? वहां राजवंशी कोच तथा अन्य जातियों को सामान्य की श्रेणी में रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, संथाल, ओरांव, मुंडा–क्या आप कह सकते हैं कि संथाल जनजाति नहीं हैं, ओरांव जनजाति नहीं हैं, मुंडा जनजाति नहीं हैं? ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? यदि प. बंगाल में वे अ.ज.जा. हैं तो असम में उन्हें अ.ज.जा. क्यों नहीं माना जा सकता? जब ये लोग असम और मेघालय पहुंच जाते हैं तो उन्हें अ.जा. या अ.ज.जा. नहीं माना जाता, बल्कि सामान्य और चाय जनजाति माना जा रहा है। मेरे सभापतित्व में जो समिति गठित हुई थी उसने सिफारिश की थी कि इन लोगों को भी इसमें लिया जाना चाहिए। असम में उस क्षेत्र के लोग इस तरह से ही सोचते हैं तथा कुछ इसके विपरीत भी सोचते हैं। वे सोचते हैं कि यदि यह जाति बढ़ कर 1 करोड़ से अधिक हो जाती है और उन्हें जनजाति में शामिल कर लिया जाता है तो पूरा राज्य ही जनजातीय राज्य बन जाएगा। केवल इसी डर या आशंका के कारण यह विधेयक नहीं लाया गया था।

माननीय सभापति महोदय, अ.जा. और अ.ज.जा. के इन लोगों के दुःखों और कष्टों का बखान मैं किस प्रकार करूं। मैं माननीय मंत्री श्री जटिया से अनुरोध करूंगा आप आगे आए हैं, कृपया थोड़ी तेज गति से और आगे कदम बढ़ाइए यदि आप इसके ऊपर छायी लाल फीताशाही को समाप्त नहीं कर सकते तो अ.जा. और अ.ज.जा. के ये लोग भारत में स्वतंत्रता का सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यदि आप व्यापक विधेयक लाएं तो यह स्वतंत्रता वास्तविकता में बदल सकती है। ऐसा विधेयक जिसके माध्यम से हम कह सकें कि ये गरीब, निस्सहाय,

[श्री अमर रायप्रधान]

मोची, सफाईकर्मी ये सब संवैधानिक रूप से भारतीय ही हैं। यहां रोजगार का प्रश्न भी उठाया जा सकता है। माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। क्या वे बताएंगे कि किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत कुल 22.5 प्रतिशत का कोटा पूरा हुआ है? माननीय जटिया साहब, मुझे बताइए कि क्या बैंकों में, भारतीय जीवन बीमा निगम में या भा. रि. बैं. में या नाबार्ड में—कहीं भी यह कोटा पूरा किया गया है? ऐसा क्यों नहीं किया गया? किस बात की जरूरत है? आपको रोजगार के लिए केवल स्नातक डिग्री चाहिए। अ.जा. और अ.ज.जा. के कितने ही नौजवान हैं जिनके पास बी.ए. की डिग्रियां हैं। योग्यता के बारे में क्या है? ऐसे अनेक हैं जो चोरी के जुर्म में जेल में डाले गए हैं? क्या वे केवल वही योग्य हैं?

माननीय महोदय, अब मैं अपनी बात पूरी करूंगा परंतु उससे पहले मैं केवल एक अनुरोध करूंगा। माननीय प्रियरंजन दासमुंशी ने नोशो शेख और सेहराबरदी शेख के बारे में बात की है। वे विशेषकर कूचबिहार जिले के मुस्लिम हैं। जब कूचबिहार एक रजवाड़ा था तब मुगलों और कूचबिहार के राजा के बीच एक युद्ध हुआ था। उस समय इन लोगों का धर्मान्तरण हुआ था। परंतु वे अब भी दस्तावेजों और विलेखों में नोशों शेख ही लिखते हैं। उनकी पहचान अति पिछड़े वर्गों के रूप में की गई है परंतु यह पर्याप्त नहीं है। नोशो शेख सेहराबरदी शेख से संबंधित लोगों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यदि उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में शामिल नहीं किया जाता है तो नीतीश बाबू, आप अवश्य यह बात जानते हैं क्योंकि आपको कूचबिहार के जिला मजिस्ट्रेट (डी एम) के रूप में तैनात किया गया था, वहां वे विलेखों में शेख लिखते हैं। अगर मामला ऐसा है, तो उन्हें भी इसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे एक व्यापक विधेयक लाएं। माननीय मंत्री महोदय, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो गात कही थी, उसे मत भूलिए। उन्होंने कहा था, "आप जिन्हें पीछे खींच रहे हैं, वे आपको ही पीछे की ओर ले जाएंगे।" यदि आप उन्हें पीछे की ओर खींचते हैं तो आप भी आगे नहीं जा पाएंगे, आपके पास वह शक्ति नहीं होगी, समस्त देश पीछे की ओर चला जाएगा मैं इसके संबंध में आपको चेतावनी देता हूं और आपका आभार भी प्रकट करता हूं।

चेतावनी के इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी दो विधेयक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित लाए हैं। एक विधेयक के माध्यम से प्रस्ताव है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की ऐसी कतिपय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जो सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हो गए हैं और गुजरात में बसाए जा रहे हैं, उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में स्वीकार किया जाए। मैं समझता हूं कि इस में कोई दो राय नहीं हो सकती, असहमति नहीं हो सकती। यह स्वागत योग्य कदम है। जब मध्य प्रदेश में उन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिली हुई है, गुजरात में भी उन्हें वही सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए इस विधेयक का स्वागत होना चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरे विधेयक में पंजाब, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है। इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। जो पिछड़ी जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, उन्हें विकास के नए अवसर मिलने चाहिए, उन्हें राजकीय सहायता मिले, मैं इस विधेयक का भी स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, मुझे इस संबंध में दो बातें कहनी हैं। मैं कोई लम्बा भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं।

सभापति महोदय : ठीक है, समय भी नहीं है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समाज एक परम्परावादी समाज रहा है और हमारे यहां जो जातीय व्यवस्था रही है वह पहले कर्म पर आधारित जाति व्यवस्था होती थी। बाद में जन्म पर आधारित व्यवस्था के लागू होने से अनेक तरह की विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। किसी ब्राह्मण के चार पुत्रों में से अगर चारों अलग-अलग काम करते थे, यदि उनमें से कोई शिक्षा का काम करता था, कोई सफाई का काम करता था, कोई सुरक्षा का काम करता था और कोई खेती का काम करता था तो अपने-अपने काम

के अनुसार उनकी जाति विभाजित होती थी। वे जन्म के कारण ब्राह्मण नहीं हो जाते थे। हमारी पुराण और उपनिषद में ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। बाद में यह व्यवस्था बदल गई और ठाकुर का पुत्र ठाकुर, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का पुत्र अनुसूचित जाति का ही माना जाएगा, वह अछूत और अस्पृश्य ही माना जाएगा, यह एक विसंगति हमारे समाज में पैदा हुई है। उसी का परिणाम है कि हजारों वर्षों से बहुत सारी जातियां पिछड़ती चली गईं। उन्हें विकास करने का अवसर नहीं मिला। अन्ततः आजादी के बाद जब देश में हमारी सरकार बनी तो 1950 में हमने इसे रेगुलेट किया, उसके लिए संविधान में प्रावधान किया और हमने अनुसूचित जातियों की सूची बनाई।

सभापति महोदय, मैं एक विसंगति की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में धीवर जाति है। वहां अनेक क्षेत्रों में इसी जाति के अनेकों नाम हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत बड़ा प्रान्त है, कहीं उन्हें केवट कहते हैं, कहीं उन्हें कहार कहते हैं, कहीं उन्हे रैक्वार कहते हैं और कहीं उन्हें धीवर कहते हैं। यह वह जाति है जो मछली पालन का काम करती थी, नाव चलाने का काम करती थी। उस तरफ बैठे हुए लोगों को केवट संवाद पूरी तरह से याद होना चाहिए। भगवान राम को केवट ने पार लगाया था, इसलिए उनका स्मरण होना ही चाहिए। यह काफी पुरानी जाति है। ये आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं और वहीं पर अपना काम करते हैं। नदियों के किनारे रहते हैं और तालाबों और नदियों से मछली इत्यादि पकड़कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रान्तों में अनुसूचित जाति और जनजाति की श्रेणी में उनका नाम रखा जाए, इस बात के लिए उनकी लम्बे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन उस पर अभी तक गंभीरता से विचार नहीं किया गया। मुझे इस बात पर आपत्ति है और मैं पुरजोर मांग करना चाहता हूं कि धीवर जाति के जो विभिन्न नाम हैं, इसमें जो भी आपकी प्रक्रिया है, इसके लिए आपको प्रदेशों से राय मांगनी है या नेशनल कमीशन से पूछना है या जो भी संस्तुति आपको लगानी है, वह सब काम करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए, उन लोगों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए और उन्हें अनुसूचित जाति और जनजातियों में शामिल किया जाना चाहिए।

दूसरी एक और विसंगति की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भोपाल, सीहोर और रायसेन इन तीन जिलों के अंदर धोबियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। वहां धोबी अनुसूचित जाति के माने जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के बाकी 42 जिलों में उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में कोई अंतर नहीं है। आज भी उनके साथ अनुसूचित जाति के लोगों जैसा व्यवहार किया जाता है। शैक्षणिक रूप से वे बहुत पिछड़े हुए हैं। सामाजिक रूप से जो तिरस्कार प्रताड़ना अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होती है, वह उनके साथ भी होता है। लोगों में यह मान्यता है कि ये गंदे कपड़े धोते हैं, मैला धोते हैं। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जो अनुसूचित जाति में मेहतर जाति के लोग हैं, वे भी उनका छुआ पानी नहीं पीते हैं। मेरे क्षेत्र में मेरे सामने एक हादसा पेश आया। कुछ अनुसूचित जाति के लोग मेरे पास शिकायत लेकर आए कि हम चाय की दुकान चलाते हैं, कुछ सवर्ण लोग हमारे हाथ की छुई चाय नहीं पीते हैं। मैंने कहा कानूनन यह गलत है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं वहां पहुंचा।

सभापति महोदय, जो सामान्य वर्ग के लोग थे, अर्थात् सवर्ण थे, उनको बुलाकर मैंने कहा कि इनके यहां चाय पीजिए। मैं इनकी दुकान पर चाय पी रहा हूं। आप भी पीजिए। उन्होंने कहा कि हम इनकी दुकान पर चाय पीने के लिए तैयार हैं। हम मेहतर की दुकान पर चाय पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक धोबी को बुला लीजिए और अगर यह मेहतर उस धोबी के हाथ की बनी चाय पी, ले, तो हम मेहतर की दुकान की चाय पीने के लिए तैयार हैं। मेहतर भी धोबी के हाथ की चाय पीने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस उदाहरण के माध्यम से यह बता रहा हूं कि आज समाज में धोबी का सामाजिक स्थान क्या है और यही स्थिति समूचे प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी है।

सभापति महोदय, बड़ी अजीब बात यह है कि इसी प्रदेश के किसी भाग में आप एक जाति को अनुसूचित जाति मानें और दूसरे हिस्से में उसी जाति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अवस्था एक समान होते हुए भी उसे आप अनुसूचित जाति का नाम न दें, यह बहुत बड़ा अन्याय है।

महोदय, यह अन्याय और बड़ा तब हो जाता है जब 1998 में मध्य प्रदेश की विधान सभा ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया और यह सर्वसम्मत संकल्प पारित कर के केन्द्र सरकार को भेजा कि

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

"यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश के रजत धोबी समाज को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत शामिल किया जाए।"

उपर्युक्त संकल्प क्रमांक 22, शुक्रवार, दिनांक 03 अप्रैल, 1998 को मध्य प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। उसकी एक नकल मेरे पास है। जब सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश की विधान सभा और मध्य प्रदेश शासन इसके लिए प्रस्ताव भेज चुका है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या केन्द्र के स्तर पर नहीं होनी चाहिए।

महोदय, सबसे विचित्र और सबसे बड़ी विसंगति की बात यह है कि एक लोक सभा क्षेत्र के दो जिलों में भी यह विसंगति देखने को मिल जाएगी। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी यहां नहीं हैं। वे विदिशा लोक सभा क्षेत्र से आते हैं। विदिशा लोक सभा क्षेत्र में दो जिले रायसेन और विदिशा हैं। रायसेन में धोबी जाति के लोग अनुसूचित जाति में माने जाते हैं और उसी लोक सभा क्षेत्र के दूसरे जिले विदिशा में धोबी जाति के लोग अनुसूचित जाति में नहीं हैं। कितनी बडी विसंगति है कि एक ही लोक सभा क्षेत्र में पड़ने वाले दो जिलों में रहने वाले एक ही जाति के व्यक्तियों को एक जिले में अनुसूचित जाति की सुविधाएं प्राप्त हैं और दूसरे जिले के उसी जाति के लोगों को उस सुविधा से वंचित रखा गया है।

महोदय, मेरा शासन से अनुरोध है, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह खुले दिमाग से इस पर विचार करे। इससे सरकार के ऊपर कोई बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ने वाला नहीं है और न ही कोई सांवैधानिक समस्या रह गई है क्योंकि मध्य प्रदेश विधान सभा ने पहले ही केन्द्र सरकार को सर्वसम्मत प्रस्ताव प्रेषित किया हुआ है। इसलिए मैं माननीय जटिया जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप धोबी समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश की विधान सभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुए समूचे मध्य प्रदेश के धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय यथाशीघ्र लें और इनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करें।

महोदय, इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ढीमर, केवट, कहार, धीवर और किरार जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की भी जो प्रक्रिया नियमानुसार है, जो कार्रवाई करनी है, वह भी पूरी की जानी चाहिए जिससे इन जातियों के लोगों को अपना भाग मिल सके, इनको न्याय मिल सके जो अभी तक नहीं मिल पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ में इन दोनों विधेयकों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

डा. संजय पासवान (नवादा) : सभापति जी, ये जो दो विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं। इनके माध्यम से 18 शेड्यूल्ड कास्ट्स और 19 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस पकार 37 जातियों को जो अन्याय से परेशान थीं, त्रस्त थीं, इनके पारित होने से उन्हें न्याय मिलेगा।

महोदय, इसमें दो कारण प्रमुख रहे हैं। एक तो विस्थापना, डिसप्लेसमेंट रहा है और दूसरा माइग्रेशन रहा है। इन दोनों के कारण लोग अपने घर–द्वार, राज्य और प्रान्त छोड़कर विभिन्न जगहों में जाते हैं। खासकर सम्मान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए वे जहां जाते हैं वहां उनको उस जाति के हिसाब से सुविधा न मिले, जिस जाति की सुविधा उनको अपने गृह प्रदेश में उपलब्ध है तो मानवीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से उनके साथ बड़ा अन्याय होता है। इसलिए डिस्प्लेसमैंट के बाद जिन जातियों का प्रांत बदल गया था, उस प्रांत में वे अनुसूचित जाति–जनजाति की सूची में थे, मंत्री जी ने उनको इस बिल के माध्यम से जो सुविधा देने का प्रस्ताव किया है, वह एक अच्छा कदम है। इसके साथ ही साथ हम यह कहना चाहेंगे कि दिल्ली जो राष्ट्र की राजधानी है और जहां देश के चारों कोनों से, दसों दिशाओं से लोग काम की तलाश में, मजदूरी करने के लिए, सम्मान की खातिर आते हैं, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली में भारत के जिस भी कोने से लोग आते हों, उनका जो प्रांत है, उस प्रांत में अगर वे अनुसूचित जाति–जनजाति की सूची में हैं तो दिल्ली में भी उनको वही दर्जा मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार से अनुसूचित जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में मजदूरी के लिए आते हैं। खासकर जिस जाति से मैं आता हूं, हमारी जाति दुसाध और उपजाति पासवान है। पासवान जाति के लोग बड़े मेहनती, पराक्रमी, श्रमिक और एडवेंचर किस्म के होते हैं। उन्होंने मारिशस, फिजी आदि में जाकर अपने परिश्रम से एक पहचान बनाई है। आज निश्चित तौर से इस देश में खासकर दिल्ली में उस समाज की बहुत बड़ी आबादी है। उसके अलावा मुशहर समाज है, नौनिया समाज है जिसके लिए

आप लड़ते रहे हैं। इन समाजों को भी यहां वही दर्जा मिलना चाहिए। मेरा कहना है कि इन जातियों के लोग अपने राज्य में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां उनका सम्मान नहीं है। सामाजिक दृष्टि से भले ही उन्होंने कुछ धन कमा लिया हो लेकिन उनका सम्मान नहीं है। वे चाहते हैं कि हम दिल्ली में ही रहें। दिल्ली में उन्हें दर्जा कैसे मिले, इसके लिए हमने प्रयास किया है। भाई राम विलास पासवान जी एन.डी.ए. में नहीं रहे, उन्होंने यह प्रयास किया था। पासवान समाज को, मुशहर समाज को, धोरी समाज को दिल्ली में वहीं दर्जा मिलेगा तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह बहुत कल्याणकारी कदम होगा। यदि आज यह कहा जाए कि अनुसूचित जाति–जनजाति के कौन–कौन से लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं तो शायद कोई जाति ऐसी नहीं होगी जो यह कहे कि हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। यह उपाय, यह प्रावधान कब तक चलने वाला है?

मेरा कहना है कि एक पावर्टी एलीविएशन मंत्रालय है जो अर्बन अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मंत्रालय से पावर्टी एलीविएशन मिनिस्ट्री का कोई संबंध बने। जब तक पावर्टी का एलीविएशन नहीं होगा, चूंकि इसका दलितों, आदिवासियों, बनवासियों, पिछड़ों और गरीबों का संबंध है इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मंत्रालय एवम् सशक्तिकरण के लिए पावर्टी एलीविएशन मिनिस्ट्री जो अलग से बनी है, उसका तालमेल इस मंत्रालय से होना चाहिए उसको इस मंत्रालय में जोड़ा जाए। जब तक गरीबी पर, बेरोजगारी पर, बेकारी पर हम हमला नहीं करेंगे, तब तक यही हालत रहेगी।

एक समय था, हमारे भाई चतुर्वेदी जी ने बताया कि ऐसा प्रसंग है लेकिन यह प्रसंग बहुत बार दिखाई नहीं पड़ता। वहां चाय नहीं पीएंगे, वहां यह नहीं करेंगे, ये बातें खत्म हो गई हैं। अब हम लोग चाय पीने के लिए व्याकुल रहते हैं कि हमको पासवान जी चाय पिलाएं, राम साहब चाय पिलाएं। लेकिन इसके बाद भी बुनियादी बात है कि कैसे गरीबी दूर हो। इस पर हम सबको हमला करना चाहिए। इसके लिए समुचित उपाय करने चाहिए।

मैं दो–तीन बातों के लिए बधाई देना चाहूंगा कि देश में जो तीन रिपोर्ट आई हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण है। भाई चतुर्वेदी जी ध्यान दीजिए। आप जिस राज्य से आते हैं, उस राज्य के मुख्य मंत्री ने एक दस्तावेज पास किया है, उनकी उपस्थिति में हुआ है। मैं उनकी सराहना करता हूं। उसमें नया आस्पैक्ट लिया गया है कि दलित, बनवासी समाज को व्यवसाय, व्यापार और भूमि से कैसे जोड़ा जाए। यह एक अच्छी बात है क्योंकि अब नौकरियां खत्म हो रही हैं, निजीकरण हो रहा है, विश्व व्यापारीकरण हो रहा है। ऐसे में इस वर्ग की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके लिए एक पहलकदमी की गई है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि स्कूल, कालेज के लिए जो खरीदारी होगी, वह हम ऐसे उत्पादकों से करेंगे जो दलित समाज के हैं। यह जो शुरूआत हुई है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। जो बैरन जमीन पड़ी हुई है, उस पर उनको मालिकाना हक दिला कर एक प्रयास होना चाहिए। उन्होंने वह प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो।

संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट आई है। वह किसी पार्टी को सूट नहीं कर रही है, इसलिए वे उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। मगर उसमें सामाजिक न्याय के संबंध में कमजोर वर्गों के लिए जो 50 पन्ने दिए गए हैं, यदि उन्हें देखें तो निश्चित तौर पर अगले 50 सालों में कैसे उनका कल्याण हो सकता है, यह बताया गया है। यहां जो निजीकरण का दौर चल रहा है, डब्ल्यू.टी.ओ. का प्रावधान लागू होने वाला है, उसके बावजूद भी इस संदर्भ में कैसे इन वर्ग के हित का कल्याण हो सकता है, उसमें यह प्रावधान किया गया है।

तीसरा, प्लानिंग कमीशन ने जो ह्यूमन डैवलपमैंट रिपोर्ट दी है, बिहार, उत्तर प्रदेश आज भी उस इन्डैक्स में सबसे पीछे आता है। उसके लिए कैसे काम होगा। मैं चाहता हूं कि इन तीन उपायों पर चर्चा होनी चाहिए, सेमिनार हो, वर्कशाप हो। मंत्रालय यह देखे कि नौकरी के अलावा और कहां इस वर्ग के हित की सुरक्षा की जा सकती है, उनके लिए कैसे उपाए किए जा सकते हैं। हमारे सामने यह अहम प्रश्न है। जो अच्छा प्रयास उन्होंने किया है, वह लघु है। यदि वह आगे भी चलता रहे तब ईमानदारी से इस वर्ग का कल्याण, उत्थान और उन्नयन हो सकता है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : डा. जटिया एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं। टोटल 34 जातियां हैं जिनमें से 25 जातियां शैड्यूल्ड कास्ट की हैं और 9 जातियां शैड्यूल्ड ट्राइब्स की हैं, जिनको शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में समाविष्ट करने के बारे में भारत सरकार द्वारा

[श्री रामदास आठवले]

आपने अच्छा निर्णय लिया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार की तरफ से जो भी विधेयक आता है, बहुत बार हमने उनका विरोध किया है लेकिन अच्छे काम को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। मेरी मांग है कि हर बार इसी तरह का विधेयक नहीं लाना चाहिए। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में जिन जातियों के नाम हैं, अगर उन जातियों के लोग किसी दूसरे राज्य में जाएं और वहां की लिस्ट में उनका नाम न हो लेकिन भारत सरकार की लिस्ट में हो, तो इसे देखा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य में जाने के बाद केन्द्र की सुविधा मिलती है। मेरा सुझाव है कि बाद में आप ऐसा विधेयक लाएं कि भारत सरकार की सूची में जिन जातियों के नाम हैं, अगर वे किसी भी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उस राज्य की रिजर्वेशन का फायदा उनको मिलना चाहिए। अगर इस तरह का विधेयक आता है तो हर बार विधेयक लाने की जरूरत नहीं होगी। इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि महाराष्ट्र में विमुक्त जाति या मेमेडिक ट्राइब एक जमात है जो सोशली, इकोनोमिकली और एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हैं, उनका नाम मंडल कमीशन में है, जो 27 परसेंट रिजर्वेशन उनको मिला है...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया (चन्दपुर) : इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है तो हाउस में कम से कम हमें भी बोलने दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी वे बोल रहे हैं।

श्री रामदास आठवले : मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र में एक फिजेएण्टी कम्युनिटी है, मेमेडिक ट्राइब्स हैं, विमुक्त जातियां हैं, उनका जनसंख्या अनुपात 3.5/4 परसेंट था, जब मैं महाराष्ट्र स्टेट में सोशल वैलफेयर मिनिस्टर था, तब हमने उनके लिए एक थर्ड शैड्यूल बनाया था और फिजेएण्टी समाज के लिए तीन परसेंट रिजर्वेशन हमने अलग से रख दिया। मेरा जटिया साहब से कहना है कि जो फिजेएण्टी समाज महाराष्ट्र में है, इस समाज के लिए भी आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आवश्यकता पूरी करते हुए...*(व्यवधान)*

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : जो आपने कह दिया, वह सब मान लिया जाएगा।

श्री रामदास आठवले : मान लिया जाएगा, मानना ही होगा, जब तक ये मिनिस्टर हैं, तब तक सब मानना ही होगा। जो रिजर्वेशन हमको मिला है, यह कोई भीख नहीं है, यह तो हमारा हक है। महात्मा गांधी जब पूना के पास यरोडा में अनशन कर रहे थे तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की उनके साथ बातचीत हुई। महात्मा गांधी का अनशन छोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की उनकी जो मांग थी, उस मांग को उन्होंने छोड़ा और कहा कि अगर आरक्षण दिया जाता है तो मैं इस मांग को छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसीलिए महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के सिग्नेचर से पूना पैक्ट हुआ। इसीलिए फिर इस देश का संविधान बाबा साहेब को लिखने का मौका मिला।

"अगर मेरा भीम संविधान का शिल्पकार न होता,

तो आरक्षण का निर्णय कभी नहीं होता, दलितों का आरक्षण न होता,

तो सरकार की खटिया खड़ी करने के लिए मैं यहां नहीं आता,

मैं यहां नहीं आता तो जटिया जी आपका हाल क्या होता,

वे लाख बुरा चाहें तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता,

क्योंकि तुम्हारा मेरे से नाता है, इसलिए आपका कुछ नहीं होता।"

आप अच्छे मंत्री बने हैं। हमारा कहना इतना ही है कि इस तरह आपने एक अच्छा काम करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आन्ध्र प्रदेश में रेड्डी कम्युनिटी है और एक कोण्डारेड्डी नाम की कम्युनिटी शैड्यूल्ड ट्राइब्स में होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रेड्डी समाज के लोग कोण्डारेड्डी का सर्टिफिकेट लाकर वहां रिजर्वेशन का फायदा बहुत सी जगह पर एम.बी.बी.एस. और इंजीनियरिंग में लेते हैं। ऐसा जहां–जहां भी होता है, उसकी भी जांच होने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में माना कम्युनिटी और हल्बा कम्युनिटी हैं, उनकी भी कई सालों से मांग यह है कि हमारा अनुसूचित जाति में अन्तर्भाव होना चाहिए, मगर अगर शैड्यूल्ड ट्राइब्स में कुछ जातियों को आप लाने का प्रयत्न करते हैं तो शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का विरोध है, शैड्यूल्ड कास्ट्स में भी अगर कुछ जातियों को लाते हैं तो उनका भी विरोध

इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि रिजर्वेशन हमको कम मिल रहा है और इसलिए नई जातियों का अन्तर्भाव उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ जातियां मंडल कमीशन में हैं, उनको अनुसूचित जाति, जनजाति में अन्तर्भाव करने की आवश्यकता है, यदि प्राब्लम है तो मेरी मांग यह है कि उनके लिए 5–6 परसेंट अलग से रिजर्वेशन रखकर उनके लिए अलग सूची बनाने की आवश्यकता है, यह भी हमारा सुझाव इसमें है। मंडल कमीशन में मुस्लिम समाज के कम से कम 80 परसेंट लोग हैं। मेरा कहना यह है कि मंडल कमीशन में उनकी जातियां हैं, जैसे अंसारी है और भी दूसरी कुछ जातियां हैं, उनके लिए 10 परसेंट रिजर्वेशन मंडल कमीशन के 27 परसेंट रिजर्वेशन में से मुस्लिम समाज के लिए रखने की आवश्यकता है। क्रिश्चियन में भी कुछ लोग कन्वर्ट हुए हैं, जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग थे, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग थे।

उनके लिए अलग से रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। उन्होंने धर्म बदल दिया है इसलिए उनको आरक्षण न देना यह भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत का संविधान सेक्यूलर है और सभी धर्मों का समर्थन करता है। इसलिए यदि किसी ने धर्म बदल लिया और वह यदि अनुसूचित जाति या जनजाति का था और इसका प्रमाण पत्र दे दे उसके लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जटिया जी इस पर विचार करें। आपके पहले जब मैडम मिनिस्टर थीं, तब हमने उनसे कई बार चर्चा की थी, लेकिन यह बिल नहीं आ सका। अब यह बिल यहां पेश हुआ है। आप थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ढाई साल तक और भी अच्छा काम करें। अभी आपको कोई खतरा नहीं है। कल तक खतरा था, लेकिन वह अब दूर हो गया है। आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग परेशान हैं इसलिए कि आपके वोट कैसे इतने बढ़ गए, यह अब हमें मालूम हो रहा है।

मनु स्मृति का नहीं चलेगा अब राज,
क्योंकि संविधान बहुत मजबूत हुआ है देश में आज।
मनु स्मृति की बात करने वालो रखो संविधान की लाज,
नहीं तो देखते–देखते चला जाएगा तुम्हारा राज।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सायं 6 बजे

[अनुवाद]

श्रीमती संध्या बौरी (विष्णुपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे दो विधेयकों अर्थात् संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 तथा संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 के संबंध में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री महोदय इन दो विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए बधाई के पात्र हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि विधेयक के उपबंध में कतिपय ऐसी जातियों और जनजातियों को मान्यता दी गई है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पचपन वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसे अनेक समुदाय, जातियां और जनजातियां हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़ी हुई हैं।

आज का दिन हमारे लिए प्रसन्नता का दिन है क्योंकि पश्चिम बंगाल के 'चैन' समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इस समुदाय के लोग मुख्य रूप से मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर एवं दक्षिण दीनाजपुर जिलों में रहते हैं। इस समुदाय के लोग अपनी पहचान के लिए लम्बे समय से आंदोलन करते रहे हैं। लम्बे समय तक चले आंदोलन के बाद उनकी मांग मान ली गई तथा तीन वर्ष पहले पश्चिम बंगाल विधान सभा ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित कर इस विशेष समुदाय को अ.जा. का दर्जा प्रदान करने की वकालत की। इस संबंध में भारत के महारजिस्ट्रार की अनुमति ली गई और आज इस समुदाय ने वह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है जिसके लिए वे निरंतर संघर्ष करते रहे थे। इस समुदाय के साथ–साथ 'लायक' जैसे अन्य समुदाय हैं जो अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। उनके मामले के संबंध में नवीनतम पत्राचार 19.1.2001 को किया गया। अनेक अन्य ऐसे समुदाय हैं जो लम्बे समय से आंदोलन करते रहे हैं परंतु दुर्भाग्यवश उनके आदोलन का अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है। चूंकि ये लोग अ. जा./अ.ज.जा. की सूची में शामिल नहीं हैं, अतः उन्हें अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए प्रदत्त सुविधा एवं लाभ से वंचित रखा गया है। किन्तु मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में इन लोगों को आदिवासी कल्याण संगठन के माध्यम से कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं। एक अन्य समुदाय "देसवाली माझी" द्वारा अपने समुदाय को सूची में शामिल करने के लिए एक लम्बा आंदोलन चलाया जा रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सभा की सहमति हो तो विधेयक पास होने तक समय बढ़ा दिया जाए।

[श्रीमती संध्या बौरी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : विधेयक पास होने तक समय बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय : सभा की सहमति से विधेयक पास होने तक समय बढ़ाया गया।

[अनुवाद]

***श्रीमती संध्या बौरी** : 1941 तक, उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। 1952 और 1955 में उनकी पहचान संथाल के रूप में थी। तत्पश्चात् पुनः उनकी पहचान आदिम समुदाय के रूप में की गई। 1964 के बाद, अज्ञात कारणों से उन्हें अ.ज.जा. की सूची से हटा दिया गया। पश्चिम बंगाल के आदिवासी कल्याण संगठन ने उन्हें विभिन्न अवसरों पर कतिपय अवसर और सुविधाएं प्रदान कीं। अनेक माननीय सदस्यों ने अ.जा./अ.ज.जा की दशा के बारे में बात की है किंतु जहां तक देसवाली माझी के वंचित समुदाय की बात है उनके पास समुचित निवास स्थान नहीं हैं, आर्थिक स्थिरता नहीं है और वे दयनीय जीवन जी रहे हैं। मैं गर्व के साथ यह कह सकती हूं कि 1977 के बाद मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में अ.ज./अ.ज.जा. के लोगों के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। 1977 के पहले, उन्हें मनुष्य ही नहीं समझा जाता था। धनी लोगों द्वारा उनका अपने लाभ हेतु इस्तेमाल किया गया। आज, वे भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हों किंतु उन्हें मानव की तरह जीवन जीने का सम्मान प्राप्त है। अनेक माननीय सदस्यों ने ऊंची जातियों के व्यवहार के बारे में बताया है। उन्होंने वंचित लोगों को कभी जूते तक पहनने नहीं दिए। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के पास नंगे पांव जाना पड़ता था। ऐसा आर्थिक कारणों से भी हो सकता है कि वे जूते खरीदने में सक्षम नहीं थे। परंतु जूते पहने हुए लोगों को भी ऊंची जाति के लोगों के नजदीक जाने की अनुमति नहीं थी। इस संबंध में हमेशा यह भेदभाव था कि ये लोग गरीब थे और निम्न जाति से संबंधित थे। उस समय अस्पृश्यता संबंधी बुराई भी फैली हुई थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। उन्हें एक कोने में खड़ा कर उनके बर्तनों में पानी डाला जाता था। जब ऊंची जाति के लोग तालाबों में स्नान करते थे, तब उन्हें स्नान नहीं करने दिया जाता था। यहां तक कि उनकी परछाईं से भी परहेज किया जाता था। मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष यह प्रश्न रखना चाहती हूं कि जब हम गली में चलते हैं तो क्या हम अपनी परछाईं को देखते हैं। परंतु मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब वहां उस प्रकार की स्थिति नहीं है। अवश्य ही, भारत के कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति हो सकती है। देसवाली माझी की जनसंख्या लगभग 3.5 लाख है।

अतुल चंद्र माझी पश्चिम बंगाल देसवाली माझी विकास समिति के सचिव हैं। वे और अन्य लोग देसवाली माझियों के मामले को लेकर कई वर्षों से आंदोलन करते रहे हैं। उन्होंने इस समुदाय की अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता की मांग को लेकर संसद की याचिका समिति को एक अभ्यावेदन भी भेजा है। जब समिति ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, तो उसने यह बताते हुए एक प्रतिवेदन भेजा कि देसवाली माझी संथाल जनजाति अथवा आदिम जाति के एक वर्ग से संबंधित है। 1855 में संथाल विद्रोह के पश्चात् उन्हें अलग समूहों के रूप में माना गया। हमने याचिका समिति का प्रतिवेदन देखा है जिसमें देसवाली माझी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की गई है ताकि वे अ. ज. जा. के रूप में अवसरों का लाभ उठा सकें। मैं यह भी सिफारिश करूंगा कि 'लायक' समुदाय को भी अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। मैं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी बताना चाहती हूं कि अ.ज./अ.ज.जा. के कल्याण हेतु आवंटित धन वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत में ही जारी किया जाता है और इसके फलस्वरुप इसका समय पर उपयोग करने का वस्तुतः जरा भी वक्त नहीं मिल पाता है। अनेक कल्याण उपायों की घोषणा की जाती है, अनेक कार्यक्रमों को अपनाया जाता है परन्तु यदि समय पर धन जारी न किया जाए तो उनका कार्यान्वयन कैसे किया जा सकता है। एक बात स्पष्ट है। यदि हम इन 55 वर्षों में अ.ज./अ.ज.जा. की स्थिति को सुधारने संबंधी अपने दृष्टिकोण के प्रति गंभीर हुए होते, तो हमें उनके कार्यक्रम हेतु बजटीय आवंटन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण से हम उनके कल्याण के लिए बजटीय आवंटन प्राप्त करने हेतु अ.ज./अ.ज.जा. के मामले को लेकर अब तक झगड़ रहे हैं। ऐसा अब तक इसलिए हो रहा है क्योंकि हम उन्हें अंगीकार करने संबंधी मानसिक दृष्टिकोण रख पाने में असफल सिद्ध हुए हैं। एक माता के रूप में मैं अ. जा./अ.ज.जा. के उत्थान हेतु कुछ कड़े उपाय करने की अपील कर रही हूं। एक मां हमेशा अपने विकलांग बच्चे की तरफदारी

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

करती है। चूंकि अ.जा./अ.ज.जा. इतने लंबे समय से वंचित रहे हैं, अतः उन्हें राज्य से विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अनेक जातियों और जनजातियों को सूची में शामिल करने हेतु 370 प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ भेजे गए हैं। मैं सरकार से यह आग्रह करती हूं कि वह उनकी मांग पर शीघ्र विचार करे और जल्दी से जल्दी उनके मामले का निपटारा करे।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

सभापति महोदय : सभा की सहमति हो तो विधेयक पास होने तक समय बढ़ा दिया जाये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : विधेयक पास होने तक समय बढ़ा दिया जाये।

सभापति माहोदय : सभा की सहमति से विधेयक पास होने तक समय बढ़ाया गया।

सायं 6.06 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं इन दोनों विधेयकों पर जब एक साथ बहस चलाई जा रही है, तो एक साथ ही इन दोनों विधेयकों को क्यों नहीं लाया गया? विधेयक एक साथ आ जाते, क्योंकि बहस में बातें एक चल रही हैं, लेकिन नाम दो विधेयकों के हैं।

महोदय, उड़ीसा में अनुसूचित जाति की सूची में कुछ जातियों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन दो जातियों को हटाना चाहते हैं। उन्होंने इन जातियों का उल्लेख नहीं किया है। हमको लगता है कि कुछ–न–कुछ गड़बड़ी इसमें जरूर होगी। प्रविष्टि 22 और प्रविष्टि 90 का लोप करना चाहते हैं। प्रविष्टि 25 में चिरवा छिलिया जाति और किनार–किनोर, इन दोनों जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में से हटाना चाहते हैं। इस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा प्रश्न–बिहार में नौनिया जाति सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से अनुसूचित जाति में होनी चाहिए। इस बारे में वहां के समाज अध्ययन संस्थान और राज्य सरकार ने अनुशंसा की है। मैंने भी इस सवाल को दो–तीन बार उठाया है, लेकिन उसके ऊपर महारजिस्ट्रार कोई पेंज लगा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के आयोग से, समाज अध्ययन संस्थान और राज्य सरकार से अनुशंसा है। उसे अनुसूचित जाति में शामिल करने में, नुक्ताचीनी करने का, देरी करने का और जल्दी से शामिल न करने का क्या औचित्य है, यह हम केन्द्र सरकार से जानना चाहते हैं।

महोदय, हम बार–बार यह सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसी तरह से मल्लाह जाति, साहनी जाति, मछली मारने का काम, नोनिया जाति बंगाल में अनुसूचित में है, कई राज्यों में अनुसूचित जाति में है। यह जो सवाल उठ रहा है कि एक ही राज्य में एक ही जिले में वह जाति अनुसूचित जाति में है और दूसरे जिले में पिछड़ी जाति में है। इस तरह से राज्यों में भी फर्क है। वही जाति एक राज्य में अनुसूचित जाति में है और दूसरे राज्य में पिछड़ी जाति में है। इसलिए इसका एक काम्प्रीहेंसिव विधेयक आना चाहिए । अभी भी कई विधेयक लम्बित हैं। फिर एक जाति, जो अनुसूचित जाति में किसी राज्य में है, वहीं दूसरे राज्य में अगर कोई नौकरी करने या किसी काम के लिए जाकर बस गया तो फिर उस परिवार को आरक्षण का लाभ पाने में कितनी कठिनाई होती है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। फिर मल्लाह जाति, साहनी जाति, जो मछली मारने का काम करती है, उनके लिए भी अनुशंसा आई। बार–बार मांग आ रही है कि अनुसूचित जाति के लोगों को, नोनिया जाति के, ये सभी लोग संगठन बना कर जाति का सम्मेलन करते हैं और एक नम्बर प्रस्ताव यही पास करते हैं कि अनुसूचित जाति में हमें जाना चाहिए और समाज अध्ययन संस्थान के मुताबिक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सभी दृष्टिकोण से वे लोग अनुसूचित जाति में रहने लायक हैं। सभी सामाजिक अध्ययन और समाजशास्त्र के जानकार लोग सभी तरह की चीजों को जान कर अनुशंसा करते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। तुरहा जाति, तगमा, पाम, ये सभी छोटी–छोटी जातियां हैं और सभी की हालत खराब है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सभी मामलों में ये पीछे हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है, इसलिए इनका राजनीति पर असर कम होता है। इसलिए ये सभी उपेक्षित हैं। इन चार जातियों का जिनमें काम आगे बढ़ा हुआ है, राज्य सरकार से अनुशंसा आ चुकी है, उसके बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा उसका विधेयक नहीं लाया जा

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

रहा है, इससे इन लोगों में बहुत नुकसान और क्षोभ होता है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि ये चारों जातियां, जो बिहार में हैं–नोनिया जाति, मल्लाह जिन्हें लोग साहनी भी कहते हैं, तुरहा जाति, जो फल वगैरह का काम करती हैं, कुछ जिलों में इनकी संख्या अच्छी है, लेकिन ये हर दृष्टिकोण से बहुत पीछे हैं। तगमा, तांती, पान, ये सभी एक ही जातियां हैं, लेकिन इनके विभिन्न एरियाओं में विभिन्न नाम हैं। इन जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करना चाहिए। मुस्लिम में जैसे– इस्लाम के मूल कानून में जाति–भेद नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि में...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : लालू जी और आप भी एक ही जाति के हो, आपको मुख्य मंत्री नहीं बनाया, राबड़ी जी को बना दिया।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आपको नहीं मालूम है, जाति का हिसाब करेंगे तो लालू जी यादव हैं और वह पिछड़ी जाति में हैं, मैं फारवर्ड में हूं।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कुमार : पार्टी तो एक ही है।...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पार्टी तो एक ही होती है ...*(व्यवधान)* लेकिन उसमें अलग–अलग जाति के लोग रहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : आचार, विचार, संस्कार और बोलने की शैली तो एक ही है, फिर आपको मौका मिलना चाहिए था।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस मंत्रिमंडल में दो सदस्य हैं, जो कविता करते हैं–एक प्रधानमंत्री जी हैं और एक सत्य नारायण जटिया जी हैं। प्रधानमंत्री जी और सत्यनारायण जटिया जी की क्या जाति है, दोनों कवि हैं। इसलिए कई मामलों में जाति अलग–अलग रहने से भी मेल खा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस्लाम के सिद्धांतों में जाति–व्यवस्था नहीं है लेकिन हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में जिस प्रकार से हिंदुओं में विभिन्न जातियां हैं उसी प्रकार से मुसलमानों में विभिन्न जातियां हो गयी हैं। उसमें भी कुछ जातियां कलार, वक्खो, राइम ऐसी जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में रहने के लायक हैं। उनकी भी आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक हालत ठीक नहीं है। इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि यदि उन्हें शामिल किया गया, तो आपको उनका प्रतिशत भी बढ़ाना पड़ेगा? आपको इसकी मांग भी करनी चाहिए। यदि आप अनुसूचित जातियों की प्रतिशत में 15 प्रतिशत और वृद्धि करते हैं तो यह प्रतिशत भी अनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा। इसलिए इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी कहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह ठीक बात कह रहे हैं, इसलिए हमें रिजर्वेशन का प्रतिशत बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए चाहे हमें इसके लिए कोई विधेयक लाना पड़े। हमें केन्द्र सरकार से इस बारे में उम्मीद नहीं है क्योंकि ये अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं। मेरा अनुरोध है कि ऐसी जातियां जिनकी हालत ज्यादा खराब है उनका अध्ययन किसी भी सामाजिक अध्ययन संस्थान से या समाज कल्याण विभाग से या किसी भी दूसरी एजेंसी से जांच करवाकर, जो जातियां अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति में रहने के लायक हैं उन्हें रखना चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश में यहां–वहां जो जातियां चली जाती हैं उनको भी इस विधेयक के द्वारा अनुसूचित जाति–जनजाति में लाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई वित्तीय संकट है। इसलिए इन सभी बातों पर सरकार को विचार करके एक कम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इससे पहले भी कई संशोधन लोक सभा में पास किए गए हैं और उससे भी पूरे दलित वर्ग को बड़े पैमाने पर लाभ मिलने के आसार बने हैं। सामाजिक उत्थान के लिए जो जातियां पिछले 50 वर्षों

से मांग करती रही थीं उनके भले के लिए उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल से संबंधित यह विधेयक माननीय जटिया जी ने यहां प्रस्तुत किया है। इन्होंने उन जातियों को जो सामाजिक न्याय से वंचित थीं सामाजिक न्याय दिलाने का जो कार्य किया है यह सराहनीय है और माननीय जटिया जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय मंत्रालय विकास की ओर अग्रसर है। दलितों के लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मेरे जिले में 30–40 साल पहले पश्चिम बंगाल से आए हुए कुछ लोग रहने लगे हैं परन्तु उन्हें अभी तक अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं डाला गया जबकि वे पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की श्रेणी में थे। उनके रहन–सहन, खान–पान से उन्हें बंगाली नाम से जाना जाता है। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से उन्हें यह दर्जा दिया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐसी जातियां हैं जैसे धुरिया, गोड़, बिन्द और धीवर। उत्तर प्रदेश के किसी जिले में वे पिछड़ी जाति हैं तो किसी जिले में अनुसूचित जाति हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इनके आर्थिक और सामाजिक परीक्षण कराकर इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए।

उपाध्यक्ष जी, आज केन्द्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चल रही है। उनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश में कुमारी मायावती मुख्य मंत्री तीसरी बार बनने जा रही है। यह एक सबूत है जिससे मालूम होता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी दलितों के हितैषी हैं। यह मालूम हो कि 1977 से पहले दलितों को नाममात्र को सुविधाएं दी जाती थीं। उनको केवल एक सिलाई मशीन या मकान बनाने के लिए नकद 500 रुपए दिए जाते रहे। उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी और श्री वाजपेयी उस मंत्रिमंडल में थे। उनके समय में अन्त्योदय योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 3000 रूपये का अनुदान अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जारी किया गया था। उसके बाद कांग्रेस ने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर किया तो केवल दिखावे के तौर पर किया। कही उसने उनका वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संज्ञान में दो–तीन बातें हैं। आज दलितों को जो पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां दी जाती हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अपर कास्ट के लोग चरवाहे के नाम फार्म भरकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गैस और पेट्रोल पम्प मिलें, अनुसूचित जाति के सांसदों द्वारा तय करके, उनकी अनुशंसा के आधार पर परीक्षण करके वास्तविक सदस्य को लाभ मिलना चाहिए, तभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, जहां उससे उन जातियों को लाभ मिलेगा, उसके साथ–साथ यह भी विचार का विषय है कि नौकरियों में जो बैकलॉग है, उसके लिए भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे जो बैकलॉग रुका पड़ा है, उससे अनुसूचित जाति और जनजाति के बेरोजगार लोगों को लाभ मिलेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेना में आरक्षण के लिए एक विशेष बिल लाया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की न्यायालयों, सेना और विश्वविद्यालयों में बहुत कम भर्ती की जाती है। इससे इन लोगों को लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पूरे देश में सारे उद्योग–धंधे प्राइवेट सैक्टर में जा रहे हैं और इनमें कहीं भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी को इसके लिए भी एक बिल लाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए प्राइवेट सैक्टर, उद्योग–धंधों और कंपनियों में भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण हेतु एक बिल पास होना चाहिए। इससे इन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने जो पाबन्दी लगा दी थी, जो दो–तीन बिल पास हुए हैं, उनमें शीघ्रता से कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में दलितों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए यह सरकार जो काम कर रही है, वह इन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम हैं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : महोदय, इन दो विधेयकों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपक, धन्यवाद करता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने वास्तव में दो विधेयक पुरःस्थापित किए हैं। तथापि मैं अपने आपको संविधान (अनुसूचित

[श्री अधीर चौधरी]

जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2002 तक ही सीमित रखना चाहूंगा। मैं विधेयक में व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करता हूं। इसलिए बिना किसी हिचक के मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसके द्वारा उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों के आठ समुदायों को अनुसूचित जातियों के दायरे में लाया गया है।

जहां तक मेरे जिले और पश्चिम बंगाल राज्य के शेष हिस्सों में रह रहे 'चेन' समुदाय का संबंध है, वे दशकों से अपने आप को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। चेन समुदाय समाज के कमजोर वर्गों में से है। इस समुदाय की मात्र .01 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं। इस समुदाय के 45 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। वे अपना जीवन यापन सब्जी बेचकर और खेती कर करते हैं।

मैं इस विधेयक के इतिहास का संक्षेप में स्मरण करना चाहता हूं। पिछले वर्ष यह विधेयक श्रीमती मेनका गांधी द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। तथापि पिछले विधेयक में 'चेन' समुदाय को अनुसूचित समुदाय की सूची में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हमने विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने से पहले उसका जोरदार विरोध किया था। उसके बाद हमने स्थायी समिति के समक्ष व्यक्तिगत अभ्यावेदनों को प्रस्तुत किया। हमें प्रसन्नता है कि सभी पहलुओं की जांच के बाद 'चेन' समुदाय को इस सूची में शामिल कर लिया गया है।

महोदय, भारत में कई ऐसे समुदाय हैं जो लम्बे समय से सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। मैं चाय बगान में काम करने वाली असम की जनजातियों, कोच, राजबंशी, अहोम, मोरन, और मोटक समुदायों का संदर्भ देना चाहता हूं।

ये समुदाय भी इस सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। यह प्रस्ताव संसद की चयन समिति के पास भेजा गया है। तथापि अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि असम राज्य के राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उस राज्य के इन समुदायों को सूची में शामिल करने पर विचार किया जाए। यह वाकई में आश्चर्यजनक है कि जिस समय हम बाहरी अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, डिजिटल अभिसदन की बात कर रहे हैं और जब हम सूचना प्रोद्यौगिकी की प्रगति की बात कर रहे हैं, उसी समय हम यहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, भारत अभी भी जातिगत लड़ाई परिणामस्वरूप अंग–भंग, मृत्यु लूटपाट, अपहरण, आगजनी छेड़खानी के कलंक को ढो रहा है। आप केवल यह देखें कि हमारे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की क्या स्थिति है। यहां हर कोई सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का फायदा दिए जाने की मांग कर रहा है। तथापि, वास्तविकता यह है कि यह अभी भी क्लेशकर है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 16.5 प्रतिशत और 8.1 प्रतिशत है। साक्षरता की दर बढ़ी है। अनुसूचित जातियों के लिए यह 1991 में 52.2 प्रतिशत थी। तथापि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम आधुनिक युग में रह रहे हैं। जब 5.77 लाख भारतीय जनता अभी भी सुबह सुबह अपने सिर पर मानव मल को ढो रही है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा अब भी हमारे देश में विद्यमान है। वास्तव में यह भारत के लिए घृणित बात है।

तथापि हमें यह जान लेना चाहिए कि विश्व में ऐसे कई समुदाय हैं जो पिछड़े समुदाय के रूप में माने जाते हैं जैसे यूरोप में रोमा, मैक्सिको में चिओफर्स, इराक में कुर्द तथा जापान में बुराकासी। परंतु एक विकसित देश में उन पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कई उपाय किए गए हैं। जहां तक आरक्षण का संबंध है। यहां भारत में, हमारे संविधान में सभी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। तथापि यह अभी हमारे देश के लाभार्थियों तक पहुंचाया जाना है।

मैं केवल सेवाओं में अ.जा. तथा अ.ज.जा. के हिस्से की बात करना चाहूंगा। जहां तक अ.जा. का प्रश्न है, केन्द्रीय सेवाओं श्रेणी–एक में 8.23 प्रतिशत; श्रेणी–दो में 8.47 प्रतिशत तथा श्रेणी–तीन में 14.76 प्रतिशत आरक्षण है। बैंकिंग क्षेत्र में यह लिपिकीय नौमरियों में 13.7 प्रतिशत है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रतिनिधित्व के संबंध में यह श्रेणी–एक में 4.86 प्रतिशत तथा दो अन्य स्तरों में 6.7 प्रतिशत है। जहां तक अ.ज.जा. का प्रश्न है यह समूह क में 2.89 प्रतिशत; समूह ख में 2.68 प्रतिशत है।

उनका प्रतिनिधित्व समूह 'ग' सेवाओं में 5.69 प्रतिशत है तथा यह समूह 'घ' सेवाओं में 6.48 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से हम अपने देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक पिछड़ेपन को आसानी से समझ सकते हैं।

महोदय, मैं राष्ट्रमंडल मानव अधिकार सांविधानिक कार्यक्रम से कुछ उद्धरणों का संदर्भ देना चाहूंगा। वहां यह बताया गया है कि 1980 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास और उनकी कल्याण परियोजनाओं के लिये सरकारी निधियों के आवंटन में काफी कमी हुई है। पत्र में आगे बताया गया है कि संविधान में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आयोजना तथा कार्यान्वयन तंत्र की ओर से रुचि तथा गम्भीरता की सामान्यतः कमी है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा हासिल किए गए लाभ अभी तक खर्च की गई निधियों के अनुरूप नहीं हैं। नौकरियों में आरक्षण कोटा प्रदान करने के बावजूद, सार्वजनिक सेवाओं के उच्च स्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती तथ पदोन्नति से संबंधित विभागीय आदेशों ने उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, में जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

हमारे संविधान में राज्य नीति के संबंध में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं जिनके अनुसार प्रत्येक राज्य को पिछड़े समुदायों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के आर्थिक तथा शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना चाहिये। इसमें कहा गया है कि राज्य को अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करनी चाहिये।

महोदय, मैं डा. बी. आर. अम्बेडकर के अभिभाषण के एक पैराग्राफ का संदर्भ देकर समाप्त करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भाईचारे का तात्पर्य है भारतीय लोगों में बंधुत्व की भावना। यह हमारे सामाजिक जीवन में एकता और भाईचारे के सिद्धांत पर जोर देता है। तथापि यह जाति आधारित समाज में प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आये कि जब उनका इस प्रकार इकट्ठा हुआ क्रोध लोकतांत्रिक ढांचे को मिटा दे, जिसका हमारी संविधान सभा ने बहुत मेहनत से निर्माण किया था।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 और संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 जो लाया गया है, उस पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं केवल दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। महाराष्ट्र में विशेषतः मराठवाड़ा और विदर्भ में पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति को अनुसूचित जाति–जनजाति की सूची में शामिल करना बहुत जरूरी है। इस बिल का उद्देश्य महाराष्ट्र और गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना से जो लोग इफैक्टिड हैं, उनके प्रति न्याय करना है। सोशल वेल्फेयर मंत्री श्री जटिया सक्षम मंत्री हैं। महाराष्ट्र में एक कोली जाति है और उसमें भी महादेवपुरी एक अलग जाति है। उस जाति के लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। उनके पास मकान नहीं हैं, शिक्षा की सुविधा नहीं है और वे अति पिछड़े लोग हैं। कोली और महादेवपुरी जाति के लोग महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं। उनकी कई सालों से मांग है कि उन्हें शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हम इन दोनों जातियों को न्याय नहीं दे सके हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इन दोनों जातियों को शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाना चाहिए।

अटकर थंगर जाति महाराष्ट्र में ओ.बी.सी. में आती है और यदि वे आंध्र में जाएं तो उनका दर्जा शैड्यूल्ड कास्ट्स का होता है। कहीं वह जाति शैड्यूल्ड कास्ट्स में आती है और कहीं शैड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है। मेरा सुझाव है कि एक सर्वसम्मत बिल लाना चाहिए। अगर हमें सही मायने में इस जाति के लोगों को न्याय देना है तो सर्वसम्मत बिल लाने की जरूरत है। जो लोग महाराष्ट्र में बकरियां पालते हैं, वे अपनी बकरियों को लेकर आज यहां, कल वहां और परसों कहीं और जाते रहते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। राज्य सरकार की लिस्ट में भी उनको स्थान नहीं मिला है। उन्होंने

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

इसके लिए बहुत समय तक आन्दोलन किए और धरना भी दिया। बहुत बड़े पैमाने पर उनकी संख्या होते हुए भी अभी तक उनको शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला। उनके बारे में भी विचार होना चाहिए। भोई जाति के लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। उनके पांव में जूता नहीं होता, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं होता। यदि वे मछली नहीं पकड़ें तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। किसी व्यक्ति को रोटी नहीं मिलती, मकान नहीं मिलता, हम कौन सी सदी में रह रहे हैं, यह सोचने की बात है। भोई समाज को भी शैड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए, मैं ऐसी मांग करता हूं। मुस्लिम जाति में एक वर्ग खटीक है। महाराष्ट्र में हम उसे कसाई कहते हैं। वे लोग बकरी काट कर अपना पेट पालते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरह जो खटीक लोग हैं, उनकी शैड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल करने की बहुत सालों से डिमांड महाराष्ट्र में होती है, लेकिन अभी तक खटीक लोगों को, जो मुसलमान हैं, उनके पास कसाई का काम करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि इनको शैड्यूल्ड कास्ट्स का दर्जा मिलना चाहिए।

दूसरा एक छोटा सा कोस्टी समाज है, जो कपड़ा बुनते हैं, जो एकदम छोटे लोग हैं। इनकी संख्या महाराष्ट्र में 20–25 लाख के करीब है। अभी कोस्टी लोगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उन्होंने मुझसे निवेदन किया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी निवेदन किया है कि कोस्टी जाति को शैड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स में शामिल करना चाहिए। मेरी भी ऐसी डिमांड है कि अभी कोरी, माधव, भोई, हरकरधनखर खटीक और कोस्टी जाति के छोटे और पिछड़े हुए लोगों को, अति पिछड़े लोगों को जरूर शैड्यूल्ड कास्ट्स या शैड्यूल्ड ट्राइब्स में दर्जा मिलना चाहिए, ऐसी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अपील करूंगा।

आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो दो बिल लाए हैं, इनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

बिल नं. 11 और 14 ये दो अलग–अलग बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप अलग बिल लाए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से सम्बन्धित जो नर्मदा सरोवर परियोजना में लाखों लोग विस्थापित होने जा रहे हैं, उसमें खासकर अनुसूचित जनजाति का परिमाण बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में उनका पुनर्वसन, उनका रिहेबिलिटेशन होने जा रहा है। उनके जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकार हैं वे कायम रहें, इसके लिए आप जो बिल लाए हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नर्मदा सरोवर क्षेत्र से इन्दौर और उज्जैन डिवीजन से मंत्री महोदय आते हैं, इसलिए आपने इसमें बड़ी कुशलता के साथ, जल्दबाजी के साथ उनकी मदद करने की जो कोशिश की है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

लेकिन उसके साथ ही साथ मंत्री महोदय जो चीजें कई सालों से आपके मंत्रालय में पेंडिंग हैं, खासकर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि ईस्ट पाकिस्तान से 1967, 1968 और 1969 में लाखों की तादाद में रिफ्यूजीज, बंगाली भारत में आए। भारतवर्ष में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उनको विस्थापित किया, उनको रहने के लिए रोटी, कपड़ा, जमीन और मकान, सब चीजों की व्यवस्था की, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 1968–69 से पश्चिम बंगाल ने तो उन्हें नामशूद्र होने की वजह से शैड्यूल्ड कास्ट्स का दर्जा दे दिया, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज भी लाखों लोग नामशूद्र जाति के लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें शैड्यूल्ड कास्ट्स का दर्जा नहीं मिला है। बिहार, यू.पी. और देश के कई प्रान्तों में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उन्हें उस समय रिहेबिलिटेट किया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के कई सुझाव राज्य सरकारों ने आपके पास दिए हैं लेकिन राज्य सरकारों से सुझाव आने के बावजूद भी आपके मंत्रालय ने इन्हें गम्भीरता से नहीं लिया है। एक तरफ हमारे देश में जो बाहर से लोग आए हैं, उनको हमने पूरी सुविधा दी है, लेकिन उनका जो एस. सी. का दर्जा है, वह हम सब जगह नहीं दे पाए हैं। मैं पश्चिम बंगाल सरकार का स्वागत करूंगा, उस समय वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बाद में आज जो सी.पी.एम. की गवर्नमेंट हैं, दोनों सरकारों ने उन्हें नामशूद्र के माध्यम से एस.सी. कैटेगरी में रखा है, लेकिन आज भी देश के 5–6 प्रान्तों में उन्हें एस.सी. का दर्जा नहीं मिला है। मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात बड़ी गम्भीरता से मैं आपकी नजर में लाना चाहूंगा। जिन–जिन राज्यों

में अनुसूचित जाति और जनजाति के विधायक हैं, वे नहीं चाहते कि नई जातियां हमारे में शामिल हों। वे उसका विरोध करते हैं। एक ही देश में एक ही प्रांत में एक जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं मिला है। ये लोग लाबी बनाकर राज्य सरकार पर दबाव डालते हैं कि भले ही वे जातियां दूसरे प्रांतों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आती हैं, लेकिन हमारे राज्य में इनको यह दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से इन लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। आपने संविधान के माध्यम से जो नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें उसका समावेश है, लेकिन उन राज्यों में उन लोगों को अनूसूचित जाति और जनजाति का अधिकार नहीं मिल रहा है।

एक बहुत बड़ा जोक आपके विभाग में हुआ है गोंद और राजगोंद अनुसूचित जनजाति में आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये काफी संख्या में हैं। मेरे क्षेत्र में इन आदिवासी लोगों की तादाद काफी है। लेकिन इनके बारे में जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें गोंद और राजगोंद के बीच में कौमा होना चाहिए था, वह नोटिफिकेशन की कापी में नहीं होने से दूसरी जाति के लोग हाई कोर्ट में चले गए और यह कहा कि यह तो एक ही जाति है जबिकि ये दोनों अलग–अलग जातियां हैं और दोनों ही जनजाति हैं। इसके कारण इन लोगों के बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा है और ये लोग एस.टी. वाली आरक्षित सीट से चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं। ये लोग खासकर उक्त तीन राज्यों से सम्बन्धित हैं। संसद में इस बारे में बिल पास हो चुका है, लेकिन एक प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से इनका नुकसान हो रहा है। आप इसकी जांच कराएं और राज्य सरकारों को निर्देश दें कि इस गलती को ठीक किया जाए और इन्हें दो जातियां माना जाए।

उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक के सीमित होने की वजह से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे साथियों ने जो कहा कि धोबी बिहार और दूसरे कई राज्यों में कहीं पर अनुसूचित जाति में हैं और कहीं पर अनुसूचित जनजाति में आते हैं महाराष्ट्र में उनको छोड़ दिया गया है। उसी तरह से माना और कुंडीमाना को एस. टी. में लिया है। लेकिन महाराष्ट्र में कई सालों से संघर्ष चल रहा है कि ये एस. टी. में हैं या नहीं। आप इसकी जांच कराएं और अगर ये एस. टी. में आते हैं तो उनको उसका हक मिलना चाहिए।

उसी तरह से हलवा और हलवी दोनों एस.टी. में आते हैं। ये हमारे यहां कोस्टी बुनकर हैं। ये लोग बुनाई का काम करते हैं इसलिए मराठी में इनको कोस्टी कहा जाता है। महाराष्ट्र में ये बुनकर का काम करते हैं। जाति के साथ व्यवसाय का नाम लगने से इनकी जो एस.टी केटेगरी है, वह चली गई है। उसी तरह से भोई समाज पर भी अन्याय हो रहा है। आपके नोटिफिकेशन में जो जातियां अनुसूचित जाति और जनजातियों में आती हैं, लेकिन कुछ राज्यों में उनको इसका अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप एक रिव्यू कमेटी बिठाकर उनके साथ न्याय करें। इसके साथ ही पूर्वी पाकिस्तान से आज के बंगलादेश से जो लोग हमारे यहां आए हैं, उनको हमने रिहेबिलट किया है, उनको नामशूद्र का दर्जा देकर एस.सी. या एस.टी. का दर्जा दिया गया था, उसको बहाल करें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अभी यहां दो अथवा तीन सदस्य और बोलेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं एक बहुत अहम मुद्दा रख रहा हूं। सामाजिक पिछड़ापन मुख्य मापदंड है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू है। खाद्य अपमिश्रण एक सामाजिक बुराई है। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ देने के मामले में अपमिश्रण नहीं करना चाहिए। मंत्री महोदय कृपया इसका उत्तर दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, मंत्री जी ने इसे नोट कर लिया है। जब वे उत्तर देंगे तो आपके प्रश्न का भी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलंदशहर) : मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई डिबेट नहीं करना चाहता। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो यह बिल लाए हैं, वह स्वागत योग्य है। कई जातियों को एस.सी. या एस.टी. का दर्जा एक राज्य में मिल रहा है, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं मिल रहा है इसलिए सही मायनों में एक कम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आएं। इसके अलावा

[श्री छत्रपाल सिंह]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में जब तक आप क्रीमिलेयर नहीं बनाएंगे, तब तक नीचे के लोगों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जो आई.ए.एस. अधिकारी हैं या राजपत्रित अधिकारी हो गए हैं, उन्हीं के परिवार वालों को इसका लाभ मिल रहा है। नीचे के जो लोग हैं, जो आज भी मजदूरी करके, खेत में या छोटे-मोटे उद्योगों में, अपनी रोजी कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको और उनके बच्चों को एस.सी. या एस.टी. आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण नहीं, सिर्फ एक प्वाइंट कहिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : फर्जी प्रमाण-पत्र बनाने के कारण इस आरक्षण की सुविधा का बहुत से लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर कुछ लोग या तो सांसद या विधायक या सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए फर्जी प्रमाण-पत्र देने वालों को रोका जाए। दूसरे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पहचान पत्र नहीं होने के कारण लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। भारत में इस तरह का विशेष अभियान चलाया जाए जिससे कि इन लोगों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए जो दर-दर की ठोकर खानी पड़ती है और समय पर तहसीलदार या बड़े अधिकारी प्रमाण-पत्र नहीं देते तो उनको दर-दर की ठोकर न खानी पड़े और उनको प्रमाण-पत्र समय पर मिल जाए। आरक्षण की सुविधा की दृष्टि से सरकार एक अभियान चलाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी कमेटी ने भी इस बारे में बड़ा जोर दिया है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना हो... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : आपका धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं अनुसूचित जातियों में क्रीमी लेयर को मिल रहे लाभों को समाप्त करने का विरोध करता हूं। हमें जरूर उन लोगों की सहायता करने के तरीके का पता लगाना चाहिए जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है लेकिन क्रीमी लेयर को मिल रहे लाभ समाप्त करने से पूरे आरक्षण तंत्र पर असर पड़ेगा। यह मेरा विचार है।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : धोबी जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित होना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि प्रजापति और कुम्हार जो जातियां हैं, एक जिले में वे बैकवर्ड में आती हैं, तो दूसरे में अनुसूचित जाति में आती हैं। इस प्रकार से जो अन्तर है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, एकरूपता हो जाए और इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सभी मुद्दे जो यहां उठाए गए हैं महत्वपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

इनको नोट कर लीजिए। खासकर एक स्टेट में जो एससी, एसटी हैं, वे दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहां वे कुछ भी नहीं हैं।

डॉ. सत्यनारायण जटिया : इन महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में जो दो विधेयक आए हैं, उसको आधार बनाकर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में इस सदन की जो चिंता है, उसका प्रकटीकरण हुआ है। यह जो दो विधेयक हैं, निश्चित रूप से ये सीमित ही हैं। एक विधेयक में सरदार सरोवर बांध के कारण मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जातियां थीं, उनको जगह गुजरात में मिलने के कारण और गुजरात में उनकी अनुसूचित जातियों में मान्यता में नहीं हैं। इसलिए प्रविष्टि करने के लिए, इन्क्लूड करने के लिए एक विधेयक इस प्रकार का है। दूसरा विधेयक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के संदर्भ में है। उसमें उड़ीसा के संदर्भ में दो प्रविष्टि हैं, दो को विलोपित करना है। पंजाब में नवीन प्रविष्टि है, चार की पर्याय जो जातियां हैं, जिनके उच्चारण में अन्तर है उसको जोड़कर पश्चिम बंगाल में एक नवीन प्रविष्टि है और एक पर्याय है। कुल मिलाकर सीमित ही है। सभी माननीय सदस्यों की चिंता थी और जैसा कि अभी बताया गया कि एक राज्य में जो अनुसूचित जातियां हैं, वे दूसरे राज्य में एस. सी. क्यों नहीं हैं? निश्चित रूप से एक लम्बी प्रक्रिया के अन्तर्गत इसका निर्धारण हुआ है। आजादी के पहले से 1935 में पहली बार अनुसूचित जाति क्या है, इसमें कौन सी जातियां सम्मिलित

होनी चाहिए, इसका क्राइटीरिया क्या है, किनको हम एससी मानते हैं, कौन सी जातियां अस्पृश्यता से पीड़ित हैं, कौन सी जातियां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक न्याय से वंचित हैं कौन सी जातियां हैं जिनको राजनैतिक रूप से समाज में आना है, इस प्रकार से 1935 में पहली बार इस पर विचार–विमर्श हुआ है। अभी जैसे एक माननीय सदस्य ने बताया कि पूना पैक्ट में कुछ बातें आ गई थीं जिसमें आरक्षण के बारे में कुछ बातें आ गई थी तो यह संदर्भ पुराना है।

सायं 7.00 बजे

उसी के आधार पर आगे बढ़ने का काम हुआ है। इसके बाद 1936 में कुछ बातें हुईं, लेकिन स्वतन्त्रता के बाद इसमें कुछ काम हुआ है। कुल मिलाकर कोई निश्चित पद्धति यहां पर नहीं थी कि जो जातियां रह गई हैं, उनको किस प्रकार से इन्क्लूड किया जाए। उनको सम्मिलित करने का उपाय किया जाए। पिछले जून, 1999 में हमने एक पद्धति तय की है कि किस तरह से सम्मिलित करने का प्रस्ताव बनाने के बाद, विचार–विमर्श करने के बाद, जो प्रस्ताव बनेंगे, उनका किस तरह से उपाय किया जाना चाहिए ये प्रस्ताव राज्य सरकारों की ओर से आते हैं। उनका परीक्षण होता है और महापंजीयक (जनगणना) के माध्यम से होता है। इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बना हुआ है, वे परीक्षण करते हैं। उनकी रिपोर्ट मंत्रालय के पास आती है। इन सारी बातों का मापदंड तय किया जाता है कि किस तरह से इन जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए उपाय किए जायें। मुझे यह कहते हुए संतोष है कि पिछले समय में हमने 89 प्रस्तावों को इन्क्लूड करने का काम किया है, जिनमें से 8 का काम हम अभी कर रहे हैं और 81 संसदीय समिति के सामने विचाराधीन हैं। जैसे ही प्रस्ताव आते हैं, उनको प्रस्ताव के रूप में लेकर इन्क्लूड करने का काम हम करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग भी इस काम को कर रहा है। उनके पास 52 प्रविष्टियां हैं, उनके ऊपर विचार करके इन्क्लूड करने का काम करेंगे। यह काम मंत्रालय का नहीं है, इस काम को करने के लिए परीक्षण, निरीक्षण करके काम करेंगे। इस प्रकार के प्रस्ताव जब हमारे पास आ जाते हैं, तो हम उसको प्रोसैस करने का काम करते हैं, ताकि इन जातियों को अधिकार मिल सके और अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में मान्यता मिल सके। इस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से भी सारी बातों की पूर्ति करने के लिए कहते रहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक प्रदेश में है पर दूसरे प्रदेश में मान्यता नहीं मिलती है। हमारा आधार यह होता है कि प्रस्ताव प्रदेश से आता है और प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है निरीक्षण करने का काम वे करते हैं और इसकी प्रक्रिया है। उनके माध्यम से जो प्रस्ताव आता है, वह प्रस्ताव फिर महारजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग परीक्षण करते हैं। इसके बाद ही फिर पूर्व स्वरूप बनता है। आज की स्थिति में 364 ऐसे प्रस्ताव हैं, जो राज्य सरकारों के पास अतिरिक्त जानकारी देने और परीक्षण के लिए हैं। उनकी रिपोर्ट आने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर 505 ऐसी प्रविष्टियां हैं, जिनके बारे में निष्कर्ष निकालने का काम हमारी एनडीए की सरकार आने के बाद, एक पद्धति तय करने के बाद कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं होता था परन्तु कुल मिलाकर पद्धति तय करने के बाद कौन–कौन सी बातें करनी हैं, उनके सारे हक हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलें, जिनके कारण समाज में वे समता का स्वरूप प्राप्त कर सकें, यह काम कर रहे हैं। अस्पृश्यता के कारण जो पिछड़ापन रह गया है, अस्पृश्यता के कारण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो वंचित रह गए हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके, इस प्रकार के उपाय हुए हैं। इस अवसर पर जिन माननीय सदस्यों ने जो–जो बातें कहीं हैं, जैसे मध्यप्रदेश में धोबी जाति के बारे में कहा गया। एक भाई कह रहे थे कि बहुत ही चतुराई के साथ, चूंकि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण कुछ मिला रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें चतुराई कुछ नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : वे विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए उनको न्याय मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि 20–20 सालों से प्रस्ताव राज्य सरकारें नहीं भेज रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सही कहा कि एक ही जाति एक राज्य में एससी है और दूसरे राज्य में एससी में नहीं आती है। एमएलएज की लाबी नहीं चाहती है कि नए नाम उसमें एड हों। राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाता है, तो उसके लिए आप एक टाइम बाउन्ड कार्यक्रम तैयार करें। अगर राज्य सरकारें नहीं भेजती हैं, तो केन्द्रीय सरकार सीधे हस्तक्षेप करे। आप कमीशन पर डाल देते हैं, मंत्री जी यह आपसे अपेक्षा नहीं थी। मेहरबानी करके कमीशन या राज्य सरकार पर निर्भर न रहते हुए, टाइमबाउन्ड प्रोग्राम दें और 505 प्रस्ताव जो राज्य

[डा. सत्यनारायण जटिया]

सरकारों के पास पैंडिंग हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कृपया यह बताएं?

डा. सत्यनारायण जटिया : इसमें किसी को सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। चूंकि आप जानते हैं, सरकार किसी पद्धति के आधार पर चलती है। पहले तो पद्धति कोई तय ही नहीं थी। आप चाहें तो राज्य सरकारों के पास जो प्रस्ताव हैं उनकी सूची पढ़कर सुना देता हूं कि कौन–कौन सी राज्य सरकारों के पास कुल मिलाकर कितने–कितने प्रस्ताव हैं।

श्री नरेश पुगलिया : मंत्री जी, आप कृपया टाइम बाउन्ड कार्यक्रम दीजिए।

डा. सत्यनारायण जटिया : जरूर, आपकी चिन्ता से मैं सहमत हूं। मेरी कोशिश होगी कि हर तरह से इस काम को करें, अभी तो यह शुरूआत है।...*(व्यवधान)*

श्री सी. के. जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : आप पूरा बताइए ताकि पता चले कि किस राज्य की क्या परिस्थिति है। इससे कुछ राज्यों पर भी असर पड़ेगा। आप जब यहां बताएंगे तो सारे देश को मालूम होगा, उस वर्ग को मालूम होगा जो न्याय चाहता है।...*(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : आप पूरी लिस्ट पढ़ दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ये बहुत लम्बी लिस्ट है।

डा. सत्यनारायण जटिया : महोदय, ज्यादा लम्बी लिस्ट नहीं है, जो मेरे पास है। इसमें 364 नाम हैं और सभी प्रदेशों के हैं, जहां से प्रस्ताव आए हुए हैं।...*(व्यवधान)* आप कौन से प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सी. के. जाफर शरीफ : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव चल रहा है, जो देश की गरीब जनता और दलितों के बारे में है, इसके बारे में देश की जनता को और खास कर पीड़ित वर्गों को अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपको कोई बात सदन से छिपाने की जरूरत नहीं है। सदन भी जाने और देश भी जाने।...*(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया : छिपाने की बात नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : मेरा यह कहना है कि आज भी लोग बोलते हैं कि हमें स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन नहीं मिली। मुझे लगता है कि सौ साल बाद भी लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे कि स्वतन्त्रता सेनानी की पेंशन नहीं मिली। इसलिए यह कितने दिनों तक चलेगा। आप एक कमीशन बैठा कर एक बार में इसे खत्म क्यों नहीं करते, अन्यथा इस तरह से हर साल नये–नये लोग आकर बोलेंगे कि हमारा नाम भी इसमें इन्क्लूड कर दिया जाए, क्या यह ठीक है?

डा. सत्यनारायण जटिया : आप जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं और सभी ने कहा है कि सारे प्रस्ताव मिल कर लाए जाएं किन्तु प्रस्ताव को लाने के लिए जो प्रक्रिया है वह सब एक साथ तैयार करके, सब का एक साथ लाना कितना मुश्किल काम है और जब तक एक साथ न आए तब तक कुछ करना ठीक नहीं है। इसलिए जितना आ गया है, उसे करते जाना और जैसे–जैसे आते जाएं, उसे करते जाना, यही पद्धति ठीक है। हम प्रतीक्षा करते रहें कि कौन सा प्रदेश भेज रहा है, कौन सा नहीं भेज रहा है। हमारे पास जो प्रस्ताव तैयार होकर आ गया है, उसे हमें यहां लाकर पारित कराने का काम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे–जैसे प्रस्ताव आते जाएंगे, वैसे–वैसे हम करते जाएंगे। यह प्रक्रिया शुरू हो गई है और निकट भविष्य में हम देखेंगे कि जो 505 प्रस्ताव हैं, उन्हें कराने के लिए यह संसद है और संसद इसका फैसला करेगी। निश्चित रूप से जो लोग इससे वंचित हैं, जिन्हें वर्षों से यह अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें प्राप्त कराने के हर प्रकार के उपाय किए जाएंगे।...*(व्यवधान)* राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर कहीं मतभेद नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री अम्बर रायप्रधान (कूचबिहार) : अभी–अभी मंत्री जी ने बताया कि जैसे–जैसे प्रस्ताव आ रहे हैं उन पर विचार कर रहे हैं तो असम के बारे में, राजवंशी के बारे में जो प्रस्ताव आ गया है और यह बहुत पहले आया है, उस पर अभी तक विचार नहीं हुआ।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कितने प्रस्ताव आए हैं, अगर यह ज्यादा लम्बी लिस्ट है तो ऐसा कीजिए, इसका सारा सर्कुलर सभी माननीय सदस्यों को भेज दीजिए ताकि माननीय सदस्य इससे अवगत हो जाएं।

डा. सत्यनारायण जटिया : मुझे कोई कठिनाई नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दें। यदि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी, तो उसके बाद मैं आपको समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सी. के. जाफर शरीफ : इस प्रकार माननीय सदस्यों को भेजने की बात अलग होती है, यहां जो मंत्री जी बोलेंगे वह रिकार्ड पर आएगा।...*(व्यवधान)* किस राज्य की क्या प्रतिक्रिया है, यह पता चलेगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगर ज्यादा लम्बी लिस्ट नहीं होगी तो पढ़ देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जाफर शरीफ कोई कारण नहीं है, इस मामले पर कोई विवाद क्यों होना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : अनुसूचित जातियों के संदर्भ में जो प्रस्ताव लम्बित हैं, उनकी सूची मेरे पास है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। मैं आंध्र प्रदेश से शुरू करना चाहूंगा—आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के दो प्रस्ताव हैं, असम में 16 हैं और बिहार में 25 हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : कृपया उन दो का भी उल्लेख करें। अन्यथा हम कैसे मानेंगे कि वे दो कौन हैं?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : यह कैसे होगा?

[अनुवाद]

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : आप कम से कम समुदाय–वार उल्लेख करें। जब तक आप बताएंगे नहीं हम उन्हें कैसे जानेंगे? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने राज्य–वार सूचना के बारे में पूछा है। अब आप समुदाय–वार सूचना की मांग कर रहे हैं।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : महोदय यह बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि समुदायों का उल्लेख करें। मैं अनुनयपूर्वक कहता हूं कि यह मामला लम्बे समय से लम्बित है। वहां नाते समुदाय है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से मेरे दोस्तों ने इसका उल्लेख किया है। वे अनुसूचित जातियों से संबंधित मछुआरे हैं। वे आंध्र प्रदेश चले गए हैं और वे आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में टेक्कली में रह रहे हैं...*(व्यवधान)* उन्हें उड़ीसा में अनुसूचित जाति माना जाता है, किन्तु हमारे राज्य में पिछड़े वर्ग में माना जाता है। वे लम्बे सम्य से मांग करते रहे हैं। इस संबंध में एक सिफारिश की गई है। माननीय मंत्री अब सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों का मामला निपटा रहे हैं। ठीक इसी तरह यह भी किया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। मैं अनुरोध करता हूं कि यह कृपया किया जाए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति, उन्होंने विवरण दिया है। आप माननीय मंत्री जी से सारे विवरणों की अपेक्षा नहीं कर सकते। आपने मंत्री जी से पूछा है कि कितने संकल्प लंबित हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शीशराम सिंह रवि : उपाध्यक्ष जी क्या बहस दुबारा शुरू हो गई है। मंत्री जी पर दबाव क्यों डाला जा रहा है?

[अनुवाद]

श्री. एम. वी. वी. एस. मूर्ति : महोदय यह सही नही है। वह सभा में गुस्सा नहीं कर सकते...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, जो कुछ आपके पास सूचना है आप सभा को दें। पहले ही देर हो चुकी है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : यदि किसी माननीय सदस्य को किसी विशेष बात की ज़ानकारी लेनी है तो मुझे वह जानकारी देने में खुशी होगी। अभी मैं जो पढ़ रहा था उसमें आंध्र प्रदेश

[डा. सत्यनारायण जटिया]

के 2 प्रस्ताव, असम के 16, बिहार के 25, दिल्ली के 7, गोवा के 3, गुजरात के 13, हरियाणा के 5, मध्य प्रदेश के 26, जम्मू–कश्मीर के 3, कर्नाटक के 9, केरल के 27, मध्य प्रदेश के 15, महाराष्ट्र के 17, मणिपुर का 1, मेघालय के 16, उड़ीसा के 30, पंजाब के 10, राजस्थान के 12, सिक्किम के 2, तमिलनाडु के 61, त्रिपुरा के 2, उत्तरांचल के 18, पश्चिम बंगाल के 2, चंडीगढ़ के 7, पांडिचेरी के 9 प्रस्ताव। इस प्रकार कुल मिलाकर 364 प्रस्तावों को हमने जानकारी के लिए भेजा है। जैसे ही यह जानकारी आएगी, हम इस बात को करने के लिए तैयार होंगे।

श्री नरेश पुगलिया : उपाध्यक्ष जी, यह टाइम–बाउंड प्रोग्राम के अंतर्गत होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : टाइम–बाउंड यह कैसे करेंगे। यह इंफोर्मेशन पूछते हैं और अगर वह नहीं आती है या नहीं देते हैं तो ये लोग कैसे इसे टाइम–बाउंड करेंगे।

डा. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष जी, बहस बहुत सार्थक हुई है और सदस्यों द्वारा जो बातें कही गई हैं उनको मैंने नोट किया है तथा और भी जो प्रस्ताव होंगे उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित हैं उनको वे मिलनी चाहिए और इस देश के संविधान में जिनका उल्लेख है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में है कि "हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुता–सम्पन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, समानता का अधिकार देने के लिए कटिबद्ध हैं।" इससे कम में समझौता कैसा और इस बात को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश के साथ, आप सब के सहयोग को प्राप्त करते हुए ही हमारी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान का हर नागरिक सम्मानित नागरिक के रूप में अपना जीवन जिए। यह कोई भाषण का मंच नहीं है बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी का मंच है। इसलिए उसको निभाने के लिए हम तैयार हैं। आज के अवसर पर जो ये दो विधेयक आए हैं, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : प्रजापति जाति मध्य प्रदेश के दो जिलों में अनुसूचित जाति में है और बाकी में नहीं है। इसलिए बाकी में भी कराइए।

डा. सत्यनारायण जटिया : धोबी जाति के बारे में जो आपने पूछा है, इस बारे में राज्य सरकार को पूछने के लिए हमने भेज दिया है। जैसे ही राज्य सरकार से जानकारी आ जाएगी, इसको करने के लिए जो भी होगा वह हम करेंगे।

आज जो संशोधन प्रस्तुत हुए हैं उसके अंग्रेजी पाठ के पृष्ठ–दो पर बारहवीं–तेरहवीं पंक्ति में जो शब्द साउथ–दीनाजपुर है, वह प्रिन्टिंग–त्रुटि के तहत गलत हो गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी जगह दक्षिण दीनाजपुर पढ़ा जाए।

श्री खारवेल स्वाइं : उड़ीसा में एक जाति पहले बैकवर्ड कास्ट थी। बीच में वह एससी में आ गई और कुछ एमएलए और एमपी भी बन गए। अब वह फिर बैकवर्ड में आ गई है। यह कैसे होता है, समझ में नहीं आता है।

यह कैसे सब होता है, यह मैं समझ नहीं पाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : भारतवर्ष में कभी–कभी ऐसा भी होता है।

[अनुवाद]

विधेयक के अंग्रेजी संस्करण में, दक्षिण दीनाजपुर के लिए साउथ दीनाजपुर लिखा गया है, जबकि यह जिला केवल दक्षिण दीनाजपुर के नाम से ही जाना जाता है। माननीय मंत्री जी ने संशोधन की सूचना दी है। तथापि चूंकि यह स्पष्ट गलती है, उनसे यह बताने का अनुरोध किया गया है। वह पहले ही बहस का उत्तर देते समय इसे बता चुके हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं और इसे स्पष्ट गलती के रूप में मानता हूं।

[हिन्दी]

श्री अमर रायप्रधान : ईस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे, उसके बारे में?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जब कोई अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, तो वह अपने लाभ गंवाता है। क्या उनके लिए सुरक्षोपाय हैं? उन्होंने यह प्रश्न पूछा था।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष जी, वास्तव में

हिन्दुस्तान की आजादी के बाद आधार बनाकर उसका परीक्षण हुआ था कि किन आधारों पर कौन सी जाति अनुसूचित जाति है। जहां अस्पृश्यता बरती जाती है, जहां सामाजिक रूप से, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है, तब से वह चला आ रहा है तो पूरे देश में इस प्रकार सार्वदेशिक रूप से कौन–कौन सी जातियां अनुसूचित जाति के दायरे में आनी चाहिए। इस प्रकार इस कारण से जो पहले से चला आ रहा है, उसको कहां सम्मिलित करना है, छोड़कर या कहीं छूट गया है, अनुसूचित जाति का है या पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए प्रदेश सरकारें प्रस्ताव करती हैं। यह जोड़ने और निकालने का काम संसद और इस संविधान की प्रक्रिया के तहत होता है। यही कारण है कि जब कोई जाति जहां जाती है तब संख्या ज्यादा हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उसमें एस.टी. भी है?

डा. सत्यनारायण जटिया : मेरे पास ट्राइब्स नहीं है, मैं अनुसूचित जाति के बारे में बोल रहा हूं। क्योंकि यह प्रस्ताव पहले बना था और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को मिलाकर यह किया था, मैंने इसे पॉयलट करने का काम किया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों की तरह का है?

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष जी, मैंने कहा कि हमारे पास प्रस्ताव तैयार है। जैसे ही हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो बाकी बाद में कर देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने संतोषजनक उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्री अमर रायप्रधान : आप जल्दी से जल्दी एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाइए। पाकिस्तान से आने वाले 35 साल से यहां रह रहे हैं लेकिन घरबार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट आ जाएगी वह विधेयक लाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे :

प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की ऐसी कतिपय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निर्वासित व्यक्तियों को, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के कारण विस्थापित हो गए हैं और गुजरात राज्य में बसा दिए गए हैं या वहां बसाए जाने वाले हैं, गुजरात राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताय स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे।

प्रश्न है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 3 मई, 2002/ 13 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/24/29/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।